# लोक-सभा वाद-विवाद

गुरुवार,
१ दिसंबर, १९५५

---

(भाग १—प्रश्नोत्तर)

खण्ड ७: १९५५

(२१ नवम्बर से २३ दिसम्बर, १९५५)

1st Lok Sabha

ग्यारहवां सत्र, १९५५

(खंड ७ में अंक १ से अंक २६ तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली

# विषय-सूची

[खंड ७—२१ नवम्बर से २३ दिसम्बर, १९५५]


**अंक १—सोमवार, २१ नवम्बर, १९५५**

सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण . . . . . ३६९५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १ से ३, ५ से २५, २८, २९, ३१ और ३२ . ३६९५–३७३९

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४, २६, २७, ३०, ३३ से ४५ . . ३७३९–५०

अतारांकित प्रश्न संख्या १ से २४ . . . . ३७५०–६४

दैनिक संक्षेपिका . . . . . ३७६५–७०

**अंक २—मंगलवार, २२ नवम्बर, १९५५**

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४६ से ५१, ५३ से ६३, ६५ से ६९, ७१, ७२, ७४ और ७५ . . . . . ३७७१–३८१३

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७३, ७६ से ८३, ८५ से ९१ और ९३ से ९७ . ३८१४–२७

अतारांकित प्रश्न संख्या २५ से ५४ . . . ३८२७–४६

दैनिक संक्षेपिका . . . . . ३८४७–५०

**अंक ३—बुधवार, २३ नवम्बर, १९५५**

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ९८ से १०५, १०८, १३६, १०७, १०९ से ११९, ११३, ११७ से १२२, १२४ से १२६, १२८ . . . ३८५१–८८

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०६, ११२, ११४ से ११६, १२७, १२९ से १३५, १३७ से १४७ . . . . . ३८८८–३९०४

अतारांकित प्रश्न संख्या ५५ से ६८ और ७० . . . ३९०४–१२

दैनिक संक्षेपिका . . . . . ३९१३–१६

**अंक ४—गुरुवार, २४ नवम्बर, १९५५**

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १४८ से १६१, १६३, १६४, १६७ से १७०, १७२, १७४, १७६ से १८३, १८५, १८७ और १८९ . . . ३९१७–६१

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १६५, १७५, १८४, १९०, १९२ और १९३ . ३९६१–६४

अतारांकित प्रश्न संख्या ७१ से ८१ और ८३ से ९० . . ३९६४–७८

दैनिक संक्षेपिका . . . . . ३९७९–८०

**अंक ५—शुक्रवार, २५ नवम्बर, १९५५**

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १९४ से १९६, १९८, १९९, २०१, २०४ से २०६, २०९ से २१७, २२० से २२५ . . . . ३९८१–४०२२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १९७, २००, २०३, २०७, २०८, २१८, २१९, २२६ से २४० . . . . . ४०२२–३६

अतारांकित प्रश्न संख्या ९२ से १२६ . . . . ४०३६–५८

दैनिक संक्षेपिका . . . . . ४०५९–६४

**अंक ६—सोमवार, २८ नवम्बर, १९५५**

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २४२ से २४६, २५१, २५२, २५६, २५८, २६०, २६२ से २६४, २६६, २६९, २४१, २४७, २५३, २५७, २५९, २६१, २६५, २६७, २४८, २५५ और २४९ . . . ४०६५–४१०५

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १ . . . . . ४१०५–१३

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २५०, २५४ और २६८ . . . ४११३–१४

अतारांकित प्रश्न संख्या १२७ से १४८ . . . . ४११४–२६

दैनिक संक्षेपिका . . . . . ४१२७–३०

**अंक ७—बुधवार, ३० नवम्बर, १९५५**

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २७०, २७१, २७३ से २७६, २७८, २८४, २७९, २८२, २८३, २८५ से २९५, २९७ से ३०१ . . . ४१३१–७४

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २७२, २७७, २८०, २८१, २९६, ३०३ से ३१० और ३१२ . . . . . ४१७४–८२

अतारांकित प्रश्न संख्या १४९ से १७० . . . ४१८३–९६

दैनिक संक्षेपिका . . . . . ४१९७–४२००

**अंक ८—गुरुवार, १ दिसम्बर, १९५५**

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३१३, ३१५ से ३१७, ३१९, ३२०, ३२२ से ३२४, ३२७ से ३३०, ३३२ से ३३६, ३३८, ३३९, ३४१ से ३४३, ३४५ से ३४७ और ३४९ से ३५२ . . . . . ४२०१–४५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३१४, ३१८, ३२१, ३२५, ३२६, ३३१, ३३७, ३४०, ३४४, ३४८ और ३५४ से ३७७ . . . ४२४५–६५

अतारांकित प्रश्न संख्या १७१ से १७३ और १७५ से २१६ . ४२६६–९८

दैनिक संक्षेपिका . . . . . ४२९९–४३०६

**अंक ९—शुक्रवार, २ दिसम्बर, १९५५**

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३७८ से ३८१, ३८३, ३८५, ३८७ से ३८९, ३९१, ३९२, ३९४ से ३९९, ४०१, ४०३, ४०४, ४०६, ४०७, ४०९ से ४१५ ४३०७–५१

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३८२, ३८४, ३८६, ३९०, ३९३, ४००, ४०२, ४०५, ४०८, ४१६ से ४२६ और १२३ . . . ४३५१–६१

अतारांकित प्रश्न संख्या २१७ से २३७ . ४३६१–७४

दैनिक संक्षेपिका . . . . . ४३७५–८०

**अंक १०—शनिवार, ३ दिसम्बर, १९५५**

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४२७ से ४२९, ४३१, ४३३ से ४३६, ४३९, ४४३, ४४४, ४४६ से ४५१, ४५४, ४५५ और ४७६ . . ४३८१–४४२२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४३०, ४३२, ४३७, ४३८, ४४० से ४४२, ४४५, ४५२, ४५३, ४५६ से ४७५, ४७७ से ४८४, १७१, १८८ और १९१ ४४२३–४६

अतारांकित प्रश्न संख्या २३८ से २६३ . . . ४४४६–६०

दैनिक संक्षेपिका . . . . . ४४६१–६६

**अंक ११—सोमवार, ५ दिसम्बर, १९५५**

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४८५, ४८८, ४९० से ४९२, ४९४, ४९५, ४९७ से ५०१, ५०४ से ५०६, ५१२, ५१४ से ५१६, ५१८, ५२१, ५२२, ५२५, ५३० और ५२६ . . . . . ४४६७–४५०८

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४८७, ४८९, ४९३, ४९६, ५०२, ५०३, ५०७ से ५११, ५१३, ५१९, ५२०, ५२४, ५२७, ५२८, ५२९, ५३१ से ५३७ ४५०८–२३

अतारांकित प्रश्न संख्या २६४ से ३०७ . . . ४५२३–५२

दैनिक संक्षेपिका . . . . . ४५५३–५८

**अंक १२—गुरुवार, ६ दिसम्बर, १९५५**

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५३८ से ५४०, ५४४ से ५४६, ५४८, ५४९, ५५१, ५५३, ५५९ से ५६३, ५६५ से ५६८, ५७० से ५७४, ५७७ से ५८३ और ५४७ ४५५९–४६०४

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५४१, ५४२, ५४३, ५५०, ५५२, ५५५, ५५६ से ५५८, ५६४, ५६९, ५७५, ५७६ ४६०५–१२

अतारांकित प्रश्न संख्या ३०८ से ३३२ ४६१२–२८

दैनिक संक्षेपिका ४६२९–३४

**अंक १३—बुधवार, ७ दिसम्बर १९५५**

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५८४ से ५८७, ५८९ से ५९८, ६०० से ६०४ और ६०६ . . . . ४६३५–७४

अल्प सूचना प्रश्न संख्या २ ४६७४–७६

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५८८, ५९९, ६०५, ६०७ से ६३० और ३०२

अतारांकित प्रश्न संख्या ३३३ से ३६२ . . . . ४६९३–४७१२

दैनिक संक्षेपिका ४७१३–१८

**अंक १४—गुरुवार, ८ दिसम्बर, १९५५**

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६३१, ६३२, ६३४, ६३५, ६३७, ६३९ से ६४१, ६४३ से ६४५, ६४७ से ६४९, ६५१, ६५३ से ६५९, ६६१, ६६३, ६६४, ६८१, ६६६, ६६८ और ६६९ ४७१९–६४

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६३३, ६३६, ६३८, ६४२, ६४६, ६५०, ६५२, ६६० ६६२, ६६५, ६६७, ६७० से ६८०, ६८२ से ६८७ . . ४७६४–८०

अतारांकित प्रश्न संख्या ३६३ से ३९७ . . . . ४७८०–४८०४

दैनिक संक्षेपिका . . . . . ४८०५–१०

**अंक १५—शुक्रवार, ९ दिसम्बर, १९५५**

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६८८ से ६९०, ६९२, ६९४ से ६९७, ६९९, ७०१, ७०३, ७०५ से ७०८, ७११ से ७१३, ७१५ से ७१९, ६९८ और ७०२ ४८११–५२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६९१, ६९३, ७००, ७०४, ७०९, ७१० और ७१४ ४८५२–५६

अतारांकित प्रश्न संख्या ३९८ से ४२० ४८५६–७०

दैनिक संक्षेपिका . . . . . ४८७१–७४

**अंक १६—सोमवार, १२ दिसम्बर, १९५५**

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७२१, ७२२, ७२५ से ७३२, ७३४, ७३८ से ७४०, ७४३ से ७४६, ७४८ से ७५०, ७२४, ७३५ और ७२३ . . ४८७५–४९१६

प्रश्नों के लिखित उत्तर— . . . .

तारांकित प्रश्न संख्या ७२०, ७३३, ७३६, ७३७, ७४१, ७४२ और ७४७ ४९१६–२१

अतारांकित प्रश्न संख्या ४२१ से ४४० . . . . ४९२१–३६

दैनिक संक्षेपिका . . . . . ४९३६–४०

**अंक १७—मंगलवार, १३ दिसम्बर, १९५५**

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७५२ से ७६१, ७६३ से ७७३, ७७५, ७७९, ७८०, ७८४ से ७८६, ७८८ और ७८९ . . . ४९४१–८५

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ३ . . . . ४९८५–८८

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७५१, ७६२, ७७०क, ७७४, ७७६ से ७७८, ७८१ से ७८३, ७९० से ८०५ और ८०७ . . . . ४९८८–५००४

अतारांकित प्रश्न संख्या ४४१ से ४८९ . . . . ५००४–३२

दैनिक संक्षेपिका . . . . . ५०३३–४०

**अंक १८—बुधवार, १४ दिसम्बर, १९५५**

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८०८, ८०९, ८१५ से ८१७, ८२०, ८२४, ८२५, ८२८ से ८३२, ८३४ से ८३६, ८३८, ८१४, ८१२, ८२३ और ८२७. ५०४१–७४

प्रश्नों के लिखित उत्तर— . . . . .

तारांकित प्रश्न संख्या ८१०, ८११, ८१३, ८१८, ८१९, ८२१, ८२२, ८२६, ८३३ और ८३७ . . . . . ५०७५–८१

अतारांकित प्रश्न संख्या ४९० से ५२२ . . . . ५०८१–५१०६

दैनिक संक्षेपिका . . . . . ५१०७–१०

**अंक १९—गुरुवार, १५ दिसम्बर, १९५५**

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८४०, ८४४ से ८४८, ८५०, ८५३ से ८५६, ८५८, ८५९, ८६१, ८६२, ८६४, ८६५, ८६७, ८७१, ८७३, ८७४, ८७६, ८७८ से ८८०क . . . . . ५१११–५४

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ८३९, ८४१ से ८४३, ८४९, ८५१, ८५२, ८५७, ८६०, ८६३, ८६६, ८६८ से ८७०, ८७२, ८७५, ८७७, ८८१ से ९९८ और १७३ . . ५१५४–७०

अतारांकित प्रश्न संख्या ५२३ से ५६१ . . . . ५१७०–९६

दैनिक संक्षेपिका . . . . . ५१९७–५२०२

**अंक २०--शुक्रवार, १६ दिसम्बर, १९५५**

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ८९१, ८९३, ८९४, ८९६, ८९७, ८९९ से ९०५, ९११ से ९१३, ९१५, ९१७, ९१९, ९२१ से ९२५, ९२७ से ९३१, ९३३ और ९३५ से ९४० . ५२०३–४८

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ४ . . . . . ५२४८–५१

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ८९०, ८९२, ८९५, ८९८, ९०६ से ९१०, ९१४, ९१६, ९१८, ९२०, ९२६, ९३२ और ९३४ . . ५२५१–६१

अतारांकित प्रश्न संख्या ५६२ से ६२७ . . . . ५२६१–५३१२

दैनिक संक्षेपिका . . . . . ५३१३–२०

**अंक २१--शनिवार, १७ दिसम्बर, १९५५**

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ५ . . . . ५३२१–२४

दैनिक संक्षेपिका . . . . . ५३२५-२६

**अंक २२--सोमवार, १९ दिसम्बर, १९५५**

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ९४४, ९४३, ९४५ से ९४८, ९५०, ९५१, ९५३ से ९५५, ९५७ से ९५९, ९६१, ९६२, ९६४, ९६७, ९६९ से ९७१, ९७३ और ९७५ . . . . ५३२७–६७

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ९४१, ९४२, ९४९, ९५२, ९५६, ९६०, ९६३, ९६५, ९६६, ९६८, ९७३, ९७४, ९७६, ९७७, ९७८ और ९७९ ५३६८–७६

अतारांकित प्रश्न संख्या ६२८ से ६५५ और ६५७ से ६६६] . . ५३७६–९८

दैनिक संक्षेपिका . . . . . ५३९९–५४०२

**अंक २३--मंगलवार, २० दिसम्बर, १९५५**

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ९८० से ९८४, ९८६ से ९८८, ९९० से ९९८, १०००, १००२ से १०११ . ५४०३–४६

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ९८५, ९८९, ९९९, १००१, १०१२ से १०४४ ५४४६–७०

अतारांकित प्रश्न संख्या ६६७ से ७१४ और ७१६ से ७२३ ५४७०–५५०२

दैनिक संक्षेपिका . . . . . ५५०३–१०

**अंक २४--बुधवार, २१ दिसम्बर, १९५५**

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या १०४५ से १०५२, १०५५, १०५७, १०५९, १०६१ से १०६७, १०७० से १०७२, ३५३, १०७४, १०७५, १०७७, १०७८, ११०६, १०७९ से १०८५. ५५११–५६

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या १०५३, १०५४, १०५६, १०५७, १०६०, १०६८, १०६९, १०७३, १०७६, १०८६ से ११०५, ११०७ से १११९, ५१७ ५५५७–८१

अतारांकित प्रश्न संख्या ७२४ से ८२५, ८२५-क, ८२६ से ८४५, ८४५क, ८४६ से ८६३ ५५८१–५६७०

दैनिक संक्षेपिका ५६७१–८२

**अंक २५--गुरुवार, २२ दिसम्बर, १९५५**

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ११२० से ११२५, ११२७ से ११३६, ११३९ से ११५१ ५६८३–५७२९

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ११२६, ११३७, ११३८, ११५२ से ११६२ ५७२९–३६

अतारांकित प्रश्न संख्या ८६४ से ९१४, ९१६ से ९३४ और ९३४-क ५७३६–८०

दैनिक संक्षेपिका ५७८१–८२

**अंक २६—शुक्रवार, २३ दिसम्बर, १९५५**

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ११६३, ११६४, ११६८, ११७०, ११७२ से ११८३, ११८५ से ११९०, ११९३ से ११९५. ५७८९–५८३४

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ६ और ७. ५८३४–३८

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ११६५ से ११६७, ११६९, ११७१, ११८४, ११९१, ११९२, ११९६ से १२०७. . . ५८३८–५२

अतारांकित प्रश्न संख्या ९३५ से ९९५, ९९५-क, ९९६ से १०१२ और १०१४ . . . . ५८५२–५९०२

दैनिक संक्षेपिका . . . . . ५९०३–१०

GIPND—NSH—477 LSD—1-3-58—175

## लोक-सभा

शुक्रवार, १ दिसम्बर १९५५

---

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

---

### बुंदेलखंड रेलवे लाइन

*३१३. **श्री एम० एल० द्विवेदी**: क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बुन्देलखण्ड में भरुआ सुमेरपुर और हरपालपुर के बीच एक नई रेलवे लाइन बनाने के लिये सर्वेक्षण किया गया था;

(ख) यदि हां, तो कब;

(ग) इस नई रेलवे लाइन पर कार्य को रोकने तथा अब तक निलम्बित रखने के क्या कारण हैं; और

(घ) इस योजना को आरम्भ करने के बारे में वर्तमान स्थिति क्या है?

**रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभा सचिव (श्री शाहनवाज खां)**: (क) और (ख) जी हां, हरपालपुर और भरवा सुमेरपुर के बीच लाइन निकालने के लिए १९२६–२७ में एक यातायात सर्वे (ट्रफिक सर्वे) किया गया था।

(ग) आर्थिक दृष्टि से यह लाइन बनाना ठीक न समझा गया।

(घ) दूसरी पंचवर्षीय योजना में रेल की नयी लाइनें बनाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने अब जो सिफारिश की है उसमें सुमेरपुर से छतरपुर के बीच रेल की लाइनें बनाने की सिफारिश भी शामिल है। भरवा सुमेरपुर—हरपालपुर का हिस्सा इस लाइन का एक भाग होगा। दूसरी पंचवर्षीय योजना में बनायी जाने वाली रेलवे लाइनों का चुनाव करते समय इस योजना पर भी उचित ध्यान दिया जायगा।

**श्री एम० एल० द्विवेदी**: मैं जानना चाहता हूं कि भरवा सुमेरपुर और हरपालपुर रेलवे लाइन जिसका सर्वे पहले हो चुका है उसको पंचवर्षीय योजना में शामिल करने के लिए रेलवे मंत्रालय ने सिफारिश की है या नहीं?

**श्री शाहनवाज खां**: अभी तक तो हमने जो सूबाई हुकूमतें हैं उनसे सिफारिशें मांगी हैं जो जो सिफारिशें हमारे पास प्रान्तीय सरकारों ने भेजी हैं उन पर रेलवे मिनिस्ट्री गौर कर रही है।

**श्री एम० एल० एल० द्विवेदी**: क्या संसदीय सचिव यह बतला सकेंगे कि जो पहले जांच पड़ताल की गयी थी उसमें कितना व्यय अनुमानित था?

**श्री शाहनवाज खां**: पहली लाइन जिसका सन् १९२६-२७ में सर्वे किया गया था वह लाइन भरवा सुमेरपुर से हरपालपुर तक

६८ मील लम्बी थी और उसके ऊपर ४७,५०,९०० रुपये का खर्च होने का एस्टीमेट आया था ।

**श्री एम० एल० द्विवेदी** : क्या मैं जान सकता हूं कि यह जो क्षेत्र है वह गेहूं और अन्न की उपज में बहुत ज्यादा सरप्लस है । यदि हां, तो क्या रेलवे मंत्रालय यह आवश्यक नहीं समझता कि जहां गेहूं और अन्न की उपज ज्यादा है वहां पहले रेलवे लाइन निकाली जाये बनिस्बत इसके कि बनी हुई जगहों पर ज्यादा काम किया जाय ?

**श्री शाहनवाज खां** : जो सिफारिशें रेलवे मंत्रालय के पास प्रान्तीय सरकारों ने भेजी हैं उन पर बड़ी हमदर्दी से गौर किया जायेगा ।

**अखिल भारतीय चिकित्सा संस्था, नई दिल्ली**

*३१५. **श्री श्रीनारायण दास** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) अखिल भारतीय चिकित्सा संस्था का भवन बनाने के बारे में तथा स्नातकोत्तर चिकित्सा प्रशिक्षण तथा वहां की जाने वाली गवेषणा के लिये सामान प्राप्त करने के सम्बन्ध में अब तक क्या प्रगति हुई है ;

(ख) इस प्रशिक्षण को देने के लिये तथा गवेषणा कार्य को करने के लिये उपयुक्त व्यक्तियों की सेवाओं को प्राप्त करने के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ;

(ग) क्या इस कार्य के लिये विदेशी विशेषज्ञों की आवश्यकता होगी ;

(घ) यदि हां, किस शाखा विशेष के लिये; और

(ङ) ऐसे विशेषज्ञ कितने होंगे ?

**स्वास्थ्य मंत्री राजकुमारी अमृतकौर** : (क) संस्था के मुख्य भवन के फर्स्ट फेज (प्रथम खण्ड) के निर्माण के लिए टेंडर आ चुके हैं और उनकी जांच की जा रही है । लगभग १४ ३८ लाख रुपये की कीमत के एक्युपमेंट (सामान) के लिए डाइरेक्टर जनरल आफ सप्लाइज़ एण्ड डिस्पोजल (संभरण तथा उत्सर्जन के महानिदेशक) के पास इन्डेण्ट्स (व्यादेश) भेजे गये हैं ।

(ख) संस्था के शिक्षा और अनुसन्धान सम्बन्धी भिन्न-भिन्न पदों पर भर्ती के लिए १२ नवम्बर, १९५५ को एक एडवरटाईज-मेण्ट (विज्ञापन) निकाला गया था ।

(ग) से (ङ) जब तक योग्य भारतीय मिलते रहेंगे कोई विदेशी एक्सपर्ट (विशेषज्ञ) नियुक्त नहीं किया जायेगा ।

**श्री श्रीनारायणदास** : क्या मैं जान सकता हूं कि इस संस्था के निर्माण के लिए कोई अलग संगठन कायम किया गया है, या स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से ही काम किया जा रहा है ।

**राजकुमारी अमृतकौर** : जी हां, इसके लिए एक अलग कमेटी मुकर्रर कर दी गयी है है जो मेरी मिनिस्ट्री के नीचे काम करती है ।

**श्री श्रीनारायण दास** : क्या मैं जान सकता हूं कि गवेषणा और प्रशिक्षण के लिए प्रबन्ध करने के लिए सरकार की ओर से कोई अलग कमेटी बनी है या वही कमेटी काम करती है ?

**राजकुमारी अमृतकौर** : वही कमेटी है और उसके नीचे और सबकमेटीज़ हैं जिनमें एक्सपर्टस् बुलाये जाते हैं और वह ट्रेनिंग का काम देखते हैं ।

**श्री एम० एल० द्विवेदी** : मैं यह जानना चाहता हूं कि इस संस्था में केवल ऐलोपैथिक सिस्टम के बारे में ही कार्य होगा अथवा भारतीय तमाम किस्म के सिस्टमों पर भी काम होगा ?

**राजकुमारी अमृतकौर** : इसमें केवल माडर्न मैडिसिन का काम होगा ।

**श्री टी० एस० ए० चट्टियार** : किन विषयों में स्नातकोत्तर प्रशिक्षण आरम्भ किये जाने की आशा है ?

**राजकुमारी अमृतकौर** : व्यवहारिक रूप में सभी विषय में स्नातकोत्तर प्रशिक्षण आरम्भ किया जायेगा । पर अगले वर्ष हमें आशा है कि हम पहले पहल वक्षस्थल शल्य चिकित्सा के प्रशिक्षण का कार्य प्रारम्भ कर देंगे ।

## खाद्यानों के मूल्य

*३१३. **श्री अमर सिंह डामर** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में खाद्यान्नों के मूल्यों की स्थिरता लाने के लिये सरकार के पास कोई योजना है ; और

(ख) यदि हां, उसका ब्यौरा क्या है और यह योजना किस समय तक कार्यान्वित की जायगी ?

**खाद्य और कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख** : (क) और (ख) जी हां । गेहूं, चने, चावल, धान तथा मोटे अनाजों के भावों को सहारा देने वाली योजना पहले से ही चालू है । इस योजना के अधीन सरकार काश्तकारों से रेलहेड केन्द्रों पर गेहूं १० रुपये मन, चना ६ रुपये मन, चावल ११ रुपये मन, बाजरा ६ रुपये मन तथा जवार और मकई ५ रुपये ८ आने मन के हिसाब से खरीदती है जब कभी भाव इस स्तर से नीचे गिरते हैं ।

**श्री अमरसिंह डामर**: क्या यह योजना सारे देश में लागू है ?

**डा० पी० एस० देशमुख**: जी हां, जैसा कि मैंने बतलाया है, जहां जहां हमने प्राइस सपोर्ट (भावों को सहारा) दिया है वहां पर हमने रेल हैड पर खरीदा है ।

**पंडित डी० एन० तिवारी** : नीचे की सीमा तो निर्धारित कर दी गयी है कि अगर दस रुपये या ६ रुपये मन से कम हो तो गवर्नमेंट (सरकार) प्राइस सपोर्ट (भावों को सहारा) देगी । मैं जानना चाहता हूं कि क्या ऊपर की सीमा भी निर्धारित कर दी गयी है कि ज्यादा दर होने पर कोई सबसिडी (सहायता) दी जायेगी ।

**डा० पी० एस० देशमुख** : अभी ऐसी नौबत नहीं है । अभी तो भावों के नीचे गिरने की ही नौबत है । एक समय था जब ऊपर की तरफ दरें जा रही थीं जब कि ऊपर की सीमा मुकर्रर की गयी थी ।

**श्री विभूत मिश्र** : जो एरियां (क्षेत्र) रेलवे स्टेशनों से बीस, पच्चीस या तीस मील दूर है वहां के किसानों को सरकार क्या सहायता देती है ?

**खाद्य और कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन)** : राज्य सरकारों को इस बात का अधिकार दे दिया गया है कि वहां गल्ला खरीद लें और रेल हैड पर लाकर केन्द्रीय सरकार ने जो दर मुकर्रर की है उस पर बेच दे ।

## अन्दमान और निकोबार द्वीप समूह में डाक तथा तार घर

*३१७. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अन्दमान और निकोबार द्वीपों में १९४७ से अब तक कितने डाक और तार घर खोले जा चुके हैं और प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्त तक कितने (स्थानों के नाम सहित) और खोले जाने वाले है ;

(ख) इन द्वीपों में कार्य करने वाले डाक कर्मचारियों में कितने कर्मचारी भारत के हैं ;

(ग) इन द्वीपों के निवासियों की भरती करने के लिए क्या प्रयत्न किये गये हैं ; और

(घ) क्या भरती के लिए इन द्वीपों में कोई परीक्षा ली जाने वाली है ?

**संचार उपमन्त्री (श्री राजबहादुर)** : (क) से (घ) एक विवरण लोक सभा के पटल पर रखा जाता है [देखिये परिशिष्ट ३ अनुबन्ध संख्या १]।

**श्री एस० सी० सामन्त** : विवरण म तार घरों का कोई ज़िक्र नहीं है। क्या मैं यह समझ लूं कि वहां पर कोई तार घर नहीं है ?

**श्री राजबहादुर** : पोर्ट ब्लेयर पर एक बेतार के तार का स्टेशन है जो विभागीय तार घर के रूप में काम करता है। इसके अतिरिक्त, माया बन्दर और कार निकोबर में पुलिस विभाग के बेतार के तार के कार्यालय हैं जो पोर्ट ब्लेयर को भेजे जाने वाले तारों को स्वीकार करते हैं, और पोर्ट ब्लेयर खबरों को निर्दिष्ट स्थानों पर पहुंचाता है। इसी प्रकार, आने वाले तारों को भी पोर्ट ब्लेयर कार्यालय में प्राप्त किया जाता है।

**श्री एस० सी० सामन्त** : प्रश्न के भाग (ख) के उत्तर में माननीय मंत्री ने विवरण में ज़िक्र किया है कि वहां पर मुख्य देश के २२ कर्मचारी काम करते हैं। क्या मैं जान सकता हूं कि वहां कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है ?

**श्री राजबहादुर** : कर्मचारियों की कुल संख्या २५ है जिसमें ६ स्थान रिक्त हैं।

**श्री भागवत झा आज़ाद** : तीनों द्वीपों, उत्तरी अन्दमान, मध्य अन्दमान तथा दक्षिणी अन्दमान, में डाक क वितरण की बारम्बारता क्या है ; डाक के वितरण के लिए कौनसी प्रणाली का प्रयोग किया जाता है ?

**श्री राजबहादुर** : मैं विभिन्न डाकघरों से डाक के वितरण की ठीक ठीक संख्या नहीं बता सकता, क्योंकि यह एक स्थानीय मामला है।

**श्री भागवत झा आज़ाद** : मैं तीनों द्वीपों के बीच डाक वितरण की बारम्बारता जानना चाहता हूं। उत्तर मध्य तथा दक्षिण अन्दमान के बीच डाक ले जाने के लिए कौनसी प्रणाली का प्रयोग किया जाता है ?

**श्री राजबहादुर** : जहां तक उन डाक-घरों का सम्बन्ध है जो स्थल मार्ग से सम्बद्ध हैं, डाक हरकारों या परिवहन के अन्य साधनों से भेजी जाती हैं और जो डाकघर समुद्र मार्ग से सम्बद्ध हैं, वहां डाक नावों द्वारा भेजी जाती है।

**श्री भागवत झा आजाद** : उसकी बार-म्बारता क्या है ?

**श्री राजबहादुर** : यदि आपका अभि-प्राय: इन द्वीपों और संसार के बीच डाक की बारम्बारता से है तो मैं पूर्व सूचना चाहूंगा।

**श्री ए० एम० थामस** : भारत से भेजे गये पत्र अन्दमान में कितने दिनों में पहुंचते हैं और वहां से भेजे गये पत्र यहां कितने दिनों में पहुंचते हैं ?

**श्री राजबहादुर** : जहां तक मुझे पता है एक सप्ताह में या १४ दिनों में, क्योंकि यह सब स्टीमर या नावों के यातायात पर निर्भर होता है

**श्री एम० एल० द्विवेदी** : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि अब अन्दमान और भारत के बीच हवाई सर्विस जारी हो गयी है क्या सरकार डाक व्यवस्था भी हवाई जहाज द्वारा करने पर विचार कर रही है ?

**श्री राजबहादुर** : मैं यह निश्चित रूप से नहीं कह सकता कि हवाई सर्विस शुरू हो गयी है। उसके लिए की प्लेन्स (विमानों) की आवश्यकता है, जो मेरी जानकारी में अभी शुरू नहीं हुई है।

## छुट्टी तथा स्वास्थ्य सुधार गृह

*३१९. **डा० सत्यवादी** : क्या स्वास्थ्य मंत्री २६ जलाई, १९५५ को दिये गये तारां-कित प्रश्न संख्या ९६ के उत्तर के सम्बन्ध में

निम्न बातें बताने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगी;

(क) केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए छुट्टी तथा स्वास्थ्य सुधार (क्नवै-लैसेंट) गृहों की व्यवस्था करने वाली योजना के ब्यौरे क्या हैं ; और

(ख) उसमें कितना धन लगेगा ?

**स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृतकौर)**: (क) और (ख). उस योजना को छोड़ देने का निश्चय कर लिया गया है।

**हावड़ा-बर्दवान के बीच बिजली से गाड़ी चलाने की योजना**

*३२० **श्री टी० बी० विट्ठल राव** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हावड़ा-बन्दल-बर्दवान सेक्शन में बिजली से गाड़ी चलाने की योजना का कार्य समय-सूची के अनुसार प्रगति कर रहा है ; और

(ख) काम के शीघ्रता से समाप्त करने के लिए सरकार आगे और क्या क्या कार्य-वाही करने जा रही है ?

**रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभा सचिव (श्री शाहनवाज खां)** : (क) जी हां।

(ख) निश्चित तिथि तक काम पूरा करने के लिए सभी प्रकार के प्रयत्न किये जा रहे हैं।

**श्री टी० बी० विट्ठल राव** : कुल २६२ मील की दूरी में से कितने मील तक रेल की पटरियों को बिजली से चलाने लायक बनाया जा चुका है।

**श्री शाहनवाज खां**: यह काम अभी तक बिल्कुल नहीं हुआ है।

**श्री टी० बी० विट्ठल राव** : यदि इसे अभी तक पूरा नहीं किया गया है, तो क्या पूर्व निश्चित समय के अनुसार १९५७ के मध्य से गाड़ियां चलने लगेंगी ?

**श्री शाहनवाज खां** : जी हां। मैं स्पष्ट कर दूं कि जैसा अभी प्रत्याशित है, हमें लगभग ८८ मील रेलवे लाइन पर बिजली लगानी है, और इसमें ११.८४ करोड़ रुपये की लागत लगेगी। इंजन-डिब्बे और बिजली के उप केन्द्रों के सामान मंगाने के लिए आदेश भेज दिये गये हैं। हमें आशा है कि निश्चित समय तक पहली गाड़ी चलने लग जायेगी।

**श्री टी० बी० विट्ठल राव** : क्या इस योजना के पूरे होने तक ग्रैण्ड कार्ड (बड़ी) लाइन से हो कर मुगलसराय तक बिजली से से गाड़ी चलाँने की योजना को निलम्बित रखना पड़ेगा। ?

**रेलवे तथा परिवहन मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री)** : जी हां।

**श्री टी० बी० विट्ठल राव** : ऐसी अवस्था में द्वितीय पंचवर्षीय योजना में औद्यो-गिक विकास के परिणामस्वरूप सामान के आने जाने में जो वृद्धि हो जायेगी उसे आप कैसे सम्भालेंगे ?

**श्री एल० बी० शास्त्री** : उस लाइन को पूरी तरह से बिजली से चलाने लायक बनाये बिना सामान का परिवहन किया जायेगा। हम अपनी लाइनों का सामर्थ्य बढ़ाने का प्रयत्न कर रहे हैं। बिजली से गाड़ी चलाने का काम इतने थोड़े समय में पूरा नहीं किया जा सकता ; यह एक बड़ी योजना है और धीरे धीरे खण्डशः पूरी होगी।

**रेलवे में भोजन-व्यवस्था**

*३२२. **श्री डाभी** : क्या रेलवे मंत्री १४ सितम्बर, १९५५ को दिये गये तारांकित

प्रश्न संख्या १७२० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम रेलवे के विभिन्न स्टेशनों पर यात्रियों के लिए अच्छी प्रकार की और सस्ते दामों पर पूरियों तथा तरकारियों के भोजन के थैलों के विक्रय का प्रबन्ध कर दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार की व्यवस्था की गयी है ?

**रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज खां)** : (क) जी हां, रतलाम और बड़ौदा स्टेशनों पर।

(ख) भोजन के थैले, जिनमें ४ पूरियां जिनका वजन लगभग २ छटांक होता है, काफी मात्रा में तरकारी और अचार होता है, ४ आने प्रति थैले के हिसाब से बेचे जाते हैं।

**श्री डाभी** : क्या ऐसा ही प्रबन्ध अन्य स्टेशनों पर भी किया जायेगा और क्या यह प्रबन्ध रेलवे विभाग की ओर से किया जा रहा है या किन्हीं ठेकेदारों द्वारा ?

**श्री शाहनवाज खां** : इस समय, ये वस्तुयें ठेकेदारों द्वारा बेची जाती हैं। पर, हमारा अनुभव है कि ठेकेदार ऐसे सस्ते दामों पर भोजन बेचने में प्रसन्न नहीं हैं। हमें अधिकाधिक सहयोग नहीं मिल रहा है। अतः वास्तव में इस योजना का लाभ उठाने के लिए हमें तब तक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी जब तक कि इन स्टेशनों पर रेलवे विभाग की ओर से भोजन बिकना शरू न हो जाये।

**श्री डाभी** : रेलवे विभाग कितने समय में यह काम अपने हाथ में लेगा ?

**श्री शाहनवाज खां** : हमें आशा है बहुत ही जल्दी, १ अप्रैल, १९५६ से हम इन रेलवे के कुछ स्टेशनों पर विभाग की ओर से भोजन बेचने की व्यवस्था शुरू करने वाले हैं।

**श्री कातलीवाल**: ये पूरियां क्या साधारण घी में बनाई जाती हैं या वनस्पति घी में ?

**श्री शाहनवाज खां** : डालडा में।

**श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या मैं जान सकता हूं कि इसी तरह से इडली और सांबर का इन्तजाम सदर्न रेलवे पर किया जायेगा ?

**रेलवे तथा परिवहन मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री)**: सदर्न (दक्षिण) रेलवे पर तो बहुत काफी इन्तज़ाम पहले ही है और वहां पर तो ३ आने में एक पैकेट मिलता है।

## तेल से समुद्र का गन्दा होना

*३२३. **चौ० रघुबीर सिंह** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जहाजों से निकले तेल से समुद्र को गन्दा होने से बचाने के लिए लन्दन में १९५४ में जो सम्मेलन हुआ था, उसमें मुख्य मुख्य क्या सिफारिशें की गयीं थीं; और

(ख) सरकार ने उन्हें किस हद तक स्वीकार कर लिया है ?

**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) एक विवरण लोक सभा के पटल पर रखा जाता है **[देखिये परिशिष्ठ ३, अनुबन्ध संख्या २]**

(ख) तेल से समुद्र को गन्दा होने से बचाने के लिए सम्मेलन में स्वीकृत अन्तर्राष्ट्रीय अभिसमय के अनुसमर्थन के प्रश्न पर सरकार सम्बन्धित हितों से परामर्श करते हुए विचार कर रही है।

**चौ० रघुबीर सिंह** : इस सम्मेलन में किन किन देशों ने भाग लिया था ?

**श्री अलगेशन** : सम्मेलन में भाग लेने वाले देशों की सूची मेरे पास नहीं है; बहुत से देशों ने भाग लिया होगा।

**भूतपूर्व सैनिक कर्मचारी**

*३२४. **श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इनके मंत्रालय के आदेश के अन्तर्गत १९५५ में कुल कितने भूतपूर्व सैनिक कर्मचारियों ने राज्य बुनियादी कृषि स्कूलों में प्रशिक्षण प्राप्त किया ; और

(ख) कितने शिशिक्षुओं को ग्राम कार्यकर्त्ता के रूप में नियुक्त कर दिया है ?

**कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख)** : (क) और (ख) जानकारी इकट्ठी की जा रही है और यथासमय लोक सभा के पटल पर रख दी जायेगी।

**श्री कृष्णाचार्य जोशी** : प्रशिक्षण के लिए चुनाव कैसे किया जाता है ?

**डा० पी० एस० देशमुख** : मैं समझता हूं कि भूतपूर्व कर्मचारियों को पाने के लिये कोई विशेष प्रयत्न नहीं करना पड़ता। हम केवल यह पता लगाते हैं कि क्या कोई भूतपूर्व सैनिक कर्मचारी लिया गया है।

**दरभंगा में तारघर**

*३२७. **श्री एल० एन० मिश्र** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जिला दरभंगा (बिहार) में कुछ तारघरों के खोलने की स्वीकृति दे दी गई है ;

(ख) यदि हां, तो वे किन स्थानों पर खोले जायेंगे ; और किन तिथियों को खोले जायेंगे और

(ग) स्वीकृति मिल जाने के बाद यदि उनके खोले जाने में कुछ विलम्ब हुआ है, तो उसका क्या कारण है ?

**संचार उपमंत्री (श्री राजबहादुर)** : (क) जी हां।

(ख) १. घोघरडीह
२. खुटौना
३. कुशेश्वर अस्थान
४. लदेनियां
५. लोकहा
६. लोकही
७. माधेपुर
८. मधवापुर
९. पुलपरस
१०. सिंधिया

इनमें से अधिकांश मार्च १९५६ में खोले जाने वाले हैं।

(ग) लकड़ी के लट्ठों तथा अन्य सामानों के संभरण के कारण।

मैं इन नामों के उच्चारण में संभव भूल के लिये क्षमा मांगता हूं।

**श्री एल० एन० मिश्र** : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या इन दफ्तरों के लिये मंजूरी इस शर्त पर दी गई है कि लोग दफ्तरों के लिये जगह का प्रबन्ध करेंगे अथवा विभाग की ओर से जगह मिलेगी ?

**श्री राजबहादुर** : जहां तहसील मुख्य कार्यालय नहीं हैं ऐसे राज्यों में थाना मुख्य कार्यालयों में तारघर खोलने की विभागीय नीति के अनुसार उनके लिये मंजूरी दी गई है।

**श्री एल० एन० मिश्र** : क्या मैं जान सकता हूं कि ये दफ्तर न खोलने के लिये क्या विशेष कारण हैं ; क्या वह स्थानाभाव के कारण हैं ? मैं विशेषकर घोघरडीह के सम्बन्ध में उल्लेख कर सकता हूं।

**श्री राजबहादुर** : ऐसे मामलों में वह जनसंख्या के आधार पर हो सकता है।

तारघर खोलने में विलम्ब का कारण आवास नहीं है। मुख्य कारण यह है कि कोसी परियोजना अधिकारियों से जितने लकड़ी के खंभे मिलने वाले हैं, वे नहीं मिल रहे हैं। सभी प्रकार के सामानों की कमी है और इसी कारण कुछ देर हुई है। किन्तु हम आशा करते हैं कि वित्तीय वर्ष के अन्त तक तारघर उनके द्वारा उल्लिखित स्थान पर चालू हो जायेगा।

**जलालपुर और ससमुसा के बीच एक स्टेशन का खोला जाना**

३२८. **श्री झूलन सिंह** : क्या रेलवे मंत्री १० सितम्बर, १९५४ को दिये गये तारांकित प्रश्न संख्या ६८५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर रेलवे की सबन-गोरखपुर लूप लाइन पर ससमुसा और जलालपुर स्टेशनों के बीच एक नया स्टेशन खोले जाने के सम्बन्ध में तब से कोई विनिश्चय किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो वह विनिश्चय क्या है ?

**रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभा सचिव (श्री शाहनवाज खां)** : (क) हां।

(ख) फ्लैग स्टेशन खोलने की प्रस्थापना स्वीकार नहीं की गई है क्योंकि उसे न्यायोचित नहीं पाया गया। फिर भी एक ठेकेदार द्वारा तैयार किया जाने वाला रुकने का एक स्थान बनाने की एक नयी प्रस्थापना परीक्षणाधीन है।

**श्री झूलन सिंह** : क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार ने स्थानीय लोगों की इस प्रस्थापना पर कि वहां कोई रुकने का स्थान बनाये जाने के कारण यदि सरकार को कोई घाटा हुआ, तो वे उसकी भरपाई कर देंगे, विचार किया है ?

**श्री शाहनवाज खां** : वह विषय अभी सक्रिय रूप से विचाराधीन है।

**स्थानीय स्वायत्त शासन**

*३२९. **श्री भक्त दर्शन** : क्या स्वास्थ्य मंत्री २६ जुलाई, १९५५ को दिये गये तारांकित प्रश्न संख्या १०९ के उत्तर के सम्बन्ध में बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या स्थानीय स्वायत्त शासन के सम्बन्ध में प्रशिक्षण देने के लिये भारतीयों को विदेशों में भेजने सम्बन्धी योजना पर अब तक कोई अन्तिम निर्णय कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या योजना की प्रति सभा की टेबल पर रखी जायेगी ; और

(ग) इस योजना के अन्तर्गत प्रत्येक राज्य से कितने व्यक्ति प्रशिक्षण के लिये विदेशों को भेजे गये हैं और वे किन किन देशों को भेजे गये हैं ?

**स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर)** : (क) जी, नहीं। इसके बारे में अभी विचार हो रहा है।

(ख) और (ग). ये प्रश्न नहीं उठते।

**श्री भक्त दर्शन** : क्या माननीय मंत्राणी जी को याद है कि एक वर्ष से अधिक का समय हो गया कि प्रान्तों से इस सम्बन्ध में आवेदन पत्र मांगे गये थे, तो मैं जानना चाहता हूं कि जब कि यह योजना तैयार ही नहीं हुई थी, या उस पर अन्तिम निर्णय नहीं हुआ था, तो क्यों इसके बारे में आवेदन पत्र मांगे गये और क्यों देरी हो रही है ?

**राजकुमारी अमृतकौर** : बात दरअसल यह है कि गवर्नमेंट आफ़ इंडिया (भारत सरकार) ने इस सवाल को एक साल हुये उठाया था और एप्लीकेशंस (आवेदन पत्र) मांगी गई थीं, वह एप्लीकेशंस आईं भी और एक कमेटी बिठाई गई और लोग चुने

भी गये जिनको बाहर भेजने का इरादा था। इसके बाद फाइनेंस मिनिस्ट्री (वित्त मंत्रालय) ने हमसे कहा कि कोलम्बो प्लान (योजना) के मातहत इनको नहीं भेजा जा सकता है। अब हमारी होम मिनिस्ट्री (गृह मंत्रालय) की एक योजना है कि जिसके मातहत लोग बाहर भेजे जा रहे हैं और अब हम देख रहे हैं कि क्या उस योजना के नीचे हम इन लोगों को बाहर भेज सकते हैं।

**श्री भक्त दर्शन** : अभी माननीय मंत्राणी जी ने बतलाया कि कुछ व्यक्तियों को इसके लिये छांट लिया गया था, मैं जानना चाहता हूं कि वह कितनी संख्या में छांटे गये थे और इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय कब तक कर लिये जाने की आशा की जा सकती है ?

**राजकुमारी अमृतकौर** : १०९ एप्लीकेशंस आई थीं और १४ कैंडिडेट्स (उम्मीदवार) चुने गये थे, अब मैं यह नहीं कह सकती हूं कि कितना वक्त अभी होम मिनिस्ट्री के साथ खतोकिताबत करने में गुज़रेगा ?

**श्री श्रीनारायणदास** : क्या मैं जान सकता हूं कि कौन से ऐसे देश हैं जहां इस तरह की शिक्षा का हिन्दुस्तान से ज्यादा प्रबन्ध है ?

**राजकुमारी अमृतकौर** : लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन (स्थानीय स्वशासन प्रशासन) का मसलन यू० के० में बहुत ज्यादा प्रबन्ध है क्योंकि वहां की गवर्नमेंट लोकल सेल्फ के कामों में बहुत दिलचस्पी लेती है। अमरीका में भी इस क्षेत्र में बहुत दिलचस्पी दिखाई जाती है। इसके अलावा आस्ट्रेलिया वगैरह और भी बहुत से ऐसे देश हैं जहां कि हमको इस विषय में जानकारी मिल सकती है।

**श्री एम० एल० द्विवेदी** : क्या मैं जान सकता हूं कि . . . . . ..

**अध्यक्ष महोदय** : मैं अगला प्रश्न ले रहा हूं।

**कोयला खान कल्याण संगठन**

*३३०. **पंडित डी० एन० तिवारी** : क्या **श्रम** मंत्री ९ सितम्बर, १९५५ को दिये गये तारांकित प्रश्न संख्या १९५० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोयला खान कल्याण संगठन की कार्यवाहियों का अध्ययन करने के लिये नियुक्त दो पदाधिकारियों की, जो उनके मंत्रालय के अधीन हैं, मुख्य-मुख्य सिफारिशें क्या हैं ; और

(ख) उन में से कौन-कौन सी सिफारिशें स्वीकार की गई हैं और कार्यान्वित की जा रही हैं ?

**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) और (ख). अध्ययन समुदाय इसलिये बनाया गया था कि वह समय समय पर कोयला खान कल्याण निधि संगठन की आवश्यकताओं की जानकारी प्राप्त करे और संगठन के पास उपलब्ध निधियों का अधिक अच्छा उपयोग करने के लिये सुझाव दे। उस समुदाय ने अनेक महत्वपूर्ण सुझाव दिये हैं, जैसे निधियों से मकान बनाना, बहु प्रयोजनीय केन्द्रों का सुधार, पाठशालाओं की सुविधाओं में वृद्धि, अस्पतालों और चिकित्सालय सेवाओं में सुधार और अनेक अन्य उपाय जिनसे कोयला खानों में काम करने वाले श्रमिक वर्गों को सहायता मिले। इन में से अनेक सुझाव पहले ही कार्यान्वित किये जा चुके हैं। अन्य अभी परीक्षणाधीन हैं और आशा है कि उन्हें भी लागू किया जायेगा।

**पंडित डी० एन० तिवारी** : क्या मैं जान सकता हूं कि इन में से कौन से सुझाव अब तक कार्यान्वित किये गये हैं ?

**श्री आबिद अली** : मैंने बताया है कि अधिकतर सुझाव स्वीकार किये गये हैं। यहां विस्तृत सूची देना संभव नहीं होगा।

**पंडित डी० एन० तिवारी** : क्या मैं जान सकता हूं कि स्नानागार और कार्मिक शिशुगृह के लिये वर्तमान व्यवस्था बन्द कर देने की सिफारिश की गई है ?

**श्री आबिद अली** : जी नहीं ।

**पंडित डी० एन० तिवारी** : क्या यह सच है कि कोयला खानों के निरीक्षण के प्रभारी सहायक निरीक्षकों को भिन्न नाम दिया गया है और उन्हें वहां काम नहीं करना पड़ता बल्कि उन्हें दूसरा काम दिया जाता है ?

**श्री आबिद अली** : कोयला खानों में सहायक निरीक्षकों का काम कुछ और होता है और कोयला खान कल्याण संगठन से उनका कोई सम्बन्ध नहीं रहता । वे खानों के प्रधान निरीक्षक के अधीन होते हैं।

**श्री जयपाल सिंह** : क्या हमें अध्ययन-समुदाय के सदस्यों के नाम और इस कार्य के लिये उनकी विशिष्ट योग्यतायें मालूम हो सकती हैं ?

**श्री आबिद अली** : (१) श्री एस० पी० सिंह, आई० ए० एस० कोयला खान कल्याण आयुक्त, धनबाद ।

(२) श्री एस० एन० मुबायी, केंद्रीय भविष्य निधि उपायुक्त, नयी दिल्ली ।

(३) डा० एस० टी० मेरानी , पी० एच० डी, आई० ए० एस० उपसचिव, श्रम मंत्रालय, नयी दिल्ली ।

**श्री जयपाल सिंह** : क्या मैं जान सकता हूं कि इस विशिष्ट अध्ययन समुदाय में कोई चिकित्साशास्त्री सदस्य क्यों नहीं है ?

**श्री आबिद अली** : उनका इस समुदाय में सम्मिलित किया जाना आवश्यक नहीं समझा गया ।

## चीनी के कारखानें

*३३२. **श्री विभूति मिश्र** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभिन्न राज्यों में समस्त चीनी के मिल मालिकों ने गन्ने का मूल्य दे दिया है जो कि उन्होंने १९५४–५५ में गन्ना-उत्पादकों से खरीदा था ;

(ख) यदि नहीं, तो कौन से चीनी के मिलों को गन्ना उत्पादकों को अभी मूल्य देना बाकी है ; और

(ग) उन्हें कुल कितनी रकम देनी है ?

**कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख)** : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग). पूछी हुई जानकारी का एक विवरण सभा के टेबिल (पटल) पर रख दिया गया है । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ३]**

**श्री विभूति मिश्र** : उल्लिखित विवरण को देखने से मालूम होता है कि बिहार में ६.८० लाख रुपया, यू० पी० में ४८.२२ लाख रुपया, आंध्र में १५.१६ लाख रुपया, मैसूर में एक मिल में ही ३.५८ लाख रुपया, और हैदराबाद में २.०६ लाख रुपया, और कुल मिलाकर देश के विभिन्न भागों में ८१.६३ लाख रुपया मिल वालों के यहां किसानों का बाकी है । मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि यह जो सारा रुपया किसानों का बाकी है वह किसानों को जल्दी से जल्दी मिल जाये इसके लिये सरकार क्या इंतजाम कर रही है ?

**खाद्य और कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन)** : अगर हिसाब लगाया जाये तो पता चलेगा कि जो बाकी रुपया है वह कुल का १.३ प्रतिशत है । यह कोशिश की जा रही है कि इस रुपये को जल्दी से जल्दी अदा

कराया जाय और राज्य सरकारें इसके लिये प्रयत्न कर रही हैं।

**श्री विभूति मिश्र** : मैं देखता हूं कि बकाया की जो लिस्ट सरकार की तरफ से पेश की गई है वह १ली नवम्बर तक की है। अब इसी दिसम्बर महीने से मिलें चालू होंगी। एक साल किसानों का पैसा मिल मालिकों के यहां पड़ा रहा। सारे बकाया हिसाब देखने से यह पता ज़रूर चलता है कि वह १.३ प्रतिशत है, लेकिन जिन किसानों का पैसा बाकी होगा वह तो सब ही बहुत मुसीबत में होंगे। तो क्या सरकार कोई अवधि निश्चित करेगी कि उन गरीबों को उनका रुपया फलां तारीख तक मिल जाना चाहिये।

**श्री ए० पी० जैन** : सरकार समझती है कि ऐसी कोई स्थिति पैदा नहीं हुई है।

**श्री विश्वनाथ राय** : क्या मैं जान सकता हूं कि जिन गन्ना-उत्पादकों को अभी कारखानों से गन्ने का दाम नहीं मिला है, उन्हें ब्याज देने के बारे में कोई प्रस्थापना सरकार के सामने है ?

**श्री ए० पी० जैन** : संभरण की शर्तें बन्धपत्र में दी हुई हैं और गन्ना देने वालों तथा कारखाने के बीच सम्बन्ध इसी बन्धपत्र के उपबन्धों से शासित होंगे।

**पंडित डी० एन० तिवारी** : क्या सरकार को मालूम है कि मिल वाले जो रुपया काश्तकारों को एडवान्स देते हैं उस पर वह सूद लेते हैं ? तो जब काश्तकारों को रुपया देने पर सूद लिया जाता है तो काश्तकारों का जो रुपया बाकी है उस पर उनको सूद क्यों नहीं मिलता ?

**श्री ए० पी० जैन** : मैंने तो यह नहीं कहा कि सूद नहीं मिलता। इसका पता तो बांड्स (बन्धपत्र) के टर्म्स (शर्तें) हैं उन से चलेगा।

**पंडित डी० एन० तिवारी** : उसमें सूद नहीं है।

**अध्यक्ष महोदय** : हम अगला प्रश्न लेंगे।

### प्लास्टिक शल्य चिकित्सा

*३३३. **श्री डी० सी० शर्मा** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत में प्लास्टिक शल्य चिकित्सा को उन्नत करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

**स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृतकौर)** : महत्वपूर्ण अध्यापन केन्द्रों में प्लास्टिक शल्य-चिकित्सा की नवीन शैली का प्रदर्शन करने के उद्देश्य से आस्ट्रेलिया के एक प्लास्टिक सर्जन को भारत का दौरा करने के लिये इस वर्ष के प्रारम्भ में आमंत्रित किया गया था। प्लास्टिक शल्य चिकित्सा में प्रशिक्षण के लिये चिकित्सा स्नातकों को १९४७-४८ में तीन छात्र-वृत्तियां दी गई थीं। चिकित्सा शिक्षा के, जिसमें सामान्य शल्य चिकित्सा जिसकी एक शाखा प्लास्टिक शल्य चिकित्सा है, सम्मिलित है, सुधार के लिये जो कुछ किया जा रहा है उसके अतिरिक्त प्लास्टिक शल्य चिकित्सा की वृद्धि के लिये भारत सरकार कोई विशेष कार्यवाही नहीं कर रही है।

**श्री डी० सी० शर्मा** : क्या मैं जान सकता हूं कि आस्ट्रेलिया के इस प्राध्यापक ने कितनी चिकित्सा-संस्थाओं को देखा और उन में से प्रत्येक केन्द्र में उन्होने कितने भाषण और प्रदर्शन दिये ?

**राजकुमारी अमृतकौर** : डा० रैंक ने कलकत्ता, नागपुर और दिल्ली का दौरा किया। पांच हफ्ते भारत में उनके निवास के दौरान में उन्होंने ३३ क्रियायें कीं और २० भाषण दिये।

**श्री डी० सी० शर्मा** : क्या मैं जान सकता हूं कि प्लास्टिक शल्य-चिकित्सा में प्रशिक्षण के लिये चुने गये डाक्टरों को किन

देशों में भेजा गया है और वहां उनका प्रशिक्षण शिक्षाक्रम कितनी अवधि का है ?

**राजकुमारी अमृतकौर** : ये स्नातक कहां गये थे और वे वहां कितनी अवधि तक थे, इस बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है ।

**श्री एम० एल० द्विवेदी** : मैं जानना चाहता हूं कि जो विद्यार्थी विदेश गये थे उन्होंने क्या शिक्षा हासिल की और इस देश में आ कर उन्होंने क्या काम किया ?

**राजकुमारी अमृतकौर** : स्कालर्स जो गये थे उनको खास तौर से प्लास्टिक सर्जरी में शिक्षा मिली है और कोई स्कालर ऐसा नहीं जाता जो यहां नोकर न हो ।

**श्री एम० एल० द्विवेदी** : यह मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं हुआ ।

**अध्यक्ष महोदय** : जो भी उत्तर दिया गया है, वह यहां है ।

## पटसन उत्पादन

*३३४. **श्री बी० के० दास०** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऊंचे किस्म के पटसन के लिये इस वर्ष के लिये निर्धारित कार्यक्रम कहां तक कार्यान्वित किया जा चुका है ; और

(ख) उससे क्या परिणाम प्राप्त हुये हैं ?

**कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख)** : (क) और (ख). जानकारी एकत्र की जा रही है और वह तैयार हो जाने पर लोक-सभा के पटल पर रख दी जायेगी ।

**श्री० बी० के० दास** : क्या मैं जान सकता हूं कि इस कार्य के लिये राज्य सरकारों को कितने ऋण का अनुदान दिया गया है ?

**डा० पी० एस० देशमुख** : उस बारे में मेरे पास यहां जानकारी नहीं है ।

**श्री विभूति मिश्र** : अब अगला जूट बोने का समय आ रहा है । क्या सरकार इसका कोई इन्तजाम कर रही है कि किसानों को अच्छी क्वालिटी (किस्म) का बीज सुविधा से मिल जाये ?

**डा० पी० एस० देशमुख** : अच्छे जूट के बीज का इन्तजाम तो हम कर रहे हैं ।

**श्री एल० एन० मिश्र** : भारतीय पटसन की किस्म सुधारने के विषय में कुछ सिफारिशें करने के लिये नियुक्त विशेषज्ञ समिति ने पटसन के सडाने के तालाबों और पटसन के बीज को बढ़ाने के खेतों की सिफारिश की थी । क्या मैं जान सकता हूं कि कहीं पर भी, विशेष कर बिहार और बंगाल में, ऐसे किसी तालाब की व्यवस्था की गई है ?

**डा० पी० एस० देशमुख** : मुझे पूर्व सूचना की आवश्यकता है ।

**श्री बी० के० दास** : क्या मैं जान सकता हूं कि बीज बढ़ाने का कोई खेत कहीं चालू किया गया है ?

**डा० पी० एस० देशमुख** : बिहार में कम से कम एक ऐसा खेत चालू करना योजना का एक अंग है । उसके लिये कार्यवाही की जा रही है ।

## इंजन

*३३५. **श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आयातित इंजनों की तुलना में चितरंजन इंजनों की लागत कितनी है ?

**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : १९५५-५६ के लिये जो डब्ल्यू जी इंजन चितरंजन में तैयार किया जा रहा है उसकी अनुमानित लागत ब्याज प्रभार को छोड़ कर, ४.८१ लाख रुपये है जब कि उसी ढंग के एक आयातित इंजन की हमारे देश में अनुमानित लागत ५.२५ से ५.५० लाख रुपये है ।

**श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी** : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या भारतीय इंजनों की उत्पादन लागत कम करने के लिये सरकार कोई कार्यवाही कर रही है ?

**श्री अलगेशन** : वह इसी तथ्य से स्पष्ट है कि अब लागत कम हो गई है । किसी समय वह आयातित मूल्य से अधिक थी और अब वह उससे कहीं कम है । ज्यों ज्यों उत्पादन बढ़ता है, त्यों त्यों इंजनों के निर्माण के स्थायी खर्चे कम हो जाते हैं और मूल्य बराबर गिरता जा रहा है ।

**श्री एस० वी० रामस्वामी** : इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुये कि इंजनों का उत्पादन वार्षिक १२० से २०० तक बढ़ाने की प्रस्थापना है, क्या मैं जान सकता हूं कि उससे इंजनों की लागत पर कैसे प्रभाव पड़ेगा ?

**श्री अलगेशन** : वास्तव में जितना ही अधिक उत्पादन होगा, लागत उतनी ही कम होनी चाहिये । हमने १२० इंजन प्रति वर्ष लक्ष्य निर्धारित किया था । हमें यह कहते हुये हर्ष होता है कि हम उस लक्ष्य तक पहले ही पहुंच चुके हैं । इस वर्ष के प्रारम्भ में हम जून तक प्रति मास १० इंजन बनाते रहे । जुलाई, अगस्त और सितम्बर में हम प्रति मास ११ इंजन बनाने में समर्थ रहे । वास्तव में यह लक्ष्य ३०० इंजन तक रखा जाने वाला है । चित्तरंजन इंजन कारखाने के भार साधक अधिकारियों से योजनायें प्रस्तुत करने के लिये कहा गया है ।

**श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी** : क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार ने चित्तरंजन में एक लागत लेखापाल रखा है ?

**श्री अलगेशन** : मेरी ऐसी ही धारणा है ।

**श्री सारंगधर दास** : इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुये कि कई वर्षों से चित्तरंजन कारखाने में इंजनों का उत्पादन हो रहा है, क्या मैं जान सकता हूं कि इंजन की वास्तविक लागत क्यों नहीं मालूम है और मंत्री महोदय यह उत्तर देते हैं कि ब्याज घटा कर अनुमानित लागत ही इंजन की लागत है ?

**श्री अलगेशन** : मैंने मूल्य बताया है ।

**अध्यक्ष महोदय** : बात यह है कि माननीय मंत्री महोदय ने लगभग आंकड़े बताये हैं । वह यह जानना चाहते हैं कि यह कैसी बात है कि चार वर्षों के अनुभव के बावजूद ठीक ठीक लागत नहीं बताई जाती ?

**श्री अलगेशन** : प्रायः वह बिलकुल ठीक ही है ।

## नल कूप

*३३६. **श्री के० सो० सोखिया** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वर्ष के आय-व्ययक में "विदेशी परामर्शदाता के कर्मचारी" शीर्ष के अधीन व्यय के लिये कोई रकम नियत की गई है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी ;

(ग) क्या यह संगठन नल कूप योजना से सम्बन्धित है ; और

(घ) यदि हां, तो कहां तक तथा उसका स्वरूप क्या है?

**कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमख)** : (क) जी हां ।

(ख) १९,२३,००० रुपये ।

(ग) और (घ). विदेशी परामर्शदाता कर्मचारी एक्सप्लोरेटरी ट्यूब वेल संगठन को , जो जमीन के नीचे के पानी के पता लगाने की योजना का कार्य कर रही है,

सलाह और टेक्निकल तरीके की मदद देती है ।

**श्री के० सो० सोधिया** : मैं जानना चाहता हूं कि इसमें कितने विशेषज्ञ हैं ?

**डा० पी० एस० देशमुख** : मेरे पास ठीक ठीक आंकड़े नहीं हैं ।

**खाद्य और कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन)** : एक वरिष्ठ कार्यपालक पदाधिकारी, एक निवासी अभियंता (इंजीनियर) और कुछ परामर्शदातृ और क्षेत्रीय कर्मचारीगण हैं ।

**श्री के० सो० सोधिया** : यह किन किन देशों से मंगाये गये हैं ?

**श्री ए० पी० जैन** : यू० एस० ए० से ।

**श्री के० सो० सोधिया** : ट्यूबवेल एक्सप्लोर करने की कौन सी स्टेज पर उनकी सलाह मांगी जाती है ?

**श्री ए० पी० जैन** : यह इन, इन स्टेट्स में लगेंगे, मध्य प्रदेश, भूपाल, कच्छ, सौराष्ट्र, त्रावणकोर कोचीन, मद्रास, वेस्ट बंगाल, बिहार, आसाम, राजस्थान, पंजाब, पेप्सू, यू० पी० इत्यादि ।

**श्री के० सो० सोधिया** : मेरा सवाल यह था कि ट्यूबवेल को एक्सप्लोर करने की कौन सी स्टेज के ऊपर इन से मदद मांगी जाती है ?

**श्री ए० पी० जैन** : शुरू से ही यह लोग मदद करते हैं ।

**सेठ अचल सिंह** : क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि यू० पी० में कौन कौन से स्थानों पर एक्सप्लोरेटरी (परीक्षणात्मक) ट्यूबवेल लगेंगे ?

**श्री ए० पी० जैन** : यू० पी० में ४७ ट्यूबवेल लगेंगे ,, किन किन स्थानों पर यह लगेंगे, यह तो मैं नहीं बतला सकता ।

**प्लेटफार्म टिकट**

*३३ **श्री भागवत झा आजाद** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या परीक्षणात्मक रूप में किसी स्टेशन पर बिजली से चलने वाली प्लेटफार्म टिकट बांटने वाली किसी मशीन का प्रयोग किया जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो कब से और कहां ?

**रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभा सचिव (श्री शाहनवाज खां)** (क) जी, हां ।

(ख) दिल्ली जंकशन पर ७ फरवरी १९५५ से और बम्बई विक्टोरिया टर्मिनस पर २३ जुलाई , १९५५ से ।

**श्री भागवत झा आजाद** : इतने दिनों तक इन मशीनों को चलाने के बाद क्या मैं जान सकता हूं कि क्या अनुभव प्राप्त किया गया है, क्या फलाफल निकला है ?

**श्री शाहनवाज खां** : बहुत तसल्ली बख्श रही हैं ।

**श्री भागवत झा आजाद** : सदा की भांति माननीय सभा सचिव जी ने अपर्याप्त उत्तर दिया है । क्या मैं जान सकता हूं कि क्या वे अपने उत्तर की व्याख्या करेंगे ? सदा की भांति उनका उत्तर अस्पष्ट है ।

**श्री शाहनवाज खां** : अगर तसल्लीबख्श आनरेबल मेम्बर की समझ में नहीं आता है तो संतोषजनक समझ लें ।

**श्री भागवत झा आजाद** : आनरेबल पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी (माननीय सभा सचिव) की शब्दावलि के बारे में मुझे विशेष ज्ञान है और मैं चैलेंज करता (चुनौती देता) हूं और मैं जानना चाहता हूं कि आपने जो तसल्लीबख्श कह कर के अधूरा आंसर (उत्तर) दिया है इसका क्या अर्थ है । इतना पैसा जो सरकार ने इन मशीनों पर खर्च किया है, मैं जानना चाहता हूं कि उसका

फलाफल क्या निकला है, इसको जरा विस्तार से बतायें ।

**श्री शाहनवाज खां** : बहुत अच्छा साहब, सुन लीजिये इसका फलाफल । जो मशीन दिल्ली स्टेशन पर लगाई गई है उसकी कीमत ४१०० रुपये है । ३३०० रुपया तो प्रिंटिंग में बचता है और १००० रुपया सालाना स्टाफ के ऊपर बचता है ।

**श्री भागवत झा आजाद** : मैं जानना चाहता हूं कि कुछ स्टेशनों से यह मशीनें वापस भी ले ली गई हैं, यदि हां, तो कितनों से ?

**श्री शाहनवाज खां** : हावड़ा स्टेशन में इसकी देखभाल की गई थी लेकिन अभी उसको रिजेक्ट (नामंजूर) नहीं किया गया है ।

**कर्मचारी भविष्य निधि योजना**

*३३९. **श्रीमती मायदेव** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) १८ जुलाई, १९५५ को नई देहली में हुई कर्मचारी भविष्य निधि योजना न्यासधारियों के केन्द्रीय बोर्ड ने कौन कौन से संकल्प पारित किये ;

(ख) बैठक के प्रधान कौन थे ; और

(ग) इन में से कितने संकल्प सरकार को स्वीकार हैं ?

**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) १८ जुलाई, १९५५ को हुई बैठक में न्यासधारियों के मंडल ने कोई विशेष संकल्प नहीं पारित किये । निम्नलिखित दो मदों पर चर्चा करने के लिये विशेष बैठक बुलाई गई थी :—

(१) कर्मचारी भविष्य निधि योजना, १९५२ पर प्रस्तुत किये गये संशोधनों पर ;

(२) कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम के अधीन आयकर देने से भविष्य निधि की पूर्णतः मुक्ति ।

(ख) श्री विष्णु सहाय आई० सी० एस०, श्रम मंत्रालय सचिव, जो कर्मचारी भविष्य निधि के न्यासधारियों के केन्द्रीय मंडल के सभापति हैं ।

(ग) न्यासधारियों के केन्द्रीय बोर्ड द्वारा की गई सिफारिशें सक्रिय रूप से सरकार के विचाराधीन हैं ।

**श्रीमती मायदेव** : क्या मैं जान सकती हूं कि बोर्ड के सदस्य कौन हैं और चुनाव का ढंग क्या है ?

**श्री आबिद अली** : यह त्रिपक्षीय बोर्ड है । सरकार, मालिकों और कर्मचारियों के संघटनों के प्रतिनिधि इस बोर्ड के सदस्य हैं । चुनाव का यह तरीका है कि सम्बन्धित संघटनों को अपने प्रतिनिधि भेजने के लिये कहा जाता है ।

**श्री टी० बी० बिट्ठल राव** : क्या मैं जान सकता हूं कि न्यासधारियों के इस मंडल द्वारा की गई सिफारिशों को स्वीकार करने में सरकार के रास्ते में कौन सी विशेष अड़चनें हैं, क्योंकि सिफारिशें किये हुये छः मास हो चुके हैं ?

**श्री आबिद अली** : कोई भी अड़चनें नहीं हैं । हम ने सिफारिशों को अस्वीकार नहीं कर दिया है । मैंने कहा कि इन का निरीक्षण हो रहा है । विभिन्न विभाग इन सिफारिशों का अध्ययन करेंगे और हम राज्य सरकारों और संबंधित संघटनों की टीका टिप्पणियां मंगायेंगे ।

**श्रीमती मायदेव** : क्या मैं जान सकता हूं किन किन उद्योगों से कितने कितने कर्मचारी इस कर्मचारी भविष्य निधि योजना से लाभ उठा रहे हैं !

**श्री आबिद अली** : १५,३२,००० कर्मचारियों ने इस योजना का लाभ उठाना आरम्भ कर लिया है ।

**श्री टी० बी० बिट्ठलराव** : व्यक्तियों न्यासधारियों के बोर्ड में मालिकों, कर्मचारियों और सरकार के प्रतिनिधि हैं। अतः क्या मैं जान सकता हूं कि अन्य कठिनाइयों तथा और आगे परीक्षण का प्रश्न कहां उठता है ?

**श्री आबिद अली** : वे टीका टिप्पणियां तो उन संशोधनों पर मंगानी हैं, जो इस योजना पर प्रस्तुत किए जाने को हैं। यह प्रक्रिया है। राज्य सरकारों की जिनका इस विषय से बहुत संबंध है, टीका टिप्पणियां भी मगानी हैं।

### गाडियों का रोका जाना

*३४१. **श्री विश्वनाथ राय** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) कि क्या यह सच है कि उत्तर पूर्वी रेलवे पर गाड़ियों को गोरखपुर और छपरा के बीच वाले स्टेशनों पर विभिन्न गाड़ियों के मेल के कारण, प्रायः रुकना पड़ता है; और

(ख) यदि हां, तो क्या मुख्य लाइन को दुहरा बनाने की सरकार की प्रस्तावना है ?

**रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभा सचिव (श्री शाहनवाज खां)** : (क) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) इन दो स्टेशनों के बीच लाइन को दुहरा बनाने की कोई प्रस्तावना नहीं है।

**श्री विश्वनाथ राय** : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार के पास स्टेशनों पर ऐसी अन्य गाड़ियों के, जो रेलवे की समय सारणी के अनुसार नहीं आनी चाहिएं, मेल से गाड़ियों के चलने में होने वाली देर बताने वाले कुछ अभिलेख हैं ?

**श्री शाहनवाज खां** : इस प्रश्न का विस्तार से उत्तर देने के लिए मुझे पूर्व सूचना चाहिए।

**श्री विश्वनाथ राय** : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार का ध्यान इस बात की ओर दिलाया गया है कि गोरखपुर और छपरा के बीच गाड़ियां प्रायः समय सारणी में लिखे गए समय के स्थान पर बहुत देर से चलती है ?

**श्री शाहनवाज खां** : छपरा और गोरखपुर के बीच केवल एक ही लाइन है और यह सच है कि कभी-कभी गाड़ियां रुक जाती हैं; परन्तु हम इसकी रोक-थाम करने के लिए कुछ गाड़ियों के मेल वाले स्टेशन बनाने और डिब्बे जोड़ने वाले प्रांगणों में सुधार करने के लिए भरसक प्रयत्न कर रहे हैं। यह सब कुछ अभी किया जा रहा है।

**पंडित डी० एन० तिवारी** : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या उस सूचना में, जो एकत्र की जा रही है, वहां पर कर्मचारियों की असावधानी से होने वाली देर के कारण भी शामिल होंगे?

**श्री शाहनवाज खां** : गाड़ियों के रुक जाने के कारणों की जांच करते समय हम कर्मचारियों की असावधानी इत्यादि सभी बातों के विवरण पूछते हैं।

### रेलवे पुल

*३४२. **श्री इब्राहीम** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत सरकार ने विभिन्न राज्यों में सड़क और रेल के समतल चौराहों के स्थान पर ऊपर और नीचे के पुलों के बनाने की लागत का भाग देने के लिए स्थानीय संस्थाओं और दूसरे सड़कों के अधिकारियों को कोई ऋण देने की मंजूरी दी है ?

(ख) यदि हां, तो राज्यवार कितना ऋण दिया जाएगा और क्या पूर्ति होगी ?

**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)**: (क) जी, हां।

(ख) अपेक्षित सूचना देने वाला विवरण लोक सभा के पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ४]**

**श्री इब्राहीम** : क्या मैं जान सकता हूं कि देश में कितनी दुर्घटनाएं सड़कों और रेलों के बीच समतल चौराहों के स्थान पर ऊपर के और नीचे के पुलों के अभाव के कारण प्रतिवर्ष होती हैं ?

**श्री अलगेशन** : समतल चौराहों पर कुछ दुर्घटनाएं हुई हैं। जहां तक समतल चौराहों के स्थान पर ऊपर के और नीचे के पुलों के उत्तरदायित्व का सम्बन्ध है, यह एक प्रकार का द्वैध उत्तरदायित्व है। जब तक सम्बन्धित राज्य सरकार और स्थानीय अधिकारी इसकी लागत का भाग नहीं देते, हम ऊपर के और नीचे के पुल नहीं बना सकते। राज्य सरकारों को लागत का अपना भाग देने की सुविधा देने के लिए ही ऋण देने की व्यवस्था की गई है।

**श्री इब्राहीम** : क्या विभिन्न राज्य सरकारों को ऋण देने के लिए कोई अभ्यंश निश्चित किया गया है ?

**श्री अलगेशन** : जब भी प्रस्तावनाएं आती हैं, हम उन पर विचार करते हैं।

**श्री एस० वी० रामस्वामी** : ऊपर के और नीचे के पुलों के निर्माण के लिए कितनी योजनाएं राज्यों द्वारा रखी जा रही हैं। ये ऋण इन योजनाओं के कुल व्यय के कितने अनुपात पर खर्च होंगे, और क्या मैं उन नियमों को जान सकता हूं कि जिनके अनुसार इन योजनाओं को प्राथमिकताएं दी जाती हैं ?

**श्री अलगेशन** : हमने राज्य सरकारों को प्राथमिकता देकर योजनाएं भेजने के लिए कहा है। राज्य सरकारों ने इन योजनाओं को प्राथमिकता संख्या १ और २ इत्यादि में रखा है। हम ऋण देने की चेष्टा कर रहे हैं।

**श्री के० जी० देशमुख** : इस प्रश्न के उत्तर के साथ विवरण में दी गई सूची में मध्य प्रदेश का नाम मुझे नहीं मिल रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या मध्य प्रदेश की सरकार ने ऋण नहीं मांगा है। या इसका कारण उस राज्य में उपयुक्त निर्माण कामों का अभाव है ?

**श्री अलगेशन** : मध्य प्रदेश उन सरकारों में से हैं, जिन्होंने कोई सहायता नहीं मांगी है।

**अध्यक्ष महोदय**: वह तो कारण जानना चाहते हैं कि क्या इसका कारण वहां पर योजनाओं का अभाव है।

**रेलवे तथा परिवहन मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री)**: उन्होंने यह सूचना भेजी है कि स्थानीय निकायों की ऐसी परिस्थिति नहीं है कि वे ऋण ले सकें।

## पूर्वोत्तर रेलवे पर माल के डिब्बों के जोड़ने के लिये प्रांगण

*३४३. **श्री अनिरुद्ध सिंह** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्वोत्तर रेलवे के पूर्वी बिहार के भाग में माल के भेजने में देरी और प्रायः संचालन सम्बन्धी बाधाओं का कारण प्रसिद्ध जंकशनों पर डिब्बों के जोड़ने के प्रांगणों की अपर्याप्त क्षमता है; और

(ख) यदि हां, तो परिस्थिति में सुधार करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

**रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभा सचिव (श्री शाहनवाज खां)** : (क) यह सच है कि उत्तरी बिहार में कुछ प्रसिद्ध जंकशनों पर डिब्बों के जोड़ने के प्रांगणों की अपर्याप्त क्षमता के कारण कभी-कभी माल भेजने में देरी हो जाती है और संचालन सम्बन्धी रोक लगानी पड़ी है।

(ख) अन्तिम स्टेशनों पर और डिब्बा जोड़ने वाले प्रांगणों में देरी को कम करने के लिए और अधिक यातायात की व्यवस्था करने के लिए और सुविधाएं दिये जाने के

उपबन्ध पर तुरन्त ध्यान दिया जा रहा है। कुछ कार्य तो पहले ही आरम्भ हो चुके हैं और स्टेशनों को नया रूप देने वाले अधिक बड़े-बड़े कार्य द्वितीय पंचवर्षीय योजना में शामिल किए गए हैं।

**अनिरूद्ध सिंह**: क्या यह सच है कि बिहार में पूर्वोत्तर रेलवे के छोटी लायन वाले विभाग मे धीरे धीरे यातायात की कठिनाइयां बढ़ गई हैं और ऐसी कठिनाइयों तो युद्धकाल में भी देखने में नहीं आई थीं?

**श्री शाहनवाज खां** : हमें यातायात की कठिनाइयों के बढ़ने का कुछ पता नहीं, है परन्तु यह प्रत्येक व्यक्ति को भली भांति पता है कि अभूतपूर्व बाढ़ से कुछ कठिनाइयां हो गई हैं। रेलवे मंत्रालय उत्तरी बिहार क्षेत्रों की यातायात की कठिनाईयों की अच्छी तरह से जानता है। इसी कारणमोकामेह घाट पर एक पुल बनाया जा रहा है और हमें आशा है कि जब वह पुल बन जाएगा, हमारी कठिनाइयां दूर हो जाएंगी ।

**श्री अनिरूद्ध सिंह** : क्या रेलवे मंत्रालय को पता है कि रेलवे लाइनों की क्षमता का विकास बिहार के लिए बहुत सहायक नहीं होगा जब तक कि विभिन्न जंकशनों पर डिब्बे जोड़ने के प्रांगणों की क्षमता में विस्तार नहीं किया जाता? तो क्या मैं जान सकता हूं कि क्या छपरा, सोनपुर, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, दरभंगा, बारौनी और कटिहार में डिब्बे जोड़ने वाले प्रांगणों का शीघ्र विस्तार किया जाएगा?

**श्री शाहनवाज खां** : सरकार इस विषय पर बहुत सक्रिय ध्यान दे रही है और कटिहार मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर और दरभंगा के डिब्बे जोड़ने वाले प्रागणों को नया रूप देने का विषय विचाराधीन है।

**श्री एल० एन० मिश्र**: अभी सभासचिव ने कहा कि उन्हें बहां के गतिरोध में वृद्धि का पता नहीं है। क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार के पास बिहार में पटसन उत्पन्न करने वालों को दिए जाने वाले डिब्बों के सम्बन्ध में कोई शिकायत आई है और यदि हां, तो परिस्थिति में सुधार करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है?

**श्री शाहनवाज खां** : सच तो यह है कि डिब्बों की कमी के सम्बन्ध में शिकायत बिहार तक ही सीमित नहीं है। यह सामान्य शिकायत संपूर्ण भारत में है। यह हमारे चलने वाले डिब्बों की कमी के कारण है। हम और डिब्बे प्राप्त करने के लिए पूरी चेष्टा कर रहे हैं। माननीय सदस्य को यह भी पता है कि पूर्वोत्तर रेलवे पर बहुत से डिब्बों का कोसी योजना के सम्बन्ध में भी प्रयोग किया जाता है।

**काम दिलाऊ दफतर प्रशिक्षण संगठन**

*३४५. **श्री गिडवानी** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लोक लेखा समिति ने अपने पंद्रहवें प्रतिवेदन में ऐसी एक योजना बनाने की वांछनीयता का सुझाव दिया है जिससे प्रशिक्षण केन्द्रों से निकलने के बाद तत्काल ही प्रशिक्षणार्थियों को समीप रखने के लिये कुछ किया जा सके;

(ख) यदि हां, तो क्या वह सुझाव सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया है; और

(ग) सरकार किस निश्चय पर पहुंची है ?

**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) जी हां।

(ख) और (ग) वह सुझाव अभी विचाराधीन है।

**श्री गिडवानी** : क्या **निर्माण आवास और संभरण** मंत्रालय। रेलवे मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय एवं डाक तथा तार विभाग ने श्रम मंत्रालय के परामर्श से अपने क्षेत्रों में आने वाले सभी ठेकों में एक अधिदेशक खण्ड

जोड़े जाने की प्रस्थापना पर विचार किया है जिससे रिक्तितायें काम दिलाऊ दफ्तर को अधिसूचित की जा सकें जैसा कि लोक लेखा समिति का सुझाव है । यदि हां, तो क्या है ?

**श्री आबिद अली** : मैं समझता हूं कि इस आधार पर ठेके की शर्तों में कोई संशोधनों नहीं किया गया है, परन्तु अनुभव यह कहता है कि केन्द्रों से पास होने वाले प्रशिक्षार्थियों की इतनी मांग है कि उनको शीघ्र ही काम मिल जाता है ।

**श्री गिडवानी** : नौकरी ढूंढ़ने वालों ने काम दिलाऊ दफ्तर के माध्यम से १९५४ और १९५५ में कुल कितनी नौकरियाँ प्राप्त की ?

**श्री आबिद अली** : इसके लिये मुझे अलग सूचना आवश्यकता है ।

**श्री गिडवानी** : मेरे पहले प्रश्न के संबंध में लोक लेखा समिति का जो सुझाव है उस पर कब विचार किया जायगा तथा उस पर कब विनिश्चय किया जायेगा ?

**श्री आबिद अली** : बहुत जल्दी ।

**टाटा इंजीनियर तथा रेल इंजन समवाय (टेलको) के इंजन तथा बायलर**

*३४६. **डा० राम सुभग सिंह** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या ३१ मार्च, १९५५ से १ अप्रैल १९५६ तक की अवधि में इंजनों तथा बायलर्स के संभरण के लिये, टेल्को, टाटानगर ने जो मूल्य घोषित किये थे, वे, १९५४–५५ के तत्स्थानी काल में इनके लिये, घोषित मूल्यों से अधिक हैं;

(ख) क्या ये मूल्य उन मूल्यों से भी अधिक हैं जो विदेशी समवायों ने घोषित किये हैं;

(ग) यदि हाँ, तो क्या सरकार ने रेलवे बोर्ड और टाटा एण्ड संस लिमिटेड के १९४७ के करार के अंतर्गत १९५५–५६ के कथित काल में इंजनों और बायलरों का क्रय करने के लिये टेलको द्वारा घोषित मूल्य स्वीकार कर लिये हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो घोषित मूल्यों की युक्तता का पता लगाने के लिये सरकार ने कौन से उपाय किये हैं या करने विचार कर रही है ?

**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)**: (क) और (ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा है । **[देखिये परिशिष्ट ३ अनुबन्ध संख्या ५]**

(ग) जी नहीं ?

(घ) मूल्यों की जाँच करने के लिये और इंजनों के निर्माण में बचत करने के सुझाव देने के लिये यह विषय प्रशुल्क आयोग के पास भेजा गया है ।

**डा० राम सुभग सिंह** : विवरण में बताया गया है कि विकास काल में वाई० पी० इंजनों का मूल्य ५,८२,००० रुपये , एक्स० सी० ब्वाएलरों का मूल्य ३,६२,००० रुपये और वाई० डी० बायलरों का मूल्य २,०५,००० रुपये था । परन्तु उसके समाप्त होते ही इंजनों का मूल्य बड कर ६,५४,००० रुपये हो गया तथा इसी प्रकार ब्याएलरों कक भी मूल्य बढ़ गया और उसी काल में आयात किये जाने वाले इंजनों और बायलरों के मूल्य बहुत कम थे । सरकार ने टेलको को इतना अधिक अतिरिक्त मूल्य क्यों दिया जब कि करार के अनुसार उनसे आशा नहीं की जाती थी कि वे इतने अधिक मूल्य का भुगतान करेंगे ?

**श्री अलगेशन** : टेल्को के द्वारा इंजनों और बायलरों क निर्माण किये जाने का संबंध दो अवधियों से है । एक विकास कालथाध

जो बायलरों के संबंध में जनवरी, १९५४ तक और इंजनों के संबंध में जून, १९५४ तक चलता रहा। करार के अनुसार विकास काल में, हमारे ऊपर उत्तरदायित्व केवल उत्पादन की लागत के भुगतान करने का था यद्यपि हम उस से बहुत कम दे रहे थे और अतिरिक्त लागत को एक अलग निधि में जमा करते जाते थे। अब उस निधि के रुपये का भी भुगतान कर दिया गया है। परन्तु 'मूल्य' अवधि के आरंभ होने के पश्चात् अर्थात् उस तिथि के बाद जिसका मैं उल्लेख कर चुका हुं, करार के अनुसार, हमें कम्पनी को लाभ के रूप में समवाय द्वारा लाई गई पूंजी पर और सात प्रतिशत का भुगतान करना है। यही कारण है कि जो मूल्य हम दे रहे हैं वह उस मूल्य से अधिक है जो हम पहले देते थे। यह सच है कि जो मूल्य आजकल टेलको बता रहा है वे आयात के मूल्यों का दूगना है। टेलको के सभापति ने अपने भाषण में कहा है कि इतने अधिक मूल्यों से वह स्वयं विस्मय में पड़े हुए हैं। चूंकि हम इतने अधिक मूल्यों के भुगतान करने से सहमत नहीं हुए हैं, हमने यह सारा मामला प्रशुल्क आयोग के पास भेज दिया है।

**डा० रामसुभग सिंह** : माननीय उपमंत्री ने कहा है कि करार के अनुसार सरकार पर यह उत्तरदायित्व है कि वह वास्तविक मूल्य से ७ प्रतिशत और अधिक लाभ के रूप में अदा करे और उन्होंने स्वयं ही यह माना है कि जो मूल्य सरकार ने अदा किये वे ७ प्रतिशत से बहुत अधिक थे। १९४७ के करार में कोई प्रक्रिया निर्धारित की गई थी या नहीं ?

**श्री अलगेशन** : माननीय सदस्य ने मेरा आशय ठीक ठीक नहीं समझा। मैं ने कहा कि विकास काल में केवल उतना ही भुगतान किया गया था जितना कि उत्पादन की वास्तविक लागत है और 'मूल्य' काल के आरंभ होने के पश्चात् करार के अनुसार हमें लाभ के रूप में सात प्रतिशत और देना था। करार के अनुसार टेलको ने यही मूल्य निर्धारित किया था परन्तु इतने अधिक मूल्य देने पर हम सहमत नहीं हुए हैं। इसी लिये हमने यह मामला प्रशुल्क आयोग के पास भेज दिया है।

**श्री सी० डी० पांडे** : इस बात पर ध्यान देते हुए कि तत्स्थानी काल में चित्तरंजन में इंजन के मूल्य कम हो गये हैं जब कि टाटा में बढ़ गये हैं, सरकार ने जानबूझ कर टाटा को अधिक मूल्यों का भुगतान क्यों किया ?

**श्री अलगेशन**: जैसा कि माननीय सदस्य ने बताया है, वास्तविक परिणाम से पता चलता है कि कम से कम जहां तक इंजनों का संबंध है, सरकार द्वारा निर्माण इतना महंगा नहीं पड़ा है जितना ग़ैर सरकारी क्षेत्र का है।

**श्री सी० डी० पांडे** : मेरा प्रश्न था. . .

**अध्यक्ष महोदय** : शान्ति, शान्ति। यह तर्क का और अर्थ निकालने का विषय है। मैं अगला प्रश्न लेता हूं।

### अपना माल-डिब्बा आन्दोलन

*३४७. **श्री ए० एन० विद्यालंकार** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) "अपना माल डिब्बा" आन्दोलन में अब तक कितनी प्रगति हुई है;

(ख) अब तक कितना माल डिब्बे ग़ैर सरकारी अभिकरणों या व्यापारियों के अपने हो गये हैं; और

(ग) क्या सरकार ने देखा है कि यह योजना व्यापारियों द्वारा पसंद की गई है ?

**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) "अपना माल डिब्बा" प्रस्थापना पर पूरी तरह से विचार किया गया था परन्तु सामान्य प्रस्ताव के रूप में उसे स्वीकार करना वांछनीय नहीं समझा गया। इसीलिये यह योजना अस्वीकार कर दी गई।

(ख) और (ग), ये प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

## चीनी

*३४९. **बाबू रामनारायण सिंह**। क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान मिलों के विस्तार तथा नई मिलों के संस्थापन के फलस्वरूप चीनी के उत्पादन को बढ़ जाने वाली क्षमता कितनी है;

(ख) चीनी मिलों की अद्यतन संस्थापित क्षमता कितनी है और उसके अनुपात में १९५५–५६ की फसल के गन्ने का प्राक्कलित संभरण कितना होगा; और

(ग) १९५६ में मांग और पूर्ति की क्या स्थिति होगी ?

**कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख)**: (क) ४६ वर्तमान मिलों के विस्तार से २.७१ लाख टन तथा ३७ नई मिलों के संस्थापन से ३.७८ लाख टन सबको मिला कर ६.४९ लाख टन चीनी प्रतिवर्ष ।

(ख) संस्थापित क्षमता १५.९ लाख टन चीनी प्रति वर्ष है । १२० दिवस की ऋतु में इस के द्वारा गन्ने के प्राक्कलित संभरण का लगभग २६ प्रतिशत गन्ना पेरा जा सकता है ।

(ग) १९५४–५५ की ऋतु के शेष को मिलाकर कुल संभरण लगभग २२ लाख टन चीनी का होगा जब कि मांग का प्राक्कलन लगभग १८ लाख टन किया जाता है ।

**बाबू रामनारायण सिंह**: पुराने चीनी के कारखानों की, जैसा कि आप कहते हैं, काम करने की ताकत बढ़ गई है और, कुछ नये चीनी के कारखाने भी बनाये गये हैं, तो ज़ाहिर है कि पहले से और अधिक ऊख की ज़रुरत होनी चाहिये, तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस अतिरिक्त ऊख की उपज के वास्ते कारखानों की तरफ से कोई प्रबन्ध हुआ है ?

**खाद्य और कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन)** : इस साल पिछले साल की बनिस्बत १० फी सदी गन्ना ज्यादा है ।

**बाबू रामनारायण सिंह** : जब चीनी अधिक पैदा हुई है तो उस के हिसाब से चीनी के दामों में और ऊख के दाम में कुछ फर्क पड़ेगा या नहीं ?

**श्री ए० पी० जैन** : ऊख का दाम तो दूसरे हिसाब से लगाया जाता है ।

**श्री कासलीवाल** : क्या इस बात पर ध्यान देते हुए कि चीनी की मिलों की क्षमता बढ़ गई सरकार आगामी वर्ष के लिये चीनी के आयात को बन्द करने का विचार कर रही है ?

**श्री ए० पी० जैन** : अब अगले वर्ष चीनी आयात करने का सरकार का कोई विचार नहीं है ।

## कादर-चिकमगालूर-सकलेशपुर लाईन का परिमाप

*३५०. **श्री सिद्ध नंजप्पा** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण रेलवे पर प्रस्थापित कादर-चिकमगालुर-सकलेशपुर लाइन के परिमाप का आदेश दिया जा चुका है; और

(ख) यदि हां, तो यह लाइन बेलूर से गुज़रती है या महीगेरे से, या दोनों स्थानों से ?

**रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभा सचिव (श्री शाहनवाज़ खां)** : (क) जी हां ।

(ख) दोनों विकल्पों अर्थात् बेलूर से होकर जाने वाले और महीगेरे से होकर जाने वाले मार्गों के परिमाप का आदेश दिया गया है ।

**भारतीय रेडक्रास सोसाइटी**

*३५१. **श्री कामत** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री ३० सितम्बर, १९५५ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या २४४० के उत्तर के सम्बन्ध में बताने की कृपा करेंगी कि:

(क) क्या तब से उस शिकायत की जांच समाप्त हो चुकी है ; और

(ख) यदि हां, तो उस का क्या परिणाम निकला है ?

**स्वास्थ्य मंत्री (राजकमारी अमृतकौर)** : (क) और (ख). रेडक्रास सोसाइटी ने विनिश्चय किया है कि वह इस शिकायत की जांच नहीं करेंगी क्योंकि यह मामला जांच क लिये दास आयोग के सामने प्रस्तुत है ।

**श्री कामत** : पिछली बार पिछले सत्र में जो प्रश्न पूछा गया था वह एक ऐसी शिकायत के सम्बन्ध में था जो सरकार के पास भेजी गई थी—वह सरकार चाहे राज्य सरकार हो या केन्द्रीय सरकार । क्या वह शिकायत वापस ले ली गई है ?

**राजकुमारी अमृत कौर** : शिकायत रेड क्रास की राज्य शाखा के पास भेजी गई थी । राज्य शाखा ने उसे ज़िला मुख्यालय के पास भेज दिया और उन से जांच करने को कहा । ज़िला मुख्यालय ने लिखा है कि :

> "इस बात पर ध्यान देते हुए कि इस प्रकार की जांच करने के लिये हमारे पास कोई स्वतंत्र संगठन नहीं और चूंकि यह विषय जांच आयोग के सामने वैसे ही विचाराधीन है, और इसलिये कि उस विद्यार्थी विशेष के मामले की पैरवी के लिये वकील नियुक्त हुए हैं, राज्य शाखा के लिये इस की जांच करना उपयुक्त न होगा । "

**श्री कामत** : क्या मैं जान सकता हूं . . . . .

**अध्यक्ष महोदय** : शान्ति, शान्ति मैं अगला प्रश्न ले रहा हूं ।

**उड़ीसा में चीनी के कारखाने**

*३५२. **श्री संगण्णा** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री उड़ीसा में चीनी के नये कारखानों की स्थापना के सम्बन्ध में ६ सितम्बर, १९५५ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १५०८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उस सम्बन्ध में तब से कोई निर्णय हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो उस के क्या परिणाम निकले हैं ?

**कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख)** : (क) और (ख). पारद्वीप में चीनी का एक कारखाना स्थापित करने के लिये मेसर्स उड़ीसा एग्रीकल्चर इण्डस्ट्रीज़ लिमिटेड के प्रार्थनापत्र पर कोई निर्णय नहीं हुआ हैं, क्योंकि प्रार्थी ने गन्ना पैदा करने के लिये पट्टे पर जो भूमि ली थी, वह उड़ीसा सम्पदा उन्मूलन अधिनियम के अन्तर्गत अलग कर दी गई है । राज्य सरकार से इस मामले पर बातचीत की जा रही है ।

बारगढ़ रेलवे स्टेशन सम्बलपुर में चीनी के कारखाने की स्थापना के लिये मेसर्स काटन एजेन्टस लिमिटेड से प्राप्त अन्य प्रार्थनापत्र की सिफारिश राज्य सरकार ने की है और उस पर विचार किया जा रहा है ।

**श्री संगण्णा** : ग्राम और छोटे पैमाने के उद्योगों के सम्बन्ध में कारवे प्रतिवेदन की केडिका १३६ में यह सुझाव दिया गया है कि ग्राम और छोटे पैमाने के उद्योगों के विकास की ओर अवश्य ध्यान दिया जाना चाहिये। क्या सरकार ने ऐसा किया है ?

**खाद्य और कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन)** : प्रश्न चीनी के कारखाने की स्थापना

के सम्बन्ध में है, खांडसारी अथवा गुड़ के सम्बन्ध में नहीं। अनुज्ञप्ति देने में हमने, वस्तुतः, इस बात का ख्याल रखा है कि गन्ने की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध है या नहीं। उड़ीसा एग्रीकल्चर इण्डस्ट्रीज, लिमिटेड ने यह अभ्यावेदन भेजा कि उनके पास लगभग ९००० एकड़ भूमि थी, जिस पर वह गन्ना उगाना चाहते थे। उस पर अब झगड़ा चल रहा है। यह कहा जाता है कि उड़ीसा सम्पदा उन्मूलन अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही की गई है। हम ने इस सम्बन्ध में अग्रेतर जांच की है कि क्या उनकों वह भूमि उपलब्ध हो जायेगी।

**श्री संगण्णा** : क्या मैं जान सकता हूं....

**अध्यक्ष महोदय** : शान्ति, शान्ति। प्रश्न काल समाप्त हो गया है।

---

## प्रश्नों के लिखित उत्तर

**टेलीफोन एक्स्चेंज और सार्वजनिक ठेलीफोन**

*३१४ { **सरदार हुक्म सिंह** : / **श्री बहादुर सिंह** :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) परगनों या तहसीलों में नये एक्सचेंज और सार्वजनिक टेलीफोन खोलने के सम्बन्ध में वर्तमान नीति क्या है ; और

(ख) ऐसे कितने जिले वाले और परगने वाले नगर हैं, जहां इस समय टेलीफोन संबंधी कोई भी सुविधा नहीं है ?

**संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) परगने वाले नगरों में सार्वजनिक टेलीफोन घाटे के आधार पर खोले जाते हैं, बशर्ते कि कुल घाटा निश्चित सीमा से ज्यादा न बढ़ जाये। तहसील में घाटे की गुंजाइश नहीं रखी जाती है और वहां सार्वजनिक टेलीफोन तभी खोले जा सकते हैं, जब इस प्रकार की प्रस्थापनायें हों कि वहां सार्वजनिक टेलीफोन खोलने से लाभ होगा। परगने वाले नगरों अथवा तहसीलों में टेलीफोन एकसचेंज तभी खोले जा सकते हैं, जब उनसे सरकार को कोई घाटा न होता हो।

(ख) जिले के कस्बे १५
परगने के कस्बे १७२

**बिना टिकट यात्रा**

*३१८. **चौधरी मुहम्मद शफी** : क्या **रेलवे** मंत्री २९ जुलाई, १९५५ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या २२२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तरी रेलवे के दिल्ली और फीरोजपुर विभाग में टिकट जांचने की एक सम्पूर्ण योजना चालू की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो यह योजना कब से चालू हुई है ?

**रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनबाज खा)** : (क) और (ख). जी नहीं ; यह योजना सब गाड़ियों पर और सब दिनों के लिये नहीं। किन्तु, फरवरी, १९५५ से निर्धारित समयों में पृथक-पृथक प्रत्येक उप-विभाग में टिकटों की जांच की जा रही है, ताकि अन्ततः एक दूसरे के बाद सारे ही उप-विभागों पर जांच हो जाये।

**अन्तराष्ट्रीय किसान युवक विनिमय कार्यक्रम**

*३२१. { **श्री एन० राचय्या** : / **श्री राधा रमण** :

क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अन्तर्राष्ट्रीय किसान युवक विनिमय कार्यक्रम के अन्तर्गत भारतीय किसान लड़कों तथा लड़कियों का दूसरा दल अप्रैल, १९५६ में अमरीका भेजा जाने वाला है ;

(ख) यदि हां, तो इस दल में लड़के तथा लड़कियों की कितनी संख्या है;

(ग) वे किस राज्य में से चुने गये हैं ; और

(घ) अमरीका में वे कितने दिन ठहरेंगे ?

**खाद्य और कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन)** : (क) जी हां ।

(ख) २३ लड़के और १४ लड़कियां ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता क्योंकि अभी चुनाव नहीं किया गया है ।

(घ) छः महीने तक ठहरेंगे ।

**बाढ़ से रेलों को क्षति**

*३२५. **श्री जी० एल० चौधरी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में हाल ही में जो बाढ़े आईं, उनसे रेलों को कितना नुकसान हुआ ; और

(ख) बाढ़ के दौरान प्रति दिन आने-जाने वाली कितनी गाड़ियां रुकी रहीं ?

**रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज खां)** : (क) उत्तर प्रदेश में बाढ़ के कारण निम्नलिखित विभागों को नुकसान पहुंचा और रेल सम्पत्ति को कूछ क्षति पहुंची :—

**उत्तरी रेलवे**

(१) फैजाबाद —मुगलसराय

(२) इलाहाबाद—फैजाबाद

(३) सुलतानपुर—लखनऊ

(४) सुलतानपुर—जौनपुर

**पूर्वोत्तर रेलवे**

(१) औंठिहार—भटनी

(२) गोरखपुर—गोंडा

(३) बरेली—काठगोदाम

(४) बुदवा—चन्दन चौकी

(५) गोरखपुर—चित्तौनी घाट

विस्तार में जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रखी जायेगी ।

(ख) ३० ।

**राष्ट्रीय राजपथ**

*३२६. **श्री एन० एम० लिंगम** : क्या **रेलवे तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय राजपथों के निर्माण संबंधी कामों के निष्पादन म किस आधार पर प्राथमिकता दी जाती है ;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में कोई योजना है कि प्रत्येक राज्य में कौन-कौन से काम पहले किये जायेंगे ?

**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) राष्ट्रीय राजपथ कार्य-क्रम तैयार करने में सामान्यतः कामों का निम्नलिखित क्रम रखा जाता है :

(१) बिना पुल वाले आने-जाने के स्थानों पर पुल बनवाना और वर्तमान राष्ट्रीय राजपथ में जो भाग नहीं बने हैं, उनको बनवाना ।

(२) जो पुल असुरक्षित हो गये हैं उनको दुबारा बनवाना या पक्का करवाना ।

(३) जो विभाग आर्थिक दृष्टि से ठीक नहीं हैं अथवा यातायात के लिये असुरक्षित हैं, उनका सुधार करवाना ।

(ख) नहीं, श्रीमान ।

**मालियों के लिये प्रशिक्षण केन्द्र**

*३३१. **श्री के० पी० सिन्हा** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार द्वितीय पंचवर्षीय योजना में मालियों के लिये प्रशिक्षण केन्द्र खोलने का विचार करती है ; और

(ख) यदि हां, तो इन केन्द्रों पर आवर्तक और अनावर्तक, दोनों प्रकार का, अनुमानतः कितना व्यय होगा ।

**खाद्य और कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन)** : (क) मालियों के लिये चार प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने का विचार है । यद्यपि केन्द्रीय सरकार ही इन केन्द्रों को खोलेगी, फिर भी उनका प्रशासन राज्य सरकारों के हाथ में रहेगा ।

(ख) पांच वर्ष के लिये ९,००,००० रुपये खर्च होंगे ।

**गोदी श्रमिक जांच समिति**

*३३७. **श्री रघुनाथ सिंह**: क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गोदी श्रमिक (नौकरी का विनियमन) जांच समिति की सिफारिशों की कार्यन्विति के लिये क्या प्रयत्न किये गये हैं ?

**श्रम उपमंत्री (श्री अबिद अली)** : उन सिफारिशों पर विचार किया जा रहा है ।

**राज्य परिवहन उपक्रम**

*३४०. **श्री बी० डी० शास्त्री** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिवेन्द्रम में अभी हाल में राज्य परिवहन उपक्रमों के प्रतिनिधियों का जो चौथा सम्मेलन हुआ था, उसमें कौन-कौन से विषयों पर चर्चा की गई थी ;

(ख) सम्मेलन ने क्या सिफारिशें की ; और

(ग) क्या सरकार ने इन सिफारिशों के सम्बन्ध में कोई निर्णय किया है ?

**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) ७ और ८ नवम्बर, १९५५ को त्रिवेन्द्रम में राज्य परिवहन उपक्रमों के चतुर्थ सम्मेलन की कार्यावलि की एक प्रति सभा-पटल पर रखी जाती है । [**देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ६**] मुख्यतः राज्य परिवहन उपक्रमों के आपसी मामलों पर चर्चा हुई थी ।

(ख) तैयार हो जाने पर सम्मेलन की कार्यवाही की एक प्रति सभा-पटल पर रखी जायेगी ।

(ग) इन सम्मेलनों में जिन सामान्य मामलों पर चर्चा हुई, उनके सम्बन्ध में सरकार कोई को भी निर्णय करने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये मामले राज्य परिवहन उपक्रमों से ही सम्बन्धित होते हैं। यदि कहीं पर सरकार का विशेष रूप से उल्लेख किया जाता है, तो उस मामले पर उसकी उपयोगिता के आधार पर विचार किया जाता है।

**बालनगिर-तितिलागढ़ रेलवे लाइन**

*३४४. **श्री आर० एन० एस० देव** : क्या **रेलवे तथा परिवहन** मंत्री ३ अगस्त, १९५५ को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या १७१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बालनगिर-सम्बलपुर विभाग पर १९४६–४७ में जो प्रारम्भिक इंजीनियरिंग सर्वेक्षण किया गया था, क्या उसके आंकड़े का पुनरीक्षण किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस पुनरीक्षित प्राक्कलन के अन्तर्गत अनुमानतः कितना खर्च होगा ;

(ग) क्या बालनगिर–तितिलागढ़ विभाग का नया सर्वेक्षण किया जा चुका है ;

(घ) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं, और यदि नहीं तो वह कब पूरा हो जायेगा ; और

(ङ) इस बालनगिर-तितिलागढ़ विभाग के लिये प्रस्थापित इस नये सर्वेक्षण में क्या इंजीनियरिंग और यातायात दोनों प्रकार के सर्वेक्षण किये जायेंगे ?

**रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभा सचिव (श्री शाहनवाज खां)** : (क) और (ग). नहीं श्रीमान् ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) जुलाई, १९५६ में पूरा हो जायेगा ।

(ङ) नहीं श्रीमान्। यातायात सर्वेक्षण किया जा चुका है और केवल एक प्रारम्भिक इंजीनियरिंग सर्वेक्षण करना ही आवश्यक समझा गया है ।

### राजस्थान में नलकूप

*३४८. **श्री करणी सिंह जी** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परीक्षात्मक नलकूपों की स्थान चुनाव समिति ने इस काम के लिये उपयुक्त स्थान चुनने के सम्बन्ध में राजस्थान के राजगढ़ क्षेत्र का दौरा किया है ; और

(ख) यदि हां, तो वह इस काम को कब करेगी ?

**खाद्य और कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन)** : (क) नहीं, श्रीमान् । ज़मीन के नीचे पानी की खोज के लिये राजगढ़ क्षेत्र नहीं चुना गया है क्योंकि इस क्षेत्र में सख्त और दुभेद्य चट्टाने और इस लिबे यह क्षेत्र नलकूपों के विकास के लिये उपयुक्त नहीं समझा गया है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

### अमरीका से खाद्यान्न उपहार

*३५४. **सरदार हुकम सिंह:**
**श्री बहादुर सिंह :**
**श्री दिगम्बर सिंह :**

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बाढ़-पीड़ित क्षेत्रों में मुफ्त बांटने के लिये अमरीका की सरकार से उपहार के रूप में प्राप्त २,००० टन खाद्यान के वितरण के लिये केन्द्रीय सरकार ने किन सिद्धान्तों को माना है ; और

(ख) उसमें से पंजाब और पेप्सू के लिये कितनी मात्रा नियत की गई है ?

**खाद्य और कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन)** : (क) प्रत्येक राज्य में बाढ़-पीड़ित क्षेत्रों की आवश्यकताओं को दृष्टि में रख कर ही विभिन्न राज्यों को उपहार रूप में प्राप्त खाद्यान का आवंटन किया गया है ।

(ख) पंजाब और पैप्सू को क्रमशः २,५०० टन और १,५०० टन खाद्यान दिया गया है। इन दोनों राज्यों को चावल बिल्कुल नहीं दिया गया है ।

### जल-परिवहन बोर्ड

*३५५. **श्री श्रीनारायण दास** : क्या **परिवहन** मंत्री अपने मंत्रालय के १९५४–५५ के वार्षिक प्रतिवेदन के पैरा ६० के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण भारत में एक जल-परिवहन बोर्ड बनाने के सम्बन्ध में कुछ दक्षिण भारतीय राज्यों ने जो वैकल्पित प्रस्ताव रखे हैं, उनका ठीक-ठीक स्वरूप क्या है ;

(ख) क्या सरकार ने उन प्रस्तावों पर विचार किया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में क्या निर्णय किया गया है ।

**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) से (ग). दक्षिण भारत में अन्तर्देशीय जल-परिवहन के विकास में समन्वय के लिये केन्द्रीय सरकार और सम्बन्धित राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों का एक संयुक्त बोर्ड बनाने का प्रस्ताव प्राय: मान्य नहीं हुआ था । तय यह हुआ था कि आवश्यकता पड़ने पर राज्य-सरकारों के प्रतिनिधियों की तदर्थ बैठकें आयोजित करके ही कुछ विशेष राज्यों के अन्तर्देशीय जल-परिवहन के निर्माण-कार्यों में समन्वय पैदा किया जा सकता है ।

## डाक व तार कर्मचारी-संघ

*३५६. **श्री अमर सिंह डामर** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य भारत में डाक व तार विभाग के कर्मचारियों के कितने संघ हैं ; और

(ख) उनमें से कितने संघों को संचार मंत्रालय ने मान्यता प्रदान की है ?

**संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर)**: (क) और (ख) डाक-तार विभाग के कर्मचारियों की यूनियनों को सरकार ने अखिल भारतीय आधार पर मान्यता दी है, न कि राज्य-क्रमानुसार । डाक-तार परिमण्डलों के अनुसार उनकी परिमण्डल-शाखायें हैं । मध्य भारत की, जो राजस्थान परिमण्डल का भाग है—१६ मान्य शाखा-यूनियनें हैं; ये यूनियनें, परिमण्डल-शाखाओं द्वारा अखिल भारतीय यूनियनों के साथ सम्बद्ध हैं ।

## एशियाई प्रादेशिक प्रशिक्षण पाठ्य-क्रम

*३५७. **डा० सत्यवादी** : क्या **श्रम** मंत्री २४ अगस्त, १९५५ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १११४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इण्डोनेशिया स्थित बांडुंग में होने वाले एशियाई प्रादेशिक प्रशिक्षण पाठ्य-क्रम की प्रशिक्षा के लिये कितने उम्मीदवार चुने गये हैं ; और

(ख) इस परियोजना का वित्तीय पक्ष क्या है ?

**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)**: (क) नौ ।

(ख) यात्रा का खर्च अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन और मालिक या उम्मीदवार समान रूप से बांट लेंगे । अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन एक दैनिक-निर्वाह-भत्ता भी देगा ।

## कुनैन सम्मेलन

*३५८. **श्री एन० राचय्या** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने सिनकोना की खेती के बारे में नीति निर्धारित करने के लिए अक्तूबर, १९५५ के तीसरे सप्ताह में उटकमंड में एक कुनैन-सम्मेलन का आयोजन किया था ;

(ख) यदि हां, तो उस सम्मेलन में किन-किन राज्यों ने भाग लिया था ; और

(ग) सम्मेलन ने क्या-क्या सिफारिशें की हैं ?

**स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमरी अमृत कौर)**: (क) जी हां;

(ख) मद्रास, पश्चिमी बंगाल, आसाम, बम्बई, बिहार, उत्तर प्रदेश और त्रावनकोर-कोचीन ।

(ग) सम्मेलन में स्वीकृत हुए प्रस्तावों की एक प्रति लोक-सभा पटल पर रखी जाती है । [देखिये परिशिष्टि ३, अनुबन्ध संख्या ७ ]

**मार्ग परिवहन**

*३५९. **चौ० रणवीर सिंह** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि योजना आयोग ने राज्य सरकारों को सुझाव दिया है कि यात्री परिवहन के राष्ट्रीयकरण की क्रमिक योजना में शामिल न हो सकने वाले मार्गों के लिये राज्य-सरकारों को मोटरगाड़ी अधिनियम के अन्तर्गत दीर्घकालीन अनुज्ञायें जारी करनी चाहियें ; और

(ख) यदि हां, तो राज्य-सरकारों ने कहां तक इस प्रस्ताव को माना है ?

**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) जी हां ।

(ख) योजना आयोग को उत्तर भेजने वाली राज्य-सरकारों में से किसी ने भी इस प्रस्ताव पर कोई आपत्ति नहीं की है ।

**रेलों का राष्ट्रीयकरण**

*३६०. **श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार निकट भविष्य मे सभी गैर-सरकारी रेलों का राष्ट्रीयकरण करने जा रही है ; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

**रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज खां)** : (क) जी नहीं ।

(ख) ऐसी रेलों की आस्तियां अब अधिकांशतः पुराने ढंग की पड़ गई हैं और अपनी अवस्था पार कर चुकी हैं । आवश्यकता है कि भारी खर्च करके एक बड़े पैमाने पर उनका पुनर्संस्थापन किया जाये । नई आस्तियों के निर्माण के लिये सुलभ संसाधनों का संरक्षण किया जाना चाहिये, उसे पुराने ज़माने और पुराने ढंग की आस्तियां प्राप्त करने पर खर्च नहीं करना चाहिये ।

**राष्ट्रीय राजपथ**

*३६१. **श्री एन० एम० लिंगम** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में राष्ट्रीय राजपथ निर्माण के लिये दरों की कोई मूल अनुसूची मौजूद है ; और

(ख) यदि नहीं, तो सतहें बनाने के काम के साथ कुल काम पर प्रति मील कितना अधिक-से-अधिक अन्तर पड़ता है ?

**रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभा सचिव (श्री शाहनवाज खां)** : (क) जी नहीं । चूंकी हर प्रकार के काम के लिये स्थानीय रूप से दरों में अन्तर होता है, इस लिये राष्ट्रीय राजपथ प्राक्कलनों के लिये प्रत्येक खण्ड हेतु दरों की अलग-अलग राज्य अनुसूचियां निश्चित की जाती हैं ।

(ख) सड़क निर्माण का खर्च कई बातों पर निर्भर रहता है, जैसे कि उसकी स्थिति, प्रकार-विशेष की मिट्टी, विशेष विवरण, वाहन-मार्ग की चौड़ाई, आर-पार जल-निस्तारण, निर्माण, इत्यादि । मोटे तौर पर, तारकोल के बने वाहन-मार्ग की एक ही रास्ते वाली एक सड़क पर स्थानों के हिसाब से होने वाला खर्च प्रति मील ७५,००० रुपये से ३,००,००० रुपये तक हो सकता है ।

**चिकना, पूर्वोत्तर रेलवे पर फ्लैग स्टेशन**

*३६२. **श्री एल० एन० मिश्र** : क्या **रैलवे** मंत्री ३० अगस्त, १९५५ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १२२४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वोत्तर रेलवे के चिकना हाल्ट स्टेशन को फ्लैग स्टेशन में बदल देने के बारे में क्या निर्णय किया गया है ;

(ख) क्या यह हाल्ट स्टेशन विदेशी यातायात के लिये खुलेगा ; और

(ग) इस हाल्ट स्टेशन पर यात्रियों के लिये शेड बनाने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

**रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज़ खां)** : (क) अभी इसकी जांच-पड़ताल की जा रही है ।

(ख) और (ग). उसे हाल्ट स्टेशन से फ्लैग स्टेशन में बदलने के बारे में कोई निर्णय हो चुकने के बाद ही, इन सुविधाओं को जुटाने के मामले पर विचार किया जायेगा।

**मुर्गी पालन**

*३६३. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या **खाद्य और कृषि मंत्री** १४ मार्च, १९५५ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ९२७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रस्तावित मुर्गी पालन विकास केन्द्र कब तक स्थापित किये जायेंगे ;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में खाद्य और कृषि संगठन (एफ ए० ओ०) से भी कोई सहायता मिलेगी ;

(ग) यदि हां, तो किस सीमा तक ; और

(घ) क्या सरकार के पास देशभर में मुर्गीयों की गणना के बारे में कोई आंकड़े मौजूद हैं ?

**खाद्य और कृषि मंत्री** (श्री ए० पी० **जैन**) : (क) पुनरीक्षित अग्रिम परियोजना के अन्तर्गत, विभिन्न राज्यों में ५० मुर्गी पालन विकास केन्द्र स्थापित किये जायेंगे, जबकि १४ मार्च, १९५५ के उत्तर में कुल १५ का ही उल्लेख था। इनमें से, १९ केन्द्र तो स्थापित हो भी चुके हैं और बाकी ३१ केन्द्रों के भी ३१ मार्च, १९५६ से पहले स्थापित हो जाने की आशा है ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(घ) जी, नहीं :

**रात्रि विमान सेवायें**

*३६४. **चौधरी मुहम्मद शफी** : **सरदार इकबाल सिंह** ;

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'इंडियन एयर लाइन्स कार्पोरेशन' (भारतीय विमान निगम) की रात्रि विमान सेवा में, दो-इंजनों वाले 'डैकोटा' यानों के स्थान पर अब चार-इंजनों वाले 'लक्षरी स्काइमास्टर्स' चलने लगे हैं ;

(ख) यदि हां, तो कब से ; और

(ग) कितने 'स्काइमास्टर्स' विमान प्राप्त किये गये हैं ?

**संचार उपमंत्री (श्री राजबहादुर)** : (क) और (ख). ५ नवम्बर, १९५५ से रात्रि विमान सेवाओं में 'डैकोटा' विमानों के स्थान पर 'स्काइमास्टर्स' चलने लगे हैं ।

(ग) निगम ने पहले के तीन ऐसे विमानों के अलावा तीन और नये 'स्काइ-मास्टर्स' प्राप्त कर लिये हैं ।

**सीमेंट उद्योग में मजूरी**

*३६५. **श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमेंट उद्योग में मजूरी की मूल न्यूनतम (मान्य) दरें तय करने के लिये बनाये गये बोर्ड ने अपना प्रतिवेदन पेश कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य-मुख्य सिफारिशें क्या हैं ; और

(ग) क्या उसकी कोई सिफारिश मानी और कार्यान्वित भी की गई है ?

**श्रम उपमंत्री** (श्री **आबिद अली**) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

**कैंसर (यमार्बुद)**

*३६६. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री ७ अप्रैल, १९५५ को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या ६२६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगी कि निकट भविष्य में कैंसर (यमार्बुद) अनुसन्धान के कितने केन्द्र खोले जायेंगे ?

**स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमत कौर)** : और भी अधिक कैंसर (यमार्बुद) अनुसन्धान केन्द्र खोलने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है ।

**रेंलवें रियायतें**

*३६७. **श्री भागवत झा आजाद** :
**श्री डी० सी० शर्मा** :

क्या **रेलवे** मंत्री ६ सितम्बर, १९५५ को दिये गये तारांकित प्रश्न संख्या १५१५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्योहारों के महत्वपूर्ण अवसरों पर रियायती टिकट जारी करने का सरकार ने निश्चय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो किन अवसरों पर ऐसे रियायती टिकट जारी किये जायेंगे ?

**रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभा सचिव (श्री शाहनवाज़ खां)** : (क) जी, हां ।

(ख) दशहरा, दीवाली और क्रिसमस ।

**सर्वत्र अमरीकी विप्रेषण सहकारिता संघ**

*३६८. **श्रीमती मायादेंव** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) प्रत्येक स्थान को अमरीकी विप्रेषण के लिये सहकारी संस्था (सी० ए० आर० इ०) को कौन चला रहा है ;

(ख) क्या भारत में अभी तक अस्पतालों के काम की चीज़ या कुछ सज्जा प्राप्त हुई हैं ; और

(ग) इस सम्बन्ध में भारत के अस्पतालों की मांग क्या है ?

**स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर)** : (क) प्रत्येक स्थान को अमरीकी विप्रेषण की सहकारी संस्था (सी० ए० आर० इ०) १९४६ में संयुक्त राज्य अमरीका में बनाई गई थी । इसे २६ प्रमुख श्रम, लोक-कल्याण और धार्मिक संगठनों ने मिलकर बनाया था ।

(ख) जी हां ।

(ग) ८३ भारतीय अस्पतालों ने सी० ए० आर० इ० के माध्यम से सज्जा की मांग की थी ।

**कोयला खान भविष्य निधि अधिनियम, १९४८**

*३६९. **श्री टी० बी० विट्ठल राव** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयला खान भविष्य निधि अधिनियम, १९४८ के प्रावधानों को कर्मचारी भविष्यनिधि अधिनियम, १९५२ की लाइनों पर अभिदाताओं के पक्ष में उदार बनाने के लिये कोई कदम उठाए जा रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे प्रस्तावों का क्या स्वरूप है ?

**श्रम उपमंत्री** (श्री **आबिद अली**) : (क) तथा (ख). जी हां । कोयला खान भविष्य निधि योजना, १९४८ में १८ जुलाई, १९५५ से यह संशोधन कर दिया गया है कि निधि में अंशदान के प्रयोजनों के लिये मंहगाई भत्ता (जिसमें नकदी अथवा वस्तु रूप में खाने की रियायतों का मूल्य भी सम्मिलित है) मजूरी का भाग समझा जायेगा जैसा कि कर्मचारी भविष्य निधि के मामले में होता है । अन्य विचाराधीन प्रस्ताव निम्नलिखित है :—

(१) कर्मचारियों के पक्ष में मालिकों के अंशदान की ज़ब्ती से संबंधित प्रावधानों का उदार बनाया जाना ;

(२) संचयों का वर्तमान भविष्य निधियों से कोयला खान भविष्य निधि में हस्तान्तरण की सुविधा ।

**मक्खियां**

*३७०. **श्री वी० डी० शास्त्री** :
**डा० राम सुभग सिंह** :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या उन्होंने पत्रकारों के सम्मेलन में यह घोषणा की है कि वे "चीनी तरीके" पर दिल्ली में मक्खियों को समाप्त करने का आन्दोलन आरम्भ करेंगी ; और

(ख) क्या भारत के अन्य नगरों में भी वैसा आन्दोलन प्रारम्भ करने का विचार है ?

**स्वास्थ्य मंत्री** (**राजकुमारी अमृत कौर**): (क) मैंने कहा था कि दिल्ली में तजुर्बे के तौर पर मैं एक आन्दोलन शुरू करना चाहूंगी ।

(ख) ऐसा कोई विचार नहीं है ।

**अन्तर्राष्ट्रीय गेहूं सम्मेलन**

*३७१. **श्री डी० सी० शर्मा** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में हुये अन्तर्राष्ट्रीय गेहूं सम्मेलन में भारत सरकार ने भाग लिया था ; और

(ख) यदि हां, तो क्या हमारे प्रतिनिधि मंडल ने इस सम्बन्ध में कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है ?

**खाद्य और कृषि मंत्री** (**श्री ए० पी० जैन**) : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) अभी नहीं ।

**इमारती लकड़ी को सुखा कर तैयार करने का संयंत्र**

*३७२. **डा० राम सुभग सिंह** : क्या रेलवे मंत्री १२ अगस्त, १९५५ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ६७० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को रेलवे स्लीपरों (शहतीरों) की लकड़ी को सुखा कर तैयार करने के लिये एक संयंत्र की स्थापना के निमित्त कोई सुझाव प्राप्त हुये हैं ;

(ख) यदि हां, तो उस संयंत्र के यहां स्थापित किये जाने की आशा है ; और

(ग) उस संयंत्र की स्थापना में कितना धन व्यय होगा ?

**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) नहीं, श्रीमान् ।

(ख) तथा (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

**औद्योगिक मजुरी तथा लाभ**

*३७३. **श्री श्रीनारायण दास** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने मजूरी लाभ, भुगतान के निबन्धन और शर्तों आदि के समस्त प्रश्न पर विचार करने के लिये एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त की है ;

(ख) क्या समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ? और

(ग) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) से (ग). हाल ही में कोई ऐसी विशेषज्ञ समिति नियुक्त नहीं की गई है ।

**नौवहन**

*३७४. **श्री एन० राचय्या** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय परिवहन बोर्ड के पुनर्विलोकन के अनुसार समुद्र तट पर नौवहन की मांग में वृद्धि हुई है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ग) वर्तमान नौवहन का टनभार क्या है ; और

(घ) इस मांग में वृद्धि की पूर्ति के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) जी, हां ।

(ख) मांग में वृद्धि मौसमी कार्याधिक्य तथा रेलवे के माल-डिब्बों की कठिनाइयों के कारण समझी जाती है ।

(ग) १ नवम्बर, १९५५ को तटीय व्यापार के लिये उपलब्ध स्वामित्व सहित भाड़े पर लिया गया कुल टनभार २७६,६९४ (कुल पंजीबद्ध) टन था ।

(घ) सरकार विभिन्न सम्बन्धित प्राधिकारियों के साथ मिल कर स्थिति की निरन्तर पुनरीक्षा कर रही है । सरकार द्वारा और बातों के साथ साथ जो कदम पहले ही उठाये जा चुके हैं उन में यह सम्मिलित हैं, अर्थात् (१) अतिरिक्त टनभार की अधिप्राप्ति के लिये भारतीय नौवहन कम्पनियों को ऋण प्रदान करना (२) समुद्र तट पर भाड़े पर लिये गये टनभार को काम में लाने के सम्बन्ध में प्रतिबन्धों का आंशिक ढीला किया जाना और (३) भारतीय बन्दरगाहों पर तटीय जहाजों का तीव्रगति से घूमने का प्रबन्ध । तट पर टनभार की कमी की पूर्ति करने के लिये और कदम उठाये जाने का प्रश्न विचाराधीन है ।

**हावड़ा-बर्दवान विद्युतीकरण योजना**

*३७५. **श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एक अंग्रेजी फर्म (सार्थ) को भारतीय रेलों के विद्युतीकरण की योजना का ठेका दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो हावड़ा, कलकत्ता, और बर्दवान की विद्युतीकरण योजना का अनुमित व्यय क्या है ?

**रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज़ खां)** : (क) हां, श्रीमान् । लगभग ४५ लाख रुपये में दिया गया है ।

(ख) ११.८४ करोड़ रुपये ।

**यंत्रों द्वारा मछली पकड़ना**

*३७६. **श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में मछली पकड़ने के यंत्रों से युक्त नावों की आवश्यकताओं के सम्बन्ध में तटीय सुविधाओं का सर्वेक्षण पूर्ण हो गया है : और

(ख) यदि हाँ, तो उस सर्वेक्षण से क्या पता चला है ?

**खाद्य और कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन)** : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

**औद्योगिक विवाद**

*३७७. **श्री डी० सी० शर्मा** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब राज्य में वर्ष १९५३ और १९५४ में केन्द्रीय क्षेत्र के कितने औद्योगिक विवाद औद्योगिक न्यायाधिकरण को निर्दिष्ट किए गये : और

(ख) क्या उसके द्वारा दिये गये निर्णय संबंधित उद्योगों द्वारा पूर्ण रूप से कार्यान्वित किये गये ?

**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) तथा (ख). पंजाब में केन्द्रीय क्षेत्र का कोई भी श्रम संबंधी विवाद औद्योगिक न्यायाधिकरण को निर्दिष्ट नहीं किया गया परन्तु धनबाद में ऐसा एक विवाद केन्द्रीय न्यायाधिकरण को निर्दिष्ट किया गया । प्रबन्धकों न निर्णय को पूर्ण रूप से कार्यान्वित नहीं किया और उसको उसकी वैध मान्यता की अवधि के अन्दर ही समाप्त कर दिया ।

**टी० टी० यात्रा टिकट परीक्षक**

१७१. **चौधरी मुहम्मद शफी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देहली और फिरोज़पुर खण्डों में कितनी रेलगाड़ियाँ बिना टी० टी० (यात्रा टिकट परीक्षकों) के चलती हैं ;

(ख) भाग (क) में उल्लिखित रेलगाड़ियों में प्रत्येक दो डिब्बों के लिये कितने यात्रा टिकट परीक्षक रहते हैं ;

(ग) रेलगाड़ियों को बिना टी० टी (यात्रा टिकट परीक्षकों) के चलाने के क्या कारण हैं ;

(घ) इन रेलगाड़ियों पर टी० टी० (यात्रा टिकट परीक्षक) कब से नहीं चल रहे हैं ; और

(ङ) इस योजना को चलाने में देरी के क्या कारण हैं ?

**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) इन खण्डों में कोई गाड़ियाँ ऐसी नहीं हैं जो वर्ष भर बिना टी० टी० (यात्रा टिकट परीक्षकों) के चलाई जातीं हैं ; परन्तु कुछ गाड़ियाँ बिना टी० टी० (यात्रा टिकट परीक्षकों) के कुछ दिनों को चलाई जाती हैं ।

(ख) इस समय कोई भी नहीं ।

(ग), (घ) तथा (ङ). टिकट परीक्षण की सामान्य रीति यह है और रही है कि जिन गाड़ियों पर कम यात्री चलते हों उन में टिकटों की जाँच जिसमें आकस्मिक जाँच भी सम्मिलित है केवल कभी कभी हुआ करें, और अभी इस प्रणाली को बदलने का विचार भी नहीं है ।

**स्टेशनों को टेलीफोन से मिलाना**

१७२. **श्री अनिरुद्ध सिंह** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दीघाघाट और मदेन्द्रघाट को पलेजाघाट से टेलीफोन

द्वारा मिलाने के सम्बन्ध में रेलवे शासन सक्रिय विचार कर रहा है ;

(ख) यदि हाँ, तो अभी तक इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गये हैं ; और

(ग) यह घाट किस समय तक पटना से मिला दिये जायेंगे ?

**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) जी हाँ ।

(ख) आवश्यक तार की लाइनें लगाने के लिये रेलवे विभाग ने डाक तथा तार विभाग के सामने अपनी माँगें रखी हैं ।

(ग) उपयुक्त (ख) के अनुसार डाक तथा तार विभाग द्वारा कार्यकारी किये जाने के तुरन्त पश्चात इन को मिलाया जायेगा ।

**केन्द्रीय ट्रैक्टर संगठन**

**१७३. श्री कामत** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री २७ सितम्बर, १९५५ को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या ११६४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तब से केन्द्रीय ट्रैक्टर संगठन के कर्मचारियों का पंजीबद्ध संघ सरकार द्वारा अभिज्ञात कर लिया गया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

**खाद्य और कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन)** : (क) अभी नहीं ।

(ख) संघ ने हाल ही में अपने संशोधित नियमों और विनियमों की प्रतिलिपि भेजी है और उनके अभिज्ञात किये जाने का मामला विचाराधीन है ।

**दिल्ली-मद्रास जनता एक्सप्रैस**

**१७५. श्री कामत** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दिल्ली-मद्रास- जनता एक्सप्रैस को रोज चलाने का है ;

(ख) यदि हां, तो किस तारीख से, और

(ग) यदि हीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) मुख्य कारण तो यह है कि सैक्शनों पर लाइनें खाली नहीं होती । दूसरा कारण यह भी है कि इस प्रयोजन के लिये आपेक्षित डिब्बे और इंजन प्राप्य नहीं हैं ।

**कोयला ले जाने के मालगाड़ी के डिब्बे (वैगन)**

**१७६. श्री तुलसी दास** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(१) जोनवार-और

(२) १९५२–५३, १९५३–५४, १९५४–५५ और १९५५-५६ में ३१ अक्टूबर, १९५५ तक भारतीय रेलों द्वारा कोयले के कितने डिब्बे (वैगन) ले जाये गये ?

**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (१) और (२). एक विवरण संलग्न है जिसमें यह बताया गया है कि भारतीय रेलों द्वारा, खंड़वार, कितने कोयले के डिब्बे (लाइन बदलने के स्थानों-गेज प्वांइट्स-पर भरे गये तथा एक गाड़ी के दूसरी गाड़ी में भरे गये) ले जाये गये । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ८]** प्रत्येक रेलवे द्वारा उसी लाइन (गेज) की किसी अन्य रेलवे से प्राप्त

किये गये भरे हुए डिब्बों सहित कुल कोयले के डिब्बों की संख्या प्राप्त नहीं है ।

### छोटी सिंचाई योजनाएं

१७७. **सरदार हुक्म सिंह :**
**श्री बहादुर सिंह :**

क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान में छोटी सिंचाई योजनाओं के निष्पादन के लिये पंजाब तथा पेप्सू सरकारों द्वारा केन्द्र से कितनी धनराशि मांगी गई है ।

**खाद्य और कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन)** : पंजाब तथा पेप्सू सरकारों ने द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान में छोटी सिंचाई योजनाओं के निष्पादन पर क्रमशः ३३०,०० लाख रुपये और ५९.४८ लाख रुपये व्यय होने का अनुमान लगाया था । पंजाब सरकार ने यह नहीं बताया कि उसे केन्द्रीय सरकार से कितनी धनराशि चाहिये, परन्तु पेप्सू सरकार ने केन्द्र से ४६.५३४ लाख रुपये मांगे हैं ?

### खाद्यान्न

१७८. **सरदार हुक्म सिंह :**
**श्री बहादुर सिंह :**

क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५५ में अब तक पंजाब और पेप्सू द्वारा देश के अन्य भागों को गेहूं और चने की कितनी मात्रा भेजी गई ; और

(ख) इन राज्य सरकारों द्वारा १९५५ में अब तक भारत सरकार की ओर से मूल्य अवलम्बण योजना के अन्तर्गत कितनी मात्रा खरीदी गई ?

**खाद्य और कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन)** : (क) गेहूं १,२९० टन ।
चना १,०८३ टन ।
(ख) गेंहूं १९,२७१ टन ।
चना १,१९५ टन ।

### भारतीय उपज कलेंडर

१७९. **श्री श्रीनारायण दास** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रकाशित भारतीय उपज कलेंडर (इंडियन क्राप कलेंडर) किन किन भाषाओं में प्रकाशित किया जाता है ;

(ख) ऐसे प्रकाशनों पर प्रति वर्ष कितना व्यय होता है ; और

(ग) यदि वह भारत की सब प्रमुख भाषाओं में प्रकाशित नहीं किया जाता तो क्या कलेंडर को प्रादेशिक भाषाओं में भी प्रकाशित करने के लिये कोई योजना है ?

**खाद्य और कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन)** : (क) अंग्रेजी और हिन्दी में ।

(ख) क्राप कलेंडर प्रति वर्ष प्रकाशित नहीं होता । इस प्रकाशन के अंग्रेजी में दो अंक तथा हिन्दी में एक रूपान्तर क्रमश १९४७, १९५० तथा १९५४ में निकले थे । इन तीनों के प्रकाशन पर (विभागीय चार्जेज को छोड़ कर) कुल व्यय ६४१० रुपये हुआ ।

(ग) जी नहीं ।

### मध्य भारत में नई रेलवे लाइन

१८०. **श्री अमर सिंह डामर** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या द्वितीय पंचवर्षीय योजना की कालावधि में मध्य भारत के अनुसूचित आदिम जाति क्षेत्र में एक रेलवे लाइन बनाने की मांग की गई है और यह कि क्योंकि उसका सर्वेक्षण हो चुका है उसे सरदारपुर और धार को मिलाते हुए इन्दौर से दोहाद तक बढ़ा देना चाहिये ; और

(ख) यदि हां, तो यह मामला किस स्थिति में है ?

**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) मध्य भारत सरकार ने दूसरी पंचवर्षीय योजना में इस लाइन के बनाने की सिफारिश की है ।

(ख) अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है ।

**जनता एक्सप्रैस**

**१८१. श्री अमर सिंह डामर** : क्या रेलवे मंत्री १३ मई, १९५४ को दिये गये तारांकित प्रश्न संख्या २४७५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली और बम्बई के बीच जनता एक्सप्रैस चलाने के प्रस्ताव पर विचार किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कब तक निर्णय होगा ?

**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) और (ख). दिल्ली और बम्बई सेण्ट्रल के बीच एक जनता एक्सप्रैस गाड़ी चलाने की आवश्यकता तो है लेकिन विशेष रूप से लाइन के खाली न रहने और डिब्बों तथा इंजनों की बेहद कमी के कारण यह गाड़ी अभी नहीं चलायी जा सकती ।

**बिना टिकट यात्रा**

**१८२. श्री अमर सिंह डामर** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि पश्चिम रेलवे के कोटा और गोधरा रेलवे स्टेशनों के बीच बिना टिकट यात्रा करने वालों को दंड देने के लिये एक चलते फिरते मजिस्ट्रेट की नियुक्ति की गई है ?

**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : दो रेलवे मजिस्ट्रेट नियुक्त किये गये हैं ; एक गोधरा-अनास सेक्शन के लिये, जिसमें गोधरा और अनास स्टेशन भी शामिल हैं और दूसरा नाहरगढ़-शामगढ़ सेक्शन के लिए, जिसमें नाहरगढ़ और शामगढ़ भी शामिल हैं लेकिन सुवासरा शामिल नहीं हैं ।

**रतलाम जंकशन**

**१८३. श्री अमर सिंह डामर** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम रेलवे के रतलाम जंकशन के प्लेटफार्म पर शैड बनाने के सम्बन्ध में स्थानीय संस्थाओं और व्यक्तियों से सरकार को अभ्यावेदन मिले हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उसके बारे में क्या निर्णय हुआ है ;

**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) यह पता नहीं लगता कि अभी हाल में इस तरह का कोई आवेदन-पत्र मिला है ।

(ख) सवाल नहीं उठता ।

**रेलवे कर्मचारियों द्वारा न्यायालयों में चलाये गये मुकदमे**

**१८४. चौधरी मुहम्मद शफी** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५४ तथा १९५५ में रेलवे कर्मचारियों द्वारा रेलवे विभाग के विरुद्ध न्यायालयों में खंडवार कितने मुकदमे चलाये गये ;

(ख) उनमें से कितने मुकदमों का निर्णय न्यायालयों द्वारा विभाग के विरुद्ध किया गया है, वे किस प्रकार के मामले थे और उनके सम्बन्ध में निर्णय क्या किये गये थे

(ग) इन मामलों के सम्बन्ध में सरकार द्वारा कुल कितनी राशि खर्च की गई है ; और

(घ) उनके लिये कौन कौन से पदाधिकारी उत्तरदायी हैं ;

(ङ) क्या उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है ;

(च) यदि हां, तो क्या ; और

(छ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) से (छ), एक विवरण संलग्न है । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ९]**

**रेलवे अस्पताल**

**१८५ चौधरी मुहम्मद शफी** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १ जनवरी, १९५५ से लेकर अब तक भारत भर के रेलवे अस्पतालों में प्रविष्ट किये गये तपेदिक के रोगियों की संख्या कितनी है ;

(ख) इन पर कुल कितनी राशि खर्च की गई है तथा

(ग) रेलवे कर्मचारियों में से तपेदिक के ऐसे कितने रोगी हैं जो कि रेलवे अस्पतालों में प्रविष्ट नहीं हो सके हैं और उनके नाम अभी तक प्रतीक्षा-सूची पर हैं ?

**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) १,३४७ ।

(ख) लगभग १,३४,६३२ रुपये ।

(ग) ४४१ ।

**गाड़ियों के पायदानों पर यात्रा करना**

**१८६. डा० सत्यवादी** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १ अप्रैल, १९५५ से लेकर ३० सितम्बर, १९५५ तक दिल्ली मुख्य स्टेशन पर गाड़ियों के पायदानों पर यात्रा करने वाले यात्रियों के विरुद्ध कितने छापे मारे गये थे ;

(ख) उक्त कालावधि में कितने व्यक्तियों को दोषी ठहराया गया था ; और

(ग) उन से अर्थ दंड के रूप में कुल कितनी राशि प्राप्त की गई थी ?

**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) ६ ।

(ख) १२ ।

(ग) ३० रुपये ।

**सहकारी समितियां**

**१८७. श्री एम० एल० द्विवेदी** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कृषि उत्पादकों सहकारी समितियों द्वारा निर्यात करने के सम्बन्ध में क्या स्थिति है ; और

(ख) क्या इन सहकारी समितियों द्वारा निर्यात किये गये कृषि उत्पादकों के बदले में इन समितियों को सम्बन्धित देशों से इस देश में आयात की जाने वाली वस्तुओं के आयात करने में सुविधा मिलेगी ?

**खाद्य और कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन)** : (क) सहकारी समितियों को प्याज़, मिर्च, हाथ से उठाई व चुनी मूंगफली, कपास, भेड़ व बकरी, ताड़ गुड़ और ताजी सब्जियां और फलों के निर्यात के व्यापार में भाग लेने के लिये खास रियायत दी गई है। यह रियायत या तो कोटा (अभ्यंश) नियत करके या उनके लिये कोटे पर लगी हुई रुकावटों को कम कर के दी जाती हैं । प्याजी, मिर्च, हाथ से उठाई व चुनी मूंगफली और कच्ची कपास के निर्यात के सम्बन्ध में सहकारी समितियों को राज्य सरकारों की सिफारिश पर अडहोक (तदर्थ) आधार पर कोटा दे दिया गया है । भेड़ और बकरियों के बारे

में सहकारी समितियों से मिली हुई अर्जियों पर उनके गुण दोषों को दृष्टि में रखते हुए विचार किया जाता है । ताड़ गुड़, ताजी सब्जियों और फलों के निर्यात के सम्बन्ध में सहकारी समितियों को भी फ्री लाएसेन्स की सुविधायें दे दी गई हैं ।

(ख) कृषि पदार्थों के निर्यात व्यापार में सहकारी समितियों को खास सुविधायें देने का मुख्य उद्देश्य किसान को उसकी पैदा की हुई चीजों का अच्छा मूल्य दिलाने में सहायता करना है । परन्तु आयात व्यापार में ऐसा मामला नहीं है । तो भी, सहकारी समितियों को उनकी प्रार्थनाओं के आने पर उनकी निर्यात करने वाले देशों से माल आयात करने के लिये सुविधायें देने के प्रश्न पर विचार किया जायेगा ।

### हाथी

१८८. **श्री डी० सी० शर्मा** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५४–५५ में कितने हाथियों का शिकार किया गया ; और

(ख) इस समय भारत में लगभग कुल कितने हाथी हैं ?

**खाद्य और कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन)** : (क) और (ख). जानकारी एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होते ही लोक-सभा के पटल पर रख दी जायेगी ।

### गाड़ियों में अपराध

१८९. **श्री डी० सी० शर्मा** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ३० नवम्बर, १९५५ तक समाप्त होने वाले गत एक वर्ष में उत्तर रेलवे में उच्च श्रेणियों (प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी) में चोरी, लूट, हत्या और डाकों की कितनी घटनायें हुई थीं ?

**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** :

| | |
|---|---|
| चोरियां | ७१ |
| लूट | १ |
| हत्यायें | † |
| डाके | १ |

---

**नोट**:—यह जानकारी ३१-१०-५५ तक समाप्त होने वाले वर्ष की है, ३० नवम्बर, १९५५ तक की जानकारी उपलब्ध नहीं हो सकी है क्योंकि प्रश्न के उत्तर की तिथि १–१२–५५ है ।

### केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद

१९०. **श्री कृष्णाचार्य जोशी :**
**श्रीमती मायदेव :**
**श्री के० सी० सोधिया :**

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनवरी, १९५५ में त्रावनकोर में हुई केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद की तृतीय बैठक में की गई सिफारिशों में से अभी तक कौन कौन सी सिफारिशें कार्यन्वित की गई हैं ।

**स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृतकौर)**: जनवरी, १९५५ में त्रावनकोर में हुई केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद् की तृतीय बैठक में की गई सिफारिशों में से अभी तक निम्नलिखित सिफारिशें कार्यान्वित की गई हैं :—

### संकल्प संख्या २

केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद् जीवन-सम्बन्धी सांख्यकी, स्वास्थ्य कर्मचारियों के प्रशिक्षण, अस्पतालों तथा औषधालयों की संख्या, संक्रामक रोगों पर नियंत्रण रखने के लिये लोक स्वास्थ्य उपायों, प्रथम पंचवर्षीय योजना के अधीन विभिन्न स्वास्थ्य विकास कार्यक्रमों की प्रगति के सम्बन्ध में सांख्यकीय जानकारी तथा समस्त देश में स्वास्थ्य के बारे में की जा रही कार्यवाहियों के सम्बन्ध में अन्य उपयोगी जानकारी देने वाले एक वार्षिक प्रकाशन की उपयोगिता का अनुभव करते

हुए सभी राज्य सरकारों से अनुरोध करती है कि वे इनके सम्बन्ध में जानकारी शीघ्र ही केन्द्रीय स्वास्थ्य मन्त्रालय अथवा स्वास्थ्य सेवाओं के महानिदेशक के पास भेज दें ताकि परिषद् उनके प्रतिवेदनों का अविलम्ब ही संकलन कर सके ।

**संकल्प संख्या ५**

केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद् देश के विभिन्न भागों में आयुर्वेदिक तथा यूनानी कॉलिजों में ४॥ वर्ष के सम्मिलित पाठ्यक्रम का अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों को भैषज्य विज्ञान में दिये जा रहे प्रशिक्षण के स्वरूप का अध्ययन करने और उसके सम्बन्ध में एक प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिये भारत सरकार द्वारा, कार्यकारिणी समिति की सिफ़ारिश पर, पंजाब की स्वास्थ्य सेवाओं के निदेशक, डा० एच० बी० एन० स्विफ्ट की प्रधानता में नियुक्त की गई विशेषज्ञ समिति द्वारा किये गये कार्य की सराहना करती है । परिषद् यह अनुभव करती है कि इस के बारे में अन्तिम निर्णय करने से पूर्व राज्य सरकारों के इस प्रतिवेदन पर अपने विचार प्रकट करने के लिये कहा जाय और उसके उपरान्त इस मामले को परिषद् की कार्यकारिणी समिति को फिर से निर्देशित किया जाये ।

**संकल्प संख्या ६**

केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद यह सिफारिश करती है कि वैद्यों, हकीमों और होम्योपैथी के डॉक्टरों की शिक्षा तथा व्यवसाय के सम्बन्ध में एक समान नीति सूत्रित करने के लिये भारत सरकार एक समिति नियुक्त करे जिसके सभापति सौराष्ट्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्री, श्री दयाशंकर त्रिकमजी दबे हों और उसके सदस्य बम्बई, पश्चिमी बंगाल हैदराबाद, और त्रावनकोर-कोचीन के स्वास्थ्य मंत्री हों । पंजाब की स्वास्थ्य सेवाओं के निदेशक, डा० एच० बी० एन० स्विफ्ट समिति के मंत्री नियुक्त किये जायें और समिति से प्रार्थना की जाये कि वह नियुक्ति की तिथि से लेकर छः मास के अन्दर अन्दर अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करें ।

**संकल्प संख्या ७**

केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद् परिचर्या व्यवसाय की सेवा की शर्तों तथा उपलब्धि आदि का पुनरीक्षण करने के लिये नियुक्त की गई समिति के सभापति, मद्रास सरकार के स्वास्थ्य मंत्री, श्री ए० बी० शैटी, सदस्यों तथा मन्त्री के प्रति असीम कृतज्ञता प्रकट करती है कि उन्होंने इतना बहुमूल्य प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है और इस बात का समर्थन करती है कि विभिन्न राज्य उनकी सिफारिशों को स्वीकार करें ।

**संकल्प संख्या ८**

केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद् कुष्ट रोग के नियंत्रण के लिये नियुक्त की गई समिति द्वारा किये गये कार्य की सराहना करती है और इस सम्बन्ध में अभी तक की गई प्रगति का विशेष रुचि से उल्लेख करती है, परिषद् समिति के सभापति, पश्चिमी बंगाल की सरकार के चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य विभाग के प्राभारी राज्य-मंत्री डा० ए० डी० मकर्जी, के इस सुझाव को स्वीकार करती है कि समस्या की गम्भीरता और महान राष्ट्रीय महत्व को दृष्टि में रखते हुए, समिति को अपना प्रतिवेदन पूर्ण करने के लिये छः मास और दिये जायें ।

**सकल्प संख्या १२**

केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद् इस प्रस्थापना पर विचार करने के उपरान्त कि चिकित्सक तथा सहायक कर्मचारियों के लिये सरकारी सेवा में नियुक्ति के लिये ग्राम्य तथा आदिम जातीय क्षेत्रों में किसी न्यूनतम कालावधि

तक कार्यान्वित करना एक अनिवार्य अर्हता बना दी जाये, यह अनुभव करती है कि चिकित्सक तथा सहायक कर्मचारियों को ग्राम्य क्षेत्रों की ओर आकर्षित करने का अधिक व्यावहारिक उपाय यह है कि उन कर्मचारियों के लिये उपयुक्त निवास स्थान तथा परिवहन की व्यवस्था की जाये, उन्हें अपना व्यवसाय चलाने के लिये पर्याप्त सुविधायें दी जायें और पर्याप्त प्रतिकरात्मक भत्ता दिया जाये । इस लिये परिषद् प्रस्थापना का समर्थन नहीं करती । तथापि परिषद् यह सिफ़ारिश करती है कि ग्राम्य क्षेत्रों में प्राप्त किया हुआ अनुभव सरकारी सेवा में नियुक्त करते समय एक अतिरिक्त अर्हता समझी जाये ।

**संकल्प संख्या १५**

केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद् बड़े खेदपूर्वक अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त की इन सिफ़ारिशों को स्वीकार करने में असमर्थता प्रकट करती है कि पिछड़े हुए क्षेत्रों के निवासियों की और अर्हता प्राप्त व्यक्तियों के द्वारा होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक तथा अन्य प्रकार की औषधियां प्रदान की जायें, हां इस शर्त पर कि प्रयुक्त की जा रही औषधियाँ हानिकारक न हों । परिषद् यह अनुभव करती है कि यह तो पूर्ववर्ती इस निर्णय के प्रतिकूल होगा कि कठ वैद्यैकता को समाप्त कर दिया जाए और ग़ैर अर्हता प्राप्त डाक्टरों को औषधियां निर्धारित करने और दवाईयां देने की अनुमति न दी जाये । इसलिये, परिषद् यह सिफ़ारिश करती है कि पिछड़े हुए क्षेत्रों के लिये चिकित्सा सम्बन्धी सहायता उसी प्रकार से दी जाये जैसे कि इस समय कुछ एक राज्यों के आदिम जातीय क्षेत्रों में दी जा रही है, और यह योजना बनाने से पूर्व राज्य सरकारों द्वारा पिछड़े हुए क्षेत्रों की चिकित्सा सम्बन्धी आवश्यकताओं का एक सर्वेक्षण किया जाय । परिषद् यह आशा करती है कि इस प्रयोजन के लिये केन्द्रीय सरकार पर्याप्त वित्तीय सहायता देगी ।

**संकल्प संख्या १६**

केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद् यह सिफ़ारिश करती है कि राज्य सरकारें चिकित्सा कालिजों में प्रवेश प्रदान करने और प्रति व्यक्ति शुल्क लेने के बारे में अपनी नीति को यथा सम्भव उदार बनाने का प्रयत्न करें, और उन विद्यार्थियों के प्रवेश पर लगाये गये प्रतिबन्धों को हटा दिया जाय, जिन्होंने अपेक्षित स्तर की प्री मैडिकल की शिक्षा प्राप्त कर ली है, चाहे वे किसी भी राज्य के निवासी हों ।

**संकल्प संख्या १७**

केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद् समस्त देश में पर्याप्त विद्यार्थी स्वास्थ्य सेवाओं की कमी पर खेद प्रकट करते हुए और समाज के इस अत्यन्त महत्वपूर्ण वर्ग के लिये पर्याप्त स्वास्थ्य सेवाओं की अविलम्बनीय आवश्यकता का अनुभव करते हुए इस बात की सिफ़ारिश करती है कि सभी राज्य सरकारें अपने स्वास्थ्य विभागों के अधीन विद्यार्थी स्वास्थ्य सेवायें स्थापित करने के सम्बन्ध में शीघ्र ही कार्यवाही करें, ताकि सभी विद्यार्थीगणों की उपयुक्त चिकित्सा के साथ साथ उनकी आहार पुष्टि तथा शारीरिक शिक्षा का भी ख्याल रखा जा सके ।

**संकल्प संख्या १८**

* * *

परिषद् अग्रतर यह सिफारिश करती है कि भारत सरकार संशोधित औषधि अधिनियम को लोक-सभा में पारित कराने के लिये शीघ्र ही कार्यवाही करे ।

**इंजीनियरी कारखाना अरकोणम**

**१९१. श्री नम्बियार** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि अरकोणम (दक्षिण रेलवे) के इंजीनियरिंग कारखाने में, अधीक्षण कर्म-

चारी, वहां के कार्य को देखते हुए अपर्याप्त हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि सरकार को इस सम्बन्ध में, रेलवे कर्मचारी संघ से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने इस मामले में क्या निर्णय किया है ?

**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) सरकार नहीं समझती कि अब अधीक्षण कर्मचारी अपर्याप्त हैं ।

(ख) जी हां ।

(ग) उपरोक्त (क) के आधार पर प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

## दिल्ली में दुग्ध संभरण

१९२. **श्री झूलन सिंह** : क्या **खाद्य और कृषि मंत्री**, १७ अगस्त, १९५५ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ८५१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली राज्य सरकार के किसी अभिकरण से दिल्ली दुग्ध संभरण योजना को ले लेने का प्रस्ताव किया गया है ;

(ख) क्या उत्तर प्रदेश सरकार मेरठ सहकारी दुग्ध संभरण यूनियन लिमिटेड, मेरठ, से किसी प्रकार सम्बन्धित है ; और

(ग) उक्त यूनियन के साथ किये गये समझौते के निबन्धनों के अनुसार केन्द्रीय सरकार को देय कुल धनराशि कितनी है ?

**खाद्य और कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन)**: (क) जी हां । नवम्बर, १९५४ में, दिल्ली राज्य सरकार को एक प्रस्ताव भेजा गया था, परन्तु राज्य सरकार से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था ।

(ख) एक विवरण संलग्न है । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या १०]**

(ग) लगभग ३.०७ लाख रुपये की धनराशि जो कि, ३१ जुलाई, १९५५ तक योजना की आय तथा व्यय का अन्तर है, भारतीय कृषि गवेषणा परिषद को देय है ।

## रेलवे पर लोहे के स्लीपर

१९३. **पंडित डी० एन० तिवारी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेल मार्ग पर लकड़ी के स्लीपर के स्थान पर लोहे के स्लीपर लगाये जा रहे हैं ;

(ख) क्या लोहे के स्लीपर, लकड़ी के स्लीपरों से सस्ते हैं ; और

(ग) प्रत्येक प्रकार के स्लीपर कितने समय चलेंगे ?

**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) सभी मामलों में ऐसा नहीं है ।

(ख) इस आधार पर फैलाई गई औसत वार्षिक लागत के अनुसार कि एक स्लीपर कितने दिनों तक चलता है, तथा ढले हुए लोहे के स्लीपर की वार्षिक लागत लकड़ी के स्लीपरों की तुलना में कम होती है ।

(ग) इस्पात का स्लीपर अनुमानतः रेलमार्ग में ३५ वर्ष तक लगा रहता है तथा ढले लोहे से ४० वर्ष तक काम लिया जा सकता है । विशेष प्रक्रिया द्वारा तैयार न की गई लकड़ी के स्लीपर १२ से १४ वर्ष तक चलते हैं तथा जो स्लीपर विशेष प्रक्रिया द्वारा तैयार की गई लकड़ी के बनाये जाते हैं उनसे १६ से १८ वर्ष तक काम लिया जा सकता है ।

## बी० सी० जी० आन्दोलन

१९४. **श्री डी० सी० शर्मा** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि विभिन्न राज्यों में, १९५५–५६ में, राज्यवार

बी० सी० जी० आन्दोलन पर कितना धन व्यय किया गया है ?

**स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर)** : भारत में बी० सी० जी० टीका आन्दोलन पर तथा केन्द्रीय बी० सी० जी० संस्था तथा बी० सी० जी० टीका प्रयोगशाला गिन्डी, के चालू व्यय पर भारत सरकार द्वारा ४,६७,००० रुपया व्यय किये जाने की आशा है ।

विभिन्न राज्यों द्वारा बी० सी० जी० आन्दोलन पर किये जाने वाले व्यय के सम्बन्ध में जानकारी एकत्रित की जा रही है तथा प्राप्त होने पर सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

## पंजाब में डाक तथा तार घर

**१९५. श्री डी० सी० शर्मा** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ३१ अक्तूबर, १९५५ को पंजाब राज्य में कितने सम्मिलित डाक तथा तार घर थे ;

(ख) ३० नवम्बर, १९५५ को होशियारपुर ज़िले में कितने डाकखाने थे ; और

(ग) ३१ अक्तूबर, १९५५ को पंजाब राज्य में, कितने टेलीफोन एक्सचेंज तथा कनैक्शन थे ?

**संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) ३२६ ।

(ख) २६ सम्मिलित डाक तथा तार घरों के समेत ५३ ।

(ग) क्रमश: ४७ तथा ७,५०३ ।

## चीनी के सम्बन्ध में गवेषणा

**१९६. श्री डी० सी० शर्मा** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५४-५५ में चीनी गवेषणा पर कुल कितना व्यय किया गया ?

**खाद्य और कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन)** : चीनी तथा गन्ने की गवेषणा पर १९५४-५५ में केन्द्रीय सरकार ने २१.३१ लाख रुपया व्यय किया था ।

## रेलवे सेवाओं में अनुसूचित जातियां तथा आदिम जातियां

**१९७. श्री डी० सी० शर्मा** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय उत्तर रेलवे में, विभिन्न वर्गों में कुल कितने अनुसूचित जाति तथा आदिम जाति के कर्मचारी हैं ;

(ख) क्या सरकार ने, इस रेलवे में अनुसूचित जातियां तथा आदिम जातियों के लिये कोई कोटा निर्धारित कर दिया है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या १९५४ का कोटा पूर्ण किया जा चुका है ?

**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) और (ग). एक विवरण संलग्न है । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ११]**

(ख) जी हां ।

## खानों में दुर्घटनायें

**१९८. श्री डी० सी० शर्मा** : क्या **श्रम** मंत्री ३० मार्च, १९५५ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १७०० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी से अक्तूबर, १९५५ की अवधि में, कोयले की खानों में कितनी दुर्घटनायें हुईं ; और

(ख) इनमें कितने कर्मचारी अन्तर्ग्रस्त हुये ?

**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) और (ख). जनवरी १९५५ से सितम्बर, १९५५ तक की अवधि के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्य है तथा नीचे दी जाती है :—

| घातक दुर्घटनाओं की संख्या | गम्भीर दुर्घटनाओं की संख्या | मृत व्यक्तियों की संख्या | घायल व्यक्तियों की संख्या |
|---|---|---|---|
| १६८ | १९२० | २५९ | १९८८ |

**भारतीय मालवाही जहाज़**

१९९. **श्री डी० सी० शर्मा** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारतीय मालवाही जहाज कितने हैं तथा वे कितने मार्गों पर चलते हैं ?

**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : भारतीय मालवाही जहाज़ी बेड़े में ४७३,५४३ कुल पंजीकृत टन भार (जी आर टी) के ११७ जहाज हैं। वे निम्नलिखित व्यापार में लगे हुए हैं :—

| व्यापार | जहाज़ों की संख्या | कुल पंजीकृत टन भार |
|---|---|---|
| (१) तटीय | ८४ | २५२,५८३ |
| (२) समुद्रपार | | |
| (क) भारत/ब्रिटेन/यूरोप | २४ | १६८,८०६ |
| (ख) भारत/फारस की खाड़ी | ३ | ९,८६१ |
| (ग) भारत/आस्ट्रेलिया | २ | १४,४३३ |
| (घ) भारत/जापान/सुदूरपूर्व | २ | १०,७५९ |
| (ङ) भारत/सिंगापुर | १ | ८,५८० |
| (च) भारत/पूर्वी अफरीका | १ | ८,५२१ |
| | ११७ | ४७३,५४३ |

उपरोक्त स्थिति ३१ अक्तूबर, १९५५ को है।

**रेलवे दुर्घटनायें**

२००. **श्री आर० एन० सिंह :**
**श्री डी० सी० शर्मा :**

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १ जनवरी से ३० सितम्बर १९५५ तक की अवधि में कितनी दुर्घटनायें हुईं ;

(ख) गत वर्ष की इसी अवधि के आंकड़ों की तुलना में ये आंकड़े कैसे हैं ;

(ग) क्या सरकार को सभी दुर्घटनाओं के सम्बन्ध में जांच प्रतिवेदन प्राप्त हो चुके हैं ;

(घ) कितने मामलों में व्यक्तियों की गलती तथा यांत्रिक उपकरणों के काम न करने के कारण से दुर्घटनायें हुई थीं ; और

(ङ) इन दुर्घटनाओं के कारणों को दूर करने के लिये क्या कोई कार्यवाही की गई है ?

**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) २६०० रेल दुर्घटनायें ।

(ख) गत वर्ष की इसी अवधि में हुई रेल दुर्घटनाओं की संख्या, जोकि २६८४ थी, की तुलना में १९५५ में हुई रेल दुर्घटनाओं की संख्या कम है ।

(ग) जी हां, केवल १२२ मामलों को छोड़ कर ।

(घ) व्यक्तियों की गलती से :

| | |
|---|---|
| (१) रेलवे कर्मचारी | ९९३ |
| (२) रेलवे कर्मचारियों के अतिरिक्त | ८८ |
| | १०८१ |

यांत्रिक उपकरणों के काम न करने के कारण ९८६ ।

(ङ) सामान्यतः ये कार्यवाहियां की गई हैं :—

दुर्घटना के लिये उत्तरदायी रेलवे कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यसाधक अनुशासनिक कार्यवाही ।

पत्रिकाओं, परिपत्रों, आदि के द्वारा सुरक्षा नियमों के सम्बन्ध में कर्मचारियों को शिक्षा ।

अधीक्षण तथा नियंत्रण को अधिक कड़ा बनाना ।

कर्मचारियों को बार बार चेतावनी देना जिससे कि वे जागरूक तथा सावधान रहें तथा सुरक्षा का अधिक ध्यान रखें ।

प्रशिक्षण स्कूलों में प्रत्यास्मरण पाठ्यक्रमों की व्यवस्था करना ।

स्थायी मार्गों तथा इंजन, डिब्बों आदि की अधिक जांच तथा पद्धतिबद्ध परीक्षण से ।

रेलवे लाइन पर से डिब्बे उतरने सम्बन्धी 'लथाम एण्ड इज़ाक्स' समिति तथा रेलवे दुर्घटना पुनर्विलोकन समिति जो कि दुर्घटना के कारणों की जांच करने तथा इन दुर्घटनाओं को कम करने की कार्यवाहियों पर सिफारिशें करने के लिये नियुक्त की गई थी, के प्रतिवेदन पर उपयुक्त कार्यवाही करना ।

**मध्य प्रदेश में मलेरिया नियंत्रण**

२०१. **श्री के० सी० सोधिया** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम के अधीन मध्य प्रदेश में कितने यूनिट हैं तथा वे किन किन स्थानों पर कार्य कर रहे हैं ;

(ख) इस कार्य के लिये मध्य प्रदेश सरकार को अब तक कुल कितनी सहायता दी गई है ; और

(ग) इस योजना के अन्तर्गत किन विशेष क्षेत्रों में काम हो रहा है ?

**स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर)** : (क) इस समय १२ यूनिट मध्य प्रदेश के नीचे लिखे स्थानों पर काम कर रहे हैं :—

| | |
|---|---|
| (१) खण्डवा | (७) रायपुर |
| (२) अचलपुर | (८) जगदलपुर |
| (३) धर्मजयगढ़ | (९) सोहागपुर |
| (४) मण्डला | (१०) होशंगाबाद |
| (५) चांदा | (११) बिलासपुर |
| (६) बालाघाट | (१२) भंडारा |

(ख) राष्ट्रीय मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम अप्रैल १९५३ में चालू किया गया और तब से मध्य प्रदेश को ६५,६५,५९२ रुपये की सहायता दी गयी ।

(ग) मलेरिया कंट्रोल यूनिट जिन क्षेत्रों में काम कर रहे हैं वे इस प्रकार के हैं :—

(१) राज्य के देहाती क्षेत्र जहां मलेरिया स्वास्थ्य के लिये एक भारी समस्या है ।'

(२) सामुदायिक परियोजना क्षेत्र जो मलेरिया वाली जगहों में हैं, और

(३) वे क्षेत्र जो मलेरिया दूर करने के बाद नगर बसाने और विकास करने लायक हैं ।

**मद्रास में काम दिलाऊ दफतर**

२०२. **श्री आई० ईयाचरण** : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अक्तूबर, १९५४ से सितम्बर १९५५ तक मद्रास राज्य के काम दिलाऊ दफतरों में नौकरी के लिये कितने अनुसूचित जातियों के अभ्यर्थी पंजीबद्ध किये गये ; और

(ख) उपरोक्त अवधि में, कितने अभ्यर्थियों को काम दिलाया गया ?

**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** (क) १७,५९१ ।

(ख) २,७९६ ।

**रेलगाडियों में डकतियां**

२०३. **श्री आर० एन० सिंह** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) भारत में १ जनवरी से ३० सितम्बर १९५५ तक की अवधि में, रेलगाड़ियों में कुल कितनी डकैतियां हुईं ;

(ख) इन से, कितने व्यक्ति मरे तथा सम्पत्ति की कुल कितनी हानि हुई ;

(ग) गत वर्ष की इसी अवधि के आंकड़ों की तुलना में ये आंकड़े कैसे हैं ; और

(घ) इस सम्बन्ध में कितने व्यक्ति पकड़े गये तथा कितनों को दोषी ठहराया गया ?

**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) से (घ).

| | १९५५ | १९५४ |
|---|---|---|
| डकैतियों की संख्या | १९ | ११ |
| मृतकों की संख्या | ४ | ३ |
| सम्पत्ति की हानि | २,४८० रु० | ३,२५६ रु० |
| पकड़े गये व्यक्तियों की संख्या | ५४ | ७६ |
| दोषी ठहराये गये व्यक्तियों की संख्या | ६ | २ |
| पुलिस की जांच में | १४ | † |
| दोष प्रमाणित नहीं हो सके | ५ | ८ |
| छोड़ दिये गये | ४ | ४६ |
| परीक्षणाधीन | २५ | २० |
| | ४८ | ७४ |

**बिना लाइसेंस के रेडियो सैट**

२०४. **श्री एस० के० रजमी** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्राप्य जानकारी के अनुसार चालू वर्ष में बिना लाइसेंस के रेडियो सैट रखने के कितने मामलों का पता चला था ?

**संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर)** : १ जनवरी, १९५५ से ३० जून, १९५५ तक ऐसे ८६३८ मामलों का पता चला था ।

**पूर्वोत्तर रेलवे**

२०५. **श्री विश्व नाथ राय** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दूसरी पंच वर्षीय योजना के अधीन पूर्वोत्तर रेलवे की मुख्य लाइन पर नई गाड़ियां चलाने के सम्बन्ध में क्या कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ?

**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : जी हां ।

## राष्ट्रीय राजपथ

२०६. **श्री इब्राहीम** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूसरी पंच वर्षीय योजना की अवधि में बिहार में राष्ट्रीय राजपथ के जिन भागों के निर्माण और विकास का प्रस्ताव है उसकी लम्बाई क्या है और उसका कितना भाग रांची जिले में होगा ; और

(ख) इन सड़कों को ईंटों की गिट्टी या पत्थर के टुकड़ों से बनाने पर प्रति मील खर्च का प्राक्कलन क्या है ?

**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) दूसरी पंच वर्षीय योजना के अधीन राष्ट्रीय राजपथ के विकास कार्यक्रम का ब्योरा अभी अन्तिम रूप से तय नहीं हुआ है । विचाराधीन प्रस्तावों के अनुसार बिहार में राष्ट्रीय राजपथ के जिन विभागों का निर्माण और विकास होगा उनकी लम्बाई इस प्रकार है :

नई सड़कों का निर्माण——३२५ मील (जिन में से ४५ मील राची जिले में होंगे) ।

वर्तमान सड़क का विकास——२८५ मील (जिनमें से ५ मील रांची जिले में होंगे) ।

(ख) किसी सड़क का निर्माण खर्च, उसके स्थान, भूमि के स्वरूप, विशेष-विवरण, परिवहन मार्ग की चौड़ाई, और सड़क के आर पार जल-निस्सारण कार्यों आदि पर निर्भर है । इसलिये ऐसी कोई औसत दर बताना कठिन है जो सारे बिहार पर लागू हो सके । यदि तलना के दृष्टीकोण से कोई विशेष जिला लिया जाए जैसे कि मुज्फ़रपुर जिला लो यहां पर यदि ऐसी सड़क बनाई जाए जिस पर कोलतार बिछा हो और जिसकी चौड़ाई इतनी हो कि एक समय में एक ही गाड़ी आ जा सके तो ऐसी सड़क के प्रति मील निर्माण पर ईंटों की गि ी उपयोग की जाए तो १,१२,००० रुपये और यदि पत्थर के टुकड़े उपयोग किये जाएं तो १,२५,००० रुपये खर्च होंगे ।

## तार संदेश

२०७. **श्री इब्राहीम** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रत्येक राज्य में, प्रथक रूप से, १ जुलाई से ३१ अक्तूबर, १९५५ तक ऐसे मामलों की संख्या क्या थी जिन में, काम के आम दबाव के अधीन, जिन व्यक्तियों को तार भेजे गये उन्हें ये तार संदेश ७२ घंटे पश्चात् मिले ?

**संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर)** : आम तौर पर यह विवरण रखे नहीं जाते इस कारण अपेक्षित जानकारी प्राप्त नहीं है । भारत के लगभग ५००० तारघरों से इस जानकारी को इकट्ठा करने में बहुत से लिपिकों को बहुत समय तक श्रम करना पड़ेगा । इस के अतिरिक्त जुलाई और अगस्त के महीनों के प्रारूप प्राप्य नहीं हैं और उन्हें वर्तमान नियमों के अनुसार अब नष्ट किया जा चुका है ।

## डाक और तार विभाग

२०८. **श्री इब्राहीम** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारतीय डाक और तार विभाग को १९५४-५५ में १९४७-४८ की तुलना में इन शीर्षों में से प्रत्येक पर कितनी रकम की हानि उठानी पड़ी :——

(१) अभिदाताओं द्वारा ट्रंक कौल की रकम की अदायगी न करना;

(२) बीमा हुई वस्तुओं और मनी आर्डरों के खो जाने पर जनता को दिया गया प्रतिकर ; और

(३) डाक कर्मचारियों द्वारा गबन

**संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर)** :

| | १९४७–४८ रु० | १९५४–५५ रु० |
|---|---|---|
| (१) | ७७५ | १५,२०० |
| (२) (क) बीमा हुई वस्तुओं के सम्बन्ध में प्रतिकर– | ६५,४२३ रु० (लगभग) | १६८,२१२ रु० (लगभग) |
| (ख) मनीआर्डर सम्बन्धी जालसाज़ी के कारण हानि | २८,९६३ रु० (लगभग) | ११३,१६८रु० (लगभग) |
| (मनी आर्डर गुम होने के कारण कोई प्रतिकर नहीं दिया जाता परन्तु एक दूसरा मनी आर्डर जारी किया जाता है) | | |
| (३) | ८३,९०० रु० | ६,१५,३००रु० |

जो आंकड़े (२) में दिए गए हैं उन में आसाम खण्ड के आंकड़े शामिल नहीं हैं । वहां से जानकारी अभी प्राप्त नहीं हुई ।

**केन्द्रीय ट्रैक्टर संगठन**

२०९. **श्री गिडवानी** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ३१ मार्च, १९५४ को केन्द्रीय ट्रैक्टर संगठन के पास अन्तिम शेष कितना था ;

(ख) १९५४–५५ में केन्द्रीय ट्रैक्टर संगठन द्वारा कितने मूल्य की सामग्री खरीदी गई ; और

(ग) ३१ मार्च, १९५५ को सामग्री के अन्तिम शेष का मूल्य क्या था ?

**खाद्य और कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन)** : (क) रु० १,६१,२१,६३२–०–०

(ख) रु० ४९,२५,८४२–०–०

(ग) रु० १,५९,४५,२९५–०–०

(१९५४–५५ के आंकड़ों की अभी लेखा परीक्षा की जानी है) ।

**काम दिलाऊ दफ्तर**

२१०. **श्री गिडवानी** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५४–५५ में काम दिलाऊ दफ्तरों के अभिकरण द्वारा नौकरियां ढूंढने वालों में से कुल कितने व्यक्तियों को नौकरियां मिली थीं ; और

(ख) १९५४–५५ में काम दिलाऊ दफ्तरों और दूसरे सम्बन्धित विभागों पर कुल कितनी रकम खर्च हुई थी ?

**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** :

(क) १,६०,९५२

(ख) ४९.९६ लाख रुपये (लगभग)

**सड़क दुर्घटनाएं**

२११ **श्री डी० सी० शर्मा** :
**सरदार इकबाल सिंह** :

क्या **परिवहन** मंत्री २७ सितम्बर, १९५५ को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या ११७, के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १ अप्रैल, १९५५ से अबतक दिल्ली में हुई सड़क दुर्घटनाओं की संख्या क्या है ; और

(ख) इन में से कितनी दुर्घटनायें घातक सिद्ध हुई ?

**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) ६७५)*।

(ख) ५४*

**चितरंजन रेलवे इंजिन का कारखाना**

२१२. **श्री बी० डी० शास्त्री** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चितरंजन रेलवे इंजिन के कारखाने में अब तक प्रति वर्ष कितने इंजिन तैयार हुए हैं ; और

(ख) वहाँ किस किस्म के इंजिन तैयार हुए हैं ?

**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क)

| साल | कितने इंजिन बने |
|---|---|
| अक्तूबर १९५० से मार्च १९५१ तक | ७ |
| १९५१–५२ | १७ |
| १९५२–५३ | ३३ |
| १९५३–५४ | ६४ |
| १९५४–५५ | ९८ |
| १९५५–५६ (१–४–५५ से ३१–१०–५५ तक) | ७० |

(ख) 'डब्ल्यू जी' नमूने के बड़ी लाइन के मालगाड़ी के इंजन ।

**डाक और तार कर्मचारियों के क्वार्टर**

२१३. **श्री डी० सी० शर्मा** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब हल्के (सर्कल) ने डाक और तार विभाग के कर्मचारियों (श्रेणी ३ और ४) को रहने के लिये मकान दिये जाने के सम्बन्ध में क्या कार्यवाहियों की गई हैं;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में कोई कार्यक्रम तैयार किया गया है ;

(ग) वहाँ पर श्रेणी ३ और ४ कर्मचारियों की वर्तमान संख्या क्या है ; और

(घ) जिन कर्मचारियों को अबतक क्वार्टर दिए जा चुके हैं उनकी औसत क्या है ?

**संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर)**: (क) हल्का (सर्कल) में पंच वर्षीय योजना के अधीन विभिन्न स्थानों पर अब तक श्रेणी ३ के कर्मचारियों लिये क्वार्टर की १९४ इकायों और श्रेणी ४ कर्मचारियों के लिये १५३ इकायों बन ई जा चुकी हैं । इस के अतिरिक्त चालू वित्तीय वर्ष के अन्त से पूर्व श्रेणी ३ और ४ प्रत्येक के कर्मचारियों के लिये १२ इकायों के निर्माण का प्रस्ताव है यथासमय और अधिक क्वार्टरों के निर्माण का प्रस्ताव है ।

(ख) जी हाँ ।

(ग) श्रेणी ३—९६५८

श्रेणी ४—३५१२

(घ) श्रेणी ३ के लगभग ४.१ प्रतिशत और श्रेणी ४ के १८.८ प्रतिशत कर्मचारियों को वैभागिक क्वार्टर दिये जा चुके हैं ।

**नल जल संभरण**

२१४ { **ठाकुर युगल किशोर सिंह** : **बाबू राम नारायण सिंह** : **श्री अस्थाना** :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार राज्य ने एतिहासिक महत्व के स्थानों, तीर्थ स्थानों, आदि के लिये नलों के जल की सुविधाएं देने के सम्बन्ध में योजनाएं प्रस्तुत की हैं ;

(ख) इन स्थानों के नाम क्या हैं :

(ग) योजनाओं के खर्च का प्राक्कलन क्या है ; और

(घ) कितने समय में इन योजनाओं के पूरा होने की आशा है ?

*यह आँकड़े १५ नवम्बर, १९५५ तक की दूर्घटनाओं के हैं ;

**स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर)** : (क) जी हाँ ।

(ख) राजगिर, बौद्धगया, सिंहेश्वर स्थान, बैसुकीनाथ और आरेराज

(ग) और (घ) एक विवरण संलग्न है जिस में प्रत्येक योजना का प्राक्कलित खर्च और साथ ही जितनी अवधि में योजनाओं के पूरा होने की सम्भावना है, चर्चा है, (**देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या १२**)

**बिहार में कुष्ठ नियंत्रण इकाइयाँ (युनिट्स)**

२१५. **ठाकुर युगल किशोर सिंह** :
**बाबू रामनरायण सिंह** :
**श्री अस्थाना** :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) बिहार में जिन स्थानों पर कुष्ट नियंत्रण इकाइयाँ (यूनिट्स) कार्य कर रहीं हैं उन के नाम क्या हैं ;

(ख) विभिन्न मदों पर प्रत्येक इकाई की संस्थापन व्यय क्या है ;

(ग) प्रत्येक नियंत्रण इकाई में कर्मचारी कितने हैं और किस किस श्रेणी के हैं ; और

(घ) प्रत्येक इकाई को जो उपकरण और दूसरी वस्तुएं दी जाती हैं उनका स्वरूप क्या है ?

**स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर)**: (क) कुष्ठ नियंत्रण योजना के अधीन इस समय बिहार में तीन सहायक केन्द्र कार्य कर रहे हैं । यह सिंहभूम जिले में चक्रधरपुर और गामारियाह स्थानों पर और मानभूम ज़िले में हूरा स्थान पर स्थित हैं ।

(ख) से (घ) एक विस्तृत विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है (**देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या १३**)

**अहमदाबाद - कालोल रेलवे लाइन**

२१६. **श्री तुलसी दास** : क्या **रेलवे** मंत्री २७ सितम्बर, १९५५ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या २१८८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या दोहरी रेलवे लाइन बनाने की इस योजना का, रेलवे की दूसरी पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत मेहसाना तक विस्तार करने का प्रस्ताव है ।

**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : यह प्रस्ताव विचाराधीन है ।

[गुरुवार, १ दिसम्बर, १९५५]

## प्रश्नों के मौखिक उत्तर


| ता० प्र० संख्या | विषय | स्तम्भ |
|---|---|---|
| ३१३ | बून्देल खंड़ रेलवे लाईन | ४२०१—०३ |
| ३१५ | अखिल भारतीय चिकित्सा संस्था, नई दिल्ली | ४२०३—०५ |
| ३१६ | खाद्यान्नों के मूल्य | ४२०५—०६ |
| ३१७ | अन्दमान तथा निकोबार द्वीपसमूह में डाक तथा तार घर | ४२०६—०८ |
| ३१९ | छुट्टी तथा स्वास्थ्य सुधार गृह | ४२०८—०९ |
| ३२० | हावड़ा बर्दवान के बीच बिजली से गाड़ी चलाने की योजना | ४२०९—१० |
| ३२२ | रेलवे में भोजन व्यवस्था | ४२१०—१२ |
| ३२३ | तेल से समुद्र का गंदा होना | ४२१२ |
| ३२४ | भूतपूर्व सैनिक कर्मचारी | ४२१३ |
| ३२७ | दरभंगा में तारघर | ४२१३—१५ |
| ३२८ | जलालपुर और ससभूसा के बीच एक स्टेशन का खोला जाना | ४२१५—१६ |
| ३२९ | स्थानीय स्वायत्त शासन | ४२१६—१७ |
| ३३० | कोयला खान कल्याण संगठन | ४२१८—१९ |
| ३३२ | चीनी के कारखाने | ४२२०—२२ |
| ३३३ | प्लास्टिक शल्य चिकित्सा | ४२२२—२३ |
| ३३४ | पटसन उत्पादन | ४२२३—२४ |
| ३३५ | इंजन | ४२२४—२६ |
| ३३६ | नलकूप | ४२२६—२७ |
| ३३८ | प्लेटफार्म टिकट | ४२२८—२९ |
| ३३९ | कर्मचारी भविष्य योजना | ४२२९—३१ |
| ३४१ | गाड़ियों का रोका जाना | ४२३१—३२ |
| ३४२ | रेलवे पुल | ४२३२—३४ |
| ३४३ | पूर्वोत्तर रेलवे पर माल के डिब्बों के जोड़ने के लिये प्रांगण | ४२३४—३६ |
| ३४५ | कामदिलाऊ दफ्तर प्रशिक्षण संगठन | ४२३६—३७ |
| ३४६ | टाटा इंजीनियरिंग तथा रेल इंजिन समवाय (टेकको) इंजिन तथा बायलर | ४२३७—४० |
| ३४७ | अपना माल डिब्बा आन्दोलन | ४२४० |
| ३४९ | चीनी | ४२४१—४२ |
| ३५० | कादर-चिक मयालू सकलेशपुर लाईन का परिमाप | ४२४२ |
| ३५१ | भारतीय रेड क्रास सोसायटी | ४२४३—४४ |
| ३५२ | उड़ीसा में चीनी के कारखाने | ४२४४—४५ |

प्रश्नों के लिखित उत्तर ४२४५—९८


| ता० प्र० संख्या | विषय | स्तम्भ |
|---|---|---|
| ३१४ | टेलीफोन एक्सचेंज और सार्वजिनक टेलीफोन | ४२४५—४६ |
| ३१८ | बिना टिकट यात्रा | ४२४६ |
| ३२१ | अन्तर्राष्ट्रीय किसान युवक विनिमय कार्य क्रम . . | ४२४६—४७ |
| ३२५ | बाढ़ से रेलों को क्षति | ४२४७—४८ |
| ३२६ | राष्ट्रीय राजपथ | ४२४८ |
| ३३१ | मालियों के लिये प्रशिक्षण केन्द्र . | ४२४९ |
| ३३७ | गोदी श्रमिक जांच समिति . | ४२४९ |
| ३४० | राज्य परिवहन उपक्रम | ४२४९—५० |
| ३४४ | बालनगिर-टिटिलागढ़ रेलवे लाईन . | ४२५०—५१ |
| ३४८ | राजस्थान में नलकूप . | ४२५१—५२ |
| ३५४ | अमरीका से खाद्यान्न उपहार . | ४२५२ |
| ३५५ | जल परिवहन बोर्ड . | ४२५२—५३ |
| ३५६ | डाक तार कर्मचारी संघ | ४२५३ |
| ३५७ | एशियाई प्रादेशिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम | ४२५४ |
| ३५८ | कुनैन सम्मेलन . | ४२५४—५५ |
| ३५९ | मार्ग-परिवहन | ४२५५ |
| ३६० | रेलों का राष्ट्रीयकरण | ४२५५—५६ |
| ३६१ | राष्ट्रीय राजपथ . | ४२५६ |
| ३६२ | चिकना, पूर्वोत्तर रेलवे पर फ्लैग स्टेशन | ४२५७ |
| ३६३ | मुर्गीपालन . | ४२५७—५८ |
| ३६४ | रात्रि विमान सेवायें . | ४२५८ |
| ३६५ | सीमेंट उद्योग में मजूरी | ४२५९ |
| ३६६ | कैंसर (यथार्बुद) | ४२५९ |
| ३६७ | रेलवे रियायतें | ४२५९ |
| ३६८ | सर्वत्र अमरीका विप्रेषण सहकारिता संघ . | ४२६० |
| ३६९ | कोयला खान भविष्य निधि अधिनियम १९४८ . . | ४२६१ |
| ३७० | मक्खियां . . | ४२६१—६२ |
| ३७१ | अन्तर्राष्ट्रीय गेंहूं सम्मेलन . | ४२६२ |
| ३७२ | इमारती लकड़ी को सुखाकर तैयार करने का संयंत्र . | ४२६२—६३ |
| ३७३ | औद्योगिक मजूरी तथा लाभ . | ४२६३ |
| ३७४ | नौवहन . | ४२६३—६४ |
| ३७५ | हावड़ा बर्दमान विद्युती-करण योजना . | ४२६४ |
| ३७६ | यंत्रों द्वारा मछली पकड़ना . . | ४२६५ |
| ३७७ | औद्योगिक विवाद . | ४२६५ |

प्रश्नों के लिखित उत्तर-- (क्रमशः)


| आ० प्र० संख्या | विषय | स्तम्भ |
|---|---|---|
| १७१ | टी० टी० (यात्रा टिकट परीक्षक) | .४२६६ |
| १७२ | स्टेशनों को टेलीफोन से मिलाना | .४२६६—६७ |
| १७३ | केन्द्रीय ट्रैक्टर संगठन | .४२६७ |
| १७५ | दिल्ली मद्रास जनता एक्सप्रैस . | .४२६८ |
| १७६ | कोयला ले जाने के मालगाड़ो के डिब्बे (वैगन) | .४२६८—६९ |
| १७७ | छोटी सिंचाई योजनायें | ४२६९ |
| १७८ | खाद्यान्न . | .४२६९ |
| १७९ | भारतीय उपज कैलेंडर . | .४२७० |
| १८० | मध्य भारत में नई रेलवे लाईन | .४२७०—७१ |
| १८१ | जनता एक्सप्रैस | .४२७१ |
| १८२ | बिना टिकट यात्रा | .४२७१—७२ |
| १८३ | श्री रतलाम जंकशन | .४२७२ |
| १८४ | रेलवे कर्मचारियों द्वारा न्यायालयों में चलाय गये मुकद्दमे | .४२७२—७३ |
| १८५ | रेलवे अस्पताल | .४२७३ |
| १८६ | गाड़ियों के पायदानों पर यात्रा करना | .४२७३—७४ |
| १८७ | सहकारो समितियां | .४२७४—७५ |
| १८८ | हाथी | .४२७५ |
| १८९ | गाड़ियों में अपराध | .४२७५—७६ |
| १९० | केंद्रीय स्वास्थ्य परिषद् | ४२७६—८० |
| १९१ | इंजोनियरी कार-खाना, अरकोणम | .४२८०—८१ |
| १९२ | दिल्ली में दुग्ध संभरण | ४२८१—८२ |
| १९३ | रेलवे पर लोहे के स्लीपर | .४२८२ |
| १९४ | बो० सी० जी० आंदो-लन | .४२८२—८३ |
| १९५ | पंजाब में डाक तथा तारघर . | .४२८३ |
| १९६ | चीनी के सम्बन्ध में गवेषणा . | .४२८३—८४ |
| १९७ | रेलवे सेवाओं में अनु-सूचित जातियां तथा आदिम जातियां | .४२८४ |
| १९८ | खानों में दुर्घटनायें | .४२८४—८५ |
| १९९ | भारतीय मालवाही जहाज | .४२८५—८६ |
| २०० | रेलवे दुर्घटनायें | .४२८६—८८ |
| २०१ | मध्य प्रदेश में मले-रिया नियंत्रण | .४२८८—८९ |
| २०२ | मद्रास में काम दिलाऊ दफ्तर | .४२८९ |
| २०३ | रेलगाड़ियों में डकै-तियां | .४२८९—९० |

प्रश्नों के लिखित उत्तर-(क्रमशः)


| ता० प्र० संख्या | विषय | स्तम्भ |
|---|---|---|
| २०४ | बिना लाइसेंस के रेडियो सैट. | ४२९० |
| २०५ | पूर्वोत्तर रेलवे | ४२९० |
| २०६ | राष्ट्रीय राजपथ | ४२९१—९२ |
| २०७ | तार सन्देश | ४२९२ |
| २०८ | डाक और तार विभाग | ४२९२—९३ |
| २०९ | केन्द्रीय ट्रैक्टर संगठन | ४२९३—९४ |
| २१० | काम दिलाऊ दफ्तर | ४२९४ |
| २११ | सड़क दुर्घटनायें | ४२९४—९५ |
| २१२ | चितरंजन रेलवे इंजिन का कारखाना | ४२९५ |
| २१३ | डाक और तार कर्मचारियों के क्वाटर | ४२९५—९६ |
| २१४ | नल जल संभरण | ४२९६—९७ |
| २१५ | बिहार में कुष्ठ नियंत्रण इकाइयां | ४२९७—९८ |
| २१६ | अहमदाबाद कालोल रेलवे लाइन | ४२९८ |


GIPND—LS III—412 LSD—22-8-57—190

# लोक-सभा

## वाद-विवाद

गुरुवार,
१ दिसंबर, १९५५

(भाग २—प्रश्नोत्तर क अतिरिक्त कार्यवाही)

खंड ९, १९५५

(२१ नवम्बर स ९ दिसम्बर, १९५५)

1st Lok Sabha

ग्यारहवां सत्र, १९५५,
(खंड ९ में अंक १ से १५ तक है)
लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली

स्तम्भ

**संख्या १—सोमवार, २१ नवम्बर, १९५५**


| | |
|---|---|
| विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति | ५६४३–४४ |
| सभा-पटल पर रखे गये पत्र | ५६४४–४७ |
| अन्तर्राज्यिक जल विवाद विधेयक | ५६४७ |
| नदी बोर्ड विधेयक | ५६४७ |
| व्यवहार प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक | ५६४८ |
| नागरिकता विधेयक | ५६४८, ५७१७ |
| संविधान (पांचवां संशोधन) विधेयक | ५६४८–४९ |
| संविधान (छठा संशोधन) विधेयक | ५६४९ |
| समवाय विधेयक | ५६४९–५३ |
| नागरिकता विधेयक | |
| मुद्रणालय तथा पुस्तक पंजीयन (संशोधन) विधेयक— | |
| विचार करने का प्रस्ताव | ५६५४–५७१७ |
| खंडों पर विचार—खंड २ से १९ | ५७१७–४६ |
| दैनिक संक्षेपिका | ५७४७ |


**संख्या २—मंगलवार, २२ नवम्बर, १९५५**


| | |
|---|---|
| स्थगन प्रस्ताव— | |
| बम्बई की स्थिति | ५७५१ |
| सभा पटल पर रखे गये पत्र | ५७५२ |
| मोटर गाड़ी (संशोधन) विधेयक | ५७५२ |
| मुद्रणालय तथा पुस्तक पंजीयन (संशोधन विधयक)— | |
| खंड १९ | ५७५२–५५ |
| संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव | ५७५५ |
| समवाय विधेयक | ५७५५–७३ |
| भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) विधेयक— | |
| विचार करने का प्रस्ताव | ५७७३–५८१० |
| खंड २ से ५ और १ | ५८१०–१९ |
| संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव | ५८१९–२७ |

| | स्तम्भ |
|---|---|
| विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विधेयक—— | |
| संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव | ५८२७–३२ |
| दैनिक संक्षेपिका | ५८३३–३४ |
| **संख्या ३—बुधवार, २३ नवम्बर, १९५५** | |
| स्थगन प्रस्ताव—— | |
| बम्बई की स्थिति . . | ५८३५–४० |
| गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—— | |
| उनतालीसवां प्रतिवेदन . . | ५८४० |
| विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विधेयक—— | |
| संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव | ५८४०–५९१६ |
| दैनिक संक्षेपिका | ५९१७–१८ |
| **संख्या ४—गुरुवार, २४ नवम्बर, १९५५** | |
| पटल पर रखे गये पत्र . . | ५९१९–२१ |
| कार्य मंत्रणा समिति—— | |
| सत्ताईसवां प्रतिवेदन . . | ५९२१ |
| आकाशवाणी के पदाधिकारियों के बारे में विवरण | ५९२१–२२ |
| तारांकित प्रश्न के उत्तर में शुद्धि | ५९२२–२३ |
| विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विधेयक | ५९२३–६०१० |
| विचार करने का प्रस्ताव | ५९२३ |
| खंडों पर विचार . . | ५९८७–६०१० |
| खंड २ . . | ५९८७–९५ |
| खंड ३ और ४ . | ५९८७–९५ |
| खंड ५ . | ५९९५–६०१० |
| दैनिक संक्षेपिका . | ६०११–१४ |
| **संख्या ५—शुक्रवार, २५ नवम्बर, १९५५** | |
| सभा-पटल पर रख गये पत्र . | ६०१५–१६ |
| कार्य मंत्रणा समिति—— | |
| सत्ताईसवां प्रतिवेदन . . . | ६०१६–२१ |
| विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विधेयक——खंड ६ से १२ | ६०२२–५५ |

स्तम्भ

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

उनतालीसवां प्रतिवेदन . ६०५५–५६
रेलों के पुनवर्गीकरण के बारे में संकल्प ६०५६–६१०४
औद्योगिक सेवा आयोग के बारे में संकल्प . ६१०४–०६
दैनिक संक्षेपिका . ६१०७

**संख्या ६—सोमवार, २८ नवम्बर, १९५५**

कार्य मंत्रणा समिति—

अट्ठाइसवां प्रतिवेदन . ६१०९
प्राक्कलन समिति के लिये निर्वाचन . ६१०९–१०
मनीपुर (न्यायालय) विधेयक . . . ६११०
संविधान (सातवां संशोधन) विधेयक . ६११०–१७
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विधेयक . ६११७–४१
खंडों पर विचार . . ६११७
खंड १३ स २६ और १ . . ६१२९
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव . . . ६१२९
प्रतिभूति संविदा (विनिमयन) विधेयक— . . . ६१४१–७५
संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव . . . ६१४१–४२
भारतीय मुद्रांक (संशोधन) विधेयक . . . ६१७५–७९
विचार करने का प्रस्ताव . . . ६१७५
खंडों पर विचार . . . ६१७७
खंड १ से ८ . . . ६१७८
पारित करने का प्रस्ताव . . . ६१७८
कशाघात उत्सादन विधेयक . . ६१७८–६२०४
विचार करने का प्रस्ताव ६१७८
दैनिक संक्षेपिका . ६२०५

**संख्या ७—बुधवार, ३० नवम्बर, १९५५**

स्थगन प्रस्ताव—

अगरतला के राताचेरा ग्राम की स्थिति ६२०७–०८
तारांकित प्रश्न के उत्तर में शुद्धि ६२०९
सभा-पटल पर रखे गये पत्र . ६२०९
लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक . ६२१०–११
लोक प्रतिनिधित्व (द्वितीय संशोधन) विधेयक ६२११

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति— ६२१२

बालीसवां प्रतिवेदन

| | स्तम्भ |
|---|---|
| कार्य मंत्रणा समिति— | |
| अठाइसवां प्रतिवेदन | ६२१२ |
| कशाघात उत्सादन विधेयक | ६२१५—३७ |
| विचार करने का प्रस्ताव | ६२१५ |
| खंड १ से ४ | ६२३७ |
| संविधान (सप्तम संशोधन) विधेयक | ६२१३–१५, ६२३८–८० |
| प्रवर समिति को सौंपने का प्रस्ताव | ६२३८ |
| मनीपुर (न्यायालय) विधेयक | ६२८०–८८ |
| विचार करने का प्रस्ताव | ६२८० |
| दैनिक संक्षेपिका | ६२८९–९२ |
| **संख्या ८—गुरुवार, १ दिसम्बर, १९५५** | |
| सभा-पटल पर रखे गये पत्र | ६२९३–९७ |
| भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) विधेयक | ६२९७ |
| बीमा (संशोधन) विधेयक | ६२९७–९८ |
| संविधान (सातवां संशोधन) विधेयक पर मतदान के सम्बन्ध में प्रश्न | ६२९८–६३०० |
| मनीपुर (न्यायालय) विधेयक | ६३००–१२ |
| विचार करने का प्रस्ताव | ६३०० |
| खंडों पर विचार— | |
| खंड २ से ४६ और १ | ६३११–१२ |
| संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव | ६३१२ |
| रेलवे सामान (अवैध कब्जा) विधेयक | ६३१२–७२ |
| विचार करने का प्रस्ताव | ६३१२ |
| खंडो पर विचार— | |
| खंड २ से ४ और १ | ६३५८–७२ |
| पारित करने का प्रस्ताव | ६३७२ |
| दैनिक संक्षेपिका | ६३७३–७६ |
| **संख्या ९—शुक्रवार, २ दिसम्बर, १९५५** | |
| सभा पटल पर रखे गये पत्र | ६३७७, ६३८४ |
| स्थगन प्रस्ताव— | |
| अगरतला के राताचेरा ग्राम की स्थिति | ६३७८–८१ |
| रेलवे सामान (अवैध कब्जा) विधेयक | ६३८१–८ |

स्तम्भ

तारांकित प्रश्न के उत्तर में शुद्धि . . . ६३८२
भाग 'ग' राज्य (विधियां) संशोधन विधेयक . . ६३८२
दिल्ली (भवन निर्माण कार्यों का नियंत्रण) विधेयक . . ६३८३
अनर्हता निवारण (संसद् तथा भाग "ग" राज्य विधान-मंडल) संशोधन विधेयक . . . . . ६३८३–८४
संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में नागरिकता विधेयक . ६३८४–६४१८
विचार करने का प्रस्ताव . . . . . ६३८५
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति —— चालीसवां प्रतिवेदन . . . ६४१८
भारतीय दंड संहिता (संशोधन) विधेयक . . . ६४१९
भारतीय अन्य प्रधर्म ग्राही (विनियमन तथा पंजीयन) विधेयक . ६४१९–३९
विचार करने का प्रस्ताव . . . . ६४१९
कर्मकार प्रतिकर (संशोधन) विधेयक . . . ६४२९,९२
विचार करने का प्रस्ताव . . . . ६४३९
भारतीय प्रशुल्क (तृतीय संशोधन) विधेयक . . . ६४६२
दैनिक संक्षेपिका . . . . . ६४६३–६६

**संख्या १०—शनिवार, ३ दिसम्बर, १९५५**

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . ६४६७
तारांकित प्रश्न संख्या के उत्तर में शुद्धि . ६४६७–६९
सभा का कार्य . . . . . ६४६९
नागरिकता विधेयक, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में . . ६४६९–६५५६
विचार करने का प्रस्ताव . . . . ६४६९
दैनिक संक्षेपिका . . . . . ६५५७–५८

**संख्या ११—सोमवार, ५ दिसम्बर, १९५५**

राज्य सभा से सन्देश . . . . . ६५५९
हिन्दू उत्तराधिकार विधेयक . . . . ६५५९
अनुपूरक अनुदानों की मांगें, १९५५–५६ . . ६५५९
अतिरिक्त अनुदानों की मांगें, १९५०–५१ . . . ६५६०
संयुक्त राज्य अमरीका के विदेश मंत्री तथा पुर्तगाल के विदेश मंत्री के संयुक्त वक्तव्य के बारे में वक्तव्य . . . ६५६०–६१
नागरिकता विधेयक, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में ६५६१–६६५२
विचार करने का प्रस्ताव . . . ६५६१
खंड २ से १० . . . ६६०३–५२
दैनिक संक्षेपिका . . . . . ६६५३–५४

स्तम्भ

**संख्या १२—मंगलवार, ६ दिसम्बर, १९५५**


सभा पटल पर रखे गये पत्र . . ६६५५–५७

नियम समिति— ६६५७

प्रथम प्रतिवेदन . . . . . ६६५७

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

इकतालीसवां प्रतिवेदन . ६६५७

कार्य मंत्रणा समिति—

उनतीसवां प्रतिवेदन ६६५७–६०

सभा का कार्य

नागरिकता विधेयक . ६६६०–६७१०

खंडों पर विचार . . . ६६६०–१०

खंड ३, ५, ८, १० से १९ और १ संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव . ६६१०

बीमा (संशोधन) विधेयक ६७११–४४

विचार करने का प्रस्ताव . ६७११

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक . . ६७४४

दैनिक संक्षेपिका . . . . ६७४५–४६


**संख्या १३—बुधवार, ७ दिसम्बर, १९५५**


राज्य-सभा से सन्देश . . . . ६७४७–४८

श्रमजीवी पत्रकार (सेवा की शर्तें) तथा विविध उपबन्ध, विधेयक ६७४८

सभा पटल पर रखे गये पत्र . ६७४९

कार्य मंत्रणा समिति—

तीसवां प्रतिवेदन . . ६७४९

उनतालीसवां प्रतिवेदन . . . ६७५०–५४

सभा का कार्य . . . . ६७५४–५५

बीमा (संशोधन) विधेयक— . . ६७५५–६८२०

विचार करने का प्रस्ताव . ६७५५–६८१७

खंड २ से ६ और १ . ६८१३–१०

पारित करने का प्रस्ताव . . . ६८१७–२२

दिल्ली (भवन निर्माण कार्यों का नियंत्रण) विधेयक ६८२०–५७

विचार करने का प्रस्ताव ६८२०–५०

दैनिक संक्षेपिका . ६८५१–५०

**संख्या १४—गुरुवार, ८ दिसम्बर, १९५५**


कार्य मंत्रणा समिति—

तीसवां प्रतिवेदन ६८५३

संविधान (आठवां संशोधन) विधेयक ६८५४–८८

दिल्ली (भवन निर्माण कार्यों का नियंत्रण) विधेयक ६८८८–९९२

विचार करने के लिये प्रस्ताव ६८८२

खंड २ से ३ ६९४४-६२

दैनिक संक्षेपिका ६९६३–९४


**संख्या १५, शुक्रवार, ९ दिसम्बर, १९५५**


राज्य पुनर्गठन आयोग के प्रतिवेदन पर चर्चा करने के बारे में घोषणा ६९६५–७०

अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—मद्रास में तूफान ६९७०–७५

नियम ३२१ के विलम्बन के बारे में प्रस्ताव ६९७५–८४

संविधान (आठवां संशोधन) विधेयक ६९८४–८५

स्वेच्छापूर्वक वेतन परित्याग (करारोपण से विमुक्ति) संशोधन विधेयक ६९८५

सभा का कार्य ६९८५–८६

दिल्ली (भवन निर्माण कार्यों का नियंत्रण) विधेयक ६९८६–७०१७

खंड ४ से २० और १ संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव ७०१७

अनर्हता निवारण (संसद् तथा भाग 'ग' राज्य विधान मंडल) संशोधन विधेयक ७०१७–३५

विचार करने का प्रस्ताव ७०१८

खंड २ और १ ७०३५

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव ७०३५

भारतीय प्रशुल्क (द्वितीय संशोधन) विधेयक तथा भारतीय प्रशुल्क (तृतीय संशोधन) विधेयक ७०३६–४९

विचार करने का प्रस्ताव ७०३६

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

इकतालीवां प्रतिवेदन ७०४९–५०

औद्योगिक सेवा आयोग के बारे में संकल्प ७०५०–७०

सामुदायिक परियोजनाओं और राष्ट्रीय विस्तार सेवा योजनाओं की पड़ताल के लियेएकसमिति की नियुक्ति करने के बारे में संकल्प ७०७०–८८

दैनिक संक्षेपिका ७०८९–९०


---


अनुक्रमणिका (१-४९)

# लोक-सभा

गुरूवार, १ दिसम्बर, १९५५

---

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

## प्रश्नोत्तर

(**देखिये भाग १**)

---

१२ मध्याह्न

## सभा पटल पर रखे गये पत्र

**वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी)** : प्रशुल्क आयोग अधिनियम, १९५१ की धारा १६ की उपधारा (२) के अन्तर्गत मैं निम्न पत्रों की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं :

(१) (क) पिस्टन के पुर्जे इकठ्ठा करने के उद्योग (पिस्टनों, पिस्टन रिंगों और गजन पिनों) पर प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन (१९५५);

(ख) वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय का संकल्प संख्या ७९(१) टी बी/५५/दिनांक २३ नवंबर, १९५५;

(ग) वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या ७९(१) टी बी/५५/दिनांक २३ नवंबर, १९५५; और

(घ) प्रशुल्क आयोग अधिनियम, १९५१ की धारा १६(२) के परन्तुक के अन्तर्गत (क) से (ग) तक में बर्ताये गये अभिलेखों को विहित समय में न रखे जाने के कारण बताने वाला विवरण ।

**[पुस्तकालय में रखे गये । देखिये संख्या एस—४१८/५५]**

(२) (क) आटोमाबाइल स्पार्किंग प्लग उद्योग को संरक्षण जारी रखने के बारे में प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन (१९५५);

(ख) वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय का संकल्प संख्या २१(५) टी बी/५५ दिनांक ३० नवम्बर, १९५५; और

(ग) वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या २१(५) टी बी/५५ दिनांक ३० नवंबर, १९५५।

**[पुस्तकालय में रखे गये, देखियें संख्या एस—४१९/५५]**

[श्री टी० टी० कृष्णामाचारी]

(३) (क) इस्पात बेलिंग हूप्स उद्योग को संरक्षण जारी रखने के बारे में प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन (१९५५);

(ख) वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय का संकल्प संख्या १७(२) टी बी/५५ दिनांक ३० नवंबर, १९५५; और

(ग) वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या १७(२) टी बी/५५ दिनांक ३० नवंबर, १९५५ ।

**[पुस्तकालय में रखे गये । देखिये संख्या एस—४२० ५५]**

(४) (क) मोटर गाड़ी बैटरी उद्योग को संरक्षण जारी रखने के बारे में प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन (१९५५); और

(ख) वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय का संकल्प संख्या ५(१) टी बी/५५ दिनांक ३० नवंबर, १९५५ ।

**[पुस्तकालय में रखे गये । देखिये संख्या एस—४२१/५५]**

(५) (क) एलांय, और विशेष इस्पात उद्योग को संरक्षण जारी रखने के बारे में प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन (१९५५); और

(ख) वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय का संकल्प संख्या १७(४) टी बी/५५ दिनांक ३० नवंबर, १९५५ ।

**[पुस्तकालय में रखे गये । देखिये संख्या एस—४२२/५५]**

(६) (क) कोटेड एब्रेसिव उद्योग को संरक्षण जारी रखने के बारे में प्रशुल्क उद्योग का प्रतिवेदन (१९५५); और

(ख) वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय का प्रस्ताव संख्या १(१) टी बी/५५ दिनांक ३० नवंबर १९५५।

**[पुस्तकालय में रखे गये । देखिये संख्या एस—४२३/५५]**

(७) (क) अलमोनियम उद्योग को संरक्षण जारी करने के बारे में प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन (१९५५); और

(ख) वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय का संकल्प संख्या ३(३) टी बी/५५ दिनांक ३० नवंबर, १९५५ ।

**[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एस—४२४/५५]**

**सिन्दरी फर्टीलाइजर तथा केमिकल लिमिटेड का तृतीय वार्षिक प्रतिवेदन**

**उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी)** : मैं सिन्दरी फर्टीलाइजर तथा केमिकल लिमिटेड के १९५४–५५ के तृतीय वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

**[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये एस—४२५ ५५]**

---

**अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के अड़तीसवें अधिवेशन में गये भारत सरकार के प्रतिनिधि मंडल का प्रतिवेदन**

**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : मैं जेनेवा में, १९५५ में हुये अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के अड़तीसवें अधिवेशन में गये भारत सरकार के प्रतिनिधि मंडल के प्रतिवेदन की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

**[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एस—४२६/५५]**

**श्री टी० बी० विठ्ठल राव** (खम्मम) : प्रतिनिधि मंडल जून में गया था और जुलाई में वापस आया था। प्रतिवेदन को सभा पटल पर रखने में ६ महीने का विलम्ब क्यों हुआ जब कि अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संघ के नियमों के अनुसार इन प्रतिवेदनों को शीघ्रातिशीघ्र सभा पटल पर रखा जाना चाहिए था।

**श्री आबिद अली** : प्रतिनिधि मंडल जुलाई में लौटा था। प्रतिवदन को छपाना पड़ा और ज्यों ही छपी हुई प्रतियां उपलब्ध हो गईं, हम उन्हें सभा पटल पर रख रहे हैं।

---

## भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) विधेयक

**श्री यू० सी० पटनायक** (घुमसुर) : मैं भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) विधेयक पर, जिसे जनता की राय जानने के लिये ३१ जुलाई, १९५५ को परिचालित किया गया था, जनता की राय बताने वाले पत्र संख्या ४ की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

---

## बीमा संशोधन (विधेयक)

**राजस्व और असैनिक व्यय मंत्री (श्री एम० सी० शाह)** : मैं प्रस्ताव करता हूं कि बीमा अधिनियम, १९३८ में अग्रतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय।

**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि बीमा अधिनियम, १९३८ का अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ**

**श्री एम० सी० शाह** : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

---

## विधयक पर मतदान के संम्बन्ध में प्रश्न

अध्यादेश द्वारा विधान बनान कें सम्बन्ध में विवरण

**राजस्व और असैनिक व्यय मंत्री (श्री एम० सी० शाह)** : मैं बीमा (संशोधन) अध्यादेश, १९५५ के प्रख्यापन के कारणों को बताने वाले व्याख्यात्मक विवरण की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं जैसा कि लोकसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम ८९(१) के अन्तर्गत अपेक्षित है। **[देखिये परिशिष्ट, ३ अनुबन्ध संख्या १४–१५]**

---

## आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग करने के सम्बन्ध में औचित्य प्रश्न

**अध्यक्ष महोदय** : औचित्य प्रश्न क्या है ?

**श्री एम० एल० द्विवेदी** (ज़िला हमीरपुर) : कल संविधान (संशोधन) विधेयक पर चर्चा होते समय एक माननीय सदस्य ने दूसरे माननीय सदस्य के लिये बहुत बुरे शब्द का प्रयोग किया। उपाध्यक्ष महोदय ने उन माननीय सदस्य से अपने शब्द वापस लेने के लिये कहा पर उन्होंने वापस नहीं लिया। वह शब्द बहुत ही आपत्तिजनक है। अतः मैं आप का निर्णय चाहता हूं।

**अध्यक्ष महोदय** : मैं सम्पूर्ण बात का परीक्षण करके, और शब्द के अर्थ का पता लगा कर निर्णय *करूंगा।

---

## संविधान (सातवां संशोधन) विधेयक पर मतदान के सम्बंध में प्रश्न

**अध्यक्ष महोदय** : मनीपुर (न्यायालय) विधेयक पर अग्रेतर चर्चा प्रारम्भ करने के पूर्व मैं बताना चाहता हूं कि एक माननीय सदस्य ने संविधान (सातवां संशोधन) विधेयक के सम्बन्ध में एक सूचना दी है। उनका कथन है कि उक्त विधयक पर मतदान के समय वह सभाकक्ष में उपस्थित थे पर सभाकक्ष के भीतर वाले दरवाज़े बन्द क

विधेयक पर मतदान के
सम्बन्ध में प्रश्न

[अध्यक्ष महोदय]

दिये गये जिससे वह अपना मत नहीं दे पाये ।

मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य शायद सभाकक्ष के बाहरी भाग में उपस्थित रहे होंगे । सभाकक्ष में रहने का यह अर्थ नहीं है कि आप सभा में बैठे हुये हैं । विभाजन की घण्टी बज चुकने के बाद तुरन्त ही सभा के दरवाजे बन्द कर दिये जाते हैं और उस समय जो सदस्य सभा भवन में उपस्थित होते हैं वही मत देने के अधिकारी माने जाते हैं । सदस्यों की हैण्डबुक में भी इस सम्बन्ध में उल्लेख किया गया है ।

**श्री फिरोज गांधी** (जिला प्रतापगढ़ पश्चिम व जिला रायबरेली—पूर्व) : उसम लिखा है कि बाहर के दरवाजे बन्द किये जायेंगे, भीतर के नहीं ।

**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य भीतरी दरवाजे और बाहरी दरवाजे का अर्थ ठीक-ठीक समझ नहीं पा रहे हैं । फिर भी, यदि तुरन्त ही वह यह बात पेश करते तो उस पर ध्यान दिया जाता पर अब विभाजन का परिणाम घोषित कर दिया है ।

**रक्षा मंत्री** (**डा० काटजू**) : मत विभाजन का वास्तविक परिणाम क्या रहा ? क्या विधेयक को प्रवर समिति को सौंपने का प्रस्ताव अस्वीकृत रहा ? क्या विधेयक बिल्कुल रद्द हो गया ?

**अध्यक्ष महोदय** : वैसे तो मैं समझता हूं कि इस विधेयक पर ऐसा ही या अन्य कोई भी प्रस्ताव नहीं किया जा सकता । इसका परीक्षण करने के बाद मैं सभा को बताऊंगा और तभी निश्चय करूंगा ।

---

**डा० काटजू** : विधेयक अस्वीकृत नहीं आ है ।

**श्री टी० एन० सिंह** (जिला बनारस—पूर्व): अध्यक्ष महोदय ने कहा कि परिणाम की घोषणा के पूर्व ही यह बात उठाई जानी चाहिए थी । पर भविष्य में ध्यान देने के लिए मैं इस बात का स्पष्टीकरण करना चाहता हूं ।

**अध्यक्ष महोदय** : भविष्य में अक्सर आने पर मैं निर्णय देता रहूंगा ।

**श्री फीरोज गांधी** : पर हम क्या कर सकते थे ? परिणाम घोषित होने के आधे घण्टे बाद तक दरवाजे बन्द थे ।

**राजस्व और रक्षा व्यय मंत्री** (**श्री ए० सी० गुह**) : अध्यक्ष महोदय द्वारा परिणाम घोषित करने के पूर्व ही उनके पास एक चिट भेज दी गयी थी कि १५ सदस्य बाहर खड़े हैं ।

**अध्यक्ष महोदय** : उनके न आ सकने का स्पष्ट कारण यह है कि वे देर से आये थे ।

**श्री ए० सी० गुह** : उन्हें अन्दर आने दिया जाना चाहिए था ।

**अध्यक्ष महोदय** : यदि धोके या अन्य विशेष परिस्थितियों के कारण वह अन्दर न आ सके होते, तो इस बात पर विचार किया जा सकता था पर उनके अन्दर न आ सकने का कारण देर स आना था ।

---

## मनीपुर (न्यायालय) विधेयक

**अध्यक्ष महोदय** : मनीपुर में न्यायिक आयुक्त के न्यायालय और अन्य न्यायालयों की स्थापना के संबंध में श्री दातार द्वारा रखे गये कलके प्रस्ताव पर सभा ३२ मिनट तक अग्रेतर विचार करेगी ।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

**श्री एल० जोगेश्वर सिंह** (आन्तरिक मनीपुर): कल मैं बता रहा था कि मनीपुर

के न्यायिक पराधिकारियों को मनीपुर की भाषा अवश्य आनी चाहिए और इसके बिना न्याय का ठीक कार्य नहीं हो पायगा ।

विधेयक में बताया गया है कि पहाड़ीक्षेत्र में नियुक्त किये जाने वाल प्रशासनिक पदाधिकारियों को व्यवहार न्यायालय के अधिकार भी दिये जायेगें । अतः उन्हें वहां की भाषाओं आदि का ठीक ज्ञान होना आवश्यक ह । इसके लिए सबसे अच्छा उपाय यह है कि मनीपुर के स्नातकों या वकीलों को इस कार्य के लिए प्रशिक्षण दिया जाय और उन्हें ही नियुक्त किया जाय ।

वहां की रूढ़िगत विधियों की जटिलता के स्पष्टीकरण के लिए इस विधेयक में कुछ भी नहीं कहा गया है । मैं समझता हूं उसके लिए एक समिति नियुक्त कर दी जाय ।

१९४९ में अधिकारों के परिवर्तन में वहां के महाराजा तथा राजस्व न्यायाधिकरण के सभी अधिकार वहां के मुख्यायुक्त को दे दिये गये हैं । अतः मुख्यायुक्त को सबसे अधिक न्याय अधिकार प्राप्त हैं ।

मनीपुर के पहाड़ी क्षेत्रों में उपआयुक्त को फांसी की सजा देने का अधिकार है । पर उसका पद हमारे यहां के जिला न्यायाधीश से छोटा होता है । मैं चाहता हूं कि क्या इस विधेयक में इस गड़बड़ी को खतम करने का प्रयत्न किया जायेगा ?

**श्री राधवाचारी** (पेनुकोंडा): खण्ड १३ में मनीपुर के मुख्यायुक्त को यह अधिकार दिये गये हैं कि वह किसी भी वकील–एडवोकेट को वकालत करने की अनुमति दे सकता है, रोक सकता है, और उसे हटा सकता है । पर विधेयक में कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है कि किन अवसरों पर तथा किन-किन कारणों पर वह ऐसा कर सकेगा । अतः बिना किसी रोक क, यह बात खतरनाक सिद्ध होगी ।

**गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार)** : 'उचित कारण' शब्द उसम दिय हुये ह ।

**श्री राघवाचारी** : किसी एक व्यक्ति को इस प्रकार स्वविवक का अधिकार देना ीक नहीं ह । क्योंकि वह मनमानी कर सकता है । दूसरी बात यह है कि विधि जीवी अधिनियम के अन्तर्गत वकालत का पशा करने वालों पर लागू होने वाली सभी शर्तें वहां के वकीलों पर भी लागू होनी चाहिए ताकि मुख्यायुक्त के अधिकारों पर कुछ नियंत्रण रखा जा सके । अन्यथा वहां क सभी वकील उसकी कृपा के भिखारी मात्र ही रहेंग ।

खण्ड १३ के उपखण्ड (२) में कहा गया है कि कोई भी दल अपनी या दूसरों की वकालत भी कर सकती है यदि उसे इस बात का अधिकार हो । यहां तक तो ठीक है कि कोई व्यक्ति स्वयं अपनी वकालत करे पर यह उचित नहीं कि वह दूसरीं की भी ककालत करे । अतः कम से कम इसमें "उसीं मामले में" शब्द और जोड़ दिये जाने चाहिए । पर विधेयक में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है ।

मैं आपको एक घटना बताऊंगा । श्री शिवशंकर पिल्लाई पर ताल्लुक बोर्ड के संबंध में कुछ मुकदमा चल रहा था। वह बोर्ड के सभापति और एक वकील थे । उनके साथ ही अन्य २५ व्यक्तियों पर मुकदमा चल रहा था उन्होंने कहा कि वकील होने की हैसियत से वह अपनी वकालत स्वयं कर सकते हैं और अन्य लोगों के लिए भी खड़ा हो सकता हूं अतः उस मामले में यह विवाद उठा था कि क्या वह अपराधी और वकील दोनों रूपों में खड़े हो सकते हैं ।

अतः कोई भी दल दूसरे दल के लिए वकालत कर सकता है (यह आवश्यक नहीं कि उसी मुकदमें में) यह उपबंध गड़-बड़ पैदा करेगा । पता नहीं सरकार इस विषय में क्या चाहती है । पता नहीं उस स्थान पर वकील नहीं हैं, कम से कम यदि खंड संख्या १३ के उपखण्ड संख्या (२) के अन्त में 'उसी मुकदमे में' ये शब्द जोड़ दिए जाएं तो बात सम्भवतः स्पष्ट हो जायगी ।

**उपाध्यक्ष** महोदय : 'न्यायालय की अनुज्ञा के अतिरिक्त' ये शब्द तो वहां हैं।

**श्री राघवाचारी** : इस खण्ड में ऐसे शब्द तो नहीं हैं ।

**उपाध्यक्ष महोदय** : यदि खण्ड संख्या ३९ के उपखण्ड संख्या ३ को पढ़ें, तो आप को ये शब्द मिलेंगे ।

**श्री राघवाचारी** : परन्तु वे तो केवल असैनिक मुकद्मे में रक्षा की ओर निर्देश करते हैं। खैर यह एक बात है, जो स्पष्ट की जा सकती है ।

मैं तीसरी बात खण्ड संख्या ३ के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं। यदि हम इस खण्ड को पढ़ें तो पता चलता है कि न्यायाक आयुक्त और अपर न्यायिक आयुक्त दोनों सब शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं। यदि 'मुख्य' और 'अपर' सब शक्तियों का प्रयोग कर सकें, तो कभी भी गड़बड़ उत्पन्न हो सकती है। लोग एक न्यायालय के स्थान पर दूसरे न्यायालय में जा सकते हैं।

इन दो बातों के अतिरिक्त मैं विधेयक का स्वागत करता हूं क्योंकि इसका अभिप्राय मनीपुर में एक रूप से न्याय व्यवस्था लागू करने का है। इससे अपेक्षतया अच्छे प्रशासन के होने की सम्भावना है ।

**उपाध्यक्ष महोदय** : समय की सीमा ३२ मिनट है ।

**श्री एस० एस० मोर** (शोलापुर) : संविधान के अधीन अपील इत्यादि का सब से बड़ा न्यायालय उच्चतम न्यायालत है। तो खण्ड संख्या ८ के अनुसार क्या यह न्यायिक आयुक्त का न्यायालय अपील इत्यादि के लिए सबसे उच्च न्यायालय होगा ? यह कैसे हो सकता है ? यह तो एक प्रकार का उच्च न्यायालय है ।

**श्री दातार** : संविधान द्वारा दी गई शक्तियां सर्वोच्च हैं। ये शक्तियां इन शब्दों "इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी दूसरी विधि के द्वारा अन्यथा उपबन्धित स्थिति को छोड़कर" में निहित हैं।

**श्री एस० एस मोरे** : यदि हम यह मानें कि उच्चतम न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय है तो यह कहने का क्या लाभ कि उस विधि के होते हुए यह न्यायालय अपील के लिए सर्वोच्च न्यायालय होगा ।

**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रत्येक मुकद्मे में उच्चतम न्यायालय का सामान्य क्षेत्राधिकार नहीं है।

**श्री एस० एस० मोरे** : संविधान के अनुच्छेद संख्या २२६ के अधीन, उच्च न्यायालयों को आदेश जारी करने की शक्तियां हैं। क्या यह न्यायिक आयुक्त का न्यायालय आदेश जारी कर सकता है ?

**उपाध्यक्ष महोदय** : क्या यह उच्च न्यायालय है ?

**श्री एस० एस० मोरे** : इस बारे में कोई परिभाषा नहीं है । मनीपुर में यह सर्वोच्च न्यायालय होगा । यह उच्च-न्यायालय के स्थान पर ही होगा ।.परन्तु इस पर अनुच्छेद संख्या २२६ लागू नहीं होगी ।

**श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी** (मैसूर): हम सब इस बात पर सहमतहैं कि देश में एक ही विधि और एक ही प्रक्रिया होनी चाहिए। विधि और प्रक्रिया की एकरूपता एक बहुत प्रसीद्ध नियम है । इस विधेयक का अभिप्राय मनीपुर को शेष देश के अधिनियमों से विभिन्न अधिनियम देने का है । क्या यह विधियों की समानता के नियम के जिसे हम स्वीकार करते हैं, विरुद्ध नहीं है ?

इसके अतिरिक्त यह विधेयक अर्द्धन्यायिक और कार्यपालिका पदाधिकारियों को अत्यधिक प्रत्यायोजित शक्तियां प्रदान करता

है। यह विधेयक कार्यपालिका अधिकारियों को न्यायिक शक्तियां देता है। यह न्याय के बुनियादी नियमों के विरुद्ध है।

मैं जानना चाहता हूं कि मनीपुर के लिए विभिन्न नियम, विभिन्न विधियां, विभिन्न प्रक्रिया और विभिन्न नमूना बनाने का विषेश उद्देश्य क्या है? यह कह कर कि आप मनीपुर के लिए विधि को सरल कर रहे हैं, आप मनीपुर की जनता से न्याय को दूर ले जा रहे हैं। यह कह कर कि आप सरल प्रक्रिया दे रहे हैं आप कार्यपालिका के पदाधिकारियों को बहुत शक्तियां दे रहे हैं। इस विधेयक में विभिन्न न्यायालय उपबन्धित हैं और उनके लिए नियम कार्यपालिका के पदाधिकारी बनाएंगे। दण्ड प्रक्रिया संहिता और व्यवहार प्रक्रिया संहिता की बहुत सी धाराओं को मन्त्री जी ने छोड़ दिया है। ऐसा किस लिये किया गया है? क्या इस अधिनियम को प्रस्तुत करने का यह कारण है कि मनीपुर के लोग विधि को नहीं समझते। यह तो भारत के प्रत्येक भाग में है कि जन साधारण विधि की प्राविधिक बातों और प्रक्रिया के नियमों को नहीं समझते। इसका अर्थ यह नहीं कि हम विभिन्न विधियों को लागू करें और सरलता के ही लिए विधियों को सरल बनाएं। ऐसा करना तो लोकतन्त्र और संविधान की भावना के विरुद्ध है।

न्याय व्यवस्थां न्यायशास्त्र के मूल सिद्धान्तों के अनुसार ही होनी चाहिए। कार्यपालिका के पदाधिारियों द्वारा संक्षिप्त रूप से न्याय नहीं किया जाना चाहिए। न्यायपालिका और कार्यपालिका की विभिन्न विभिन्न शक्तियां होनी चाहिएं। शेष भारत के लिए हमने इन नियमों को स्वीकार कर लिया है। हम मनीपुर राज्य पर भी वही नियम क्यों नहीं लागू करते। यह एक बहुत बुरी विधि है। माननीय मंत्री जी को इस विधेयक को वापस ले लेना चाहिए और दूसरे विधान के अनुसार एक नया विधेयक पुरःस्थापित करना चाहिए।

**श्री दातार** : कई माननीय सदस्यों ने इस विधेयक के उपबन्धों को सामान्यतः स्वीकार करते हुए कुछ बातें उठाई हैं। मैं उनका जितना हो सके उतना संक्षिप्त उत्तर देना चाहता हूं।

मनीपुर के माननीय सदस्य श्री जोगेश्वर सिंह ने दो-तीन प्रश्न उठाए हैं। एक तो मनीपुर राज्य के न्यायालयों में प्रयोग की जाने वाली भाषा से संबंधित है। मनीपुर म, न्यायालयों में मनीपुरी और अंगरेजी दो सरकारी भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। जब भी किसी वादी-प्रतिवादी को अंग्रेजी और मनीपुरी कोई भी भाषा न आती हो—क्योंकि आदिम जाति भाषाएं भी हैं—तो न्यायालय से सम्बन्ध असैनिक दुभाषिया कार्यवाही का अनुवाद करता है। मैं माननीय सदस्य को आश्वासन देता हूं कि कार्यवाही का मनीपुरी या उस आदिम जाति भाषा में जो वादी प्रतिवादी प्रयुक्त करते हैं, अनुवाद करके उनको कार्यवाही सदैव समझा दी जाएगी। व्यवहार प्रक्रिया संहिता के जो शीघ्र ही लागू कर दी जाएगी, अधीन मनीपुरी और अंगरेजी मनीपुर की दो सरकारी भाषाऐं बना दी जाएंगीं।

जहां तक स्थानीय रीतियों का सम्बन्ध है, अब भी उनका ही अनुसरण किया जाता है। परन्तु माननीय मित्र श्री जोगेश्वर सिंह का सुझाव विचारणीय है और अतः उनकी बात को मानने के लिए मैं उनकी बात की पूर्ति के लिये एक संशोधन प्रस्तुत कर रहा हूं जिसमें मैं यह स्पष्ट कर दूंगा कि यहां किसी मुकद्दमे या कार्यवाही में किसी न्यायालय के लिए इस अधिनियम के अधीन उतराधिकार, पैतृक-अधिकार, विवाह या जातिगत या किसी धार्मिक प्रथा के प्रश्न पर निर्णय देना अनिवार्य हो, तो वहां वैधानिक अधिनियम के द्वारा परिवर्तित या समाप्त की गई रीति या निजी विधि के अतिरिक्त कोई रीति, यदि कोई विधि या निजी विधि विधि की शक्ति रखनी वाली हो और जो ऐसे मुकद्दमे या कार्यवाही के पक्षों या पक्षों की

[श्री दातार]

सम्पत्ति पर लागू हो, निर्णय देने का नियम बनेगी ।

अतः नई खण्ड संख्या ४२ जो विधेयक के साथ जोड़नी ह, माननीय सदस्य की आपत्ति को दूर करेगी । यह भी कहा गया है कि यदि ऐसी कोई रीति न हो, तो न्यायाधिपति साम्य, न्याय, और शुद्ध अन्तःकरण के अनुसार निर्णय देगा ।

**श्री कामत** : इस समय सभा में मुश्किल से २०–२५ सदस्य हैं । सरकार को कल की हार से ही शिक्षा लेनी चाहिये थी ।.

**उपाध्यक्ष महोदय** : विरोधी दल के सदस्य अपनी अनुपस्थिति से सरकारी विधेयकों के पारित होने में कई बाधाएं डाल सकते हैं, अतः सरकार को उन विधेयकों के लिये, जिनमें उन्हें दिलचस्पी है स्वयं गणपूर्ति रखनी चाहिए । विरोधी दल के सदस्यों का आश्रय नहीं लेना चाहिए ।

**श्री दातार** : माननीय मित्र द्वारा उठाई गई बात को पूरा करने के लिए मैं एक संशोधन की अनुज्ञा चाहता हूं , जो एक नए खण्ड के रूप में जोड़ा जाएगा । इससे यह पता चलेगा कि किसी विधान द्वारा निराकरण किया गया या परिवर्तित विधि के अतिरिक्त रूढ़िगत विधि की विधि जैसी शक्ति होगी ।

जहां तक प्रक्रियात्मक विधि के लागू होने का सम्बन्ध है, मनीपुर और शेषभारत में थोड़ा सा ही अन्तर है, जो खण्ड संख्या ३९ में बताया गया है। लिखित आवेदन पत्र के बजाए मौखिक प्रार्थना पर ही ध्यान दिया जाएगा । और साक्ष्य को अभिलिखित करने की प्रक्रिया यथासम्भव सरल होनी चाहिए । माननीय मित्र श्री गुरुपादस्वामी कृपया यह बात समझ लें कि मनीपुर पर और कोई विधियां लागू करने की इच्छा नहीं है । अतः मनीपुर में न्याय वैसे ही किया जाएगा जैसे शेष भारत में ।

जहां तक श्री राघवाचारी के आक्षपों का सम्बन्ध है विधेयक में ही इस बात को बहुत स्पष्ट कर दिया है । कोई भी वकील या अधिवक्ता जिसे वकालत करने की अनुज्ञा दी जा चुकी है, ऐसा कर सकता है । केवल जब न्यायिक आयुक्त या न्यायिक पदाधिकारी सही आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि उसका व्यवहार उचित नहीं है ऐसा नहीं किया जा सकता । दूसरे सब अधिनियमों, उदाहरणतया विधि व्यवसायी अधिनियम, में वैसे ही उपबंध हैं।

उन्होंने एक बात कही थी कि एक पक्ष दूसरे पक्ष की ओर स किसी मुकद्दमे या दाण्डिक कार्यवाही में प्रस्तुत हो सकता है । व्यवहार प्रक्रिया संहिता में अभी अभी मुझे एक उपबन्ध मिला है, जो इस बात की अनुमति देता है कि एक पक्ष दूसरे पक्ष को, चाहे वह वादी हो या प्रतिवादी हो, दीवानी मुकद्दमा या दाण्डिक शिकायत की कार्यवाही करने के लिए अधिकार द सकता है । अतः जहां तक इस प्रश्न का संबंध है, इसमें कोई बात आपत्तिजदक या असाधारण नहीं है । इस सम्बन्ध में जो नियम बनाए जाएंगे, वे वही नियम हैं, जो न्यायिक आयुक्त ने मुख्यायुक्त के परामर्श से बनाए थे और इस लिए जो भो आपत्तियां उठाई गई हैं मैं उनका उत्तर दे चुका हूं । मैं इस सभा को फिर यह बता देना चाहता हूं, कि न्याय के सिद्धान्तों को छोड़ा गया हो, यही नहीं बल्कि उन्हें मनीपुर के न्यायालयों में पूर्णतया लागू भी कर दिया गया है।

**उपाध्यक्ष महोदय** : खण्ड ८ में इससे क्या अन्तर पड़ेगा ?

**श्री दातार** : इस सम्बन्ध में मैं आप का ध्यान खण्ड ४५ की ओर आकर्षित करता

हूं जिसमें कहा गया है कि "धारा ३ के अधीन स्थापित न्यायिक आयुक्त न्यायालय संविधान के अनुच्छेद १३२, १३३ और १३४ के उद्देश्यों के लिए एतद्द्वारा उच्च न्यायालय घोषित किया जाता है; और न्यायिक आयुक्त के न्यायालय (उच्च न्यायालयों के समान घोषणा) अधिनियम, १९५० के उपबन्ध उस न्यायलय पर उसी प्रकार लागू होंगे, जैसे कि वे इस अधिनियम के लागू होने के समय विद्यमान न्यायिक आयुक्त के न्यायालय पर लागू होते हैं।"

**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि मनीपुर में न्यायिक आयुक्त के न्यायालय तथा अन्य न्यायालयों की स्थापना करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

**खंड २ स ४१ विधयक में जोड़ दिये गये।**

**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रस्थापित नया खंड ४२ के रूप में जोड़ा जायगा और विद्यमान खंड ४२, ४३, ४४ और ४५ को ४३, ४४, ४५ और ४६ संख्या दी जायगी।

**श्री दातार** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ ११ पंक्ति ३४ के पश्चात् रखा जाये:

**"42. Certain decisions to be according to custom or personal law.**—(1) Where in any suit or proceeding, it is necessary for any court under this Act to decide any question regarding succession, inheritance, marriage or case or any religious usage or institution, any custom (if such there be) having the force of law, or any personal law, governing the parties, or the property of the parties to such suit or proceeding, shall form the rule of decision except in so far as such custom or personal law has, by legislative enactment, been altered or abolished.

(2) In cases not provided for by sub-section (i) or by any other law for the time being in force, the court shall decide the suit or proceeding according to justice, equity and good conscience."

["४२. **कछ विनिश्चय रुढ़िगत अथवा व्यक्तिगत विधि क अनुसार होंगे**—(१) जहां किसी वाद अथवा कार्यवाही में, इस अधिनियम के अधीन किसी न्यायालय को उत्तराधिकार, दायभाग अथवा जाति अथवा धार्मिक प्रथा अथवा संस्था सम्बन्धी किसी प्रश्न का विनिश्चय करना हो, वहां कोई रूढ़ि (यदि कोई ऐसी हो), जो विधि के रूप में प्रभावी हो, अथवा कोई व्यक्तिगत विधि, जो ऐसे वाद या कार्यवाही के पक्षों या पक्षों की संपत्तियों को शासित करती हो, उस स्थिति को छोड़ कर, जहां ऐसी रूढ़ि या व्यक्तिगत विधि विधान सम्बन्धी अभिनियमन द्वारा परिवर्तित अथवा समाप्त कर दी गयी हो, विनिश्चय का नियम बनेगी।

(२) उन मामलों में जिनके लिये उपधारा (१) अथवा अन्य किसी तत्समय प्रवृत्त विधि द्वारा व्यवस्था न की गयी हो, न्यायालय वाद या कार्यवाही का विनिश्चय साम्य, न्याय और शुद्ध अन्तःकरण के अनुसार करेगा।"]

यह एक नया खंड है जो जोड़ा जायगा और वह खंड ४२ होगा। विद्यमान खंड ४२ से ४५ को ४३ से ४६ संख्या दी जायगी।

**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"42. Certain decisions to be according to custom or personal law.—(1) Where in any suit or proceeding, it is necessary for any court under this Act to decide any question regarding succession, inheritance, marriage or caste or any religious usage or institution, any custom (if such there be) having the force of law, or any personal law, governing the parties, or the property of the parties to such suit or proceeding, shall form the rule of decision except in so far as such custom or personal law has, by legislative enactment, been altiered or abolished.

(2) In cases not provided for by sub-section (1) or by any other law for the time being in force, the court shall decide the suit or proceeding according to justice, equity and good conscience."

[उपाध्यक्ष महोदय]

"(१) जहां किसी वाद अथवा कार्यवाही में, इस अधिनियम के अधीन किसी न्यायालय, को उत्तराधिकार, दायधाग अथवा जाति अथवा धार्मिक प्रथा अथवा संस्था सम्बन्धी किसी प्रश्न का विनिश्चय करना हो, वहां कोई रूढ़ि (यदि कोई ऐसी हो), जो विधि के रूप में प्रभावी हो, अथवा कोई व्यक्तिगत विधि, जो ऐसे वाद या कार्यवाही के पक्षों या पक्षों की संपत्तियों को शासित करती हो, उस स्थिति को छोड़कर, जहां ऐसी रूढ़ी या व्यक्तिगत विधि विधान सम्बन्धी अधिनियमन द्वारा परिवर्तित अथवा समाप्त कर दी गयी हो, विनिश्चय का नियम बनेगी ।

(२) उन मामलों में जिनके लिये उपधारा (१) अथवा अन्य किसी तत्समय प्रवृत्त विधि द्वारा व्यवस्था न की गयी हो, न्यायालय वाद या कार्यवाही का विनिश्चय साम्य, न्याय और शुद्ध अन्तःकरण के अनुसार करेगा ।"]

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।**

**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है:

"कि नया खंड ४२ विधेयक में जोड़ा जाय।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।**

**नया खंड ४२ विधेयक में जोड़ दिया गया ।**

**संशोधन किये गये** :

विद्यमान खंड ४२ को खंड ४३ के रूप में पुनः संख्यांकित किया जाये ।

विद्यमान खंड ४३ को खंड ४४ के रूप में पुनः संख्यांकित किया जाये ।

विद्यमान खंड ४४ को खंड ४५ के रूप में पुनः संख्यांकित किया जाये ।

विद्यमान खंड ४५ को खंड ४६ के रूप में पुनः संख्यांकित किया जाये ।

[श्री दातार]

**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खंड ४३ में ४६ तक विधेयक का अंग बने ।"

खंड ४३ से ४६ तक विधेयक में जोड़ दिये गये ।

**श्री राघवाचारी** : नये खंड के बारे में मैं यह बताना चाहता हूं कि हमने अन्य विधियां पारित की हैं जो किसी विशिष्ट जाति को छोड़कर शेष भारत में सबके लिये एक रूप लागू होंगी । आप चाहते हैं कि कोई रूढ़िगत विधि, जो भारत के इस भाग में जारी है इस अधिनियम में मान्य हो। उस दशा में आपको कहना चाहिये था "अन्य विधियों में किसी चीज के होते हुए भी इत्यादि इत्यादि....." और वह अधिक अच्छी शब्दावलि होती ।

**श्री दातार** : भारत के अनेक भागों में रूढ़िगत विधि अब भी प्रचलित है और कुछ मामलों में रूढ़ि को वास्तव में विधि का बल प्राप्त है । अतः रूढ़ि को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है ।

**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खंड १, अधिनियमन सूत्र और नाम विधेयक का अंग बने ।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।**

**खंड १ अधिनियमन सूत्र और नाम विधेयक में जोड़ दिये गये ।**

**श्री दातार** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को संशोधित रूप में, पारित किया जाये ।"

**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को, संशोधित रूप में, पारित किया जाये ।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।**

---

## रेलवे-सामान (अवैध कब्जा) विधेयक

**रेलवे परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)**: मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि रेलवे सामान के अवैध कब्जे के अपराध के दण्ड से सम्बन्धित विधि को, जैसी इस समय प्रवृत्त है, पूरे भारत में विस्तृत करने और इसके उपबन्धों को पुनः अधिनियमित करने की व्यवस्था करने वाले

विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पारित और प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार किया जाये।"

सभा को स्मरण होगा कि इस से पहले अवसर पर, जब कि यह विधेयक सभा के सम्मुख आया था, इसके लगभग सभी परिणामों पर अच्छी प्रकार से विचार किया गया था। उस समय चर्चा के दौरान में माननीय सदस्यों ने यह संदेह और आशंकायें अभिव्यक्त की थीं कि इसकी परिभाषा अत्यधिक विशाल है और इसलिये इसमें निर्दोष व्यक्ति भी फंस सकते हैं। इन संदेहों तथा आशंकाओं को दूर करने के उद्देश्य से ही मैं इसे प्रवर समिति को सौंपने के प्रस्ताव से सहमत हो गया था; अब प्रवर समिति ने इस विधेयक की शब्दावली में पर्याप्त परिवर्तन कर दिये हैं। प्रवर समिति ने उन आपत्तियों को दूर करने का प्रयत्न किया है और मैं यह कह सकता हूं कि अब यह प्रवर समिति से इस रूप में प्राप्त हुआ है कि वे सदस्य भी अब इसे संतोषजनक समझें जिन्होंने पहले सन्देह प्रकट किये थे।

इस विधेयक में केवल दो खण्ड हैं। मैं अब बताऊंगा कि प्रवर समिति द्वारा इसमें क्या क्या परिवर्तन किये गये हैं। विधेयक का खण्ड २ "रेलवे-सामान" शब्दों को अधिक स्पष्टता से परिभाषित करना चाहता है। खण्ड ३ के सम्बन्ध में यह आशंका प्रकट की जा रही थी कि यह अभियुक्त पर बड़ा भार डालता है क्योंकि उसे यह प्रमाणित करना पड़ता है कि उसे यह वस्तु वैध रूप से प्राप्त हुई थी। अब उसे भी रूपान्तरित कर दिया गया है और इसे प्रमाणित करने का कुछ उत्तरदायित्व अभियोक्ता पक्ष पर डाल दिया गया है। अब यदि अभियोक्ता पक्ष कोई अभियोग चलाना चाहता है तो उसे तीन बातों को सिद्ध करना पड़ेगा। प्रथम यह कि यह विशेष सामान रेलवे का है, द्वितीय यह कि वह सामान अभियुक्त के कब्जे में था, और तृतीय यह कि इस बात के कारण हैं कि वह सामान चुराया गया है अथवा अवैध रूप से प्राप्त किया गया है। यदि अभियोक्ता इन तीनों बातों को प्रमाणित कर देता है तब अभियुक्त को यह सिद्ध करना पड़ेगा कि वह सामान उसे वैध रूप से प्राप्त हुआ था।

हम यह देखते हैं कि कुछ एक माननीय सदस्यों ने इसके साथ अपनी विमति टिप्पणी संलग्न कर दी हैं। परन्तु उन्होंने भी यह स्वीकार किया है कि प्रवर समिति ने, निश्चय ही, मूल विधेयक में पर्याप्त सुधार किये हैं। श्री नम्बियार तथा श्री के० के० बसु ने कहा है "हम यह मानते हैं कि प्रवर समिति द्वारा "मूल विधेयक में पर्याप्त सुधार किये गये हैं।" श्री राघवाचारी का कथन है कि "संशोधित परिभाषा निश्चित ही एक सुधार है।" पण्डित ठाकुर दास भार्गव का भी कथन है कि "मैं स्वीकार करता हूं कि रेलवे सामान (अवैध कब्जा) विधेयक प्रवर समिति से अत्याधिक सुधरे हुये रूप में प्राप्त हुआ है।" अतः आप देखें कि माननीय सदस्यों को जितनी भी आपत्तियां थीं, उन सभी को दूर करने का प्रयत्न किया गया है। अतः अब सभी को सन्तोष प्रकट करना चाहिये।

विमति टिप्पणियों में एक या दो बात कही गई हैं। श्री नम्बियार तथा श्री के० के० बसु ने यह कहा था कि यदि रेलवे इस बात का दावा करे कि सामान रेलवे का है तब सिद्ध करने का भार अभियुक्त पर आ जाता है। परन्तु वास्तव में ऐसा नहीं है। जैसे मैंने कहा है अभियोक्ता को यह सिद्ध करना पड़ेगा कि वह सामान विशेष रेलवे का ही है। केवल दावा कर देना ही पर्याप्त न होगा।

फिर श्री राघवाचारी तथा पण्डित ठाकुर दास भागव इसमें भारतीय दण्ड संहिता की धारा ४१० की उपलक्षण को लाना चाहते हैं। यह एक विशेष विधान है, इसलिये मैं अपने आप को इससे बांध नहीं

[श्री अलगेशन]

सकता । यदि ऐसा किया गया तो इस विशेष विधान का सारा अभिप्राय ही नष्ट हो जायेगा । मैं इस देश की साधारण विधि के अनुसार भी रेलवे सामान की अवध रूप से कब्जे में रखने वाले व्यक्ति को दण्ड दिलवा सकता हूं ।

अतः मैं विमति टिप्पणियों अथवा उनसे उत्पन्न होने वाले संशोधनों को स्वीकार करने में असमर्थ हूं ।

**पंडित ठाकुर दास भार्गव** (गुड़गांव) : सदस्यों के विचारों को सुने बिना ही उनके संशोधनों को अस्वीकृत कर देना उचित नहीं है ।

**श्री अलगेशन** : मैं सुनने के लिये तैयार हूं ।

**उपाध्यक्ष महोदय** : क्या ये सभी संशोधन प्रवर समिति के समय ही प्रस्तुत किये गये थे ?

**श्री अलगेशन** : इन में से बहुत से संशोधन तो प्रवर समिति के सामने ही प्रस्तुत किये गये थे, परन्तु समिति ने उन्हें स्वीकार नहीं किया था । परन्तु सदस्यों को उन्हें फिर से प्रस्तुत करने का अधिकार है । सभा से मेरा निवेदन है कि वह उन्हें स्वीकार कर ले ।

**पंडित ठाकुर दास भार्गव** : पिछली बार जब इस विधेयक पर चर्चा हुई थी, उस समय आपने स्वयं इसकी कई त्रुटियों की ओर संकेत किया था, और वे त्रुटियां अभी तक इसमें विद्यमान हैं ।

**श्री अलगेशन** : मैं आपको स्मरण दिलाना चाहता हूं कि मैंने इस विधान की आवश्यकता के सम्बन्ध में सभा को मना लिया था । परन्तु उसके उपरान्त मैंने अत्यधिक उदारता के कारण इसे प्रवर समिति को सौंपने के एक प्रस्ताव को मान लिया था । वास्तव में ऐसा मैंने प्रजातंत्र के सिद्धान्तों को ध्यान में रखते हुये किया था । अतः मुझे अपने किये हुये पर अफ़सोस नहीं है । परन्तु मैं सदस्यों से यह अवश्य प्रार्थना करूंगा कि जब मैंने उनका इतना साथ दिया है तो वे भी अब मेरा साथ देवें, और इस विधेयक का पूर्ण समर्थन करें ।

**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

**पंडित ठाकुर दास भार्गव** : वास्तव में, जहां तक प्रवर समिति के प्रतिवेदन का सम्बन्ध है, इसमें भी लिखा हुआ है कि विधेयक में कई सुधार किये गये हैं । मन्त्री महोदय ने भी इसका अनुभव किया है और 'रेलवे सामान' की एक अच्छी परिभाषा प्रस्तुत की है । मंत्री महोदय ने इसके लिये जो कुछ भी किया है, बहुत अच्छा किया है और हम सब सदस्य उनके प्रति आभारी हैं । हम हर प्रकार से उनका साथ देंगे । हम उनके इस कथन से पूर्ण रूपेण सहमत हैं कि रेलवे वास्तव में राष्ट्रीय की सम्पत्ति है और हमें उसकी रक्षा करने का पूर्ण प्रयत्न करना चाहिये । परन्तु प्रजातन्त्र शासन के अन्तर्गत सरकार तथा एक साधारण से व्यक्ति के बीच कोई अन्तर नहीं है । सरकारी सामान तथा गैर-सरकारी सामान में कोई अन्तर नहीं है । दोनों के लिये एक समान ही नियम होने चाहियें । दोनों प्रकार की सम्पत्तियों की रक्षा पर समान बल दिया जाना चाहिये ।

आज यदि कोई व्यक्ति रेलवे की कोई सम्पत्ति चुराता है तो उसकी वही दशा होगी जो कि गैर-सरकारी सम्पत्ति चुराने वाले किसी व्यक्ति की होती है । धारा ३८० के अधीन दोनों की स्थिति में कोई अन्तर न होगा । परन्तु रेलवे सामान के अवैध कब्जे के सम्बन्ध में मंत्री महोदय अन्तर रखना चाहते हैं । जहां तक दण्ड देने का सम्बन्ध है, मुझे इस पर कोई आपत्ति नहीं है कि दण्ड ज़रा कठोर दिया जाये, परन्तु इसके साथ ही साथ मैं यह भी चाहता हूं कि यदि

कोई रेलवे कर्मचारी स्वयं चोरी करे तो उसे और भी कठोर दण्ड दिया जाना चाहिये । इसीलिये मैंने यह संशोधन प्रस्तुत किया है कि रेलवे की सम्पत्ति को चोरी करना भारतीय दण्ड संहिता की धारा ४१० के अधीन आना चाहिये । इसके साथ ही मैं यह भी कह देना चाहता हूं कि यद्यपि यह सत्य है कि प्रवर समिति द्वारा इसकी परिभाषा को परिवर्तित करने का प्रयत्न किया गया है, तथापि यदि हम इस के उपबन्धों पर अच्छी प्रकार से विचार करें तो स्पष्ट प्रतीत होगा कि इस की परिभाषा इतनी व्यापक है कि कई निर्दोष व्यक्ति भी फंस सकते हैं ।

अपनी विमति टिप्पणी में मैंने कई सुझाव भी दिये हैं और मैं उनकी ओर निर्देश करना चाहता हूं । परन्तु उससे पूर्व मैं रेलवे सम्पत्ति की परिभाषा के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं । मैंने पहले भी स्पष्टतया बताया था कि "Intended to be used" ["प्रयोग की जाने के लिये अभिप्रेत"] यह शब्दों का अर्थ अत्यन्त व्यापक है । रेलवे द्वारा तैयार की गई ऐसी कई वस्तुयें होती हैं जो कल प्रयोग में आती थीं, परन्तु आज नहीं । अतः यह शब्दावली तो बड़ी अनिश्चित ही है । अतः ये शब्द विधेयक में नहीं रहने चाहियें । इन्हें निकाल दिया जाना चाहिये ।

वस्तुतः खंड २ (क) के शब्द रख कर सरकार ने अपने ऊपर बहुत बड़ा भार ले लिया है क्योंकि उसके लिये यह सिद्ध करना कठिन हो जायेगा कि यह वस्तु रेलवे की सम्पत्ति है । इस प्रकार परिभाषा के परिवर्तन से यह कठिनाई हो सकती है । उपाध्यक्ष महोदय, आपने इस पर चर्चा के समय, ठीक ही कहा था कि चाहे रेलवे की सम्पत्ति को चोरी गये ५० वर्ष ही क्यों न बीत गये हों, रेलवे को सम्पत्ति के पाये जाने के समय यह सिद्ध करना पड़ जायेगा कि यह उसकी सम्पत्ति है । यदि यह सिद्ध न हो सका तो दण्ड दिलाना कठिन हो जायेगा । यह सिद्ध किया जाना चाहिये कि सम्पत्ति चोरी के समय रेलवे की थी । यह सिद्ध करने से क्या लाभ कि दस वर्ष पहले यह रेलवे की सम्पत्ति थी ।

**उपाध्यक्ष महोदय** : यदि पांच वर्ष की अवधि में यह सिद्ध हो जाता है कि वस्तु रेलवे की थी तो क्या मामला उचित होगा ?

**पंडित ठाकुर दास भार्गव**: कोई भी अवधि हो; परन्तु यदि रेलवे को यह ज्ञात नहीं कि चोरी कब हुई थी तब तक आप किस प्रकार यह सिद्ध कर सकते हैं कि यह सम्पत्ति हमारी है । भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा ११० के अन्तर्गत जिस व्यक्ति के पास कोई वस्तु होगी वह व्यक्ति उस वस्तु का स्वामी माना जायेगा । यही बात रेलव सम्पत्ति के सम्बन्ध में है । रेलवे अपनी सम्पत्ति का नीलाम भी करती है तथा उस सम्पत्ति को क्रय करने वाला उसका स्वामी है । इसलिये जब तक यह निश्चित नहीं होता कि वह वस्तु चो ी की है तब तक आप केवल धारणावश किस प्रकार उस व्यक्ति को चोर कह सकते हैं ? इस सम्बन्ध में भी म माननीय मित्र का धयान आकर्षित कराना चाहता हूं कि धारा ११४ के अन्त त जब तक कुछ दिन पूर्व से वस्तु कब्जे में न हो हम चोरी की धारणा नहीं बना सकते ह । सबसे प्रथम यही सिद्ध करना होगा कि यह वस्तु चोरी की है । धारा ४१० के अन्तगत यदि वस्तु चोरी हुई है तभी वह वस्तु जिसके कब्जे में होगी वह चोर हो सकता है । परन्तु इस विधेयक में किसी वस्तु को रखने वाला व्यक्ति ही चोर माना जायेगा । १९४४ मे परिस्थितियां भिन्न प्रकार की थी परन्तु अब हम अपने कानून को ही नहीं बदल देना चाहिये । मुझे इसके प्रत्येक शब्द पर आपत्ति है । मेरा निवेदन है कि माननीय मंत्री "reasonably suspected"["यथोचित रूप में संशयित"] शब्दों का स्पष्टीकरण करें और यह बतायें कि ये शब्द 'चोरी गई'

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

तथा 'अविधिवत् प्राप्त' दोनों सम्पत्तियों के लिये हैं अथवा केवल एक के लिये, और यह भी बतायें कि संदेह कौन करेगा, न्यायालय अथवा वह व्यक्ति जिसके कब्जे में वह वस्तु है। यह भी संभव है कि उस व्यक्ति ने उस वस्तु को नहीं चुराया हो। इसलिये जब तक यह सिद्ध नहीं होगा कि वह वस्तु उसी व्यक्ति ने चुराई है, वस्तु को चुराई गई किस प्रकार कहा जा सकता है। मेरा विचार है कि प्रवर समिति धारा ४११ के शब्दों के अनुसार शब्द रखना चाहती थी। इसलिये जब तक किसी वस्तु को रखने वाला व्यक्ति यह नहीं जानता कि वह वस्तुचुराई हुई है तब तक वह अपराधी नहीं होता।

इसलिये यदि ये शब्द वस्तु के बारे में हैं तो मेरी समझ में ये उतने अच्छे नहीं हैं जितने कि धारा ४११ के शब्द। यदि ये शब्द व्यक्ति पर लागू होते हैं तो "knows or having reason to believe" ["जानता है यह मानने का आधार है"] शब्द रखे जाने चाहिये। यदि ये शब्द वस्तु के सम्बन्ध में हैं तो भी ये परिवर्तित किये जाने चाहिये।

**उपाध्यक्ष महोदय** : मैं माननीय सदस्य के विचारार्थ यह कहना चाहता हूं कि यह सब पहले कहा जा चुका है तथा प्रवर समिति ने भी वह इसकी चर्चा कर चुके हैं। मैं मानता हूं कि इसकी दुबारा भी चर्चा की जा सकती है परन्तु मैं केवल यही चाहता हूं कि जिन विषयों की चर्चा हो चुकी है उन विषयों को दुहराया न जाये।

**पंडित ठाकुर दास भार्गव** : मैं उन तर्कों को प्रस्तुत नहीं कर रहा हूं जिनको मैं पहले सभा में कह चुका हूं। इसके अतिरिक्त मैं कुछ नई बात भी कह रहा हूं।

प्रवर समिति में २० सदस्य नियुक्त किये गये थे। गत अवसर पर केवल ७ सदस्य उपस्थित थे, प्रथम अवसर पर भी जब सामान्य चर्चा हुई थी, १२ सदस्य ही उपस्थित थे तथा इन परिवर्तनों के किये जाने के समय १० सदस्य उपस्थित थे। उनमें से पांच सदस्यों ने विमति टिप्पणी संलग्न की थी। प्रवर समिति में यह हुआ। मैं इस सम्बन्ध में अधिक कुछ नहीं कहना चाहता तथा केवल यही मेरा विश्वास है कि माननीय मंत्री मेरी बात मान जायेंगे।

अनुच्छेद २० के अनुसार किसी भी ऐसे व्यक्ति को दण्ड नहीं दिया जा सकता है जिसके कब्जे में कोई वस्तु इस विधेयक के पारित होने के पूर्व से है। इस प्रकार इस विधेयक के द्वारा हम ऐसे अपराधों के सम्बन्ध में दंड देंगे जो कब्जा बदलने के समय अपराध नहीं थे।

**उपाध्यक्ष महोदय** : परन्तु खण्ड ३ में ये शब्द हैं : "यदि किसी व्यक्ति के पास चोरी किये गये रेलवे भांडार की कोई वस्तु पाई जाती है अथवा यह सिद्ध हो जाता है कि वह वस्तु उस व्यक्ति के कब्जे में है..." इसलिये यह नया अपराध नहीं है बल्कि एक पुराना सा विद्यमान अपराध ही रहेगा।

**पंडित ठाकुर दास भार्गव** : पहले चोरी की वस्तु को कब्जे में रखना कोई अपराध नहीं था।

**उपाध्यक्ष महोदय** : "unlawfully obtained" ["अथवा अविधिवत् प्राप्त"]— क्या यह भी अब अपराध नहीं है ?

**पंडित ठाकुर दास भार्गव** : भारतीय दंड संहिता के अन्तर्गत 'अविधिवत प्राप्त' और 'चोरी की वस्तु का कब्जा' 'अपराध नहीं हैं। उसमें चोरी की वस्तु को यह जानते ये भी कि यह चराई गई वस्तु है

अपने पास रखना अपराध माना गया है ।

**उपाध्यक्ष महोदय** : मूल रूप से लेना अपराध नहीं होगा परन्तु इस अधिनियम के बन जाने के बाद उसको लगातार रखना अपराध होगा ।

**पंडित ठाकुर दास भार्गव** : चोरी की वस्तु को लगातार रखना भी तब तक अपराध नहीं है जब तक कि रखने वाले को यह ज्ञान न हो कि यह चोरी की वस्तु है । इस प्रकार यह एक नया अपराध है ।

प्रवर सामति में यह तर्क प्रस्तुत किया गया था कि ब्रिटेन में इस प्रकार का अधिनियम है परन्तु यदि हम उस अधिनियम का अध्ययन करें तो हमें ज्ञात होगा कि उसका आधार ही कुछ और है । माननीय मंत्री ने यदि किन्हीं ऐसी वस्तुओं के सम्बन्ध में विधयक प्रस्तुत किया होता जिनके बारे में यह समझा जा सकता है कि वे केवल रेलवे की ही हो सकती हैं, और किसी की नहीं तो मैं उसका स्वागत करता । इसी आधार पर ही ब्रिटन में अधिनियम बनाया गया था । वहां रेलवे की वस्तुओं में कोई ऐसा संकेत रहता है जिससे यह मालूम हो जाता है कि अमुक वस्तु रेलवे की सम्पत्ति है ।

मैं भी यह चाहता हूं कि रेलवे सम्पत्ति की जो कि राष्ट्रीय सम्पत्ति है, चोरी न हो ; परन्तु साथ ही मैं यह भी चाहता हूं कि कोई व्यक्ति व्यर्थ में ही विधि द्वारा सताया न जा सके । रेलवे में कई प्रकार के सामान जैसे बल्ब, बोल्ट आदि का प्रयोग किया जाता है । अनेकों ऐसी वस्तुओं हैं जिनका विक्रय वे स्वयं बाज़ार में करते हैं । इस बात की क्या गारन्टी है कि साधारण व्यक्ति वे वस्तुयें मोल न लेंगे और उन्हें न पकड़ा जायगा अतः मेरा निवेदन है कि आप इस क्रय-विक्रय को सीमित करदें और फिर साधारण विधि की अपेक्षा कोई और कड़ी विधि बनाते हैं तो मैं समझ सकता हूं ।

फिर, क्या यह रेलवे सम्पति के विरुद्ध अपराध है ? चोरी आदि कब्ज के विरुद्ध अपराध है, और मने केवल यह कहा है कि आप ये शब्द "जो किसी रेलवे प्रशासन की सम्पत्ति हो और उसके पास हो" रखा जिस व्यक्ति के पास रेलवे की कोई चुराई हुई वस्तु होती हैं, वह इस बात के लिये मना नहीं करता कि इस वस्तु पर रेलवे का स्वामित्व अधिकार है । मेरी समझ में नहीं आता है कि रेलवे वस्तु रखने वाले को पांच साल का दंड क्यों देना चाहती है जब कि वस्तु चुराने वाले को तीन वर्ष का दंड देती है । जहां तक विधेयक का सम्बन्ध है दोनों समान होने चाहियें । इसके अतिरिक्त, मैं माननीय मंत्री जी से यह निवेदन करता हूं कि वह सभा को "अविधिवत् प्राप्त" शब्दों के अर्थ स्पष्ट रूप से बताने की कृपा करें । धारा ४१० में अवैध प्राप्ति के जो छः ढंग बताये गय ह, यदि अविधिवत् प्राप्ति के वे ही ढंग हैं तो यह निश्चित क्यों कर दिया जाये ?

आपकी अनमति से मैं कम से कम अपने दो संशोधनों पर विशेष ज़ोर देना चाहता हूं । प्रथम, यदि वहां " recent possession" ["हाल का कब्ज़ा"] शब्द न रखे जांय तो मुझे सन्तोष न होगा । मैं प्रत्येक सदस्य से प्रार्थना करता हूं कि वह इस बात पर ध्यानपूर्वक विचार करने की कृपा करें । "हाल का कब्जा" का अर्थ स्पष्ट करने के लिये मैं श्री एन० डी० वसु द्वारा लिखित 'साक्ष्म सम्बन्धी विधि' की चार पांच पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं । पृष्ठ १२७६ पर कहा गया है "यह निर्धारित करने के लिये कोई निश्चित समय निर्धारित नहीं किया जा सकता कि वस्तु पर कब्जा हाल का है या अन्यथा । परन्तु प्रत्येक मामले पर स्वयं उसके तथ्य के अनसार विचार किया जाना चाहिये । यदि किसी व्यक्ति के पास कुछ चुराई हुई वस्तुयें ऐसी परिस्थितियों में पाई जाती हैं जिससे यह सम्भावना उत्पन्न

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

हो कि उसने उन वस्तुओं को, उनकी चोरी होने के कुछ समय पश्चात् सच्चे ढंग से प्राप्त किया है, तो विधि के अधीन उसके विरुद्ध धारणा नहीं बनाई जायेगी ।" वास्तविकता यह है कि यदि वहां "अविधिवत् प्राप्त" शब्द रखे जाते हैं, तो मुझे संदेह है कि कोई भी रेलवे पदाधिकारी सुरक्षित न रहेगा और अनेंकों व्यक्ति इसके शिकार बनेंगे । अनकों फाइल आदि अधिकारियों के घर जाती हैं । न तो वे अविधिवत् प्राप्त की हुई होती हैं और न ही चुराई हुई होती हैं अपितु साधारणतया वहां जाती हैं । यदि ये शब्द वहां रहते हैं तो उन सब अधिकारियों को दंड दिया जा सकता है ।

**उपाध्यक्ष महोदय** : क्या माननीय सदस्य का यह अभिप्राय है कि ऐसे मामलों में भी प्रशासन अभियोग चलायेगा ?

**पंडित ठाकुर दास भार्गव** : हमारे वर्तमान मंत्रियों के होते हुये यह बात न होगी परन्तु वे रेलों में प्रत्येक स्थान पर तो नहीं होते हैं रेलों में छोटे छोटे अधिकारी हैं और वे लोगों को परेशान कर सकते हैं । मेरा निवदन यह है कि जहां तक विधान का सम्बन्ध है उसमें "अविधिवत् प्राप्त" का कोई अर्थ नहीं है और इसीलिये मैं चाहता हूं कि "हाल का कब्ज़ा" शब्द वहां रखा जाय ।

**उपाध्यक्ष महोदय** : कुछ रेलवे की भी कठिनाइयां हैं । प्रत्येक स्थान पर वस्तुयें उचित रूप में नहीं रखी जातीं । प्रत्येक स्थान पर वस्तुओं के उचित रूप में न रखे जाने के कारण वे चुरा ली जाती हैं । अतः इन वस्तुओं की सुरक्षा के लिये कुछ रक्षात्मक सुझावों की आशा की जाती है ।

**पंडित ठाकर दास भार्गव** : हम मनीपुर न्यायालय विधयक के आधार पर भारतीय दंड संहिता तथा दंड प्रक्रिया संहिता को समाप्त कर सकते हैं । फिर आप मौखिक साक्ष्य ल सकते हैं और अपराधी को दंड दिया जा सकता है । जहां तक अपराधों का सम्बन्ध है, सरकारी सम्पत्ति व गैर-सरकारी सम्पत्ति दोनों के बारे में एक ही सिद्धान्त होना चाहिये । यह ठीक है कि सरकारी सम्पत्ति के बारे में अधिक दंड दिया जा सकता है परन्तु इसके साथ ही साथ किसी अपराध के सबूत से अपराध नहीं बदल जाना चाहिये । आजकल हम देखते हैं कि रेलवे सम्पत्ति सम्बन्धी अपराध एक प्रकार का है, और शेष सरकारी सम्पत्ति सम्बन्धी अपराध दूसरी प्रकार का है । कल सरदार स्वर्ण सिंह यह कह सकते हैं कि अमुक स्थान पर इतनी भवन-निर्माण सामग्री पड़ी है, अतः उसके सम्बन्ध में और कड़ी विधि क्यों न बनाई जाये । यदि ऐसा होता है तो क्या आप विभिन्न सरकार की विभिन्न प्रकार की सम्पत्ति के लिये विभिन्न विधियां बनायेंगे ? इन परियोजनों के लिये केवल रेलवे सम्पत्ति को चुनने का क्या अभिप्राय है ? अतः मेरा सविनय निवेदन यह है कि यह सर्वथा गलत है ।

**श्री अन्नगेशन** : पिछली बार इन सब बातों का उत्तर दे दिया गया था । अतः वह सारी बातें मैं पुनः दोहराना नहीं चाहता ।

**पंडित ठाकुर दास भार्गव** : माननीय मंत्री का यह कहना सर्वथा गलत है कि इन सारी बातों का उत्तर दिया जा चुका है अतः अब वे नहीं उठाई जानी चाहियें, और यदि वे उठाई जाती हैं तो वह उन पर विचार नहीं करेंगे । सिद्धान्त की दृष्टि से एसा कहना सर्वथा गलत है । क्योंकि अन्तिम निश्चय करना माननीय मंत्री के हाथ मे नहीं अपितु सभा के हाथ में है और सभा ने इन मामलों के सम्बन्ध में अपने विचार प्रकट नहीं किये हैं । अतः मैं ने जो बात पहिले कही थी और जो मैं अब कह रहा हूं, उसके कहने का मुझे पूर्ण अधिकार है । परन्तु आपकी मन्त्रणानुसार, मैं वे बातें नहीं कहना चाहता था ।

**उपाध्यक्ष महोदय :** यह मामला अपराध सिद्ध न होने तक प्रत्येक व्यक्ति को निर्दोष मानने के साधारण नियम से भिन्न है। जहां तक रेलवे सम्पत्ति का सम्बन्ध है, वे सावधानी रखना चाहते हैं। रेलवे की सम्पत्ति किसी मकान के घेरे में तो रहती नहीं है, यह सारे देश में फैली हुई है। यदि असावधानी होने पर भी कुछ बच्चे सौ वर्ष तक जीवित रहते हैं, तो क्या इसका यह अभिप्राय है कि सावधानी न रखी जाये? यह ठीक है कि किसी भी निर्दोष व्यक्ति को दंड नहीं मिलना चाहिये। माननीय मंत्री तथा अन्य व्यक्ति जो विधान तथा अन्य बातों के प्रभारी हैं, उन्हें चाहिये कि वे केवल निर्दोष व्यक्तियों की ही रक्षा न करें अपितु इस बात का भी ध्यान रखें कि देश में सामान्य नतिक पतन न हो जिस से प्रत्येक बदमाश बच जाये और सच्चे आदमी को, जिसकी वस्तु जाये, न्याय न मिले। सरकार "छोड़ दो" का रवैया नहीं अपना सकती। यहां हमारा काम न्याय करना नहीं अपितु विधि बनाना है और इसलिये विधि यथा सम्भव त्रुटिहीन बनाई जानी चाहिये। मेरा मत यह है कि इन दोनों बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिये। विधि के किसी ऐसे अमूर्त सिद्धान्त से काम नहीं चलेगा जो हमारे समाज की वर्तमान स्थिति से संगत न हो। जिन लोगों का विधान -निर्माण से कोई वास्ता है उन्हें सदैव इस बात का ख्याल रखना चाहिये कि प्रशासन में कोई त्रुटि न आये।

**पंडित ठाकुर दास भार्गव :** आपने जो कुछ कहने की कृपा की है उस से मैं बहुत प्रभावित हुआ हूं। मेरा निवेदन तो केवल यह है कि इसमें निर्दोषता सिद्ध करने का भार अभियुक्त पर डाल दिया गया है। साधारण विधियों तक में यह भार अभियुक्त पर किन्हीं विशेष मामलों में डाला जाता है। इसलिये मैं चाहता हूं कि इसे भी देश की साधारण विधि के समान स्थान दिया जाये। आपके ऐसा करने से एक बात निश्चित है कि कोई ईमानदार व्यक्ति, जिसे आप बचाना चाहते हों, व्यर्थ ही कानून के शिकंजे में नहीं फंसेगा क्योंकि उसका दोष सिद्ध करने का भार आपके ऊपर रहेगा। यदि ऐसा न किया गया तो हो सकता है कि किसी निर्दोष व्यक्ति पर चोरी का सामान रखने के शक में पकड़ लिया जाये और उससे अपनी निर्दोषता सिद्ध करने के लिये कहा जाये। यह भी हो सकता है कि उस निर्दोष व्यक्ति को दोषी ठहरा दिया जाये।

**उपाध्यक्ष महोदय :** साक्ष्य अधिनियम की धारा ११४ के अधीन भी चोरी का सामान जिस किसी के कब्जे में हो वही चोर समझा जाता है, जब तक कि वह इसे प्रतिकूल प्रमाणित न करे। चोरी सिद्ध की जानी चाहिये।

**पंडित ठाकुर दास भार्गव :** चोरी अवश्य ही सिद्ध की जानी चाहिये, अपने इस दृष्टिकोण के लिये आपका समर्थन पाकर मुझे प्रसन्नता हुई है। मुझे आशा है कि सदन का प्रत्येक सदस्य मेरी इस बात से सहमत होगा कि जब तक चोरी सिद्ध न हो किसी व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही नहीं की जा सकती।

**श्री यू० एम० त्रिवेदी** (चित्तौड़) : पंडित ठाकुर दास जी को दंड विधि का जितना ज्ञान है, हम में से बहुत से व्यतियों को उतना नहीं है। परन्तु आज ऐसा प्रतीत होता है कि राष्ट्र विधि की सुरक्षा के प्रयत्न में वह उन बुराइयों को भूल गए हैं जो आज वर्तमान हैं। रेलवे अधिकारियों की चौकसी और होशियारी या लापरवाही से प्रतिदिन चोरियां होती हैं। एक नया रेल का डिब्बा 'यार्ड' में आता है, अभी उसका उपयोग भी नहीं किया जाता कि

[श्री यू० एम० त्रिवेदी]

उसकी चीज़ों की चोरी हो जाती है। मैं आपको रतलाम स्टेशन पर रेलवे बल्बों की चोरी का एक उदाहरण बताता हूं। रतलाम में किसी वस्तु का निर्माण नहीं होता। १२ वाट्स के बल्ब प्रायः आपको बाज़ार में नहीं मिलेंगे जब तक कि रेलव द्वारा उनका आदेश न दिया जाए या आप किसी विशेष पत्तनों से न मंगवायें। परन्तु रतलाम में आप आज आदेश दें तो यदि आज नहीं तो अगले दिन आप को वह वस्तु मिल जायेगी। रेलवे यार्ड में से सामान चुराया जाता है और सामान की कितनी भी मात्रा चोरी की जा सकती है। मैं वहां निकट ही रहता हूं इस कारण इस स्थान के सम्बन्ध में मुझे जानकारी है।

इसलिए यह कानून उन व्यक्तियों के लिए बनाया जा रहा है जिन्हें रेलवे के सामान की चोरी की आदत है और क्योंकि यह वस्तुएं उस स्थान पर नहीं बनती या उस स्थान पर आसानी से प्राप्य नहीं हैं इसलिए यही संदेह होगा कि वे चोरी की वस्तुएं हैं। ये व्यक्ति उन नासमझ और बेवकूफ़ लोगों से कहीं अधिक अपराधी हैं जो एक या दो बल्ब चुराते हैं। यदि कशाघात अधिनियम का निरसन न हुआ होता तो मैं कहता कि उन्हें खुले बन्दों कोड़े लगाए जाते ताकि उन्हें यह बात अच्छी तरह मालूम हो जाती कि वे न केवल राष्ट्र को हानि पहुंचाते हैं बल्कि हमारे लिए, यात्रियों के लिए कठिनाइयां पैदा करते हैं। इस कारण कानून को और भी सख्त होना चाहिये।

भारत सुरक्षा अधिनियम के समय विधि यह थी कि केवल चोरी का माल कब्ज़े में होना ही एक अपराध था। अब आप चोरों के साथ कुछ अधिक उदार हो रहे हैं। हमें पहले यह सिद्ध करना होगा कि यह रेलवे प्रशासन की सम्पति है; इसके पश्चात हमें यह सिद्ध कारना होगा कि इसका रेलवे के निर्माण अथवा संधारण के लिए उपयोग किया जा चुका है अथवा उपयोग के लिए अभिप्रेत है। मान लीजिये कोई ऐसी वस्तु है जिसका पहले कभी रेलवे में उपयोग होता था और अब नहीं होता अथवा अब अप्रचलित है, यदि वह बस्तु चोरी की भी हो तो आप इस विधि के अधीन कुछ नहीं कर सकेंगे। आप अपराधी को छू तक नहीं सकेंगे। क्षमा कीजिये रेलवे का हर विभाग चोरों से भरा पड़ा है। मैं यह नहीं कहता कि सभी व्यक्ति ऐसे होंगे। परन्तु इसका एक मात्र कारण केवल इतना है कि हमने धार्मिक शिक्षा की ओर से आंखें बन्द कर ली हैं। यह ठीक है कि हम धर्म निरपेक्ष हैं लेकिन हमें बच्चों को किसी धर्म को कुछ मूल बातों की शिक्षा देनी चाहिए ताकि उसे यह समझ आ सके कि जो कुछ वह कर रहा है वह एक पाप है और एक गलत बात है। इस कारण यह बहुत ही आवश्यक है कि इस प्रकार का कड़ा कानून पारित हो। यह ठीक है कि साक्ष्य अधिनियम की धारा ११० में एक विधि की धारणा दी गई है और आपने, श्रीमान, ठीक ही संकेत किया है कि धारा ११४ में एक और विधि की धारणा है। परन्तु यहां धारणा का प्रश्न नहीं है। हम इस सम्बन्ध में एक दृढ़ विधि की रचना कर रहे हैं। खण्ड ३ में हम रेलवे सामग्री की चर्चा करते हैं जिस के बारे मे खण्ड २ में कहा गया हैं कि जो चुराई गई हो अथवा अवैध रुप से प्राप्त की गई हों। अब 'अवधित प्राप्त" शब्दों का क्षेत्र वहुत विशाल है। रेलवे कर्मचारी अपने घरों को फाइलें ले जाते हुए तोपकड़े नहीं जायेंगे। इस उद्देश्य से कानून नहीं बनाया जा रहा है।

इसका उपयोग केवल ऐसी रेलवे सामग्री के लिए किया जाना है जो रेलवे के निर्माण संचालन अथवा संधारण के काम आती हों । ऐसे सामान की रक्षा करनी है । मान लीजिए आप अपना मकान बनाना चाहते हैं । आप एक रेलवे कर्मचारी हैं । आप दो रेल ले जाकर मकान के निर्माण में उन्हें काम में ले आते हैं । यदि आप पकड़े जाते हैं तो आप फ़ौरन ही यह कहेंगे कि एक नीलाम हुआ था और उस समय इस सामान को ख़रीदा था । उच्च पदाधिकारी जो इन मकान बनाने वालों के साथ घी शक्कर होते हैं वे भी कहेंगे कि एक नीलाम हुआ था, नीलाम में बिकने वाली चीज़ों का कोई हिसाब रखा नहीं गया परन्तु कुछ रद्दी माल का नीलाम हुआ था और सम्भवतः ये वस्तुएं भी उसी में हों । हालांकि उन पर चोरी का माल होने का संदेह है, उन पर रेलवे का नाम भी लिखा है, फिर भी अभियोजन नहीं हो सकता और अभियोजन असफल सिद्ध होता है । ऐसी कई घटनाएं अजमेर और इन्दौर में हुई हैं । यह सिद्ध करना कठिन होता है कि ये चोरी का माल है । इसी कारण इस रूप में यह कानून बनाया जा रहा है कि अपराधी को इस बात का अवश्य ही संतोषजनक उत्तर देना होगा कि उसके पास यह सामग्री कैसे आई । ऐसा होता है कि जब उस व्यक्ति के पकड़े जाने का समय आता है तो वह उस से पूर्व ही मकान बेच जाता है । इसलिए यह और भी आवश्यक है कि इस प्रकार की प्रस्तावित विधि पारित हो ।

**सरदार हुक्म सिंह** ( कपूरथला-भटिन्डा ) : मैं भी प्रवर समिति का एक सदस्य था और वहां हम ने इन सब बातों पर विचार किया था । हमने यह देखा और अनुभव किया कि यह बुराई इतनी आम है कि इसका कुछ उग्र उपाय करना आवश्यक है । इसी मूल विचार को लेकर यह विधेयक प्रस्तुत किया गया और इसे प्रवर समिति को सौंपा गया । एक ओर तो निर्दोष व्यक्तियों के पकड़े जाने का भय है और ऐसा न हो इसके लिए हमें सावधानी बरतनी होगी । दूसरी ओर, जैसा कि मेरे माननीय मित्र ने अभी सुझाव दिया है, कुछ कार्यवाहियां की जानी भी आवश्यक हैं ताकि इस राष्ट्रीय हानि को जो इतनी अधिक हो रही है, रोका जा सके । इसलिए कुछ उपाय तो करने ही होंगे ताकि जहां तक सम्भव हो निर्दोष व्यक्तियों को कोई कष्ट न हो और ऐसे व्यक्ति जो प्रायः इस प्रकार का अपराध करते हैं और इतनी अधिक हानि के लिए उत्तरदायी हैं उन्हें क़ानून के शिकन्जे में जकड़ा जा सके । प्रवर समिति ने इसी प्रश्न पर निरपेक्ष भावना से विचार करते हुए यह निर्णय किया कि विधेयक में अब जो व्याख्या दी गई है उस से अवश्य ही हितों की रक्षा होगी । पंडित ठाकुर दास भार्गव के अनुसार यदि हम ने भारतीय दंड संहिता के अधीन सामान्य विधि की ही पुरानी व्याख्या को अपनाया तो मैं समझता हूं कि विधेयक का मूल उद्देश्य ही नष्ट हो जायेगा । यदि वही प्रक्रिया अपनाई जाती है तो फिर उस विधेयक को प्रस्तुत करने का उद्देश्य ही क्या रह जायेगा ? रेलवे को व्याख्या के अधीन जब यह सिद्ध करना होगा कि यह रेलवे सम्पति है तो (क) की सिद्धि ही पर्याप्त न होगी; रेलवे को (ख) के अधीन इस से अधिक यह भी सिद्ध करना होगा कि यह सामग्री रेलवे के निर्माण, संचालन अथवा संधारण के लिए प्रयोग की जाती है या प्रयोग की जाने के लिए अभिप्रेत है । यही दो बातें रेलवे को सिद्ध नहीं करनी होंगी बल्कि दण्डाधिकारी को यह पता लगाना होगा और निर्णय देना होगा कि व्यक्ति के क़ब्ज़े में ऐसी रेलवे सामग्री

[सरदार हुक्म सिंह]

मिली है या उसके क़ब्ज़े में होनी सिद्ध हुई है जिस पर चोरी के होने अथवा अविधिवत् प्राप्त होने का उचित ही संदेह है । मेरे विचार में हम ने जो सावधानियां बरती हैं वे आवश्यक हैं और वे पर्याप्त हैं । यदि इस व्याख्या को और बढ़ाया गया तब विधेयक का मूल उद्देश्य ही नष्ट हो जायेगा और इसे अधिनियमित करना निष्फल होगा । मुझे आशा है कि विधेयक को इसी रूप में स्वीकार किया जायेगा ।

**उपाध्यक्ष महोदय** : "रेलवे सामग्री" शब्द की व्याख्या में जिस प्रकार अब संशोधन किया गया है उसके अन्तर्गत प्रशासन का यह सिद्ध करना कर्त्तव्य होगा कि जिस तारीख को मुकदमा चलाया गया, वह सम्पत्ति अभी भी रेलवे प्रशासन की ही सम्पत्ति है और उसे बेचा नहीं गया था । और दूसरे व्यक्ति को इस बात का सन्तोषजनक उत्तर देना होगा कि उसे वह वस्तु कैसे प्राप्त हुई । मेरे विचार में इस सम्बन्ध में खण्ड (२) के उपखण्ड (क) में इस बात की चर्चा पर्याप्त है । इसलिये कोई आपत्ति शेष नहीं रहती ।

**श्री राघवाचारी** (पेनुकोंडा) : मैं भी प्रवर समिति का सदस्य था । यदि आप "रेलवे सामग्री" की मूल व्याख्या की वर्तमान व्याख्या से तुलना करें तो आप देखेंगे कि पूरी बात में ही परिवर्तन हुआ है । जैसा कि मेरे मित्र सरदार हुक्म सिंह ने कहा था, इस विधेयक को प्रस्तुत करने का एक उद्देश्य यह था कि अधिक दण्ड देकर चोरों को चोरी से रोका जाये और निर्दोष व्यक्ति न पकड़े जा सकें । भारतीय दण्ड संहिता में संशोधन करने से पहली बात तो पूरी हो सकती थी परन्तु प्रश्न निर्दोश व्यक्तियों के हितों की रक्षा का भी था । हमारा उद्देश्य सदा यही होना चाहिये कि दस अपराधी चाहे कानून के क्षेत्र से बच जायें परन्तु एक भी निर्दोष व्यक्ति को कोई कष्ट न हो, हमें इसी कसौटी पर विधेयक को परखना होगा ।

**श्री धुलेकर** (जिला झांसी-दक्षिण) : पिछले चार या पांच वर्षों में रेलवे सम्पत्ति बेची गई है । सैंकड़ों और हज़ारों गार्डर और रेलवे का दूसरा सामान नीलाम किया गया है । इस लिये मैं जानना चाहता हूं कि सीमांकन कैसे होगा ?

**श्री राघवाचारी** : जैसा कि आपने कहा है "रेलवे सामग्री" का अर्थ वह वस्तु है जो अपराध की तिथि पर भी रेलवे प्रशासन की सम्पत्ति हो । इसका अर्थ यह हुआ कि चाहे चोरी की तिथि मालूम न हो लेकिन अपराध की तिथि पर वह रेलवे प्रशासन की सम्पत्ति अवश्य होनी चाहिये ।

**उपाध्यक्ष महोदय** : मैं तो यहां तक कहूंगा कि अभियोजन की तिथि पर उसे रेलवे सम्पत्ति होना चाहिये । अपराध की तिथि आवश्यक नहीं है । यदि वह वस्तु बेची नहीं गई तो चाहे वह सौ वर्ष पूर्व भी चुराई गई हो वह रेलवे प्रशासन को सम्पत्ति है ।

**श्री राघवाचारी** : व्याख्या में कहा गया है "और जो प्रयोग की जाती है अथवा प्रयोग की जाने के लिये अभिप्रेत है" "प्रयोग की जाने के लिये अभिप्रेत" शब्दों से कुछ कठिनाई हो सकती है । मेरे विचार में "प्रयोग होती हो" और इसके उपरान्त "प्रयोग की जाने के लिये अभिप्रेत" प्रसंग में इस का अर्थ अवश्य ही केवल एक नई वस्तु से होगा जो प्रयोग की जाने के लिये अभिप्रेत थी और इसका अर्थ किसी पुरानी वस्तु या ऐसी किसी वस्तु से नहीं है जिसे एक बार प्रयोग किया गया और फेंक दिया गया । उसे "प्रयोग की जाने के लिये अभिप्रेत" नहीं कहा जा सकता ।

**पंडित ठाकुर दास भार्गव** । पुरानी वस्तु का पुनः प्रयोग हो सकता है ।

**श्री राघवाचारी** : यह मैं समझता हूं । इसलिये यह सिद्ध करना कठिन हो जाता है कि ऐसी वस्तु प्रयोग की जाने के लिये अभिप्रेत थी ।

**उपाध्यक्ष महोदय** : मेरे विचार में माननीय सदस्य ने प्रवर समिति में शब्दों का चुनाव ध्यानपूर्वक ही किया है । "किन्तु जो प्रयोग की जा सकती है" यह नहीं कहा गया बल्कि यह कहा गया है "प्रयोग की जाने के लिये अभिप्रेत" किसी वस्तु को यह कह कर भंडार में रख देना ठीक है कि यह अब और अधिक प्रयोग की जाने के लिये अभिप्रेत नहीं है ।

**श्री राघवाचारी** : जब किसी व्यक्ति के पास कोई चोरी की वस्तु मिले या यह सिद्ध हो जाये कि चोरी की वस्तु उसके कब्जे में है तो वस्तु के केवल क़ब्ज़े में होने से जो धारणा उत्पन्न होती है उसकी कठिनाई है। निश्चय ही साक्ष्य अधिनियम और विधिशाला की विधियों के अधीन पूर्वकल्पना करने के लिये "हाल का कब्ज़ा" और "कब्जा मात्र" में भेद किया जाता है । भारतीय दंड संहिता की धाराओं में भी "हाल का" शब्द नहीं है । केवल साक्ष्य अधिनियम की धारा ११४ के अधीन ही "हाल का कब्जा" शब्द है ।

**पंडित ठाकुर दास भार्गव** : क्या भारतीय दंड संहिता के अधीन "कब्जा मात्र" एक अपराध है ?

**श्री राघवाचारी** : जी नहीं; केवल चोरी के सामान के सम्बन्ध में अपराध है ।

**उपाध्यक्ष महोदय** : क्या धारा ४११ में यह नहीं कहा गया कि 'चोरी निश्चित समय के भीतर हुई हो' चाहे चोरी सौ वर्ष पूर्व ही क्यों न हुई हो, कानून के अधीन ऐसी कोई बात नहीं है जो शिकायत करने से रोक सकती हो ।

**श्री राघवाचारी** : अतः, मेरा यह निवेदन है कि खण्ड ३ के सम्बन्ध में भी न्यायशास्त्र के सामान्य सिद्धान्त इस अधिनियम पर लागू हो सकते हैं और हम इस बात से अधीर नहीं होना चाहिए कि उसमें 'रीसेंट' ['वर्तमान'] शब्द नहीं है क्योंकि उसकी इसी रूप में परिभाषा लेने पर भी कोई विशेष बात उत्पन्न नहीं होती है । उसमें यह भी बताया गया है : "जो रेलवे की सम्पत्ति है"; इसके अतिरिक्त ये शब्द भी आये ह : "उचित रूप में यह सन्देह किया जाता है कि वह चीज़ चुराई गई है अथवा अवैधानिक रूप से प्राप्त की गई है" । इस प्रकार से बचाव के ये उपाय और किये गये हैं ।

इन सब बातों के अतिरिक्त खण्ड में ये शब्द भी रख गये हैं : "और संतोषजनक रूप में यह बताने में असमर्थ है कि उसे वह वस्तु कैसे प्राप्त हुई ।" यह शब्दावलि केवल इस उद्देश्य से रखी गई है, ताकि व्यक्ति इस बात को सिद्ध कर सके कि उसे वह सम्पत्ति किस प्रकार प्राप्त हुई । भाषा इस प्रकार की है कि उससे निर्दोष व्यक्तियों की रक्षा हो सकगी । किन्तु एक कठिनाई फिर भी है । "अथवा जो वस्तुयें इस्तेमाल के लिये हैं ।" शब्द बहुत ही व्यापक अर्थ रखते हैं । जिन चीज़ों का रेलवे में प्रयोग किया जाता है, उनमें से बहुत सी चीजों पर कोई ऐसा चिह्न नहीं होता जिससे हम जान सकें, कि यह रेलवे की चीज़ है । अतः, समिति ने "जो किसी रेलवे प्रशासन की सम्पत्ति हो" शब्द भी रखे हैं ।

**अध्यक्ष महोदय** : प्रत्येक वस्तु पर, जो कि रेलवे की हो, एक विशेष चिह्न होना आवश्यक है, ताकि कोई भी व्यक्ति उनका प्रयोग न कर सके ।

**श्री राघवाचारी** : कुछ ऐसे बचाव रखे गये हैं, जो एक ईमानदार व्यक्ति की रक्षा करते हैं । मूल विधेयक की भाषा बड़ी निराशाजनक थी । किन्तु अब एक निर्दोष व्यक्ति के बचाव के लिये उसमें काफी सुधार कर दिये गये हैं ।

[श्री राघवाचारी]

मुझे केवल "चुराई गई अथवा अवैधानिक रूप से प्राप्त की गई" शब्दों के प्रति आपत्ति है। खण्डवार चर्चा के दौरान में मैं इस संबन्ध में अपना संशोधन रखूंगा। सम्पूर्ण रूप से, इस विधेयक में काफी सुधार कर दिया गया है और निर्दोष व्यक्ति के पक्ष में उसमें काफी बचाव रखे गये हैं।

**श्री बंसीलाल** (जयपुर) : दण्ड के सम्बन्ध में विधेयक में बताया गया है कि अपराधी को पांच वर्ष तक की सज़ा का अथवा जुर्माने का, अथवा दोनों का, दण्ड दिया जा सकेगा। मैं इस सम्बन्ध में दो बातों का स्पष्टीकरण चाहता हूं, प्रथम यह कि किस प्रकार के कारावास का दण्ड दिया जायगा और जुर्माना डाला जायगा, वह अधिक-से-अधिक कितना हो सकता है।

**उपाध्यक्ष महोदय** : अब हमें संशोधन सम्बन्धी कार्यवाही शुरू करनी चाहिए। लगभग दो घंटे व्यतीत हो चुके हैं। शेष दो घंटों में से मैं एक घंटा संशोधनों के लिये और एक घंटा सामान्य चर्चा के लिये नियत करता हूं। मैं प्रत्येक सदस्य को १० मिनट दूंगा।

**श्री बंसीलाल** : अधिकांश सदस्य प्रवर समिति में थे।

**उपाध्यक्ष महोदय** : क्या श्री कासलीवाल प्रवर समिति में थे ?

**श्री कासलीवाल** (कोटा-झालावाड़) : जी हां, किन्तु मैं केवल पांच मिनट ही लूंगा।

**उपाध्यक्ष महोदय** : ठीक है। मैं उनके अतिरिक्त प्रवर समिति के किसी अन्य सदस्य को बोलने की अनुमति नहीं दूंगा।

**श्री कासलीवाल** : पंडित ठाकुर दास भार्गव और सरदार हुक्म सिंह ने बताया है कि यह एक विशष विधि है। श्री त्रिवेदी ने इस विशष विधि की आवश्यकता पर प्रकाश ड़ाला है। मैं केवल इस सम्बन्ध में ही बताना चाहता हूं कि इससे अभियुक्त के अधिकारों पर कहां तक प्रभाव पड़ता है।

मूल विधेयक में रेलवे विभाग यह सिद्ध करन के लिये बाध्य नहीं था कि यह सम्पत्ति रेलवे सम्पत्ति है। किन्तु अब अभियोग चलाने के लिये रेल को यह सिद्ध करना होगा कि यह रेलवे सम्पत्ति है।

अभियोक्ता को दूसरी बात यह सिद्ध करनी होगी कि यह वस्तु रेलवे के निर्माण-कार्य इत्यादि में इस्तमाल किये जाने के लिये है, अथवा इस्तेमाल की जाती है। श्री राघवाचारी ने "इस्तेमाल किये जाने के लिये है" शब्दों पर आपत्ति की है। मैं निवेदन करता हूं कि रेलवे विभाग बहुत बड़ी मात्रा में सामान खरीदता है और वह इस्तेमाल किये जाने के लिये ही होता है। यदि उस सामान को नीलाम में बेच दिया गया है, तब वह रेलवे की सम्पत्ति के रूप में नहीं रहता। वही सामान जो कि रेलवे में इस्तेमाल किये जाने के लिये है, रेलवे सम्पत्ति की श्रणी में आता है। अत: "इस्तेमाल किये जाने के लिये है;" शब्दों को निकाल देने से पूरी परिभाषा ही पलट जाती है।

तीसरी बात रेलवे को यह सिद्ध करनी होगी कि रेलवे सामान के चुराये जाने अथवा अवैधानिक रूप से प्राप्त किये जाने की शंका उचित है। उपरोक्त बातों के सिद्ध करने के पश्चात् ही अभियुक्त से यह कहा जायगा कि वह संतोषजनक रूप में यह बताये कि उसे वह सामान किस प्रकार प्राप्त हुआ। इस प्रकार हम देखते हैं कि अब अभियुक्त के पक्ष में पर्याप्त उपबन्ध कर दिया गया है। अभियुक्त को यह सिद्ध नहीं करना पड़ेगा, अपितु केवल यह बताना पड़ेगा कि उस सामान पर उसका विधिपूर्वक अधिकार है। प्रवर समिति ने मूल विधेयक में जो सुधार कर दिये हैं, उनसे मैं समझता हूं कि अब यह विधेयक बिल्कुल ठीक है, और मैं इसका समर्थन करता हं।

**पंडित के० सी० शर्मा** (ज़िला मेरठ-दक्षिण) : मैं अभी तक नहीं समझ पाया कि "चुराये जाने अथवा अवैधानिक रूप से प्राप्त किये जाने की उचित रूप से शंका की जाती है" शब्दों का क्या अर्थ है । इस बात का क्या प्रमाण होगा कि यह वही सम्पत्ति है जिसके बारे में उचित रूप से यह शंका की जाती है कि यह चुराई हुई अथवा अवैधानिक रूप से प्राप्त की गई है । धारा ४११ के अन्तर्गत यदि एक व्यक्ति, यह जानते हुए कि यह सम्पत्ति चुराई हुई है, उसे अपने पास रखता है, तब वह अपराध करता है। चुराई हुई सम्पत्ति को रखने से वह अपराध को प्रोत्साहन देता है और एक ऐसा काम करता है, जो समाज के हित में नहीं है, अतः ऐसा करना एक अपराध है । मैं पंडित ठाकुर दास भार्गव की इस बात से सहमत नहीं हूं कि क़ब्ज़ा स्वयं ही उसके विधिपूर्वक होने की प्रत्याभूति है । बहुत समय तक किसी वस्तु को अपने क़ब्ज़े में रखने से अपराध विधिगत नहीं हो सकता ।

अतः, मैं अब भी इस बात पर जोर देता हूं कि धारा ४११ के समान ही यदि शब्दावलि रखी जाये, तो विधि अधिक उपयोगी सिद्ध हो सकेगी । भाषण समाप्त करने से पूर्व मैं एक बात और कहना चाहता हूं । केवल प्रशासनीय अदक्षता और पर्यवेक्षण के अभाव के कारण ही रेलवे मंत्रालय को एक ऐसे उपाय का सहारा लेना पड़ रहा है, जो कानून की दृष्टि से ठीक नहीं । अतः, यदि सामान की निगरानी ठीक होने लगे तो अधिक उत्तम होगा ।

**श्री टी० वी० विट्टल राव** (खम्मम्) : मैं इस विधेयक का पूर्ण समर्थन नहीं करता । मैं नहीं समझता कि यह विधेयक अपेक्षित उद्देश्यों की पूर्ति करने में समर्थ भी हो सकेगा । एक वर्ष में रेलों में लगभग १०० करोड़ रुपये का सामान लग जाता है, जिसमें से चोरी त्यादि के कारण लगभग १५ या २० लाख रुपये के सामान का नुकसान हो जाता है । जो सामान चोरी जाता है, उसमें से कुछ तो ऐसा होता है, जिससे जनता को बड़ी परेशानी हो जाती है, जैसे बिजली के बल्ब, आदि । प्रस्तुत विधान से अभियोगों की संख्या तो बढ़ जायेगी, किन्तु ससे चोरियां कम नहीं होंगी । हमें इस बुराई के कारण को ही दूर करने की कोशिश करनी चाहिए । रेलों में जो सामान चोरी जाता है, अथवा खराब हो जाता है, उसके लिये हम प्रत्येक वर्ष लगभग ३ करोड़ रुपये के दावे मंजूर करते हैं । अतः हमें ऐसे उपाय निकालने चाहिए जिनसे ये चोरियां न हो सकें । मैं स्वयं एक रेलवे कर्मचारी रहा हूं और मैं ने स्वयं न चीज़ों को देखा है । रेलवे के कारखाने म पदाधिकारियों को लगभग १००´ रुपये की लागत की अलमारियां केवल १५ या २० रुपये में दे दी जाती हैं । हैदराबाद में मोटरगाड़ियों की मरम्मत के लिये रेलवे का एक छोटा सा कारखाना था । सारे ही पदाधिकारी अपनी गाड़ियों को इस कारखाने में ठीक करवाते थे और मरम्मत में जो लागत लगती थी, उससे कहीं कम वे देते थे । ऐसी बातों को रोकने के लिये इन पदाधिकारियों के विरुद्ध, जो कि अपने पद का दुरुपयोग करते हैं, सख्त कार्यवाही करने को आवश्यकता है ।

आजकल रेलवे प्रशासन एक सुरक्षा सेना रखने में काफी व्यय कर रहा है । इस में ६०,००० व्यक्ति हैं, जो इस बुराई को बड़ी अच्छी तरह से दूर कर सकते हैं, यदि वे अपने कर्तव्य का पालन करें । फिर, मैं नहीं समझता कि इस विधि के बनाने की कोई आवश्यकता है । इस से अभियोगों की संख्या तो अवश्य बढ़ जायेगी, किन्तु चोरियां बन्द नहीं होंगी और उन अभियोगों के चलाने का खर्चा भी बढ़े जायगा । इन दो बातों के आधार पर ही मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं ।

दूसरी बात यह है कि रेलवे विभाग एक आदर्श सेवा-नियोजक (काम दिलाने वाला) है, अतः उसे कोई विशेषाधिकार नहीं मिलने चाहिएं ।

[श्री टी० बी० विट्टल राव]

[सरदार हुकम सिंह पीठासीन हुए]

यदि अहमदाबाद कपड़ा मिल के मालिक सरकार से एक ऐसे ही विधान को पारित करने के लिये कहें, तो क्या सरकार वैसा करने को तैयार हो जायेगी ? आज देश में अनेक राष्ट्रीयकृत उपक्रम हैं । वे सभी इस विधान को एक पूर्व उदाहरण मानकर सरकार से ऐसे ही विधान पारित करने को कहेंगे । मैं इस विधेयक का घोर विरोध करता हूं ।

**श्री धुलेकर** : मैं ने पंडित ठाकुर दास भार्गव के भाषण को ध्यानपूर्वक सुना है। किन्तु, मैं यह नहीं समझ सका कि वह अभियुक्त पर रखे जाने वाले सिद्धि-भार के बारे में क्यों अधिक चिन्तित थे । इस विधेयक में, मैं ऐसी कोई भी बात नहीं देखता, जो कि अनोखी हो । रेलवे सम्पत्ति की यह परिभाषा दी गई है कि यह वह सम्पत्ति है जो कि रेलवे प्रशासन की है अथवा जो कि रेलवे के निर्माण-कार्य, आदि में इस्तेमाल की जाती है अथवा इस्तेमाल किये जाने के लिये है । आगे, अभियोक्ता को यह सिद्ध करना है कि रेलवे की इस सम्पत्ति के बारे में उचित रूप में यह शंका की गई है कि यह या तो चुराई गई है, या अवैधानिक रूप से प्राप्त की गई है । अभियोग चलाने के लिये अभियोक्ता को यह सिद्ध करना होगा कि वह सम्पत्ति रेलवे की ही सम्पत्ति है, रेलवे के क़ब्ज़े में है, किसी को भी विधि पूर्वक नहीं दी गई है और अभियोक्ता के पास पाई गई है । यह कहा गया है कि क्योंकि वह सम्पत्ति अभियुक्त के पास पाई गई है, अतः उसको सज़ा दी जायेगी । किन्तु ऐसा नहीं है । शब्द ये हैं "यदि अभियुक्त संतोषजनक रूप से यह नहीं बता पाता है, कि उसे वह वस्तु कैसे मिली" । इसमें 'संतोषजनक रूप से' शब्द विशेष महत्व-पूर्ण हैं । यदि अभियुक्त यह बताता है कि उसने यह चीज़ बाज़ार भाव से खरीदी है, तब वह उस मामले के बारे में संतोषजनक रूप में बताता है और यदि वह यह दिखाता है कि उसने उस चीज़ को बाज़ार भाव से बहुत सस्ता खरीदा है, तो हमें उसका इरादा एकदम पता चल जाता है । अतः, मैं नहीं समझता कि य शब्द किसी प्रकार भी अन्यायपूर्ण हैं ।

इसके अलावा, मैं यह बताना चाहता हूं कि रेलवे सम्पत्ति में और बाज़ार में बिकने वाली चीज़ों में बहुत अन्तर होता है । रेलवे के पंखे बाज़ार में बिकने वाले पंखों से भिन्न होते हैं । यहां तक कि रेलवे की कीलें भी भिन्न होती हैं । सुरक्षा तथा प्रतिपालन के लोग रेलवे की चीज़ों को बाज़ार में कुछ व्यापारियों को बेच देते हैं और फिर वे व्यापारी खुले रूप में उन चीज़ों को बेचते हैं । अब इस बात की आवश्यकता है कि कोई भी अपराधी न बच सके ।

झांसी में मैं देखता हूं कि रेलवे कारखाने से लोग पुर्जे इत्यादि चुरा कर ले जाते हैं । १२ रुपये प्रति फीट वाली लकड़ी वहां ३ रुपये प्रति फीट बेची जाती है और रेलवे कर्म-चारियों के घरों में जलाई जाती हैं ।

मेरे मित्र यह कह सकते हैं कि यह एक अनोखी विधि है, किन्तु मेरी समझ में यह सामान्य और सहज बुद्धि की बात है जिससे रेलवे विभाग यह सिद्ध कर सके कि यह उनकी ही सम्पत्ति है, जिसके बारे में उनको उचित रूप में यह शंका है कि यह चुराई गई हैं । यह कहा गया है कि निर्दोष व्यक्ति को यह सिद्ध करना बहुत कठिन हो जायेगा कि यह वस्तु वैधानिक रूप से उसी की है । यह भार मैजिस्ट्रेट (दण्डाधिकारी) पर रखा गया है कि वह इस बात का निश्चय करे कि रेलवे सम्पत्ति के चुराये जाने अथवा अवैधानिक रूप से प्राप्त किये जाने के बारे में जो शंका की जाती है, क्या वह उचित है ।

**पंडित ठाकुर दास भार्गव** : क्या अभि-युक्त को सन्देह करने की आवश्यकता है ?

**श्री धुलेकर** : अभियुक्त स्वयं इस बात को जानता है कि उसने उस वस्तु को पूरी कीमत में ईमानदारी से खरीदा है या नहीं । जब कभी ऐसे मामले उपस्थित होंगे, तो वे निस्संदेह रेलवे सम्पत्ति से ही संबंधित होंगे । मैं नहीं समझता कि रेलवे विभाग बाज़ार से

कोई चीज़ खरीद कर उसे किसी दूसरे व्यक्ति को दे देगी और फिर एक निर्दोष व्यक्ति पर चोरी का आरोप लगायेगी। रेलवे सामान बाज़ार के सामान से भिन्न होता है। दण्डाधीश के निर्णय के पश्चात अभियुक्त अपनी खरीद सम्बन्धी रसीद प्रस्तुत कर सकता है और उस व्यक्ति का नाम बता सकता है जिस से उसने वस्तु खरीदी है। यदि वह यह प्रमाणित कर दे कि उसने वह वस्तु एक ईमानदार दुकानदार से खरीदी है तो उसका यह स्पष्टीकरण अपने आप को अपराधहीन सिद्ध करने के लिए संतोषजनक है।

**श्री बंसीलाल** : मैं इस बिल का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं इसका विरोध इसलिए नहीं करता कि रेलवे के सामान की चोरी नहीं होती बल्कि यह अपराध तो दिनों-दिन बढ़ रहा है। परन्तु मेरा विरोध इस बिल पर दो कारणों से है। पहली बात तो यह है कि इस बिल को पेश करते समय हमारे देश के जो और कानून हैं, पैनेल कोड (दण्ड संहिता) क्रिमिनल प्रोसीज्योर कोड (दण्ड प्रक्रिया संहिता) या एविडेंस ऐक्ट (साक्ष्य अधिनियम) और जो कौमन ला (सामान्य विधि) हैं, अपराध के सम्बन्ध में, जो हमारा न्याय है और न्याय से सम्बन्धित जो क़ानून हैं, उनका ध्यान नहीं रक्खा गया है।

विरोध का दूसरा कारण मेरा यह भी है कि जिस मक़सद के लिए यह बिल पेश किया गया है और जो क़ानून बनाया जा रहा है उससे उस अपराध की कोई रोकथाम नहीं हो सकती। इन दोनों ही कारणों से मैं इस बिल का विरोध करता हूं।

मेरे वयोवृद्ध मित्र पंडित ठाकुर दास भार्गव ने इसके विरोध में जो दलील पेश की है, मैं ऐसा महसूस करता हूं कि उन बातों पर पूरा ध्यान नहीं दिया गया है। जब हम कोई क़ानून बनाने हैं तो यह हम को ज़रूर ध्यान रखना पड़ेगा कि उस क़ानून के बन जाने के बाद भी उस अपराध में कोई रोकथाम होती है या नहीं। अगर अपराध में रोकथाम नहीं होती तो अपराधियों को ज्यादा प्रोत्साहन मिलता है। इस बिल में कुछ बातें ऐसी हैं कि जिससे क़ानून बन जाने पर अपराधियों को सज़ा मिलना मुश्किल है और कुछ शब्द ऐसे भी इसमें आ गये हैं कि जो हमारी न्याय प्रणाली के बिलकुल विपरीत होते हैं। ख़ास तौर पर मैं ध्यान दिलाऊंगा "रीज़नेबिली सस्पेक्टेड" (उचित-रूपेण संदेहजनक) की ओर। अब तक हमारे यहां के फ़ौजदारी मुक़द्दमात का जो आधारभूत सिद्धान्त है वह यह है कि ससपिशन (संदेह) पर किसी भी अपराधी को सज़ा नहीं हो सकती, संदेह उचित है अथवा अन्यथा। इस प्रकार के शब्द क़ानून में रखना मैं समझता हूं कि जो लोग हमारे देश के क़ानून के पंडित हैं, वह इस प्रकार का क़ानून रक्खें और रीज़नेबिल ससपिशन पर किसी को सज़ा हो सकती है तो मैं समझता हूं कि यह शब्द अनुचित हैं।

दूसरे शब्द इसमें आए हैं "अवैधरूपेण प्राप्त' कोई भी आदमी किसी कबाड़ी के यहां से चोर बाज़ार से कोई रेलवे का सामान खरीदता है और उसके बाद में जब उससे पूछा जाता है तो वह कहता है कि मैं ने तो यह सामान ख़रीदा है, तो मैं नहीं समझता कि उसमें अनलाफुलनस (अवैधता) क्या आ गई।

यह अनलाफुल (अवैध) नहीं होगा, यह हो सकता है कि उसने लाफुली (वैध रूप से) खरीदा हो। इस लिये जो पहला अपराधी थीफ (चोर) है उस का तो इस में जिक्र ही नहीं है क्योंकि सारे बिलकी आधारभूत शिला पजेशन (अधिकार) है। अगर पजेशन थीफ के पास न हुआ और दूसरे के पास चला गया और फिर थर्ड हैंड (तीसरे व्यक्ति) में चला जाता है तो थीफ अपराधी कैसे हो सकता है? रेलवे में जो चोरी होती है उस में चोर सामान को अपने पास नहीं रखता, वह बेचता है और कोई भी आदमी जिसके पास इस प्रकार का सामान मिलता है वह कहता है कि मैं ने तो चोर बाजार में खरीदा है। मैं नहीं समझता कि वह गिरफ्त में आ सकता है।

**श्री सी० डी० पांडे** (ज़िला नैनीताल व जिला अलमोड़ा–दक्षिण पश्चिम व ज़िला बरेली–उत्तर) : आप चोर बाजार न कहिये कबाड़ी कहिये ।

**श्री बंसीलाल** : अब समझिये कि वह गिरफ्त में कैसे नहीं आता । उसके लिये तो यही है कि वह बतायेगा कि उस ने किस तरह से यह सामने खरीदा है, और ज्यों ही वह यह बता देता है कि उस ने इस प्रकार से सामान खरीदा, उस की खरीदारी अनलाफुल नहीं रहती । आखिर, अगर आप यह समझते हैं कि यह भयंकर बीमारी रेलवे के सामान की चोरी की हमारे देश में बहुत फैल गई है, तो उस की रोक थाम होनी चाहिये । और अच्छा होता कि अगर सेलेक्ट कमेटी इस अपराध को रोकने के लिये कोई जोरदार बिल इस सभा म पेश करती । "कैननाट एकाउन्ट सेटिस-फैक्टरिली" (संतोषजनक रूप से स्पष्टीकरण नहीं कर सकता) तो कुछ ऐसे शब्द ह जिसके बारे में हमारे न्यायालयों के सामने बड़ी कठिनाई पैदा होगी । मैं एक एडवोकेट की हैसियत से यह बात कहता हूं कि अगर हम कोई भी क़ानून बनाते हैं तो वह क़ानून इस प्रकार का होना चाहिये कि उस का एडमिनिस्ट्रे-शन हो सके । हम क़ानून बनाते हैं, न्यायालयों में क़ानून जायेगा, उस के लिये कुछ पैमाना ोगा, सैटिसफैक्टरिली उस का एकाउन्ट होना चाहिय । "रीजनेबल सस्पिशन" (उचित संदेह) कुछ इस प्रकार के शब्द ह जिस से अपराधी आसानी से बच सकता है ।

इस के अलावा अगर यही मंशा थी कि इस अपराध को रोका जाय तो आगे चल कर हम देखते हैं कि सेन्टन्स (दण्ड) के बारे में इस बिल में काफी लीनिएन्सी (रियायत) बरती गई है । अगर अपराध वास्तव में बहुत फैला हुआ है तो उस की रोक थाम के लिये "आर" (या) का शब्द नहीं इस्तेमाल करना चाहिय था । वार टाइम (युद्धकाल) में हमने देखा कि बहुत से आर्डिनेन्स (अध्यादेश) ऐसे बन थे जिन में इम्प्रिजनमेन्ट (कारावास) लाजिमी था, खाली फाइन (अर्थ दंड) नहीं था । उन में यह था "विध इम्प्रिजनमेंन्ट फार ए टर्म" (कुछ समय के कारावास सहित) । हमारे सम्माननीय मंत्री ने, जिन्होंने यह बिल पेश किया है, इस में क़ानून की दृष्टि से यह नहीं रक्खा है कि "इम्प्रिजनमेन्ट आफ आइदर डिस्क्रिप्शन" (किसी भी प्रकार का कारावास) । यहां भी यह शब्दावली, "पांच वर्ष तक की कालावधि का कारावास" अथवा "ऐसा अपराध जिस के लिए किसी भी प्रकार के कारावास का दण्ड दिया जा सके;" होनी चाहिए । इस के अलावा जहां "आर" (या) शब्द इस में रख दिये गय हैं वहां सजा लाजिमी होनी चाहिये थी । जब आप समझते हैं कि अपराध इस प्रकार फैला हुआ है तो उस में "आर" (या) के बजाय "ऐंड" (और) होना चाहिये था । अगर कोई अपराधी साबित हो जाता है तो इस के अन्दर दिया है कि :

> "पांच वर्ष तक, और अर्थदण्ड या दोनों ।"

"आर" (या) की वजह से मैजिस्ट्रेटों (दण्डा-धीश) के हाथों में शक्ति होती है कि अपराधी को सिर्फ जुर्माना कर के ही छोड़ दें । इस लिये अगर आप वास्तव में कानून को मजबूत बनाना चाहते हैं तो मैं समझता हूं कि इस में "आर" (या) के बजाय "ऐंड" (और) शब्द होना चाहिये, ताकि इट मे हैव डेटरेन्ट एफेक्ट (भयोत्पादक प्रभाव हो) ।

एक बात बर्डेन आफ प्रूफ (प्रमाण का उत्तरदायित्व) के बारे में कह दूं, उस के बाद मैं खत्म कर दूंगा । अभी कई मित्रों ने कहा कि इस बिल में बर्डेन आफ प्रूफ किसी भी हालत में मुलजिम पर नहीं रक्खा जा सकता जब तक कि हम अपने न्याय का ढांचा ही न बदल दें । कल यह कानून बनता है, मान लीजिये कि किसी आदमी के पास कोई चोरी की वस्तु है । जैसा कि सब को मालूम है रेलवे के काफी डिस्पोजल्स (उत्सादन) होते हैं । कानून बनने से पांच, छः वर्ष पहले की कोई चीज़ किसी आदमी के पास पाई जाती है तो वह भी गिरफ्त

में आ जाता है । नतीजा यह होगा कि जहां हम एक अपराध को रोकने के लिये कानून बनाते हैं वहां दूसरे लोगों पर भी जो कि इन्नोसेन्ट (निरापराधी) हैं मुकदमे चल जायेंगे, उनको परेशानी होगी और हमारे देश के किसी भी नागरिक की इज्जत सुरक्षित नहीं रह सकेगी।

इस लिये मैं इस बिल का, जिस फार्म में कि वह इस सदन में हमारे सामने आया है, विरोध करता हूं । जो बहुत से खयालात हमारे वयोवृद्ध मित्र भार्गव साहब ने रक्खे हैं, मैं आशा करता हूं कि आप उस पर ध्यान देंगे । यह न हो कि हम अपने अपराध की रोक थाम करने के जोश में एक ऐसा कानून बना दें जो कि कानून जानने वालों की निगाहों में कमजोर साबित हो ।

**पंडित डी० एन० तिवारी** (सारन दक्षिण) : मैं रेलवे के डिप्टी मिनिस्टर (उप-मंत्री) साहब को मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने इस बिल को यहां रक्खा है । मैं समझता हूं कि इस से भी स्ट्रिंजेन्ट मेजर (सख्त विधान) आना चाहिये था । जैसी बीमारी होती है वैसी ही दवा दी जाती है । रेलवे में चोरियों की बीमारी इतनी भयानक रूप पकड़े हुए है कि जिस का वर्णन नहीं किया जा सकता और जिस का अन्दाज सब लोगों को नहीं है । अभी हमारे माननीय सदस्य श्री विट्ठल राव ने कहा था कि हर साल २५, ३० लाख रु० की चोरियां होती हैं । मैं समझता हूं कि अगर सब चोरियों के आंकड़े इकट्ठे किये जायें और उन की गणना की जाय तो साल में कम से कम २५, ३० करोड़ रु० की चोरियां रेलवे में होती हैं जिन में सब किस्म की चोरियां शामिल हैं, टिकट की चोरी, माल की चोरी, व्यापारियों से मिल कर उन को मुआवजा दिलाने की चोरी.....

**श्री बंसीलाल** : सामान की भी चोरी होती है ।

**पंडित डी० एन० तिवारी** : अगर सब को मिला कर देखा जाय तो २५, ३० करोड़ रुपये से कम की चोरी नहीं होती है । तीन चार दिन पहले एक प्रश्न का उत्तर देते हुए माननीय पार्लियामेन्ट्री सेक्रेट्री (संसदीय सचिव) साहब ने कहा था कि केवल कोयले की चोरी १२,००० टन प्रत्येक वर्ष हुआ करती है । मैं समझता हूं कि उन्होंने कम आंकड़े दिये । कोयले की चोरी अधिक होती है । मैं तो देखता हूं कि रेलवे एंजिनों में दो, चार आने पैसे दे कर लोग मन भर कोयला गिरवा लेते ह, जलते हुए कोयले भी गिरवा लेते हैं जो कि पूरे जले हुए नहीं होते, जिस में उन को साफ्ट कोक मिल जाय और पैसे भी कम देने पड़ें । बाजार में साफ्ट कोक २, २ १।२ रु० मन मिलता है और वह उन को चार आने में मिल जाता है । जंक्शन स्टेशनों पर जहां कोयले के डिपो (भण्डार) हैं या जिन स्टेशनों पर कोयला इंजिनों में लादा जाता है वहां के आस पास जा कर देखिये लोग एंजिनों के गिराये हुए कोयले से ईंटें फूंकते हैं । मैं इस चोरी की शिकायत ले कर भेजता हूं तो एन्क्वायरी (पूछताछ) में, छः छः महीने बीत जाते हैं लेकिन जवाब नहीं मिलता । तो मैं कहता हूं कि यह चोरी इतनी बढ़ गई है कि जिस का शायद आप को अन्दाजा नहीं है । इस के लिये और भी सख्त कानून बनना चाहिये । मैं बड़े अदब के साथ कहना चाहता हूं कि मैं ने एक घंटे तक पंडित ठाकुर दास भार्गव की स्पीच (वक्तृता) सुनी, लेकिन मैं समझा नहीं कि वह किस प्रकार इस बिल का विरोध कर रहे थे, और क्यों कर रहे थे ।

**एक माननीय सदस्य** : आप ले मैन (अनभिज्ञ) हैं ।

**पंडित डी० एन० तिवारी** : हां, यह बात तो है, लेकिन कानून की तरफ ज्यादा न जा कर फैक्ट्स (तथ्य) आप के सामने रख सकता हूं और बता सकता हूं कि इस कानून को कितनी दूर जाना चाहिये । अभी मेरे पहले जो मित्र बोल चुके हैं उन्होंने कहा कि यह बिल अपराध की रोक थाम के लिये है उस में पहले के मामले नहीं आने चाहियें । अगर इस कानून बनने के दो चार दिन पहले किसी ने चोरी की तो क्या

[पंडित डी० एन० तिवारी]

उसको इसमें न लाया जाय । कानून तो इस लिये है कि रेलवे में चोरी न हो । अगर किसी ने चोरी की है जिस के लिये दंड देना चाहिये तो क्या अगर पांच या सात वर्ष पहले किसी ने चोरी की हो तो उसे दंड न दिया जाय । आखिर वह छूटे क्यों ? तो मैं समझता हूं कि यह कानून बहुत जरूरी था और देर कर के आया है, पर दुरुस्त आया है ।

साथ ही मैं एक बात रेलवे मंत्रालय के ध्यान में उन के घर के बारे में लाना चाहता हूं । आप इस बात को समझ लीजिये कि रेलवे की तीन चौथाई चोरियां रेलवे वालों के मेल से होती हैं । जब तक रेलवे कर्मचारी और चोरी करने वाले मिलते नहीं हैं तब तक चोरी कभी नहीं होती । हां गाड़ी में जो चोरी होती है उसकी बात कुछ और है । रेलों में से कुछ गद्दे चुरा लेना या बल्ब निकाल लेना यह दूसरी बात है । लेकिन स्टाक से चोरी तभी होती है जब कि रेल का कोई मुलाजिम मिला होता है । कभी भी स्टाक से कोयले की चोरी नहीं हो सकती जब तक कि कोई चौकीदार या क्लर्क या जो इंचार्ज है वह मिला हुआ न हो ।

अभी हमारे एक भाई ने कहा कि अफसर लोग कुछ अलमारियां बनवा लेते हैं या कुर्सियां बनवा लेते हैं । मैं समझता हूं कि यह तो एक नगण्य सी चीज़ है । कुर्सी बनवा लेना या मोटर ठीक करवा लेना तो एक मामूली सी बात है । यह तो ज्यादा से ज्यादा एक लाख या पचास हजार की कुल चोरी बनती होगी लेकिन मैं तो उन चोरियों की बात कर रहा हूं जोकि करोड़ों की चोरियां बन जाती हैं । मैं चाहता हूं कि गवर्नमेंट अपने घर की तरफ भी ध्यान दे । इतने बड़े अख्तियार हम आप को सौंप रहे हैं और हो सकता है कि जो निर्दोष हैं उनको भी तंग किया जाए । मैं यह भी मानता हूं कि कोई भी कानून फूलप्रूफ आनेस्ट (ईमानदार) न हों । अगर वे चाहें तो बहुत धांधली मचा सकते हैं, बहुत से लोगों को दिक़ कर सकते हैं । मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप यह देखें कि ऐसी बात न होने पावे कि इसका दुरुपयोग हो और उन रेल कर्मचारियों के खिलाफ इसे इस्तेमाल किया जाये जिनके साथ अफसरों का बैर हो । असल में जो डर पंडित ठाकुर दास भार्गव जी को है और जो मंशा उनकी है वह यही है कि इसका गलत इस्तेमाल होगा और निरपराध लोगों को सताया जायेगा । मैं समझता हूं कि सताने वाले वही लोग होंगे जो या तो रेल कर्मचारी होंगे या जो मुकदमा चलाने वाले पुलिस कर्मचारी हैं वह होंगे । यही लोग हो सकते हैं और इनके अलावा और कोई नहीं हो सकता । इसलिए इस तरफ आपको अधिक ध्यान देना चाहिए और यह देखना चाहिए कि जो निर्दोष हैं वे न मारे जायें । साथ ही आपको यह भी देखना है कि आप के जो चोरियां होती हैं उनको आप कैसे रोक सकते हैं । मैं समझता हूं कि यह कानून तो दूसरों पर लागू होगा, रेल कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा । हां एबेटमेंट (दुरुत्साहन) में शायद उन पर लागू हो सकता है लेकिन शायद इसमें एबेटमेंट के बारे में कोई धारा नहीं है । इससे तो यही होगा कि वह आदमी जो कुछ पैसा देकर चीज़ लाता है वह तो पकड़ा जायेगा लेकिन जो पैसा ले चुका होगा और जिस ने रेल का नमक खा कर नमक हरामी किया है उसको कोई सज़ा नहीं होगी । उसको भी इस कानून में लाना बहुत ज़रूरी है ।

मैं और अधिक इस विषय पर न बोलते हुए आप से इतनी ही प्रार्थना करना चाहता हूं कि आप अपने घर को सम्हालें और उनकी तरफ भी नज़र दौड़ायें और इस कानून का दुरुपयोग न हो, ऐसा उपाय करें । इसके बाद आप ऐसा भी कानून लायें जो इससे कड़ा हो और जिस में एबेटमेंट भी आ जाये और जो दूसरी किस्म की चोरियां होती हैं उनका भी

**सभापति महोदय** : श्री एस० बी० रामस्वामी ! मैं माननीय सदस्य से संक्षेप में बोलने का अनुरोध करूंगा । ३ बजकर ५० मिनट म० प० पर मैं माननीय मंत्री से बोलने के लिए कहूंगा और अभी दो एक अन्य सदस्य भी बोलना चाहते हैं ।

**श्री एस० बी० रामस्वामी** (सैलम्) : मैं दस मिनट से अधिक समय नहीं लूंगा ।

इस विधेयक के सम्बन्ध में दो दृष्टिकोण हैं । प्रथम विधि-सम्बन्धी है जिस पर पंडित ठाकुर दास भार्गव ने भली भांति ज़ोर दिया है । उन्होंने जो तर्क रखे हैं वे किसी हद तक अखंडनीय हैं क्योंकि खंड ३ की जैसी भाषा है उसके अनुसार वह वर्तमान विधि तथा भारतीय दंड संहिता और साक्ष्य अधिनियम में सन्निहित व्याख्याओं के प्रतिकूल है । भारतीय दंड संहिता की धारा ४११ में 'ज्ञान' और 'विश्वास करने के कारण' पर जोर दिया गया है । परन्तु अब जो खण्ड प्रस्तावित किया गया है उसमें इन दोनों का सर्वथा अभाव है । इससे नए प्रकार का अपराध उत्पन्न होता है । 'ज्ञान' तथा 'विश्वास करने के कारण' आवश्यक नहीं हैं ।

फिर यह खंड साक्ष्य अधिनियम की धारा ११४ के भी प्रतिकूल है जो कि पूर्वधारणा से संबंधित है । वर्तमान खण्ड धारा ११४ के अन्तर्गत दृष्टान्त (क) से दो बातों में भिन्न है । एक तो इस में जो सन्तोषजनक कारण बताने की बात है वह धारा ११४ के दृष्टान्त के (क) में नहीं है । दूसरे, धारा ११४ में कब्जे के संबंध में कहा गया है, जिसके संबंध में इस विधेयक में कुछ भी उल्लेख नहीं है ।

इस तरह से इन दो बातों में खण्ड ३ वर्तमान विधि के सर्वथा प्रतिकूल है । इससे कठिनाइयां उत्पन्न होंगी । यदि आप वर्तमान विधि को मानते हैं तो खण्ड ३ को स्वीकार करना कठिन है ।

दूसरी कठिनाई व्यवहारिक है । इससे सिद्ध करने की एक नई कठिनाई उत्पन्न होती है । हमने सिद्ध करने का भार अपराधी पर डाल दिया है कि वह अपने को निर्दोष सिद्ध करे । इससे मालूम होता है कि सरकार स्वयं सरकारी सम्पत्ति की चोरी सिद्ध करने में असमर्थ है । इसीलिए यह खंड इस प्रकार गढ़ा गया है ।

यह कोई नया काम नहीं किया गया है वरन् इंग्लैण्ड के विधान की नक़ल की गई है । यह भाषा इंग्लैण्ड के १८७५ के पब्लिक स्टोर्स ऐक्ट (लोक भाण्डार अधिनियम) से जैसी की तैसी ले ली गई है । वर्ष १९५५ में वर्ष १८७५ की नकल करना कहां तक उचित है, इस पर सभा को विचार करना चाहिए । अब यह भाषा समयानुकूल नहीं रही है ।

मेरा विचार है कि इंग्लैण्ड की विधि हमारे यहां से अधिक कठोर है । उदाहरण के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा २७ को ले लीजिए । इसमें 'क़ब्जे' की व्याख्या की गई है । परन्तु इंग्लैण्ड की धारा १० में जो व्याख्या की गई है वह कहीं अधिक व्यापक है । मुझे आश्चर्य है कि सरकार या सरकारी प्रारूप बनाने वाले ने धारा ७ तो इंग्लैण्ड की विधि की जैसी की तसी ले ली किन्तु धारा १० को नहीं लिया, जिससे सरकारी सम्पत्ति की चोरी रोकने का उद्देश्य पूर्ण हो सके । मैं इस धारा का भी स्वागत करूंगा, यदि वह सम्मिलित की जा सके । परन्तु चूंकि हमारे विधेयक का क्षेत्र इंग्लैण्ड की अपेक्षा सीमित है, इसलिए मैं सभा से अनुरोध करूंगा कि वह विधेयक को प्रस्तुत रूप में पारित करे ।

**सभापति महोदय** : श्री मूलचन्द दुबे ! मैं माननीय सदस्य से प्रार्थना करूंगा कि वह कम से कम समय लें ।

**श्री मूलचन्द दुबे** (जिला फ़र्रुख़ाबाद—उत्तर) : पिछले अवसर पर इस विधेयक पर चर्चा के दौरान यह बताया गया था कि प्रति वर्ष लाखों रुपये का रेलवे का सामान चोरी जाता है और देश की साधारण विधि अपराधियों का पता लगाने में असमर्थ है । इसलिए एक पृथक विधि का निर्माण करना आवश्यक हो गया है ।

मैं पंडित ठाकुर दास भार्गव के तर्क को ठीक तरह समझ नहीं सका क्योंकि यदि देश की

[श्री मूलचन्द दुबे]

साधारण विधि ही पर्याप्त होती तो इस विशेष विधि के निर्माण करने की क्या आवश्यकता थी।

यह विधेयक इस बात का प्रावधान करता है कि यदि किसी व्यक्ति के क़ब्ज़े में रेलवे का सामान पाया जायेगा तो उसी समय यह सिद्ध करना होगा कि वह सामान रेलवे का है तथा इस बात का भी उचित सन्देह होना चाहिए कि वह चुराया गया है, अथवा ग़ैर कानूनी ढंग से प्राप्त किया गया है। परन्तु इन दोनों बातों की सिद्धि भी अपराधी के अभियोग के लिए पर्याप्त नहीं। अभियुक्त व्यक्ति से फिर अपना स्पष्टीकरण करने को कहा जायगा और यदि वह इस बात का सन्तोष करा सके कि वह सामान उसने विधिवत प्राप्त किया है तो उसको छोड़ा जा सकता है। इसलिए मैं नहीं समझता कि इस विधि में कोई दोष है, चाहे वह साधारण विधि से कुछ भिन्न हो। चूंकि साधारण विधि से चोरियां रोकी नहीं जा सकी हैं, इसलिए लोकहित में इस विधेयक का पारित किया जाना अत्यन्त आवश्यक है। इसलिए मैं इसका पूर्णतः समर्थन करता हूं।

**सभापति महोदय :** श्री सिंहासन सिंह ! मुझे पूर्ण आशा है कि माननीय सदस्य अपना भाषण ३.५० के पूर्व ही समाप्त कर देंगे।

**श्री सिंहासन सिंह** (ज़िला गोरखपर–दक्षिण) : इस विधेयक के लिए कोई बड़े तर्कों की आवश्यकता नहीं। प्रारंभिक अवस्था में मैंने विधेयक के पुरःस्थापन का समर्थन किया था, परन्तु अब प्रवर समिति से प्रतिवेदित रूप में, विधेयक के पारित करने का प्रयोजन ही नष्ट हो जाता है।

संभवतः साधारण विधि वर्तमान विधि से कहीं अच्छी होती जिसको पारित किया जा रहा है। साधारण विधि की ४१० और ४११ धाराओं के अन्तर्गत अभियुक्त को अधिक सरलता से बन्दी बनाया जा सकता था दंडित किया जा सकता था। इस विधान द्वारा सरकार पर बड़ा भारी बोझ आ जाता है। न केवल उसको रेलवे की सम्पत्ति सिद्ध करनी होगी वरन यह भी कि वह चुराई गई है। कोई भी विद्वान अधिवक्ता जानता है कि सिद्ध तो कोई भी बात की जा सकती है। जिस व्यक्ति के पास रेलवे का सामान पकड़ा जायगा वह यह सिद्ध कर सकता है कि उसे उसने विधिवत प्राप्त किया है। इस तरह बहुत से व्यक्ति छूट जायेंगे। इसलिए यह धारा ३ यदि पारित हुई तो अपराधी व्यक्तियों को अपने को निरपराध सिद्ध करने की छूट मिल जायगी। वे किसी भी व्यक्ति से लिखवाकर उस सामान की खरीद की रसीदें प्रस्तुत कर देंगे। इसलिए मेरा कहना यह है कि इस विधेयक के पारित करने से स्थिति सुधरने के बजाय खराब ही होगी। मैं तो कहूंगा कि यह रेलवे सामान (अवैध कब्जा) विधेयक पारित होने के पश्चात् रेलवे सामान (वैध कब्जा) अधिनियम बन जायेगा और प्रत्येक व्यक्ति बरी हो जायेगा।

रेलवे के पास तीन तरह की पुलिस है प्रारंभ में सरकारी रेलवे पुलिस (जी० आर० पी०) थी। फिर युद्धकाल में रेलवे आरक्षण पुलिस (आर० आर० पी०) बनी और हाल ही में सुरक्षा पुलिस बनाई गई है। ये तीन तरह के पुलिस दल रेलवे सम्पत्ति की देखभाल के लिए हैं। किन्तु चोरियां बढ़ गई हैं। एक दिन पूर्व मैंने माननीय सभा सचिव से सुरक्षा पुलिस के निर्माण के समय से अब तक चुकाये गये दावों की धन राशि जाननी चाही थी जिसका उत्तर वे नहीं दे सके हम जानते हैं कि हमारे देशमें जब कोई व्यक्ति किसी पद पर नियुक्त किया जाता है तो वह नियमित वेतन के अतिरिक्त अन्य आय प्राप्त करने का प्रयत्न करता है। वह कैसे प्राप्त होती है—रेलवे के सामान से रेलवे के अधिकांश कर्मचारी रेलवे के सामान का खुला प्रयोग करते हैं। गोरखपुर में बड़ी बड़ी वस्तुयें चोरी जाती हैं। रेलवे संघ का सभापति होने के नाते मुझे एक बार चोरी में पकड़ी गई चीजें दिखाई गई थीं, जिनको

सुरक्षा पुलिस ने पकड़ा था । परन्तु बाद में उस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई । जब कभी कोई व्यक्ति पकड़ा जाता है तो रेलवे के आदमी उस सामान को रेलवे का बताने के बजाय यह कह देते हैं कि वे उसे पहचानते नहीं हैं । इस तरह से उस व्यक्ति के विरुद्ध वाद नहीं चलाया जा सकता ।

मैं श्री मूलचन्द दुबे और श्री राघवाचारी के विमति-टिप्पणों से सर्वथा सहमत हूं । खण्ड ६ और ३ के जोड़ देने से विधेयक की कठोरता समाप्त हो जाती है । मैं माननीय उपमंत्री तथा सभासचिव को विश्वास दिलाता हूं कि विधेयक को पारित करने के पश्चात् भी वे किसी को भी अपराधी सिद्ध करने में सफल नहीं होंगे ।

**श्री अलगेशन** : सभा ने इस विधेयक का जो इतना अधिक समर्थन किया है, उसके लिए मैं अत्यन्त आभारी हूं ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव ने इसके विरुद्ध बहुत कुछ कहा और मुझे अपनी राय का बनाने का प्रयत्न किया, परन्तु मैं आशा करता हूं कि सभा में दिए गये भाषणों को सुनने के पश्चात् वे स्वयं मेरी राय के हो गए होंगे तथा इस विधेयक के समर्थक बन गए होंगे ।

उन्होंने यह प्रश्न उठाया था कि क्या निजी सम्पत्ति और लोक सम्पत्ति में अन्तर किया जाना चाहिए ? गत अवसर पर मैंने इस प्रश्न का उत्तर दिया था और यह दृष्टिकोण व्यक्त करने का प्रयत्न किया था कि लोक सम्पत्ति को, यदि कोई हो, निजी सम्पत्ति से अधिक पवित्र समझा जाना चाहिए । मैं ने कहा था कि बढ़ते हुए गैर-सरकारी क्षेत्र को देखते हुए हमें इस मामले पर अधिक गंभीरता पूर्वक विचार करना चाहिए और, यदि आवश्यक हो, तो देश की सामान्य विधि में परिवर्तन भी करना चाहिए । उन्होंने पूछा कि रेलवे सम्पत्ति की चोरी निजी सम्पत्ति की चोरी से किस प्रकार भिन्न है ? इस का स्पष्टीकरण बहुत सरल है । निजी सम्पत्ति की रक्षा तो प्रत्येक व्यक्ति स्वयं करता है, परन्तु लोक सम्पत्ति की रक्षा करने वाला कौन है ? आशंका प्रकट की गई कि इस विधेयक से शासन की कार्यकुशलहीनता को छुपाया जा रहा है । सभा को ज्ञात है कि हमने हाल ही में सुरक्षा दल को अधिक प्रभावी बनाया है और मुझे प्रसन्नता है कि उसके परिणामस्वरूप चोरियों की संख्या धीरे धीरे कम हो रही है । मैं चाहता हूं कि यह गति तीव्र रहे और इस संगठन के प्रभावपूर्ण कार्यकरण से यदि हम इस बुराई को सर्वथा मिटा न भी सकेंगे तो कम तो कर ही सकेंगे । निजी सम्पत्ति और लोक सम्पत्ति में यह अन्तर है ।

मुझे अपने मित्र श्री विट्ठल राव की यह बात सुन कर आश्चर्य हुआ कि यदि कपड़े की मिलों के मालिक यह कहें कि उनकी सम्पत्ति की चोरी के मामले में भी वैसा ही किया जाये तो क्या उनके लिए भी वैसा नियम बनाया जायगा ? मैं समझता हूं कि कपड़े की मिलें रेलवे सम्पत्ति की अपेक्षा कहीं अधिक सुरक्षित हैं जो कि सारे देश में फैली हुई है । वास्तव में, यह तर्क बड़ा अद्भुत था और मुझे आश्चर्य हो रहा था कि उनकी विचारधारा को क्या हो गया है । फिर उन्होंने यह कहा कि ऐसा समय आ सकता है जब कि राज्य सरकारें, जो कि मार्ग परिवहन का राष्ट्रीयकरण कर रही हैं, भी ऐसे विधेयक पुरस्थापित करें । उन्होंने यह भी कहा कि यह विधेयक एक बुरा पूर्व दृष्टान्त होगा । मुझ बड़ी प्रसन्नता होगा यदि राज्य सरकारें ऐसा विधेयक लायें । ब्रिटिश अधिनियम में से उद्धरण प्रस्तुत किए गए और यह संकेत किया गया कि कुछ खास शब्द उसमें से लिए गए हैं । वास्तव में यहां ऐसा ही किया गया है । वह अधिनियम समस्त सार्वजनिक सामान पर लागू होता है । और एक समय आएगा जब कि हमें निश्चय ही समस्त सार्वजनिक सामान को सुरक्षा प्रदान करनी होगा । माननीय सदस्य ने इस बुराई के विस्तार के संबंध में भी शंका प्रकट की । परन्तु इसके विपरीत अनेक माननीय सदस्यों ने बड़े जोरदार शब्दों में इस बुराई

[श्री अलगेशन]

का वर्णन किया और बताया कि रेलवे सम्पत्ति की चोरी असंख्य व्यक्तियों द्वारा किस प्रकार की जा रही है । माननीय सदस्य ने कहा कि वह रेलवे कर्मचारी रहे हैं । तब तो उन्हें ये बातें मालूम होना चाहिए थीं । मैं उनसे कुछ रचनात्मक सुझावों की आशा करता था परन्तु उनके भाषण से मुझे निराशा हुई ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव ने यह दृष्टिकोण व्यक्त किया है और उन्होंने इस आशय का एक संशोधन भी दिया है कि रेलवे कर्मचारियों को अन्य व्यक्तियों की अपेक्षा अधिक दंड मिलना चाहिय । मैं आशा करता हूं कि न्यायालय इस सम्बन्ध में ऐसा कर सकते हैं कि यदि कोई रेलवे कर्मचारी ऐसी चोरियों में शामिल पाए जाएं तो उन्हें अपेक्षाकृत कठोर दंड दें । ऐसा नहीं है कि प्रत्येक मामले में पूरे ५ वर्ष का दंड ही दिया जायगा । पिछले दिन ही मैंने बताया था कि अभी तक जो मामले न्यायालय में भेजे गए हैं, उनमें कसे सरल दंड दिए गए हैं ।

थोड़ा-सा उल्लेख नीलाम की जाने वाली रेलवे सम्पत्ति का भी किया गया । सामान्यतः उस टूटे फूटे लोहे (क्षेप्य) की नीलामी की जाती है जो रेलवे के लिए उपयोगी नहीं होता परन्तु ऐसे मामलों में नीलाम की जाने वाली वस्तुओं की सूचना पार्टी को जारी की जाती है और वह किसी भी व्यक्ति के लिए यह कहने के लिए पर्याप्त प्रमाण होना चाहिए कि वह सम्पत्ति उसने विधिवत नीलाम द्वारा प्राप्त की है । यह सिद्ध करना अत्यन्त सरल होना चाहिए । कुछ अन्य वस्तुयें भी हो सकती हैं जो किसी डिज़ायन में परिवर्तन के कारण बेकार हो जायं । मैं यहां पर दिए गए भाषणों को सुनने के पश्चात् इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि यदि ऐसी सम्पत्ति चुराई जाती है तो हम अपराधियों को इस नियम के अन्तर्गत सज़ा नहीं दे सकेंगे तथा हमें सामान्य विधि का सहारा लेना पड़ेगा । जैसा कि किसी व्यक्ति ने संकेत किया था, यह सिद्ध नहीं किया जा सकता कि बेकार हो जाने के बाद सम्पत्ति का प्रयोग किया जाना था, यद्यपि एक बार रेलवे द्वारा उसका प्रयोग किया गया था । यदि अब उसका रेलवे द्वारा प्रयोग नहीं किया जाना ह तो इस विधि के शिकंजे में ऐसे मामलों को लाना सम्भव नहीं होगा ।

मेरे मित्र पंडित ठाकुर दास भार्गव ने "वर्तमान या हाल" (रीसेंट) शब्द जोड़ने के लिए अनु ोध किया । मैं समझता हूं, इसका उत्तर श्री राघवाचारी द्वारा भली प्रकार से दे दिया गया है । वास्तव में श्री राघवाचा ी ने कहा कि यह विधेयक अभियुक्त के प्रति न्याय से भी अधिक करता है । इसकी विशेष प्रकृति को देखते हुए निश्चय ही यह किसी भी व्यक्ति का उद्देश्य नहीं है कि वह सामान्य विधि के अनुरूप ही हो । चूंकि एक विशिष्ट स्थिति का सामना करना है, इसलिए हम विशेष कानून चाहते हैं । यह बात सभापति महोदय ने भली प्रकार स्पष्ट कर दी है इसलिए मैं अधिक कुछ नहीं कहूंगा ।

फिर पंडित ठाकुर दास भार्गव ने कहा कि वह इस विधेयक का पूर्णतः समर्थन करगे । यदि यह उस सम्पत्ति पर लागू हो जो केवल रेलवे में ही प्रयोग की जा सकती हो । उन्होंने कहा कि यदि ऐसा हो तो उन्हें इस विधि से कोई आपत्ति न होगी । मैं यह संकेत करूंगा कि चूंकि किसी भी वस्तु को केवल रेलवे का कहना सम्भव नहीं है, इसलिए हमने यह सिद्ध करने का काय अपने हाथ में लिया है कि वह विशेष वस्तु रेलवे से सम्बन्धित है । सभापति महोदय को स्मरण होगा कि टेलीग्राफ के तारों के सम्बन्ध में जो अन्य विधेयक इस सभा द्वारा पारित किया गया है— ेलीग्राफ तार (अवैध कब्जा) अधिनियम— उसमें सिद्ध करने का भार अभियोक्ता पक्ष पर नहीं । यदि यह सिद्ध कर दिया जाता है कि वे (टेलीग्राफ के) तार एक विशेष नाप के हैं, तो उसी समय दूसरे को यह सिद्ध करना पड़ता है कि उसने उन तारों को वैध रूप से

प्राप्त किया है । तब अभियोक्ता पक्ष के पास प्रतिपादित करने को कोई प्रमाण नहीं रह जाता । उन्हें कुछ भी सिद्ध नहीं करना पड़ता । अभियोक्ता पक्ष पर ऐसा कोई दायित्व नहीं रहता कि वह प्रमाण दे कि वे तार डाक-तार विभाग के हैं । चूंकि हमारे मामले में हम अपनी चीज़ों पर भेद दिखाने वाला कोई चिह्न नहीं बना नहीं सकते और हम किसी भी सम्पत्ति के विशेष तौर पर केवल रेलों की ही सम्पत्ति नहीं बता सकते, इसलिये प्रमाण जुटाने का सारा भार हमने अपने ही कंधों पर ले लिया है। और मेरा, विचार है कि इससे माननीय सदस्य संतुष्ट हो जायेंगे ।

आगे, उन्होंने "अवैध कब्जा" और "चुराये जाने के सन्देह" शब्दों पर आपत्ति की थी । सभा को ज्ञात है कि ये शब्द एक ऐसे अधिनियम से लिये गये हैं, जो चालू हो चुका है और न्यायालयों ने जिसकी व्याख्या भी की है । इसलिये इन शब्दों के प्रयोग से कोई भी आशंकित कठिनाई-विशेष नहीं होनी चाहिये ।

मैं बताना चाहता हूं कि इसके द्वारा सभा से कोई बिल्कुल नई बात करने को नहीं कहा जा रहा है । सभा इस वर्ष अत्यावश्यक पण्य विधेयक स्वीकृत कर ही चुकी है । उसके खण्ड १४ में दिया ही गया है कि जब भी कोई व्यक्ति धारा ३ के अन्तर्गत किसी आदेश के उल्लंघन का अपराधी घोषित किया जाता है तो यह दायित्व उसी व्यक्ति का होगा कि वह प्रमाण दे कि उसके पास उस चीज़ का प्राधिकार, अनुज्ञा, अनुज्ञप्ति या कोई अन्य दस्तावेज़ मौजूद है । इस विधेयक का खण्ड ३ तो इस खण्ड से कहीं अधिक उदार है । मैं समझता हूं कि अब इस पर कुछ अधिक शब्द कहने की आवश्यकता नहीं ।

मैं हानि के आंकड़े पेश कर सकता हूं । पिछली बार मैंने आंकड़े दिये ही थे और अब मैं सभा को और परेशान नहीं करना चाहता । वे छोटे-मोट नहीं हैं । हमारी हानि के आंकड़े बहुत बड़े-बड़े हैं और इस हानि को रोका जाना चाहिये

मुझे आशा है कि सभा इस विधेयक पर विचार करने के लिय सहमत होगी ।

**सभापति महोदय** : अब मैं इस प्रस्ताव को सभा के मतदान के लिये रखता हूं ।

"कि रेलवे-सामान के अवैध कब्ज़े के अपराध के दण्ड से सम्बन्धित विधि की, जैसी इस समय प्रवृत्त है, पूरे भारत में विस्तृत करने और इसके उपबन्धों को पुनः अधिनियमित करने की व्यवस्था करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पारित और प्रवर-समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार किया जाय ।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।**

**खण्ड २—(परिभाषा)**

**सभापति महोदय** : अब सभा इस विधेयक पर खण्डवार विचार करेगी । यदि सभा तृतीय वाचन के लिये पहले से निर्णय नहीं करना चाहती, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है । अब, खण्ड २ के लिये जो भी सदस्य अपने संशोधन पेश करना चाहते हैं वे सभी पहले से बता दें ।

**पंडित ठाकुर दास भार्गव** : खण्ड २ पर मैं संशोधन संख्या ३, ५ और ६ का प्रस्ताव करता हूं । मेरे संशोधनों का उद्देश्य यह है कि 'रेलवे सामान' का अर्थ रेलवे प्रशासन की सम्पत्ति रखा जाये और रेलवे के लिये तैयार हुए सामान को विशेष चिह्नों से चिह्नित किया जाय ।

इन संशोधनों के सम्बन्ध में, मुझे यही कहना है कि प्रवर समिति ने संशोधन स्वीकार करके 'रेलवे सामान' की परिभाषा के सम्बन्ध में विधेयक के क्षेत्र को अभियुक्त के दृष्टिकोण से सीमित कर दिया है । वास्तव में, इसे काफ़ी कुछ बदल दिया गया है । हमने यह मान लिया है कि रेलवे के सामान होने का

[पंडित डाकुर दास भार्गव]

प्रमाण रेलवे-प्रशासन को ही देना पड़ेगा । पर, रेलवे प्रशासन पर यह एक भारी दायित्व होगा, जिसे निभाना कठिन होगा । आप अभियुक्तों को दण्ड नहीं दिला सकेंगे । रेलवे प्रशासन यह कैसे प्रमाणित करेगा कि अमुक सम्पत्ति रेलवे की ही है ? चोरी की गई सम्पत्ति को आप रेलवे की सम्पत्ति कब प्रमाणित करेंगे ? उसके पकड़े जाने के समय पर या उस समय जबकि बीस वर्ष पहले उसका कब्ज़ा हस्तान्तरित हुआ था ? इतना ही नहीं, कठिनाई और भी है । रेलवे की तमाम वस्तुयें अपने आकार या किसी अन्य कारण से ही नहीं चुराई जातीं । तमाम वस्तुओं के बारे में अभियोक्ता पक्ष को यह भी साबित करना पड़ेगा कि चुराने के बाद अभियुक्त उनका प्रयोग करने की इच्छा भी रखता है । इस इच्छा को कैसे सिद्ध किया जायगा ?

और, तीसरी बात तो इससे भी कठिन है । अभियोक्ता पक्ष को रेलवे को न्यायालय में सिद्ध करना पड़ेगा कि उस वस्तु की चोरी का सन्देह भी उचित है । हम कह सकते हैं कि सिद्ध यह करना पड़ेगा कि अभियुक्त के दिमाग़ में चोरी करन की इच्छा थी । लेकिन यह तो एक प्रविधिक सी बात है । यदि अभियुक्त का कब्ज़ा सिद्ध हो जाता है तो और कुछ सिद्ध करने की आवश्यकता ही नहीं रह जाती । अपराध की मनोवृत्ति सिद्ध करने की आवश्यकता ही नहीं । पर, इस विधेयक के अनुसार तो उसे भी न्यायालय में सिद्ध करना होगा । इन तीनों कठिनाइयों को देखते हुए, मुझे कहना पड़ता है कि रेलवे प्रशासन को अभियुक्तों को दण्डित करने का विचार ही त्याग देना चाहिये । मैं विधि को अधिक सरल बनाना चाहता था ।

इंग्लैंड की विधि का भी ज़िक्र किया गया है । वह सभी प्रकार के स्टोरों (सामान) पर लागू होती है । मैं इससे सहमत हूं कि इस विधेयक को ही व्यापक बना दिया जाये, और सभी सरकारी स्टोरों को इसके क्षेत्राधिकार में रख दिया जाये । मैंने एक तर्क यह भी दिया है कि रेलवे के लिये बनाने वाली वस्तुओं को विशेष रूप से चिह्नित कर दिया जाय । उसके न होने से यह होगा कि बिना चोरी की हुई सम्पत्ति रखने वाले लोगों को भी परेशान किया जायेगा । मैं जानता हूं कि इसके अन्तर्गत दण्ड नहीं दिया जा सकेगा, पर जनता को परेशान अवश्य किया जायेगा । इंग्लैंड की विधि की धारा ४ में सरकारी सम्पत्ति के विशेष रूप से चिह्नित होने का आदेश है, और वह अधिनियम चिह्नित वस्तुओं पर ही लागू होता है ।

इसलिये, सरकार को कम-से-कम रेलवे की वस्तुओं के बारे में ऐसी व्यवस्था करनी ही चाहिये । डाक और तार विभाग के मामले में हम ऐसे चिह्न रखने पर सहमत हो ही चुके हैं । मैं उनका समर्थन करता हूं । इस सभा में कोई भी नहीं चाहेगा कि चोरी करने वाला साफ़ बच जाय । मेरे मित्र न कहा कि इस मामले में मैं एक माननीय सदस्य के उस तर्क को सुन कर अपने विचार बदल देता जो उन्होंन रतलाम में होने वाली कुछ चोरियों के सिलसिले में दिये थे । ऐसी चोरियों के सम्बन्ध में मैंने कभी नहीं सुना है । और यदि ऐसी चोरियां होती भी हैं तो क्या आपने 'धारणा' को बदला कर पहले से अधिक ज़ोरदार नहीं बनाया है । धारा ११४ (१) के अन्तर्गत न्यायालय ऐसी धारणा बनाने के लिऐ बाध्य नहीं है । परन्तु अब न्यायालय ऐसी धारणा बनाने के लिये बाध्य होगा । शब्द "सतोषपूर्वक" रखकार, आपने निश्चय ही, अभियुक्त पर, जो भार है, उसे और भी बढ़ा दिया है । विधि को कड़ा बनाने के मैं विरुद्ध नहीं हूं परन्तु ऐसा भी नहीं किया जाना चाहिये कि जिससे संभावना इस बात की बढ़ जाये कि अकारण ही, नितान्त निर्दोष व्यक्ति फंस जायें । यद्यपि किसी स्टोर की चोरी न भी हुई हो तो भी न्यायालय इस परिणाम पर पहुंच सकता है कि यथोचित रुप से संदेह किया

जाता है कि यह वस्तु चोरी की है । जब तक आप चोरी होने का साक्ष्य न दें आप यह प्रमाणित नहीं कर सकते हैं कि यह माल चोरी का है । भारतीय दण्ड संहिता की धारा ४१० और ४११ में कुछ भी करने से पहले आपको चोरी इत्यादि की घटनायें प्रमाणित करनी पड़ेंगी । इस विधि में यह बहुत बड़ा दोष है । परन्तु यदि हम इसे भी धारा ४१० ही के अनुसार बना दें तो यह दोष दूर हो सकता है । मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री मेरे संशोधन को स्वीकार कर लेंगे । वास्तव में मेरे संशोधन के वही अर्थ हैं जो इंगलैण्ड की विधि की धारा ४ से १८ तक की धाराओं के हैं । आपने इधर उधर से एक एक शब्द ले लिया है । मेरा कहना है कि यदि आप इंगलैण्ड की विधि को लेते हैं तो उसे पूरी तरह से लीजिये । श्री रामस्वामी ने एक दो धाराओं का उद्धरण दिया है परन्तु उन्होंने ठीक वही धारा छोड़ दी जो कि अधिनियम की आत्मा है ।

मैं एक बात अपने संशोधन संख्या ३ के संबंध में और कहूंगा । मैंने कहा है कि रेलवे स्टोर का अर्थ है कोई ऐसी वस्तु जो रेलवे प्रशासन की सम्पति हो, तथा उसके कब्ज़े में हो । जो "उसके कब्ज़े में हो" जब तक आप यह शब्द नहीं रखेंगे हो सकता है वह कोई ऐसी वस्तु हो जिसका २०, ५० या १०० वर्ष पूर्व हस्तान्तरण हुआ हो । इसलिये रेलवे को यह प्रमाणित करना चाहिये कि जिस समय अपराध किया गया उस समय वह वस्तु रेलवे के कब्ज़े में थी । इसलिये मेरा निवेदन है कि पारित हो जाने के बाद भी यह विधेयक प्रभावशून्य रहेगा ।

**सभापति महोदय** : संशोधन प्रस्तुत हुए ।

**श्री सिंहासन सिंह** : मैं माननीय ठाकुर दास जी के संशोधन का समर्थन करता हूं ।

**एक माननीय सदस्य** : अंग्रेजी में बोलिये ।

**श्री अलगेंशन** : किसी भाषा में बोलिये ।

**श्री सिंहासन सिंह** : मंत्री महोदय कहते हैं कि किसी भाषा में बोलिये ।

जिन जोरदार शब्दों में भार्गव जी ने अपना संशोधन रखा है मैं उसका अनुमोदन करता हूं । इस विधेयक में जो रेलवे स्टोर्स (रेलवे भंडार) की परिभाषा रखी गयी है उसके रहते हुए सरकार के रास्ते में बहुत दिक्कतें आवेंगी, और इस बिल का जो मंशा है वह सफलीभूत होने के बजाय असफल हो जायेगा । जब सदन इस बात के लिए तैयार है कि सरकार को अधिक से से अधिक अधिकार दे ताकि वह सरकारी चीजों को चोरी से बचा सके, तो सरकार इस मामले में क्यों मुरब्बत करती है । मेरी समझ में नहीं आता कि सरकार अपने को क्यों कमजोर रखना चाहती है । अगर इस संशोधन को मान लिया जाय तो उस परिभाषा का रूप बदल जाता है । उससे सरकार पर साबित करने की जिम्मेदारी कम हो जाती है । उसे मान लेना चाहिए ।

अभी यहां अंग्रेजी कानून का हवाला दिया गया । हमको और आपको यह मालूम है, और दुःख के साथ मालूम है, कि जो हमारा आचार का स्तर है वह अंग्रेजों से कुछ नीचा है । गुलामी के कारण हम बहुत नीचे गिर चुके हैं और हमको ऊंचा उठने में बहुत देरी है । उन्होंने अपने यहां लिखा है कि जो प्रापर्टी (सम्पत्ति) एक्यूज्ड (अभियुक्त) के पास रहेगी, "प्रमाण देने का उत्तरदायित्व अभियुक्त दल पर रहेगा ।" अर्थात् जो एक्यूज्ड (अभियुक्त) आदमी है उस पर यह साबित करने की जिम्मेदारी होगी कि उस चीज़ पर उसका अधिकार लाफ़ुल (वैध) है । लेकिन आप सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले रहे हैं और इस रूप में ले रहे हैं कि आप साबित न कर पायेंगे । आपने कहा है कि प्रयोग के योग्य अब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको बेकार समझ कर फेंका हुआ है पर जिनको रेलवे गला कर काम में ला सकती है । लेकिन वे बाज़ार में बिकती हैं । वे चीज़ें इसमें नहीं आतीं और उनके पज़ेशन (अधिकार) के लिए किसी को सजा नहीं हो सकती ।

[श्री सिंहासन सिंह]

इन शब्दों के साथ मैं यह अनुरोध करता हूं कि मंत्री महोदय कभी कभी सदन के सदस्यों के सुझाव भी मान लिया करें। हम तो सरकार के हाथ मजबूत करना चाहते हैं, उनको कमजोर नहीं करना चाहते। जब भवन सरकार के हाथों को मजबूत करने के लिए तैयार है तो मेरी समझ में नहीं आता कि सरकार क्यों अपने हाथों को कमजोर रखना चाहती है। आप किसी आदमी को ले जाकर अदालत में खड़ा करेंगे, लेकिन जब साबित करने का वक्त आवेगा आपके हाथ कमजोर पड़ेंगे। सरकार ऐसी सूरत को क्यों कबूल करना चाहती है। सदन को इतना समय लेने के बाद भी परिणाम कुछ भी नहीं होगा। इससे अच्छा तो यह होता कि हम इस विधेयक को पास न करके पीनल कोड (दंड संहिता) का ही आधार लेते हैं। उसस ज्यादा काम हो सकता है। उसमें जो स्टोलिन प्रापर्टी (चोरी का माल) की परिभाषा दी गयी है वह इतनी वसीय (विस्तृत) है कि जिसके अन्दर सब चीज़ें आ सकती हैं। और मुलजिम को दफा ४११ के मातहत सजा करायी जा सकती है। हम अनुरोध करते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि इन चीजों की चोरी न हो तो इस संशोधन को मान लीजिये।

मंत्री जी ने कहा कि जो सिक्योरिटी मेजर्स (सुरक्षा प्रबन्ध) लिये गये हैं उनसे चोरी कम हो गयी है। लेकिन मैं आपसे कह देना चाहता हूं कि जब तक आप रिटायर्ड (सेवा निवृत्त) आदमियों को सरविस में रखेंगे तब तक ये चोरियां नहीं रुक सकतीं। एक रिटायर्ड (सेवा निवृत्त) आदमी जोरों से, व्यापक रूप से काम नहीं कर सकता। अगर किसी आदमी को तरक्की होने की आशा होती है तो वह शासन को उच्च स्तर पर लाने के लिए लगन के साथ काम करता है। अगर रिटायर्ड आदमी के काम में ढिलाई होगी तो आप उसे हटा सकते हैं, लेकिन वह तो पहले से ही हटा हुआ है। इसलिए उसको रखने में उसका तो मतलब सिद्ध होता है पर आपका मतलब सिद्ध नहीं होगा। अगर आप रिटायर्ड आदमियों को रखेंगे तो इस बुराई को दूर नहीं कर सकेंगे। इसलिए मैं फिर अनुरोध करूंगा कि कभी कभी तो आप इस सदन की राय मान लिया करें। यह विधेयक आप जिस रूप में चाहेंगे पास हो जायगा। लेकिन अगर वह ढीले रूप में पास हुआ तो उससे काम नहीं चलेगा। इसलिए मैं अनुरोध करता हूं कि आप इस संशोधन को स्वीकार कर लें।

**श्री अलगेंशन** : वास्तव में मेरी समझ में नहीं आया कि पंडित जी क्या कहना चाहते हैं। एक ओर वह कहते हैं कि मैंने आवश्यकता से अधिक भार अपने ऊपर लिया है और दूसरी ओर वह यह भी कहते हैं कि अभियुक्त पर अधिक बोझ डाल दिया गया है। इंगलैंड के अधिनियम का उद्धरण देते हुए उन्होंने कहा है कि उसका अनुसरण करते हुए उन्होंने संशोधन रखा है कि रेलवे सामान पर कोई विशेष चिन्ह होना चाहिये। मैंने किसी विशेष चिह्न की बात नहीं कही, इसीलिये मैंने प्रमाण भार भी अपने ऊपर ले लिया है। चाहे दैनिक प्रयोग की ही वस्तु क्यों न हो, जैसे बल्ब, यदि उस पर ई० आर०—ईस्टर्न रेलवे—अक्षर हों तो यह इस बात का पर्याप्त प्रमाण होगा कि यह सम्पत्ति रेलवे की है। यदि ऐसा कोई चिह्न न हो तो मुझे इसका साक्ष्य देना पड़ेगा कि यह सम्पत्ति रेलवे की है। इस संशोधन को स्वीकार करना बिल्कुल व्यर्थ है। इंग्लैंड के अधिनियम में अभियोग पक्ष पर इस बात का साक्ष्य भार नहीं रखा गया है कि वह साक्ष्य उपस्थित करे कि यह सम्पत्ति उसी की है। चिह्न के पाये जाने पर दूसरे पक्ष वाले को इसका साक्ष्य देना होगा कि उसको वह वस्तु वैधानिक रूप से प्राप्त हुई। वास्तव में, उन्होंने ही अंग्रेजी विधि में से इस उपबन्ध को पढ़ कर नहीं सुनाया। मैं पंडित ठाकुर

दास भार्गव के संशोधनों को स्वीकार करने में असमर्थ हूं ।

[सभापति महोदय ने खण्ड २ पर के संशोधन ३, ५ और ६ सभा के मतदान के लिये रखे तथा वे अस्वीकृत हुए]

**सभापति महोदय** : प्रश्न यह है .

"कि खण्ड २ विधेयक का अंग बने ।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।**

**खंड २ विधेयक में जोड़ दिया गया ।**

**खण्ड ३—(रेलव सामान पर अवैध कब्जा)**

**पंडित ठाकुर दास भार्गव** : मैं प्रस्ताव करता हूं कि खण्ड ३ पर मेरे संशोधन संख्या ७, ८, ९, १०, ११, १२ और १३ को स्वीकार किया जाय । इनमें से पहला संशोधन यह है कि पृष्ठ १ पर "यदि किसी व्यक्ति" के स्थान पर "यदि कोई व्यक्ति चोरी करे" शब्द रखे जायें । दूसरा यह है कि शब्द "कब्जा" के स्थान पर "हाल का कब्जा" कर दिया जाये । तीसरा और चौथा संशोधन इस सम्बन्ध में है कि इस अपराध की परिभाषा वैसी ही बना दी जाये जैसी कि भारतीय दण्ड संहिता की धारा ४१० के अभिप्राय की हो । पांचवां संशोधन यह है कि जहां "प्राप्त किया हुआ" शब्द आये हैं, वहां उसके पहले "उस के द्वारा" शब्द बढ़ा दिये जायें । छठा संशोधन यह है कि "पांच वर्ष" के स्थान पर "चार वर्ष" कर दिया जाये और सातवां संशोधन इस सम्बन्ध में है कि "यदि अभियुक्त रेलवे कर्मचारी हो तो उसे पांच वर्ष का कारावास अर्थदण्ड सहित दिया जाय ।"

पहले संशोधन के सम्बन्ध में मुझे यह कहना है कि यदि इसके साथ चोरी को भी सम्मिलित किया जाता तो अच्छा होता । सम्भवतः रेलवे के हित में "चोरी", "चोरी के माल के कब्जे" से कम खतरनाक नहीं है । जब "चोरी के माल के कब्जे" के लिये पांच वर्ष का दण्ड रखा गया है तो चोरी करने वाले के लिये भी यही दण्ड होना चाहिये । मसल मशहूर है 'दाढ़ी से मूंछ बड़ी' । जो व्यक्ति इतना खराब है कि चोरी करता है उस के साथ कोई रियायत नहीं होनी चाहिये । सामान्य विधि के अनुसार चोरी का दण्ड तीन वर्ष निर्धारित हो चुका है । परन्तु हर मामले में तीन वर्ष का दण्ड नहीं दिया जाता है । अधिकतम दण्ड तो इस प्रयोजन से रखा जाता है जिससे लोगों के मन में डर रहे । इसलिये यदि आप पांच वर्ष कर देंगे तो जनता इस अपराध को और भी बड़ा अपराध समझेगी ।

"कब्जे" के पहले कोई-न-कोई ऐसा शब्द रखना आवश्यक है जिससे यह पता चले कि कब्जा कितना पुराना है । हाल के कब्जे से अभिप्राय दो या तीन वर्ष या दो मास या पांच दिन भी हो सकता है । यह बात निर्भर तो इस पर होगी कि जो वस्तु चोरी का माल है वह किस प्रकार की है । साक्ष्य अधिनियम की धारा ११४ के दृष्टान्त १ को देखने से मेरा अभिप्राय स्पष्ट हो जायेगा । ऐसा कोई भी शब्द न रखने का तो अर्थ यह होगा कि विधेयक का क्षेत्र इतना बड़ा हो जायेगा कि कोई भी व्यक्ति, जिसे अभियुक्त की पीड़ा की चिन्ता न हो, एक ऐसे व्यक्ति को भी अभियुक्त बना सकता है जिसका कब्जा उस के बाप-दादा के समय से चला आ रहा हो ।

"जिस के सम्बन्ध में चोरी की वस्तु होने का सन्देह हो" इन शब्दों का जहां तक सम्बन्ध है मैं बहुत कुछ कह चुका हूं और अब मैं यही कहना चाहता हूं कि दण्ड विधि की दृष्टि से धारा ४१० की भाषावलि का होना बहुत आवश्यक है ।

यदि हम शब्द "उसके द्वारा" बढ़ा देंगे तो इसका तात्पर्य होगाकि अपराध मनोवृत्ति

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

का साक्ष्य उपस्थित करना आवश्यक हो जायेगा। यदि यह शब्द रखे जायेंगे तो यह प्रश्न न्यायालय द्वारा निपटाया जायेगा कि अपराध मनोवृत्ति थी या नहीं। जिसके कब्जे में वह वस्तु पायी गई उसके मन में सन्देह था कि नहीं कि यह वस्तु चोरी की है। इसका साक्ष्य उपस्थित करना तो बहुत ही आवश्यक । अपराध मनोवृत्ति के बिना कोई भी अपराध अपराध नहीं होता।

"पांच वर्ष" के स्थान पर "चार वर्ष" करने का जहां तक सम्बन्ध है, मैं पहले कह चुका हूं कि यदि वे इस परिवर्तन को स्वीकार कर लें तो अच्छा हो। यह ठीक है कि दण्ड कितना दिया जायेगा। यह न्यायालय के सदविवेक पर निर्भर है। फिर भी चूंकि सरकारी कर्मचारी की स्थिति उत्तरदायित्व वाली है और उन पर भरोसा किया जाता है, इसलिये उनका अपराध अधिक गम्भीर है। इसीलिये मैं ने इस संशोधन का सुझाव रखा है।

**सभापति महोदय** : संशोधन प्रस्तुत हुए।

**श्री अलगेशन** : यदि मैं इन संशोधनों को स्वीकार कर लूं तो मुझे इस विशेष दण्ड विधि के बनाने की आवश्यकता ही क्या है। इस के लिये सामान्य विधि ही पर्याप्त है।

मैं अपने माननीय मित्र को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि चोरों के साथ मैं पक्षपात नहीं करना चाहता "चोरी का या" शब्द बढ़ाने का परिणाम यह होगा कि मुझे चोरी की घटना का भी साक्ष्य देना पड़ेगा। हो सकता है जिसका कब्जा हो, चोरी भी उसी ने की हो; परन्तु मुझे इस बात का साक्ष्य उपस्थित करने की आवश्यकता नहीं होगी कि उस ने स्वयं ही चुराया भी है। केवल इतना साक्ष्य पर्याप्त होगा कि यथोचित रूप से सन्देह यही किया जायेगा कि यह सम्पत्ति चोरी की है। राज्य-सभा में पुरःस्थापित तथा राज्य-सभा द्वारा पारित विधेयक के शब्द थे, "जिस के कब्जे में पाई जाये, जिस के कब्जे में उसका होना सिद्ध हो।" हो सकता है चोरी 'क' ने की हो और उस वस्तु को 'ख' को सौंप दिया हो और 'ख' ने उसे 'ग' को सौंप दिया हो। इस प्रकार वे सारे लोग विधि की लपेट में आ सकते हैं। मैं मानता हूं कि जब तक चोरी कब्जे वाले व्यक्ति ने ही न की हो, वास्तविक चोर छूट जाये। परन्तु इस के लिये हमें सामान्य विधि की शरण लेनी पड़ेगी। और दूसरी बात यह है कि चोरी की घटना के साक्ष्य का भार मैं अपने ऊपर नहीं लेना चाहता। यदि मुझे "चोरी किये हुए" शब्दों का प्रयोग भारतीय दण्ड संहिता की धारा ४१० के ही अर्थ में करना है तो मुझे इस विधि विशेष की आवश्यकता ही क्या है।

रेलवे अधिकारियों को अधिक दण्ड देने के सम्बन्ध में जो बात कही गई थी उसका उत्तर मैंने पहले ही दे दिया था। मैं इन संशोधनों से सहमत नहीं हूं।

[इसके बाद सभापती महोदय ने संशोधन संख्या ७, ८, ९, १०, ११, १२ और १३ सभा के मतदान के लिए रखे जो सभी अस्वीकृत हुए।]

**सभापति महोदय** : प्रश्न यह है ;

"कि खण्ड ३ विधेयक का अंग बने"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

**खण्ड ३ विधेयक में जोड़ दिया गया।**

**खण्ड ४—(निरसन और परिरक्षण)**

**पंडित ठाकुर दास भार्गव** : मैं संशोधन संख्या १५ रखना चाहता हूं और यदि वह न माना जा सके तो संशोधन संख्या १६।

मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह विधि केवल

ऐसे मामलों पर लागू हो जहां सामान का कब्ज़ा इस के पास होने के बाद हस्तान्तरित किया गया हो । अपने दूसरे संशोधन संख्या १६ में मेरा यह प्रस्ताव है कि यह अधिनियम उन मामलों पर लागू न हो जहां सामान का कब्ज़ा इस के पास होने से पहले हस्तान्तरित कर दिया गया हो ।

संविधान के अनुच्छेद २० में कहा गया है:

"कोई व्यक्ति किसी अपराध के लिए सिद्ध दोष नहीं ठहराया जायेगा, जब तक कि उसने अपराधारोपित क्रिया करने के समय किसी प्रवृत्त विधि का अतिक्रमण न किया हो, और न वह उससे अधिक दण्ड का पात्र होगा जो उस अपराध के करने के समय प्रवृत्त विधि के अधीन दिया जा सकता था ।"

मैंने पहले भी कहा था कि किसी व्यक्ति को ऐसे समय किए गए किसी अपराध के लिए दण्ड नहीं दिया जा सकता जिस समय वह कार्य अपराध ही न गिना जाता हो । इस विधेयक के खण्ड ३ की भाषा बड़ी व्यापक है । मान लीजिए कि 'क' ने चार वर्ष पहले ऐसा सामान 'ख' को दे दिया हो और 'ख' ने उस समय इस का कब्ज़ा किसी और व्यक्ति को दिया जब कि यह कानून बन चुका हो, तो क्या यह तीनों व्यक्ति अपराधी माने जायेंगे ? और फिर उन्हें दण्ड क्या मिलेगा ? क्या सभी को ५ वर्ष कारावास का दण्ड मिलेगा ? इस विधेयक के पारित होने के बाद जिस के कब्जे में से सामान निकले शायद उसे ५ वर्ष का दण्ड न दिया जा सके, क्योंकि सम्भवत: उस के पास यह सामान विधेयक के पारित होने से पहले आया हो । मुझे इस में सन्देह है कि यह विधि उस पर लागू हो सकती है । इसलिए मैं चाहता हूं कि सभा को चाहिए कि वह न्यायालयों को निदेश दे कि यह विधि केवल ऐसी दशाओं में लागू होनी चाहिए जब कि अपराध इस अधिनियम के प्रति होने के बाद किया गया हो ।

इस विधेयक के अन्तर्गत तो उस व्यक्ति को दोषी ठहराया जायगा जिसके कब्ज़े से सामान निकले, न कि उस को जिसने सामान की चोरी की हो । माननीय मंत्री उस व्यक्ति को तो ५ वर्ष की सज़ा देना चाहते हैं जिसके कब्जे से सामान निकले परन्तु चोरी करने वाले को केवल तीन वर्ष का दण्ड देना चाहते हैं । माननीय मंत्री इस बात को महसूस नहीं करते कि अब हमने कानून बदल दिया है । साक्ष्य अधिनियम के अन्तर्गत न्यायालयों को स्वविवेकाधिकार था जो अब नहीं रहा । यदि अभियुक्त के कब्ज़े से सामान निकला है तो न्यायालय को यही मानना पड़ेगा कि वह दोषी है । इस विधेयक से तो अभियुक्त सम्बन्धी उपबन्ध और बड़े हो गये हैं । इस धारा में ये शब्द आते हैं । ". . . . . जिस (सामान) के अपने पास होने का वह युक्तियुक्त कारण न बता सके ।" इन शब्दों का अर्थ यह है कि अभियुक्त पर बोझ पहले से अधिक बढ़ गया है ।

आप जानते है कि ऐसे मामलों में जहां तक विधि का सम्बन्ध है, जब किसी बात को सिद्ध करने का बोझ अभियुक्त पर हो भी, तब भी उसे सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती । उसे तो एक वैकल्पिक व्याख्या बतानी पड़ती है, जिसे न्यायालय स्वीकार करे या न करे । यही कानून है और मैं इस के प्रमाण के उदाहरण दे सकता हूं । दोष प्रमाणित करने का काम तो अभियोक्ता पक्ष का है । अभियुक्त के लिए तो उनके प्रमाण में सन्देह मात्र उत्पन्न करना बाक़ी है । इसलिए मेरा कहना तो केवल यह है कि माननीय मंत्री को यह नहीं सोचना चाहिए कि जिन पर संविधान के अनुच्छेद २० के अन्तगत यह विधेयक लागू नहीं होता, उन्हें भी इस की लपेट में लिया जा सकता है । इसलिए उनसे मेरा निवेदन है कि वे मेरे संशोधन को स्वीकार कर लें ।

**सभापति महोदय** : माननीय मंत्री से मेरी प्रार्थना है कि वे बताएं कि क्या उन्होंने संविधान के अनुच्छेद २० पर ध्यान दिया है ?

**श्री अलगेशन** : मैं इस का केवल यही उत्तर दे सकता हूं कि सारी विधियां संविधान

[श्री अलगेशन]

के अन्तर्गत हैं । मेरा विचार है कि जो भी विधि इस सभा में पारित होती है वह संविधान की अवहेलना नहीं कर सकती ।

**सभापति महोदय** : आप संविधान के अनुच्छेद २० की भाषा पर ध्यान दीजिए । विधेयक के इस खण्ड का उद्देश्य ऐसे व्यक्तियों को भी दण्ड देना है जो इस विधि के बनने से पहले अपराध कर चुके हों । तो क्या यह संविधान के उपबन्धों के विपरीत नहीं है ?

**श्री बर्मन** : (उत्तर बंगाल रक्षित-अनुसूचित जातियां) : जहां तक रेलवे सामान की चोरी का सम्बन्ध है, चोरी करने वाले पर सामान्य विधि लागू होगी ।

**पंडित ठाकर दास भार्गव** : इस समय चोरी से हमारा कोई वास्ता नहीं ।

**श्री रानें** (भुसावल) : इस विधेयक का प्रभाव बीते हुए समय के मामलों पर नहीं होगा ।

**पंडित ठाकुर दास भार्गव** : मैं तो यही चाहता हूं कि यह न हो ।

**सभापति महोदय** : माननीय मंत्री को कुछ और कहना है ?

**श्री अलगेशन** : न्यायालय खण्ड ३ का निर्वचन संविधान के अनुच्छेद २० को ध्यान में रख कर करेगा ।

[ इसके बाद सभापति महोदय ने खण्ड ३ सम्बन्धी संशोधन संख्या १५ और १६ सभा के मतदान के लिए रखे और वे दोनों अस्वीकृत हुए ।]

**सभापति महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड ४ विधेयक का अंग बने"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।**

**खंड ४ विधेयक में जोड़ दिया गया ।**

**खंड १ अधिनियम सूत्र और नाम विधेयक में जोड़ दियें गयें ।**

**श्री अलगेशन** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाय ।"

**सभापति महोंदय** : प्रश्न यह है ;

"कि विधेयक को पारित किया जाय ।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।**

**सभापति महोदय** : अब हम अगला कार्य प्रारम्भ करेंगे ।

**डा० कृष्णास्वामी** (कांचीपुरम) : हम इसे कल प्रारम्भ करेंगे ।

**सभापति महोदय** : माननीय मंत्री यहां हैं और १० मिनट बाकी हैं । मेरा विचार है कि हम अगला कार्य प्रारम्भ कर सकते हैं ।

**श्री एन० आर० मुनिस्वामी** (वान देवाश) वे आज भाषण प्रारम्भ करेंगे तो वह अधूरा रह जायेगा ।

**सभापति महोदय** : यदि सभा की यही राय ह तो मुझे कोई आपत्ति नहीं ।

**इसके पश्चात लोक-सभा शुक्रवार, २ दिसम्बर २९५५ के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई ।**

---

# दैनिक संक्षेपिका

[गुरुवार, १ दिसम्बर, १९५५]

**सभा-पटल पर रखे गये पत्र** ६२९३९७

(१) (क) पिस्टन के पुर्जे इकट्ठा करने के उद्योग (पिम्टनों, पिस्टनरिंगों और गजन पिनों) पर प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन;

(ख) वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय का संकल्प संख्या ७९ (१) टी बी/५५ दिनांक २३ नवम्बर, १९५५;

(ग) वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या ७९ (१) टी बी/५५ दिनांक २३ नवम्बर, १९५५ ; और

(घ) प्रशुल्क आयोग अधिनियम, १९५१ की धारा १६ (२) के परन्तुक के अन्तर्गत, (क) से (ग) तक में बताये गये अभिलेखों को निहित समय में न रखे जाने के कारण बताने वाला विवरण ।

(२) (क) आहोभोजाइल स्पार्किंग प्लग उद्योग को संरक्षण जारी रखने के बारे में प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन (१९५५);

(ख) वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय का संकल्प संख्या २१(५) टी बी/५५ दिनांक ३० नवम्बर १९५५; और

(ग) वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या २१ (५) टी बी/५५ दिनांक ३० नवम्बर, १९५५ ।

(३) (क) इस्पात बेलिंग हूप्स उद्योग को संरक्षण जारी रखने के बारे में प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन; (१९५५ );

(ख) वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय का संकल्प संख्या १७ (२) टी बी/५५ दिनांक ३० नवम्बर, १९५५; और

(ग) वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या १७ (२) टी बी५५ दिनांक ३० नवम्बर, १९५५ ।

(४) (क) मोटर गाड़ी बैट ी उद्योग को संरक्षण जा ी रखने के बारे म प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन (१९५५); और

(ख) वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय का संकल्प संख्या ५ (१) टी बी/५५ दिनांक ३० नवम्बर, १९५५

(५) (क) एलाय और विशेष इस्पात उद्योग को संरक्षण जारी रखने के बारे में प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन (१९५५); और

(ख) वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय का संकल्प संख्या १७ (४) टी बी/५५ दिनांक ३० नवम्बर, १९५५ ।

(६) (क) कोटेड एब्रोसिव उद्योग को संरक्षण जारी रखने के बारे में प्रशुल्क उद्योग का प्रतिवेदन (१९५५); और

(ख) वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय का प्रस्ताव संख्या १ (१) टी बी/५५ दिनांक ३० नवम्बर, १९५५

(७) (क) अलमोनियम उद्योग को संरक्षण जारी रखने के बारे में प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन (१९५५) ; और

(ख) वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय का संकल्प संख्या ३ (३) टी बी/५५ दिनांक ३० नवम्बर, १९५५

(८) सिन्दरी फर्टीलाइजर्स तथा केमिकल्स लिमिटेड की तृतीय वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति, १९५४–५५

(९) अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के जेनेवा में जून १९५५ में हुए अड़तालीसवें अधिवेशन में भारत सरकार के प्रतिनिधि मंडल के प्रतिवेदन की एक प्रति

(१०) बीमा (संशोधन) अध्यादेश, १९५५ (१९५५ का ६) को प्रख्यापित करने के कारणों को बताने वाले विवरण की एक प्रति

स्तम्भ

**विधेयक—पुरःस्थापित** ६२९७-९८

बीमा (संशोधन) विधेयक

**विधेयक—पारित** ६३००–७२

(१) मनीपुर (न्यायालय) विधेयक पर अग्रेतर विचार किया गया। विचार करने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खंड २ से ४१ स्वीकृत हुए। नवीन खंड ४१क जिसे ४२ की संख्या दी गई, स्वीकृत हुआ। खंड ४२ से ४५, जिन्हें, खंड ४३ से ४६ की संख्या दी गई, स्वीकृत हुए। विधेयक संशोधित रूप में पारित हुआ।

(२) रेलवे सामान (अवैध कब्जा) विधेयक, राज्य-सभा द्वारा पारित तथा प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदन रूप में, विचार किया गया। विचार करने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खंड १ से ४ स्वीकृत। विधेयक पारित हुआ।

# अनुक्रमणिका

## लोक-सभा वाद-विवाद--भाग २

**ग्यारहवां सत्र, १९५५**

(खण्ड ९, अंक १ से १५)

(२१ नवम्बर से ९ दिसम्बर, १९५५ तक)


अ

अखिल भारतीय औद्योगिक वित्त निगम :

— के सामान्य विनियमों में संशोधन करने वाली अधिसूचना की प्रति — पटल पर रखी गयी

खंड ९, ६६५६–५७

अगरतला :

स्थगन प्रस्ताव :

— के राताचेरा ग्राम की स्थिति

खंड ९, ६२०७–०८, ६३७८–८१

अग्रवाल, श्री एम० एल० :

कशाघातउत्सादन विधेयक (राज्य सभा द्वारा पारित)

विचार प्रस्ताव

खंड ९, ६२२७–२९

अच्युतन, श्री :

कर्मकार प्रतिकर (संशोधन) विधेयक (**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती द्वारा नवीन खंड ३ का रखा जाना**)

विचार प्रस्ताव

खंड ९, ६४५७–५८

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विधेयक :

संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में, विचार प्रस्ताव

खंड ९, ५९३२–३७

अच्युतन, श्री: (क्रमशः)

अतिरिक्त अनुदानों की मांगें, १९५०–५१: विवरण का उपस्थापन

खंड ९, ६५६०

अत्यावश्यक पण्य अधिनियम, १९५५ :

— के अन्तर्गत अधिसूचनाओं की प्रतियां– पटल पर रखी गयीं

खंड ९, ५६४५, ६३७७, ६६५६, ६७४८–४९

अधिकृत लेखापाल (संशोधन) विधेयक, १९५५ :

**देखिये** "विधेयक (कों)" के नीचे

अधिसूचना (यें) :

अखिल भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के सामान्य विनियमों में संशोधन करने वाली — की प्रति — पटल पर रखी गयी

खंड ९, ६६५६–५७

अत्यावश्यक पण्य अधिनियम, १९५५ के अन्तर्गत — की प्रतियां — पटल पर रखी गयीं।

खंड ९, ५६४५, ६३७७, ६६५६, ६७४८–४९

अधिसूचना(यें): (क्रमशः)

औद्योगिक वित्त निगम (बन्धपत्र जारी करना) विनियमन, १९४९ में संशोधन करने वाली — की प्रति — पटल पर रखी गयी

खंड ९, ५९२१

ग्लूकोज़ उद्योग के लिये रक्षण जारी रखने के सम्बन्ध में प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन (१९५५) तथा सरकारी संकल्प व — की प्रतियां — पटल पर रखी गयीं

खंड ९, ५९१९–२०

चलचित्र (विवाचन) नियम, १९५१ में संशोधन करने वाली — की प्रति — पटल पर रखी गयी।

खंड ९, ५९२०–२१

दशमलव मुद्राओं के नामांकन तथा मूल्यांकन सम्बन्धी — के मसौदों कीं प्रतियां — पटल पर रखी गयीं

खंड ९, ६२०९

समुद्र सीमा — शुल्क अधिनियम के अन्तर्गत — की प्रतियां — पटल पर रखी गयीं

खंड ९, ५६४६–४७

अनर्हता निवारण (संसद् तथा भाग ग राज्य विधान मंडल) संशोधन विधेयक:

**देखिये** "विधेयक (कों) " के नीचे

अनुपूरक अनुदानों की मांगें, १९५५-५६ :

विवरण का उपस्थापन

खंड ९, ६५५९

अन्तर्राज्यिक जल विवाद विधेयक :

**देखिये** "विधेयक (कों)" के नीचे

अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम :

— करार के अन्तर्नियम और व्याख्यात्मक ज्ञापन की प्रति — पटल पर रखी गयी

खंड ९, ६६५५

अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन :

— के अड़तीसवें अधिवेशन में गये भारत सरकार के प्रतिनिधि मंडल के प्रतिवेदन की प्रति — पटल पर रखी गयी

खंड ९, ६२९६

अमरीका, संयुक्त राज्य :

— के विदेश मंत्री तथा पुर्तगाल के विदेश मंत्री के संयुक्त वक्तव्य के बारे में वक्तव्य

खंड ९, ६५६०

अमृतकौर राजकुमारी :

दक्षिण पूर्वी एशिया के लिये आयोजित विश्व स्वास्थ्य संघ के प्रादेशिक सम्मेलन के आठवें सत्र में भाग लेने वाले भारतीय प्रतिनिधि मंडल के प्रतिवेदन की प्रति — पटल पर रखी गयी

खंड ९, ५६४७

दिल्ली (भवन निर्माण कार्यों पर नियंत्रण) अध्यादेश, १९५५ जारी कर तुरन्त विधान बनाने के कारण बताने वाले व्याख्यात्मक विवरण की प्रति — पटल पर रखी

खंड ९, ६३८४

दिल्ली (भवन निर्माण कार्यों पर नियंत्रण) विधेयक :

पुरःस्थापन अनुमति प्रस्ताव

खंड ९, ६३८३

विचार प्रस्ताव

खंड ९, ६८२०–२५, ६९३४–४४

खंडों पर चर्चा

खंड ९, ६९४५, ६९४९, ६९५०, ६९५८–५९, ६९६१, ६९९२, ६९९५–९८, ७००५–०६, ७००७, ७००९–१०, ७०११, ७०१३

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव :

खंड ९, ७०१७

अय्यंगार, श्री एम० ए० :
कार्य मंत्रणा समिति :
सताइसवें प्रतिवेदन का उपस्थापन
खंड ९, ५९२१
अठाइसवें प्रतिवेदन का उपस्थापन
खंड ९, ६१०९
उनतसीवें प्रतिवेदन का उपस्थापन
खंड ९, ६६५७
तीसवें प्रतिवेदन का उपस्थापन
खंड ९, ६७४९
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति :
उन्तालीसवें प्रतिवेदन का उपस्थापन
खंड ९, ५८४०
चालीसवें प्रतिवेदन का उपस्थापन
खंड ९, ६२१२
इक्तालीसवें प्रतिवेदन का उपस्थापन
खंड ९, ६६५७
नियम समिति :
प्रथम प्रतिवेदन की प्रति — पटल पर रखी गयी
खंड ९, ६६५७
मुद्रणालय तथा पुस्तक पंजीयन (संशोधन) विधेयक :
खंडों पर चर्चा
खंड ९, ५७३४
लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम ३२१ के निलम्बन के बारे में प्रस्ताव
खंड ९, ६९८२
अलगेशन, श्री :
रेलवे सामान (अवैध कब्जा) विधेयक :
प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार प्रस्ताव
खंड ९, ६३१२–१६, ६३२४, ६३५३–५८
खंडों पर चर्चा
खंड ९, ६३६४–६५, ६३६७–६८, ६३७१
पारित करने का प्रस्ताव
खंड ९, ६३७२
अल्मोनियम उद्योग :
— का संरक्षण जारी रखने के बारे में प्रशुल्क आयोग के प्रतिवेदन (१९५५) तथा सरकारी संकल्प की प्रतियां — पटल पर रखी गयीं
खंड ९, ६२९६
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना :
मद्रास में तूफान
खंड ९, ६९७०–७५
आ
आकाशवाणी :
**देखिये** "रेडियो, अखिल भारतीय"
आजाद, मौलाना :
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विधेयक :
संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार प्रस्ताव
खंड ९, ५९८५
आजाद, श्री भागवत झा :
कशाघात उत्सादन विधेयक (राज्य सभा द्वारा पारित) :
विचार प्रस्ताव
खंड ९, ६२००–०३
बीमा (संशोधन) विधेयक :
विचार प्रस्ताव
खंड ९, ६७७२
भारतीय अन्य धर्मग्राही (विनियमन तथा पंजीयन) विधेयक (श्री जेठा लाल जोशी द्वारा) :
विचार प्रस्ताव
खंड ९, ६४२९–३१
आटोमाबाइल स्पार्किंग प्लग उद्योग :
— का संरक्षण जारी रखने के बारे में प्रशुल्क आयोग के प्रतिवेदन (१९५५) तथा सरकारी संकल्प व अधिसूचनाओं की प्रतियां — पटल पर रखी गयीं
खंड ९, ६२९४

आबिद अली, श्री :

अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के अड़तीसवें अधिवेशन में गये भारत सरकार के प्रतिनिधि मंडल के प्रतिवेदन की प्रति — पटल पर रखी

खंड ६, ६२६६, ६२६७

कर्मकार प्रतिकर (संशोधन) विधेयक (श्रीमती रेणु चक्रवर्ती द्वारा नवीन खंड ३ का रखा जाना) :

विचार प्रस्ताव

खंड ६, ६४५५–५७, ६४६१–६२

आयव्ययक प्राक्कलन :

इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के १६५५–५६ के — के सारांश की प्रति — पटल पर रखी गयी

खंड ६, ५७५२

आल्तेकर, श्री :

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति :

उन्तालीसवें प्रतिवेदन से सहमति प्रस्ताव

खंड ६, ६०५५–५६

इकतालीसवें प्रतिवेदन से सहमति प्रस्ताव

खंड ६, ७०४६

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम ३२१ के निलम्बन के बारे में प्रस्ताव

खंड ६, ६६७५, ६६८१

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विधेयक :

संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में, विचार प्रस्ताव

खंड ६, ५८७८, ८१

संविधान (आठवां संशोधन) विधेयक :

पुरःस्थापन अनुमति प्रस्ताव

खंड ६, ६८८४–८५

आल्वा, श्री जोकीम :

मुद्रणालय तथा पुस्तक पंजीयन (संशोधन) विधेयक :

विचार प्रस्ताव

खंड ६, ५६७२–७६

आश्वासन, सरकारी :

लोक सभा के पहले सत्र, १६५२, दूसरे सत्र १६५२, तीसरे सत्र, १६५३, चौथे सत्र, १६५३, पांचवें सत्र, १६५३, छटे सत्र, १६५४, सातवें सत्र, १६५४, आठवें सत्र, १६५४, नवें सत्र, १६५५ तथा दसवें सत्र, १६५५ में दिये गये विभिन्न आश्वासनों इत्यादि पर सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही दर्शाने वाले अनुपूरक विवरण संख्या क्रमशः ३३, ३५, ३७, ३२, २७, २२, १६, १२ ८ तथा २ — पटल पर रखे गये

खंड ६, ६०१५–१६

इ

इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन :

— के १६५५–५६ के आयव्ययक प्राक्कलन के सारांश की प्रति — पटल पर रखी गयी

खंड ६, ५७५२

इकबाल सिंह, सरदार :

दिल्ली (भवन निर्माण कार्यों पर नियंत्रण) विधेयक :

विचार प्रस्ताव

खंड ६, ६६२६–३०

नागरिकता विधेयक :

संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार प्रस्ताव

खंड ६, ६५३२–३६

इस्पात बेलिंग हूप्स उद्योग :

— को संरक्षण जारी रखने के बारे में प्रशुल्क आयोग के प्रतिवेदन (१६५५) तथा सरकारी संकल्प और अधिसूचना की प्रतियां — पटल पर रखी गयीं

खंड ६, ६२६५

ए

**एन्थनी फ्रैंक, श्री :**

कशाघात उत्सादन विधेयक : **(राज्य सभा द्वारा पारित)**

विचार प्रस्ताव

खंड ९, ६२२४–२७

नागरिकता विधेयक :

संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में, विचार

खंड ९, ६५०२–०६

खंडों पर चर्चा

खंड ९, ६६४९–५१

रेलवे के पुनर्वर्गीकरण के बारे में संकल्प

खंड ९, ६०७१–७७

**एलाय और विशेष इस्पात उद्योग :**

— को संरक्षण जारी रखने के बारे में प्रशुल्क आयोग के प्रतिवेदन (१९५५) तथा सरकारी संकल्प की प्रतियां — पटल पर रखी गयीं

खंड ९, ६२९५

**एशिया, दक्षिण पूर्वी :**

— के लिये आयोजित विश्व स्वास्थ्य संघ के प्रादेशिक सम्मेलन के आठवें सत्र में भाग लेने वाले भारतीय प्रतिनिधि मंडल के प्रतिवेदन की प्रति — पटल पर रखी गयी

खंड ९, ५६४७

ओ

**औचित्य प्रश्न :**

आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग करने के सम्बन्ध में —

खंड ९, ६२९८

**औद्योगिक (विकास तथा विनियमन) संशोधन विधेयक :**

**देखिए** "विधेयक (कों)" के नीचे

**औद्योगिक वित्त निगम (बन्धपत्र जारी करना) विनियमन, १९४९ :**

—में संशोधन करने वाली अधिसूचना की प्रति — पटल पर रखी गयी

खंड ९, ५९२१

**औद्योगिक विवाद (बैंकिंग समवाय) विनिश्चय विधेयक, १९५५ :**

**देखिए** "विधेयक (कों)" के नीचे

**औद्योगिक सेवा आयोग :**

— के बारे में संकल्प

खंड ९, ६१०४–०६, ७०५०–७०

क

**करमरकर, श्री :**

अत्यावश्यक पण्य अधिनियम, १९५५ के अन्तर्गत अधिसूचनाओं की प्रतियां — पटल पर रखी।

खंड ९, ५६४५

आकाशवाणी के पदाधिकारियों के सम्बन्ध में विवरण — पटल पर रखा

खंड ९, ५९२१-२२

चलचित्र (विवाचन) नियम, १९५१ में संशोधन करने वाली अधिसूचना की प्रति — पटल पर रखी

खंड ९, ५९२०-२१

तारांकित प्रश्न संख्या १४३७ के उत्तर में शुद्धि

खंड ९, ५९२२-२३

भारतीय प्रशुल्क (द्वितीय संशोधन) विधेयक :

विचार प्रस्ताव

खड ९, ७०३६–४८

भारतीय प्रशुल्क (तृतीय संशोधन) विधेयक :

विचार प्रस्ताव

खंड ९, ७०३६–४८

कर्मकार प्रतिकर (संशोधन) विधेयक (श्रीमती रेणु चक्रवर्ती द्वारा नवीन खण्ड ३ का रखा जाना) :

देखिये (विधयक (कों)" के नीचे

कशाघात उत्सादन विधेयक (राज्य सभा द्वारा पारित) :

देखिये "विधेयक (कों)" के नीचे

काटजू, डा० :

संविधान (सप्तम संशोधन) विधेयक :

मतदान के सम्बन्ध में प्रश्न
खंड ९, ६२९९

कामत, श्री :

अनर्हता निवारण (संसद् तथा भाग ग राज्य विधान मण्डल) संशोधन विधेयक :

विचार प्रस्ताव

खण्ड ९, ७०१९, ७०२१, ७०२२, ७०२३–२५

खंडों पर चर्चा
खंड ९, ७०३५

कार्य मंत्रणा समिति :

सत्ताइसवें प्रतिवेदन से सहमति प्रस्ताव
खंड ९, ६०१७–१८, ६०२०

उन्तीसवें प्रतिवेदन से सहमति प्रस्ताव
खंड ९, ६७५०–५१, ६७५३

दशमलव मुद्राओं के नामांकन तथा मूल्यांकन सम्बन्धी अधिसूचनाओं के मसौदों की प्रतियां — पटल पर रखी गयीं
खंड ९, ६२०९

दिल्ली (भवन निर्माण कार्यों पर नियंत्रण) विधेयक :

खंडों पर चर्चा
खंड ९, ७०१२–१३

कामत श्री : (क्रमशः)

नागरिकता विधेयक :

संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार प्रस्ताव

खंड ९, ६४०३–११, ६५६४, ६५७१, ७५८९, ६५९२.

खंडों पर चर्चा

खंड ९, ६६०३, ६६०७–०९, ६६१०, ६६३७, ६६३९–४३, ६६६८, ६६६९ ६६७०, ६६७२, ६६७९, ७६८०, ६६९२, ६६९४, ६६९७, ६६९८–६७०१.

भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) विधेयक विचार प्रस्ताव

खंड ९, ५७८१—२, ५७८३, ५७८४–८७, ५८०९

मुद्रणालय तथा पुस्तक पंजीयन (संशोधन) विधेयक :

खंडों पर चर्चा

खंड ९, ५७३०, ५७३७–३८, ५७४३, ५७४५–४६, ५७५२–५३

राज्य पुनर्गठन आयोग के प्रतिवेदन पर चर्चा के बारे में घोषणा
खंड ९, ६९६८

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम ३२१, के निलम्बन के बारे में प्रस्ताव
खंड ९, ६९७६–७८

संविधान (सप्तम संशोधन) विधेयक : प्रवर समिति को निर्दिष्ट करने का प्रस्ताव
खंड ९, ६२५१–५३

संविधान (आठवां संशोधन) विधेयक : पुरःस्थापन अनुमति प्रस्ताव
खंड ९, ६८६२, ६८६६–६७

सभा का कार्य

खंड ९, ६४६९, ६६५८, ६६५९, ६६६०

कामत, श्री: (क्रमशः)

समवाय विधेयक :

राज्य सभा द्वारा किये गये संशोधनों पर विचार प्रस्ताव

खंड ९, ५६५२, ५७५५, ५७५६, ५७५७

स्थगन प्रस्ताव :

अगरतला के राताचेरा ग्राम की स्थिति

खंड ९, ६३८१

कार्य मंत्रणा समिति :

**देखिए** "समिति (यां), संसदीय" के नीचे

कासलीवाल, श्री :

कार्य मंत्रणा समिति :

सत्ताईसवें प्रतिवेदन से सहमति प्रस्ताव

खंड ९, ६०१८

रेलवे सामान (अवैध कब्जा) विधेयक :

प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में, विचार प्रस्ताव

खंड ९, ६३३५–३६

संविधान (सप्तम संशोधन) विधेयक :

प्रवर समिति को निर्दिष्ट करने का प्रस्ताव

खंड ९, ६२५३

कृष्णप्पा, श्री एम० वी० :

अत्यावश्यक अधिनियम, १९५५ के अधीन अधिसूचना की प्रति — पटल पर रखी

खंड ९, ६३७७, ६७४८–४९

कृष्णमाचारी, श्री टी० टी० :

अल्मोनियम उद्योग को संरक्षण जारी रखने के बारे में प्रशुल्क आयोग के प्रतिवेदन (१९५५) तथा सरकारी संकल्प की प्रतियां — पटल पर रखीं

खंड ९, ६२९६

कृष्णमाचारी श्री टी० टी० (क्रमशः)

आटोमाबाइल स्पार्किंग प्लग उद्योग के संरक्षण जारी रखने के बारे में प्रशुल्क आयोग के प्रतिवेदन (१९५५) तथा सरकारी संकल्प व अधिसूचनाओं की प्रतियां — पटल पर रखीं

खंड ९, ६२९४

इस्पात बेलिंग हूप्स उद्योग को संरक्षण जारी रखने के बारे में प्रशुल्क आयोग के प्रतिवेदन (१९५५) तथा सरकारी संकल्प और अधिसूचना की प्रतियां — पटल पर रखीं

खंड ९, ६२९५

एलाय और विशेष इस्पात उद्योग को संरक्षण जारी रखने के बारे में प्रशुल्क आयोग के प्रतिवेदन (१९५५) तथा सरकारी संकल्प की प्रतियां — पटल पर रखीं

खंड ९, ६२९५

कोटेड एक्रेसिव उद्योग को संरक्षण जारी रखने के बारे में प्रशुल्क आयोग के प्रतिवेदन (१९५५) तथा सरकारी प्रस्ताव की प्रतियां — पटल पर रखीं

खंड ९, ६२९६

ग्लूकोज़ उद्योग के लिये रक्षण जारी रखने के सम्बन्ध में प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन (१९५५) तथा सरकारी संकल्प व अधिसूचना की प्रतियां — पटल पर रखीं

खंड ९, ५९१९–२०

निशास्ता उद्योग के लिये रक्षण जारी रखने के सम्बन्ध में प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन (१९५५) तथा सरकारी संकल्प की प्रति — पटल पर रखी

खंड ९, ५९१९–२०

कृष्णमाचारी, श्री टी० टी०: (क्रमशः)

पिस्टन के पुर्जे इकट्ठा करने के उद्योग (पिस्टनों, पिस्टन रिंगों और गज पिनों ) प्रशुल्क आयोग के प्रतिवेदन (१९५५) तथा सरकारी संकल्प और अधिसूचना की प्रतियां — पटल पर रखीं

खंड ९, ६२९३–९४

भारतीय प्रशुल्क (तृतीय संशोधन) विधेयक पुरःस्थापन अनुमति प्रस्ताव

खंड ९, ६४६२

मोटर गाड़ी बैटरी उद्योग को संरक्षण जारी रखने के बारे में प्रशुल्क आयोग के प्रतिवेदन (१९५५) तथा सरकारी संकल्प की प्रतियां — पटल पर रखीं

खंड ९, ६२९५

रबड़ के टायर ट्यूबों के उचित मूल्य के सम्बन्ध में प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन और उसके सम्बन्ध में सरकारी संकल्प की प्रतियां—पटल पर रखीं

खंड ९, ५६४४–४५

संविधान (सप्तम संशोधन) विधेयक : प्रवर समिति को निर्देशित करने का प्रस्ताव

खंड ९, ६२८९

संविधान (आठवां संशोधन) विधेयक : पुरःस्थापन अनुमति प्रस्ताव

खंड ९, ६८५७, ६८६०

कृष्णस्वामी, डा० :

संविधान (सप्तम संशोधन) विधेयक : प्रवर समिति को निर्दिष्ट करने का प्रस्ताव

खंड ९, ६२४७–४८

संविधान (आठवां संशोधन) विधेयक : पुरःस्थापन अनुमति प्रस्ताव

खंड ९, ६८५४, ६८६३, ६८६५

केसकर, डा० :

मुद्रणालय तथा पुस्तक पंजीयन (संशोधन) विधेयक :

विचार प्रस्ताव

खंड ९, ५६५४–६२, ५६७५, ५६८०, ५६८५, ५६८८, ५७०५–१७.

खंडों पर चर्चा

खंड ९, ५७२२–२४, ५७२७, ५७२८, ५७२९, ५७३१, ५७३२–३४, ५७३७, ५७३९–४२, ५७४३, ५७५३–५४

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव

खंड ९, ५७५५

कोटेड ऐब्रेसिव उद्योग :

—को संरक्षण जारी रखने के बारे में प्रशुल्क आयोग के प्रतिवेदन (१९५५) तथा सरकारी प्रस्ताव की प्रतियां—पटल पर रखी गयीं

खंड ९, ६२९६

कोट्टुकपल्ली, श्री :

भारतीय अन्य धर्मग्राही (विनियमन तथा पंजीयन) विधेयक (श्री जेठा लाल जोशी द्वारा) :

विचार प्रस्ताव

खंड ९, ६४२६–२९

ख

खाद्य और कृषि मंत्रालय :

औद्योगिक (विकास तथा विनियमन) संशोधन विधेयक, १९५३ पर हुई चर्चा के समय ५ मई १९५३ को दिये गये एक आश्वासन के अनुसरण में —के आदेश की प्रति—पटल पर रखी गई

खण्ड ९, ६६५६

ग

गांधी, श्री फीरोज़ :

कार्य मंत्रणा समिति :

सत्ताईसवें प्रतिवेदन से सहमति प्रस्ताव
खंड ९, ६०२०, ६०२१

बीमा (संशोधन) अध्यादेश, १९५५–राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित–पटल पर रखा गया
खण्ड ९, ५६४६

बीमा (संशोधन) विधेयक :

विचार प्रस्ताव
खंड ९, ६७१५–१६, ६७१७–२८, ६७२९–३५, ६७५९, ६७६०, ६७७५

संविधान (सप्तम संशोधन) विधेयक :

मतदान के सम्बन्ध में प्रश्न
खंड ९, ६२९९, ६३००

गांधी, श्री वी० बी० :

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विधेयक :

संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार प्रस्ताव
खंड ९, ५९१३–१६, ५९२३–२४

गाडगील, श्री :

नागरिकता विधेयक :

संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार प्रस्ताव
खंड ९, ६३९७, ६५७२–७५

भारतीय अन्य धर्मग्राही (विनियमन तथा पंजीयन) विधेयक (श्री जेठा लाल जोशी द्वारा) :

विचार प्रस्ताव
खंड ९, ६४२२–२५

संविधान (आठवां संशोधन) विधेयक :

पुरःस्थापन अनुमति प्रस्ताव
खंड ९, ६८६०–६१

गिडवानी, श्री :

दिल्ली (भवन निर्माण कार्यों का नियंत्रण) विधेयक :

विचार प्रस्ताव
खंड ९, ६८२४

नागरिकता विधेयक :

संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में, विचार प्रस्ताव
खंड ९, ६५७१–७२

गुप्त, श्री साधन :

नागरिकता विधेयक :

संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार प्रस्ताव
खंड ९, ६५२८–३२

खंडों पर चर्चा
खंड ९, ६६०७, ६६१२, ६६१३–१७ ६६३७, ६६६०, ६६७३–७४, ६६७५, ६६७८, ६६८०–८१, ६६९२,

बीमा (संशोधन) विधेयक :

विचार प्रस्ताव
खंड ९, ६७३९–४१

मुद्रणालय तथा पुस्तक पंजीयन (संशोधन) विधेयक :

खंडों पर चर्चा
खंड ९, ५७१८–२०

राज्य पुनर्गठन आयोग के प्रतिवेदन पर चर्चा के बारे में घोषणा
खंड ९, ६९६९

गुरुपादस्वामी, श्री एम० एस० :

नागरिकता विधेयक :

संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में, विचार प्रस्ताव
खंड ९, ६५५०–५४, ६५६२

गुरुपादस्वामी श्री एम० एस० : (क्रमश):

बीमा (संशोधन) विधेयक :

विचार प्रस्ताव

खंड ६, ६७३६, ६७४१–४३

भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन ) विधेयक :

विचार प्रस्ताव

खंड ६, ५७८४

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव

खंड ६, ५८२०–२३

मनीपुर (न्यायालय) विधेयक :

विचार प्रस्ताव

खंड ६, ६३०४–०५

मुद्रणालय तथा पुस्तक पंजीयन (संशोधन) विधेयक :

विचार प्रस्ताव

खंड ६, ५६६५–६७

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विधेयक :

संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार प्रस्ताव

खंड ६, ५६७२–७३, ५६७४, ५६७५–७७

खंडों पर चर्चा

खंड ६, ५६६६, ६००१–०२ ६०२४–२६, ६०४३

संविधान (आठवां संशोधन) विधेयक :

पुरःस्थापन अनुमति प्रस्ताव

खंड ६, ६८८०–८२

गुह, श्री ए० सी० :

अखिल भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के सामान्य विनियमों में संशोधन करने वाली अधिसूचना की प्रति–पटल पर रखी

खंड ६, ६६५६–५७

गुह, श्री ए० सी० (क्रमशः)

औद्योगिक वित्त निगम (बन्धपत्र जारी करना) विनियमन, १६४६ में संशोधन करने वाली अधिसूचना की प्रति–पटल पर रखी

खंड ६, ५६२१

दशमलव मुद्राओं के नामांकन तथा मूल्यांकन सम्बन्धी अधिसूचनाओं के मसौदों की प्रतियां–पटल पर रखीं

खंड ६, ६२०६

भारतीय टंक (संशोधन) विधेयक :

विचार प्रस्ताव

खंड ६, ६१७५–७७

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव

खंड ६, ६१७८

संविधान (सप्तम संशोधन) विधेयक :

मतदान के सम्बन्ध में प्रश्न

खंड ६, ६३००

समुद्र सीमा–शुल्क अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनाओं की प्रतियां–पटल पर रखीं

खंड ६, ५६४६–४७

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति :

देखिये "समिति (यां) संसदीय" के नीचे

गोपालन, श्री ए० के० :

स्थगन प्रस्ताव :

बम्बई की स्थिति

खंड ६, ५६४०

ग्लूकोज़ उद्योग :

—के लिये रक्षण जारी रखने के सम्बन्ध में प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन (१६५५) तथा सरकारी संकल्प व अधिसूचना की प्रतियां—पटल पर रखी गयीं

खंड ६, ५६१६–२०

च

चक्रवर्ती, श्रीमती रेणु :

(कर्मकार प्रतिकर (संशोधन) विधेयक (द्वारा नवीन खण्ड ३ का रखा जाना) :

विचार प्रस्ताव

खंड ९, ६४३९–४४

कार्य मंत्रणा समिति :

सत्ताइसवें प्रतिवेदन से सहमति प्रस्ताव

खंड ९, ६०१७

चक्रवती, श्रीमती रेणु :

दिल्ली (भवन निर्माण कार्य पर नियंत्रण) विधेयक :

विचार प्रस्ताव

खंड ९, ६८२५, ६८८९–९३

खंडों पर चर्चा

खंड ९, ६९९९–७००१

नागरिकता विधेयक :

संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार प्रस्ताव

खंड ९, ६५६४

खंडों पर चर्चा

खंड ९, ६६९१, ६६९२, ६६९४, ६६९५–९७

बीमा (संशोधन) विधेयक :

विचार प्रस्ताव

खंड ९, ६७३८

मुद्रणालय तथा पुस्तक पंजीयन (संशोधन) विधेयक :

विचार प्रस्ताव

खंड ९, ५६९८–५७०२, ५७०६, ५७०७, ५७१० ५७१५, ५७१६

खंडों पर चर्चा

खंड ९, ५७२७, ५७४०

चटर्जी, श्री एन० सी० :

कशाघात उत्सादन विधेयक : (राज्य सभा द्वारा पारित)

विचार प्रस्ताव

खंड ९, ६२२९–३३

नागरिकता विधेयक :

संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार प्रस्ताव

खंड ९, ६३९८–६४०३, ६५६५, ६५९८–९९

खंडों पर चर्चा

खंड ९, ६६०२, ६६०३–०६, ६६०७, ६६१२–१३, ६६३७, ६६४३–४५, ६६७६–७८, ६६९२, ६६९३, ६७०१–०३

बीमा (संशोधन) विधेयक :

विचार प्रस्ताव

खंड ९, ६७६४–७० :

भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) विधेयक :

विचार प्रस्ताव

खंड ९, ५७९८–९९

मुद्रणालय तथा पुस्तक पंजीयन (संशोधन) विधेयक :

खंडों पर चर्चा

खंड ९, ५७३८–३९, ५७४२

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम ३२१ के निलम्बन के बारे में प्रस्ताव

खंड ९, ६९७९–८०

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विधेयक:

संयुक्त समिति द्वारा प्रदिवेदित रूप में विचार प्रस्ताव

खंड ९, ५९२६, ५९३७–४३

संविधान (सप्तम संशोधन) विधेयक :

प्रवर समिति को निर्दिष्ट करने का प्रस्ताव

खंड ९, ६२७५–७६, ६२७९

चटर्जी, श्री एन० सी० : (क्रमश :)

संविधान (आठवां संशोधन) विधेयक :

पुरःस्थापन अनुमति प्रस्ताव

खंड ६, ६८५४, ६८५५, ६८५६, ६८६०, ६८६८–७१

समवाय विधेयक :

राज्य सभा द्वारा किये गये संशोधनों पर विचार प्रस्ताव ।

खंड ६, ५७६५

चटर्जी, श्री तुषार :

अनर्हता निवारण (संसद् तथा भाग ग राज्य विधान मंडल) संशोधन विधेयक :

विचार प्रस्ताव

खंड ६, ७०२६–२७

खण्डों पर चर्चा

खंड ६, ७०३५

कर्मकार प्रतिकर (संशोधन) विधेयक : (श्रीमती रेणु चक्रवर्ती द्वारा नवीन खंड ३ का रखा जाना) :

विचार प्रस्ताव

खंड ६, ६४५८–५६

कशाघात उत्सादन विधेयक (राज्य सभा द्वारा पारित) :

विचार प्रस्ताव

खंड ६, ६१६६–६६

चट्टोपाध्याय, श्री:

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विधेयक :

संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में, विचार प्रस्ताव

खंड ६, ५६३४

चन्दा, श्री अनिल के० :

तारांकित प्रश्न संख्या ६०६ के उत्तर में शुद्धि

खंड ६, ६४६७–६६

चलचित्र (विवाचन) नियम, १६५१ :

—में संशोधन करने वाली अधिसूचना की प्रति—पटल पर रखी गयी

खंड ६, ५६२०–२१

चेट्टियार, श्री टी० एस० ए० :

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना :

मद्रास में तूफान

खंड ६, ६६७४

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विधेयक :

संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में, विचार प्रस्ताव

खंड ६, ५८८१–८६

खंडों पर चर्चा

खंड ६, ५६८७, ५६६०–६१, ५६६४, ५६६६–६७, ६००२, ६०२३, ६०२४, ६०३०, ६०३५–३६, ६०४३, ६१२१–२२, ६१२६–२७

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव

खंड ६, ६१२६–३२

संविधान (सप्तम संशोधन) विधेयक :

प्रवर समिति को निर्देशित करने का प्रस्ताव

खंड ६, ६२७४–७५

संविधान (सप्तम संशोधन) विधेयक सम्बन्धी चर्चा

खंड ७, ६१११, ६११६

चौधरी, श्री एन० बी० :

अनर्हता निवारण (संसद् तथा भाग 'ग' राज्य विधानमंडल) संशोधन विधेयक :

खंडों पर चर्चा

खंड ६, ७०३५

औद्योगिक सेवा आयोग के बारे में संकल्प

खंड ६, ७०६०

चौधरी, श्री एन० बी० : (क्रमशः)

कर्मकार प्रतिकर संशोधन विधेयक (श्रीमती रेणु चक्रवर्ती द्वारा नवीन खण्ड ३ का रखा जाना) :

विचार प्रस्ताव

खंड ९, ६४५९–६१

नागरिकता विधेयक :

खंडों पर चर्चा

खंड ९, ६६९२

बीमा (संशोधन) विधेयक :

खंडों पर चर्चा

खंड ९, ६८०८, ६८०९

ज

जगजीवन राम, श्री :

इंडियन एयर लाइन्स कारपोरेशन के १९५५–५६ के आय-व्ययक प्राक्कलन के सारांश की प्रति-पटल पर रखी

खंड ९, ५७५२

जयपाल सिंह, श्री :

बीमा (संशोधन) विधेयक

विचार प्रस्ताव

खंड ९, ६७३७–३८

मुद्रणालय तथा पुस्तक पंजीयन (संशोधन) विधेयक :

खंडों पर चर्चा

खंड ९, ५७२६, ५७३०

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विधेयक :

संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार प्रस्ताव

खंड ९, ५८९०

संविधान (सप्तम संशोधन) विधेयक :

प्रवर समिति को निर्दिष्ट करने का प्रस्ताव

खंड ९, ६२६६, ६२७३–७४

संविधान (सप्तम संशोधन) विधेयक के बारे में चर्चा

खंड ९, ६११६–१७

जयश्री, श्रीमती :

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विधेयक :

संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में, विचार प्रस्ताव

खंड ९, ५९०३–०५

खंडों पर चर्चा

खंड ९, ५९९६

जयसूर्य, डा० :

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विधेयक :

संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में, विचार प्रस्ताव

खंड ९, ५९०५–०८

जोशी, श्री जेठालाल :

भारतीय अन्य धर्मग्राही (विनियमन तथा पंजीयन) विधेयक (—द्वारा) :

विचार प्रस्ताव

खंड ९, ६४३७–३९

जोशी, श्रीमती सुभद्रा :

दिल्ली (भवन निर्माण कार्यों पर नियंत्रण) विधेयक :

विचार प्रस्ताव

खंड ९, ६९१२–२२

ट

टंडन, श्री :

संविधान (सप्तम संशोधन) विधेयक :

प्रवर समिति को निर्दिष्ट करने का प्रस्ताव

खंड ९, ६२७७–७८

टायर ट्यूब :

रबड़ के—उचित मूल्य के सम्बन्ध में प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन और उसके सम्बन्ध में सरकारी संकल्प की प्रतियां—पटल पर रखी गयीं

खंड ९, ५६४४–४५

टेकचन्द, श्री :

भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) विधेयक :
विचार प्रस्ताव
खंड ६, ५७६७–६८

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विधेयक :
संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में,
विचार प्रस्ताव
खंड ६, ५८६६–६६

त

तिवारी, पंडित डी० एन० :

कशाघात उत्सादन विधेयक (राज्य सभा द्वारा पारित) :
विचार प्रस्ताव
खंड ६, ६२१५–१८

रेलवे के पुनर्वर्गीकरण के बारे में संकल्प
खंड ६, ६०८१–८६

रेलवे सामान (अवैध कब्जा) विधेयक :
प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में,
विचार प्रस्ताव
खंड ६, ६३४५–४८

तुलसीदास, श्री :

बीमा (संशोधन) विधेयक :
विचार प्रस्ताव
खंड ६, ६७५७–५६, ६७६०–६१, ६७६२, ६७६३–६४

समवाय विधेयक :
राज्य सभा द्वारा किये गये संशोधनों पर विचार प्रस्ताव
खंड ६, ५७५८–६०, ५७६२, ५७६३, ५७६७–५७७१

तूफान :

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना :
मद्रास में––
खंड ६, ६६७०–७५

त्यागी, श्री :

कशाघात उत्सादन विधेयक (राज्य सभा द्वारा पारित) :
विचार प्रस्ताव
खंड ६, ६२३१, ६२३६

संविधान (सप्तम संशोधन) विधेयक :
प्रवर समिति को निर्दिष्ट करने का प्रस्ताव
खंड ६, ६२७१–७२, ६२७६, ६२७८

स्थगन प्रस्ताव :
अगरतला के राताचेरा ग्राम की स्थिति
खंड ६, ६३८०

त्रिवेदी, श्री यू० एम० :

कार्य मंत्रणा समिति :
उनतीसवें प्रतिवेदन से सहमति प्रस्ताव
खंड ६, ६७५१

बीमा (संशोधन) विधेयक :
विचार प्रस्ताव
खंड ६, ६७८१–८२, ६७६३–६४

खंडों पर चर्चा
खंड ६, ६८०६–११

भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) विधेयक :
विचार प्रस्ताव
खंड ६, ५८०४

खंडों पर चर्चा
खंड ६, ५८१४, ५८१७–१८, ५८१६

मुद्रणालय तथा पुस्तक पंजीयन (संशोधन) विधेयक :
विचार प्रस्ताव
खंड ६, ५७०२–०५

रेलवे सामान (अवैध कब्जा) विधेयक :
प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में,
विचार प्रस्ताव
खंड ६, ६३२६–२६

त्रिवेदी, श्री यू० एम० : (क्रमशः)

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विधेयक :

संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में, विचार प्रस्ताव
खंड ९, ५९२९

संविधान (सप्तम संशोधन) विधेयक :

प्रवर समिति को निर्दिष्ट करने का प्रस्ताव खंड ९, ६२५५–५८

संविधान (आठवां संशोधन) विधेयक :

पुरःस्थापन अनुमति प्रस्ताव
खंड ९, ६८५५–५६, ६८७९–८०

समवाय विधेयक :

राज्य सभा द्वारा किये गये संशोधनों पर विचार प्रस्ताव
खंड ९, ५७५८, ५७६०

थ

थामस, श्री ए० एम० :

नागरिकता विधेयक :

खंडों पर चर्चा
खंड ९, ६६०२, ६६०५, ६६२८

भारतीय अन्य धर्मग्राही (विनियमन तथा पंजीयन) विधेयक (**श्री जेठालाल जोशी द्वारा**) :

विचार प्रस्ताव
खंड ९, ६४१९–२२

मुद्रणालय तथा पुस्तक पंजीयन (संशोधन) विधेयक :

विचार प्रस्ताव
खंड ९, ५७१२

खंडों पर चर्चा
खंड ९, ५७२३, ५७२६

संविधान (आठवां संशोधन) विधेयक :

पुरःस्थापन अनुमति प्रस्ताव
खंड ९, ६८८७–८८

द

दक्षिण पूर्वी एशिया :

**देखिए** "एशिया, दक्षिण पूर्वी"

दरगाह ख्वाजा साहिब विधेयक, १९५२ :

**देखिए** "विधेयक (कों)" के नीचे

दशमलव मुद्रा :

— के नामांकन तथा मूल्यांकन सम्बन्धी अधिसूचनाओं के मसौदों की प्रतियां— पटल पर रखी गईं
खंड ९, ६२०९

दशरथ देव, श्री :

स्थगन प्रस्ताव :

अगरतला के राताचेरा ग्राम की स्थिति
खंड ९, ६२०८, ६३७९

दातार, श्री :

औद्योगिक सेवा आयोग के बारे में संकल्प
खंड ९, ७०६२–६४, ७०६५–६६, ७०६९, ७०७०

कशाघात उत्सादन विधेयक (राज्य सभा द्वारा पारित) :

विचार प्रस्ताव
खंड ७, ६१७८–८४, ६१९९, ६२३३–३७

पारित करने का प्रस्ताव
खंड ९, ६२३७

नागरिकता विधेयक :

संयुक्त समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन
खंड ९, ५७१७

संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार प्रस्ताव
खंड ९, ६३८५–९७, ६४०६–०७ ६४८६, ६४९९–६५००, ६५०१ ६५८६–९८, ६५९९–६६०२

दातार, श्री : (क्रमशः)

नागरिकता विधेयक : (क्रमशः)

खंडों पर चर्चा

खंड ६, ६६०२, ६६०३, ६६०७, ६६२६–३५, ६६६४–७३, ६६७४, ६६७५, ६६७६, ६६७८, ६६८७–८६, ६६६०, ६६६३–६४, ६७००

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव

खंड ६, ६७०६

भाग ग राज्य (विधियां) संशोधन विधेयक :

पुरःस्थापन अनुमति प्रस्ताव

खंड ६, ६३८३

भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) विधेयक :

विचार प्रस्ताव

खंड ६, ५७८१, ५७८२

खंडों पर चर्चा

खंड ६, ५८१०–१२, ५८१६–१७, ५८१८, ५८१६

मनीपुर (न्यायालय) विधेयक :

पुरःस्थापन अनुमति प्रस्ताव

खंड ६, ६११०

विचार प्रस्ताव

खंड ६, ६२८०–८६, ६३०१, ६३०४, ६३०५–०६

खंडों पर चर्चा

खंड ६, ६३०६–१०, ६३१२

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव

खंड ६, ६३१२

स्थगन प्रस्ताव :

अगरतला के राताचेरा ग्राम की स्थिति

खंड ६, ६२०८, ६३७८–७६

दास, डा० एम० एम० :

दिल्ली (भवन निर्माण कार्यों पर नियंत्रण) विधेयक :

खंडों पर चर्चा

खंड ६, ६६५०

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विधेयक :

संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार प्रस्ताव

खंड ६, ५८२७, ५८२८–३२, ५८४०–४३, ५८७२, ५८७४, ५६३६, ५६६२, ५६६३, ५६७२, ५६७३, ५६७४, ५६७७–८६

खंडों पर चर्चा

खंट ६, ५६८७, ५६८६, ५६६१, ५६६४–६५, ६००३–०४, ६००८–०६, ६०२७–२८, ६०३२, ६०३३–३४, ६०४८, ६०५१–५३, ६१२२–२४, ६१२५, ६१२६, ६१२७, ६१२८

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव

खंड ६, ६१२६, ६१३८–४१

दास, श्री बी० के० :

नागरिकता विधेयक :

संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार प्रस्ताव

खंड ६, ६५१३–१५

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विधेयक :

खंडों पर चर्चा

खंड ६, ६०४३

सामुदायिक परियोजनाओं और राष्ट्रीय विस्तार सेवा योजनाओं की पड़ताल के लिये एक समिति की नियुक्ति करने के बारे में संकल्प

खंड ६, ७०८०–८२

दास, श्री श्रीनारायण :

औद्योगिक सेवा आयोग के बारे में संकल्प

खंड ९, ७०५९, ७०६०, ७०६२, ७०६८

कशाघात उत्सादन विधेयक (राज्य सभा द्वारा पारित) :

विचार प्रस्ताव

खंड ९, ६१८९–९६

दिल्ली (भवन निर्माण कार्यों पर नियंत्रण) विधेयक :

खंडों पर चर्चा

खंड ९, ६९५६

नागरिकता विधेयक :

संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में, विचार प्रस्ताव

खंड ९, ६५००, ६५११, ६५१५–२५

खंडों पर चर्चा

खंड ९, ६६०७, ६६१०–१२, ६६३७, ६६३९, ६६७८

मुद्रणालय तथा पुस्तक पंजीयन (संशोधन) विधेयक :

विचार प्रस्ताव

खंड ९, ५६८०–८८, ५६८९

खंडों पर चर्चा

खंड ९, ५७३१

रेलवे के पुनर्वर्गीकरण के बारे में संकल्प

खंड ९, ६०६६

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विधेयक :

खंडों पर चर्चा

खंड ९, ५९९१–९२, ५९९६, ६०१०, ६०२२, ६०२४, ६०४३, ६०४९–६१, ६१२३, ६१२४, ६१२५, ६१२८

संविधान, (सप्तम संशोधन) विधेयक के बारे में चर्चा

खंड ९, ६११५

दिल्ली जल तथा नाली व्यवस्था संयुक्त बोर्ड (संशोधन) विधेयक, १९५४ :

**देखिए** "विधेयक (कों)" के नीचे

दिल्ली भवन निर्माण कार्यों पर नियंत्रण अध्यादेश, १९५५ :

— जारी कर तुरन्त विधान बनाने के कारण बताने वाले व्याख्यात्मक विवरण की प्रति—पटल पर रखी गई

खंड ९, ६३८४

राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित—पटल पर रखा गया

खंड ९, ५६४५–४६

दिल्ली (भवन निर्माण कार्यों पर नियंत्रण) विधेयक :

**देखिए** "विधेयक (कों)" के नीचे

दिल्ली (भवन निर्माण कार्यों पर नियंत्रण) विनियम

— की प्रति—पटल पर रखी गई

खंड ९, ६४६७

दुबे, श्री मूल चन्द :

नागरिकता विधेयक :

संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में, विचार प्रस्ताव

खंड ९, ६४१३–१५, ६६००

खंडों पर चर्चा

खंड ९, ६६७८, ६६८५–८७, ६६८८, ६६९०

बीमा (संशोधन) विधेयक :

विचार प्रस्ताव

खंड ९, ६७७८

रेलवे सामान (अवैध कब्जा) विधेयक :

प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में, विचार प्रस्ताव

खंड ९, ६३५०–५१

विश्वविद्यालय अनुदान अयोग विधेयक :

खंडों पर चर्चा

खंड ९, ६०३९

देशपांडे, श्री बी० जी० :

नागरिकता विधेयक :

संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में, विचार प्रस्ताव

खंड ६, ६५७५–८०

खंडों पर चर्चा

खंड ६, ६६८५

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव

खंड ६, ६७०६–१०

बीमा (संशोधन) विधेयक :

विचार प्रस्ताव

खंड ६, ६७१६, ६८०५

पारित करने का प्रस्ताव

खंड ६, ६८१७–१६

संविधान (सप्तम संशोधन) विधेयक :

प्रवर समिति को निर्दिष्ट करने का प्रस्ताव :

खंड ६, ६२६०–६२

स्थगन प्रस्ताव :

बम्बई की स्थिति

खंड ६, ५८४०

देशमुख, डा० पी० एस० :

अत्यावश्यक पण्य अधिनियम, १६५५ के अधीन अधिसूचना की प्रति—पटल पर रखी

खंड ६, ६६५६

औद्योगिक (विकास तथा विनियमन) संशोधन विधेयक, १६५३ पर हुई चर्चा के समय ५ मई, १६५३ को दिये गये एक आश्वासन के अनुसरण में खाद्य और कृषि मंत्रालय के आदेश की प्रति—पटल पर रखी

खंड ६, ६६५६

देशमुख, श्री सी० डी० :

प्रतिभूति संविदा (विनियमन) विधेयक, १६५४ :

संयुक्त समिति को निर्दिष्ट करने का प्रस्ताव

खंड ६, ६१४०–५५, ६१५७, ६१५८, ६१५६, ६१६०, ६१६५–

बीमा (संशोधन) विधेयक :

विचार प्रस्ताव

खंड ६, ६७२०, ६७२१, ६७२८–२६

दैनिक संक्षेपिका :

लोक सभा में हुई कार्यवाही की :—

२१ नवम्बर, १६५५

खंड ६, ५७४७–५०

२२ नवम्बर, १६५५

खंड ६, ५८३३–३४

२३ नवम्बर, १६५५

खंड ६, ५६१७–१८

२४ नवम्बर, १६५५

खंड ६, ६०११–१४

२५ नवम्बर, १६५५

खंड ६, ६१०७–०८

२८ नवम्बर, १६५५

खंड ६, ६२०५–०६

३० नवम्बर, १६५५

खंड ६, ६२८६–६२

१ दिसम्बर, १६५५

खंड ६, ६३७३–७६

२ दिसम्बर, १६५५

खंड ६, ६४६३–६६

३ दिसम्बर, १६५५

खंड ६, ६५५७–५८

५ दिसम्बर, १६५५

खंड ६, ६६५३–५४

६ दिसम्बर, १६५५

खंड ६, ६७४५–४६

७ दिसम्बर, १६५५

खंड ६, ६८५१–५२

८ दिसम्बर, १६५५

खंड ६, ६६६३–६४

६ दिसम्बर, १६५५

खंड ६, ७०६०–६२

द्विवेदी, श्री एम० एल०

आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग करने के सम्बन्ध में औचित्य प्रश्न
खंड ९, ६२९८

औद्योगिक सेवा आयोग के बारे में संकल्प
खंड ९, ६१०४–०६, ७०५०–५९, ७०६१ ७०६५, ७०७०

सभा का कार्य
खंड ९, ६७५५

सामुदायिक परियोजनाओं और राष्ट्रीय विस्तार सेवा योजनाओं की पड़ताल के लिये एक समिति की नियुक्ति करने के बारे में संकल्प
खंड ९, ७०७७

घ

धुलेकर, श्री :

दिल्ली (भवन निर्माण कार्यों पर नियत्रण) विधेयक :

विचार प्रस्ताव
खंड ९, ६९३०–३१

नागरिकेता विधेयक :

खंडों पर चर्चा
खंड ९, ६६६३–६४

रेलवे सामान (अवैध कब्जा) विधेयक :
प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में, विचार प्रस्ताव
खंड ९, ६३३२, ६३४०–४१

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विधेयक :
संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार प्रस्ताव
खंड ९, ५९२५–२७, ५९२८–२९, ५९३०–३२

धुलेकर, श्री : (क्रमशः)

संविधान (सप्तम सशोधन) विधेयक :
प्रवर समिति को निर्दिष्ट करने का प्रस्ताव
खंड ९, ६२५८–५९, ६२६८, ६२७७

संविधान (आठवां संशोधन) विधेयक :
पुरःस्थापन अनुमति प्रस्ताव
खंड ९, ६८८५

न

नथवानी, श्री एन० पी० :

नागरिकता विधेयक :
संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार प्रस्ताव
खंड ९, ६५०६–१३

खंडों पर चर्चा
खंड ९, ६६०७, ६६२४, ६६२९, ६६६०

नदी बोर्ड विधेयक :
देखिये "विधेयक (कों)" के नीचे

नन्दा, श्री :

अन्तर्राज्यिक जल विवाद विधेयक :
संयुक्त समिति के प्रतिवेदन की प्रति—पटल पर रखी
खंड ९, ५६४७

नदी बौर्ड विधेयक :
संयुक्त समिति के प्रतिवेदन की प्रति—पटल पर रखी
खंड ९, ५६४७

नरसिंहन, श्री सी० आर० :

नागरिकता विधेयक :
खंडों पर चर्चा
खंड ९, ६६२९, ६६६०

नरसिंहन, श्री सी० आर० : (क्रमशः)

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विधेयक :

संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में, विचार प्रस्ताव

खंड ६, ५६२४–२५

संविधान (सप्तम संशोधन) विधेयक : प्रवर समिति को निर्दिष्ट करने का प्रस्ताव

खंड ६, ६२६२–६३

सभा का कार्य

खंड ६, ६७५४

नागरिकता विधेयक, १९५५ :

**देखिये** "विधयक (कों)" के नीचे ।

नायर, श्री एन० श्रीकान्तन :

कर्मकार प्रतिकर (संशोधन) विधेयक (श्रीमती रेणु चक्रवर्ती द्वारा नवींन खण्ड ३ का रखा जाना) :

विचार प्रस्ताव

खंड ६, ६४४७–४८

नागरिकता विधेयक :

**खंडों पर चर्चा**

खंड ६, ६६०७

संविधान (सप्तम संशोधन) विधेयक :

प्रवर समिति को निर्देशित करने का प्रस्ताव

खंड ६, ६२४६–४७

नायर, श्री वी० पी० :

प्रतिभूति संविदा (विनियमन) विधेयक, १९५४ :

संयुक्त समिति को निर्देशित करने का प्रस्ताव

**खंड ६,** ६१५५–६१, ६१६७, ६१६८, ६१७०, ६१७१

नायर, श्री वी० पी० : (क्रमशः)

भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) विधेयक :

विचार प्रस्ताव

खंड ६, ५७७५–८१, ५८०४, ५८०८

खंडों पर चर्चा

खंड ६, ५८१३–१४, ५८१५ ५८१६, ५८१७

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विधेयक:

संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार प्रस्ताव

खंड ६, ५९८१

खंडों पर चर्चा

खंड ६, ५९८७–९०, ५९९६, ५९९७–६००१, ६००३, ६०२२, ६०२३, ६०२६–२७, ६०३७, ६०४७–४९, ६११८, ६१२५, ६१२७

नायर, श्री सी० के० :

दिल्ली (भवन निर्माण कार्यों पर नियंत्रण) विधेयक :

विचार प्रस्ताव :

खंड ६, ६८९६–९८, ६९४४

खंडों पर चर्चा

खंड ६, ६९४८, ६९६१

बीमा (संशोधन) विधेयक :

विचार प्रस्ताव

खंड ६, ६७७३

संविधान (आठवां संशोधन) विधेयक :

पुरःस्थापन अनुमति प्रस्ताव

खंड ६, ६८७१

नियम समिति :

**देखिये** "समिति (यां)" संसदीय के नीचे

निर्वाचन :

प्राक्कलन समिति के लिये––सम्बन्धी प्रस्ताव

खंड ६, ६१०९–१०

निशास्ता उद्योग :

— के लिये रक्षण जारी रखने के संबंध में प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन (१९५५) तथा सरकारी संकल्प की प्रति—पटल पर रखी गई
खंड ९, ५९१९–२०.

नेहरू, श्री जवाहरलाल :

नागरिकता विधेयक :

संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में, विचार प्रस्ताव
खंड ९, ६५६१–७१

खंडों पर चर्चा
खंड ९, ६६१९

भारतीय अन्य धर्मग्राही (विनियमन तथा पंजीयन) विधेयक (श्री जेठालाल जोशी द्वारा) :
विचार प्रस्ताव
खंड ९, ६४३१–३६

संयुक्त राज्य अमरीका के विदेश मंत्री तथा पुर्तगाल के विदेश मंत्री के संयुक्त वक्तव्य के बारे में वक्तव्य
खंड ९, ६५६०–६१

नेहरू, श्रीमती उमा :

दिल्ली (भवन निर्माण कार्यों पर नियंत्रण) विधेयक :
विचार प्रस्ताव :
खंड ९, ६९३१–३४

नेहरू, श्रीमती शिवराजवती :

कशाघात उत्सादन विधेयक (राज्य सभा द्वारा पारित) :
विचार प्रस्ताव
खंड ९, ६२१८–२२

दिल्ली (भवन निर्माण कार्यों पर नियंत्रण) विधेयक :
खंडों पर चर्चा
खंड ९, ६९५३–५५, ६९५६

प

पटनायक, श्री यू० सी० :

भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) विधेयक : जनता की राय बताने वाले पत्र संख्या ४ की प्रति—पटल पर रखी गई
खंड ९, ६२९७

पटल पर रखे गये पत्र :

अखिल भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के सामान्य विनियमों में संशोधन करने वाली अधिसूचना की प्रति
खंड ९, ६६५६–५७

अत्यावश्यक पण्य अधिनियम, १९५५ के अन्तर्गत अधिसूचनाओं की प्रतियां
खंड ९, ५६४५, ६३७७, ६६५६, ७७४८–४९

अन्तर्राज्यिक जल विवाद विधेयक :
संयुक्त समिति के प्रतिवेदन की प्रति
खंड ९, ५६४८

अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम करार के अन्तर्नियम और व्याख्यात्मक ज्ञापन की प्रति
खंड ९, ६६५५

अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के अड़तीसवें अधिवेशन में गये भारत सरकार के प्रतिनिधि मंडल के प्रतिवेदन की प्रति
खंड ९, ६२९६

अल्मोनियम उद्योग को संरक्षण जारी रखने के बारे में प्रशुल्क आयोग के प्रतिवेदन (१९५५) तथा सरकारी संकल्प की प्रतियां
खंड ९, ६२९६

आकाशवाणी के पदाधिकारियों के सम्बन्ध में विवरण
खंड ९, ५९२१–२२

पटल पर रखे गये पत्र : (क्रमशः)

आटोमाबाइल स्पार्किंग प्लग उद्योग के संरक्षण जारी रखने के बारे में प्रशुल्क आयोग के प्रतिवेदन (१९५५) तथा सरकारी संकल्प व अधिसूचनाओं की प्रतियां

खंड ९, ६२९४

इंडियन एयर लाइन्स कारपोरेशन के १९५५–५६ के आयव्ययक प्राक्कलन के सारांश की प्रति

खंड ९, ५७५२

इस्पात बेलिंग हुप्स उद्योग को संरक्षण जारी रखने के बारे में प्रशुल्क आयोग के प्रतिवेदन (१९५५) तथा सरकारी संकल्प और अधिसूचना की प्रतियां

खंड ९, ६२९५

एलाय और विशेष इस्पात उद्योग के संरक्षण जारी रखने के बारे में प्रशुल्क आयोग के प्रतिवेदन (१९५५) तथा सरकारी संकल्प की प्रतियां

खंड ९, ६२९५

औद्योगिक (विकास तथा विनियमन) संशोधन विधेयक, १९५३ पर हुई चर्चा के समय ५ मई, १९५३ को दिये गये एक आशवासन के अनुसरण में खाद्य और कृषि मंत्रालय के आदेश की प्रति

खंड ९, ६६५६

औद्योगिक वित्त निगम (बन्धपत्र जारी करना) विनियमन, १९४९ में संशोधन करने वाली अधिसूचना की प्रति

खंड ९, ५९२१

कोटेड एब्रेसिव उद्योग को संरक्षण जारी रखने के बारे में प्रशुल्क आयोग के प्रतिवेदन (१९५५) तथा सरकारी प्रस्ताव की प्रतियां

खंड ९, ६२९६

पटल पर रखे गये पत्र : (क्रमशः)

ग्लूकोज़ उद्योग के लिये रक्षण जारी रखने के सम्बन्ध में प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन (१९५५) तथा सरकारी संकल्प व अधिसूचना की प्रतियां

खंड ९, ५९१९–२०

चलचित्र (विवाचन) नियम, १९५१ में संशोधन करने वाली अधिसूचना की प्रति

खंड ९, ५९२०–२१

दक्षिण पूर्वी एशिया के लिये आयोजित विश्व स्वास्थ्य संघ के प्रादेशिक सम्मेलन के आठवें सत्र में भाग लेने वाले भारतीय प्रतिनिधि मण्डल के प्रतिवेदन की प्रति

खंड ९, ५६४७

दशमलव मुद्राओं के नामांकन तथा मूल्यांकन सम्बन्धी अधिसूचनाओं के मसौदों की प्रतियां

खंड ९, ६२०९

दिल्ली (भवन निर्माण कार्यों पर नियंत्रण) अध्यादेश, १९५५ :

अध्यादेश जारी कर तुरन्त विधान बनाने के कारण बताने वाले व्याख्यात्मक विवरण की प्रति

खंड ९, ६३८४

राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित

खंड ९, ५६४५–४६

दिल्ली (भवन निर्माण कार्यों, पर नियंत्रण) विनियमन की प्रति

खंड ९, ६४६७

नदी बोर्ड विधेयक :

संयुक्त समिति के प्रतिवेदन की प्रति

खंड ९, ५६४७

पटल पर रखे गये पत्र : (क्रमशः)

नियम समिति :

प्रथम प्रतिवेदन की प्रति

खंड ९, ६६५७

निशास्ता उद्योग के लिये रक्षण जारी रखने के सम्बन्ध में प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन (१९५५) तथा सरकारी संकल्प की प्रति

खंड ९, ५९१९–२०

पिस्टन के पुर्जे इकट्ठा करने के उद्योग (पिस्टनों, पिस्टन रिंगों और गज पिनों) प्रशुल्क आयोग के प्रतिवेदन (१९५५) तथा सरकारी संकल्प और अधिसूचना की प्रतियां

खंड ९, ६२९३–९४

बीमा संशोधन अध्यादेश, १९५५ :

प्रख्यापन के कारणों को बताने वाले व्याख्यात्मक विवरण की प्रति

खंड ९, ६२९८

राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित

खंड ९, ५६४५–४६

भारत सरकार और बर्मा संघ की सरकार के बीच हुए वित्तीय करार की प्रति

खंड ९, ५९१९

भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) विधेयक

जनता की राय बताने वाले पत्र तथा ४ की प्रति

खंड ९, ६२९७

मोटर गाड़ी बैटरी उद्योग को संरक्षण जारी रखने के बारे में प्रशुल्क आयोग के प्रतिवेदन (१९५५) तथा सरकारी संकल्प की प्रतियां

खंड ९, ६२९५

पटल पर रखे गये पत्र : (क्रमशः)

रबड़ के टायर ट्यूबों के उचित मूल्य के सम्बन्ध में प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन और उस के सम्बन्ध में सरकारी संकल्प की प्रतियां

खंड ९, ५६४४–४५

लोक सभा के पहले सत्र, १९५२, दूसरे सत्र, १९५२, तीसरे सत्र, १९५३, चौथे सत्र, १९५३, पांचवें सत्र, १९५३, छटे सत्र, १९५४, सातवें सत्र, १९५४, आठवें सत्र, १९५४, नवें सत्र, १९५५ तथा दसवें सत्र, १९५५ में दिये गये विभिन्न आश्वासनों इत्यादि पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही दर्शाने वाले अनुपूरक विवरण संख्या क्रमशः ३३, ३५, ३७, ३२, २७, २२, १६ १२, ८ तथा २

खंड ९, ६०१५–१६

श्रम जीवी पत्रकार (सेवा की शर्तें) तथा विविध उपबन्ध विधेयक, १९५५ (राज्य सभा द्वारा पारित)

खंड ९, ६७४८

समुद्र सीमा-शुल्क अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनाओं की प्रतियां

खंड ९, ५६४६–४७

सिन्दरी फर्टिलाइज़र तथा केमिकल लिमिटेड के १९५४-५५ के तृतीय वार्षिक प्रतिवेदन् की प्रति

खंड ९, ६२९६

हिन्दू उत्तराधिकार विधेयक (राज्य सभा द्वारा पारित)

खंड ९, ६५५९

पन्त, पण्डित जी० बी० :

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना :

मद्रास में तूफान

खंड ९, ६९७०–७५

**पन्त, पंडित जी० बी० : (क्रमशः)**

भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) विधेयक :
विचार प्रस्ताव
खंड ६, ५७७३-७५, ५७७६-७७, ५७८२, ५७८३, ५७८४, ५७८६, ५८०४–१०.

खंडों पर चर्चा
खंड ६, ५८१४–१५

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव
खंड ६, ५८१६, ५८२६–२७

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम ३२१ के निलम्बन के बारे में प्रस्ताव
खंड ६, ६६८४

स्थगन प्रस्ताव :
बम्बई की स्थिति
खंड ६, ५८३७-३६

**परक्राम्य संलेख संशोधन विधेयक, १९५५:**

**देखिये** "विधेयक(कों)" के निचे

**पांडे, श्री बी० डी० :**

नागरिकता विधेयक :
संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में, विचार प्रस्ताव
खंड ६, ६४८८-६६

रेलवे के पुनर्वर्गीकरण के बारे में संकल्प
खंड ६, ६०७३

**पांडे, श्री सी० डी :**

संविधान (सप्तम संशोधन) विधेयक :
प्रवर समिति को निर्देशित करने का प्रस्ताव
खंड ६ ६२५४–५५

**पाटस्कर, श्री :**

अनर्हता निवारण (संसद तथा भाग ग राज्य विधान मण्डल) संशोधन विधेयक :

**पाटस्कर, श्री : (क्रमशः)**

विचार प्रस्ताव :
खंड ६, ७०१८-२०, ७०२१, ७०३२-३५

पारित करने का प्रस्ताव
खंड ६, ७०३५

दिल्ली (भवन निर्माण कार्यों पर नियंत्रण) विधेयक :
खंडों पर चर्चा
खंड ६, ६६४६, ६६४७-४८, ६६५१

नागरिकता विधेयक :
खंडों पर चर्चा
खंड ६, ६६२४-२८, ६६२६

बीमा (संशोधन) विधेयक :
विचार प्रस्ताव
खंड ६, ६७८१, ६७८२-६०

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम ३२१ के निलम्बन के बारे में प्रस्ताव
खंड ६, ६६७८-७६

संविधान (आठवां संशोधन) विधेयक :
पुरःस्थापन अनुमति प्रस्ताव
खंड ६, ६८५६-६०, ६८७१-७६, ६६८४

**पालचौधरी, श्रीमती इला :**

कशाघात उत्सादन विधेयक (राज्य सभा द्वारा पारित) :
विचार प्रस्ताव
खंड ६, ६२२२-२४

दिल्ली (भवन निर्माण कार्यों पर नियंत्रण) विधेयक :
विचार प्रस्ताव
खंड ६, ६६२२-२३

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विधेयक :
संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में, विचार प्रस्ताव
खंड ६, ५८५८-६०

पिस्टन के पुर्जे इकट्ठा करने का उद्योग:

—(पिस्टनों, पिस्टन रिंगों और गज पिनों) प्रशुल्क आयोग के प्रतिवेदन (१९५५) तथा सरकारी संकल्प और अधिसूचना की प्रतियां—पटल पर रखी गयीं

खंड ९, ६३९३-९४

पुरस्कार प्रतियोगिता विधेयक, १९५५

**देखिये** "विधेयक (कों)" के नीचे

पुर्तगाल :

संयुक्त राज्य अमरीका के विदेश मंत्री तथा—के विदेश मंत्री के संयुक्त वक्तव्य के बारे में वक्तव्य

खंड ९, ६५६०

पोकर साहेब, श्री :

भारतीय अन्य धर्मग्राही (विनियमन तथा पंजीयन) विधेयक (श्री जेठालाल जोशी द्वारा) :

विचार प्रस्ताव

खंड ९, ६४२५-२६

प्रतिभूति संविदा (विनियमन) विधेयक, १९५४ :

**देखिये** "विधेयक (कों)" के नीचे

प्रतिवेदन :

अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के अड़तीसवें अधिवेशन में गये भारत सरकार के प्रतिनिधि मंडल के—की प्रति—पटल पर रखी गयी

खंड ९, ६२९६

अल्मोनियम उद्योग को संरक्षण जारी रखने के बारे में प्रशुल्क आयोग के—(१९५५) तथा सरकारी संकल्प की प्रतियां —पटल पर रखी गयीं

खंड ९, ६२९६

प्रतिवेदन : (क्रमशः)

आटोमाबाइल स्पार्किंग प्लग उद्योग के संरक्षण जारी रखने के बारे में प्रशुल्क आयोग के प्रतिवेदन (१९५५) तथा सरकारी संकल्प व अधिसूचनाओं की प्रतियां—पटल पर रखी गयीं

खंड ९, ६२९४

इस्पात बैलिंग हूप्स उद्योग को संरक्षण जारी रखने के बारे में प्रशुल्क आयोग के—(१९५५) तथा सरकारी संकल्प और अधिसूचना की प्रतियां—पटल पर रखी गयीं

खंड ९, ६२९५

एलाय और विशेष इस्पात उद्योग को संरक्षण जारी रखने के बारे में प्रशुल्क आयोग के—(१९५५) तथा सरकारी संकल्प की प्रतियां—पटल पर रखी गयीं

खंड ९, ६२९५

कार्य मंत्रणा समिति :

सत्ताईसवें—का उपस्थापन

खंड ९, ५९२१

सत्ताईसवें—से सहमति प्रस्ताव

खंड ९, ६०१६-२१

अठाईसवें—का उपस्थापन

खंड ९, ६१०९

अठाईसवें—से सहमति प्रस्ताव

खंड ९, ६२१२

उनतीसवें—का उपस्थापन

खंड ९, ६६५७

उनतीसवें —से सहमति प्रस्ताव

खंड ९, ६७५०-५४

तीसवें—का उपस्थापन

खंड ९, ६७४९-५४

तीसवें—से सहमति प्रस्ताव

खंड ९, ६८५३

प्रतिवेदन : (क्रमशः)

कोटेड एब्रेसिव उद्योग को संरक्षण जारी रखने के बारे में प्रशुल्क आयोग के—(१९५५) तथा सरकारी प्रस्ताव की प्रतियां—पटल पर रखी गयीं
खंड ९, ६२९६

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति :

उनतालीसवें—का उपस्थापन
खंड ९, ५९४०

उन्तालीसवें—से सहमति प्रस्ताव
खंड ९, ६०५५-५६

चालीसवें—का उपस्थापन
खड ९. ६२१२

चालीसवें—से सहमति प्रस्ताव
खंड ९, ६४१८

इक्तालीसवें—का उपस्थापन
खंड ९ ,६६५७

इकतालीसवें —से सहमति प्रस्ताव
खंड ९, ७०४९

ग्लूकोज उद्योग के लिये सरक्षण जारी रखने के सम्बन्ध में प्रशुल्क आयोग का—(१९५५) तथा सरकारी संकल्प व अधिसूचना की प्रतियां—पटल पर रखी गयीं
खंड ९, ५९१९-२०

दक्षिण पूर्वी एशिया के लिये आयोजित विश्व स्वास्थ्य संघ के प्रादेशिक सम्मेलन के आठवें सत्र में भाग लेने वाले भारतीय प्रतिनिधि मंडल के—की प्रति—पटल पर रखी गयी
खंड ९, ५६४७

नियम समिति :

प्रथम—की प्रति—पटल पर रखी गयी
खंड ९, ६६५७

प्रतिवेदन : (क्रमशः)

निशास्ता उद्योग के लिये रक्षण जारी रखने के सम्बन्ध में प्रशुल्क आयोग का —(१९५५) तथा सरकारी संकल्प की प्रति—पटल पर रखी गयी
खंड ९, ५९१९-२०

पिस्टन के पुर्जे इकट्ठा करने के उद्योग (पिस्टनों, पिस्टन रिंगों और गज पिनों) प्रशुल्क आयोग के प्रतिवेदन (१९५५) तथा सरकारी संकल्प और अधिसूचना की प्रतियां—पटल पर रखी गयीं
खंड ९, ६२९३-९४

मोटर गाड़ी बैटरी उद्योग की संरक्षण जारी रखने के बारे में प्रशुल्क आयोग के—(१९५५) तथा सरकारीं संकल्प की प्रतियां—पटल पर रखी गयीं
खंड ९, ६२९५

रबड़ के टायर ट्यूबों के उचित मूल्य के सम्बन्ध में प्रशुल्क आयोग का —और उसके सम्बन्ध में सरकारी संकल्प की प्रतियां—पटल पर रखी गयीं
खंड ९, ५६४४-४५

राज्य पुनर्गठन आयोग के—पर चर्चा के बारे में घोषणा
खंड ९, ६९६५-७०

सिन्दरी फर्टिलाइजर तथा केमिकल लिमिटेड के १९५४–५५ के तृतीय वार्षिक—की प्रति—पटल पर रखी गयी
खंड ९, ६२९६

प्रभाकर, श्री नवल :

दिल्ली (भवन निर्माण कार्यों का नियंत्रण ) विधेयक :

विचार प्रस्ताव
खंड ९, ६८४३-४६

प्रशुल्क आयोग :

अल्मोनियम उद्योग को संरक्षण जारी रखने के बारे में--के प्रतिवेदन (१९५५) तथा सरकारी संकल्प की प्रतियां--पटल पर रखी गयीं

खंड ९, ६२९६

आटोमाबाइल स्पार्किंग प्लग उद्योग के संरक्षण जारी रखने के बारे में --के प्रतिवेदन (१९५५) तथा सरकारी संकल्प व अधिसूचनाओं की प्रतियां--पटल पर रखी गयीं

खंड ९, ६२९४

इस्पात बेलिंग हूप्स उद्योग को संरक्षण जारी रखने के बारे में --के प्रतिवेदन (१९५५), तथा सरकारी संकल्प और अधिसूचना की प्रतियां--पटल पर रखी गयीं

खंड ९, ६२९५

एलाय और विशेष इस्पात उद्योग को संरक्षण जारी रखने के बारे में--के प्रतिवेदन (१९५५) तथा सरकारी संकल्प की प्रतियां--पटल पर रखी गयीं

खंड ९, ६२९५

कोटेड एक्रेसिव उद्योग को संरक्षण जारी रखने के बारे में --के प्रतिवेदन (१९५५) तथा सरकारी प्रस्ताव की प्रतियां--पटल पर रखी गयीं

खंड ९, ६२९६

ग्लूकोज उद्योग के लिये रक्षण जारी रखने के सम्बन्ध में-का प्रतिवेदन (१९५५) तथा सरकारी संकल्प व अधिसूचना की की प्रतियां--पटल पर रखी गयीं

खंड ९, ५९१९-२०

प्रशुल्क आयोग : (क्रमशः)

निशास्ता उद्योग के लिये रक्षण जारी रखने के सम्बन्ध में --का प्रतिवेदन (१९५५) तथा सरकारी संकल्प की प्रति--पटल पर रखी गयी

खंड ९, ५९१९-२०

पिस्टन के पुर्जे इकट्ठा करने के उद्योग (पिस्टनों, पिस्टन रिंगों और गज पिनों )— के प्रतिवेदन (१९५५) तथा सरकारी संकल्पों और अधिसूचना की प्रतियां -- पटल पर रखी गयीं

खंड ९, ६२९३-९४

मोटर गाड़ी बैटरी उद्योग को संरक्षण जारी रखने के बारे में--के प्रतिवेदन (१९५५) तथा सरकारी संकल्प की प्रतियां--पटल पर रखी गयी

खंड ९, ६२९५

रबड़ के टायर ट्यूबों के उचित मूल्य के सम्बन्ध में--का प्रतिवेदन और उसके सम्बन्ध में सरकारी संकल्प की प्रतियां--पटल पर रखी गयीं।

खंड ९, ५६४४-४५

प्रश्नोत्तर में शुद्धि :

तारांकित प्रश्न संख्या २९० के उत्तर में शुद्धि

खंड ९, ६२०९

तारांकित प्रश्न संख्या ६०६ के उत्तर में शुद्धि

खंड ९, ६४६७-६९

तारांकित प्रश्न संख्या ११३७ के उत्तर में शुद्धि

खंड ९, ६३८२

तारांकित प्रश्न संख्या १४३७ के उत्तर में शुद्धि

खंड ९, ५९२२-२३

प्रस्ताव :

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम ३२१ के निलम्बन के बारे में—(**स्वीकृत**)
खंड ६, ६६७५-८४

प्राक्कलन समिति :

**देखिये** "समिति (यां) संसदीय" के नीचे

प्रेस तथा पुस्तक पंजीयन (संशोधन) विधेयक :

**देखिये** "विधेयक (कों)" के नीचे "मुद्रणालय तथा पुस्तक पंजीयन (संशोधन) विधेयक"

**ब**

बंसल, श्री :

भारतीय प्रशुल्क (द्वितीय संशोधन) विधेयक :

विचार प्रस्ताव :
खंड ६, ७०४८-४६

भारतीय प्रशुल्क (तृतीय संशोधन) विधेयक :

विचार प्रस्ताव
खंड ६, ७०४८-४६

सभा का कार्य
खंड ६, ६७५४

समवाय विधेयक:

राज्य-सभा द्वारा किये गये संशोधनों पर विचार प्रस्ताव
खंड ६, ५६५२, ५७६०–६१, ५७७१

बंसी लाल, श्री :

नागरिकता विधेयक:

संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में, विचार प्रस्ताव
**खंड ६, ६५८०–८५**

बन्सी लाल, श्री : (क्रमशः)

खंडों पर चर्चा:
खंड ६, ६६७३

बीमा (संशोधन) विधेयक:

विचार प्रस्ताव
खंड ६, ६७६२

रेलवे सामान (अवैध कब्जा) विधेयक:

प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार प्रस्ताव
खंड ६, ६३३५,६३४१–४५

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विधेयक:

संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में, विचार प्रस्ताव
खंड ६, ५८६०–६५

बम्बई :

स्थगन प्रस्ताव:

—की स्थिति
खंड ६, ५७५१, ५८३५–४०

बर्मन, श्री :

नागरिकता विधेयक:

संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार प्रस्ताव
खंड ६, ६४७४–७६, ६४६६

रेलवे सामान (अवैध कब्जा) विधेयक:

खंडों पर चर्चा
खंड ६, ६३७१

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विधेयक:

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव
खंड ६, ६१३८

बर्मा :

भारत सरकार और — संघ की सरकार के बीच हुए वित्तीय करार की प्रति पटल पर रखी गयी
खंड ६, ५६१६

बसु, श्री के० के० :

अनर्हता निवारण (संसद तथा भाग ग राज्य विधान मण्डल) संशोधन विधेयक:

विचार प्रस्ताव

खंड ९, ७०३१

औद्योगिक सेवा आयोग के बारे में संकल्प

खंड ९, ७०५९, ७०६०, ७०६३, ७०६६–६७

कार्य मंत्रणा समिति:

सत्ताईसवें प्रतिवेदन से सहमति प्रस्ताव

खंड ९, ६०१८

नागरिकता विधेयक:

खंडों पर चर्चा

खंड ९, ६६९२

बीमा (संशोधन) विधेयक:

विचार प्रस्ताव

खंड ९, ६७३५–३७, ६७७५, ६८०६,

खंडों पर चर्चा

खंड ९, ६८०८

मुद्रणालय तथा पुस्तक पंजीयन (संशोधन) विधेयक :

विचार प्रस्ताव:

खंड ९, ५७१५–१६

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम ३२१ के निलम्बन के बारे में प्रस्ताव

खंड ९, ६९८२–८३

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विधेयक:

खंडों पर चर्चा

खंड ९, ५९९६, ६००६–०८, ६०४३

बीमा संशोधन अध्यादेश, १९५५ :

अध्यादेश के प्रस्थापन के कारणों को बताने वाले व्याख्यात्मक विवरण की प्रति—पटल पर रखी गयी

खंड ९, ६२९८

पटल पर रखा गया

खंड ९, ५६४५—४६

बीमा (संशोधन) विधेयक :

देखिए "विधेयक (कों)" के नीचे

बीरेन दत्त, श्री :

स्थगन प्रस्ताव :

अगरतला के राताचेरा ग्राम की स्थिति

खंड ९, ६२०८, ६३७९–८०

बैरो, श्री :

नागरिकता विधेयक:

खंडों पर चर्चा

खंड ९, ६६३७

बोगावत, श्री :

राज्य पुनर्गठन आयोग के प्रतिवेदन पर चर्चा के बारे में घोषणा

खंड ९, ६९६८

भ

भगत, श्री बी० आर० :

अतिरिक्त अनुदानों की मांगें, १९५०–५१ : विवरण का उपस्थापन

खंड ९, ६५६०

अनुपूरक अनदानों की मांगें, १९५५–५६: विवरण का उपस्थापन

खंड ९, ६५५९

अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम करार के अन्तर्नियम और व्याख्यात्मक ज्ञापन की प्रति–पटल पर रखी

खंड ९, ६६५५

भारत सरकार और बर्मा संघ की सरकार के बीच हुए वित्तीय करार की प्रति–पटल पर रखी

खंड ९, ५९१९

भाग ग राज्य (विधियां) संशोधन विधेयक:

देखिये "विधेयक (कों)" के नीचे

भारतीय अन्य धर्मग्राही (विनियमन तथा पंजीयन) विधेयक (श्री जेठा लाल जोशी द्वारा) :

**देखिये** "विधेयक (कों)" के नीचे

भारतीय टंक (संशोधन) विधेयक :

**देखिये** "विधेयक (कों)" के नीचे

भारतीय दंड संहिता (संशोधन) विधेयक (श्री नागेश्वर प्रसाद सिन्हा द्वारा नई धारा २९४ ख का निर्देश)]

**देखिये** "विधेयक (कों)" के नीचे

भारतीय प्रशुल्क (द्वितीय संशोधन) विधेयक :

**देखिये** "विधेयक (कों)" के नीचे

भारतीय प्रशुल्क (तृतीय संशोधन) विधेयक :

**देखिये** "विधेयक (कों)" के नीचे

भारतीय मुद्रांक (संशोधन) विधेयक :

**देखिये** "विधेयक (कों)" के नीचे

भार्गव, पण्डित ठाकुर दास :

अनर्हता निवारण (संसद तथा भाग ग राज्य विधान मण्डल) संशोधन विधेयक :

विचार प्रस्ताव

खंड ९, ७०३०–३१

दिल्ली (भवन निर्माण कार्यों पर नियंत्रण) विधेयक :

विचार प्रस्ताव

खंड ९, ६८२६, ६८९८–६९१२

खंडों पर चर्चा

खंड ९, ६९४५, ६९४६, ६९४८, ६९५०, ६९५१,–५३, ६९६०, ६९८६–८९, ६९९६, ६९९८, ६९९९, ७००१–०४, ७००६–०९, ७०१०–१२

भार्गव, पंडित ठाकुरदास : (क्रमशः)

नागरिकता विधेयक :

संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में, विचार द्रस्ताव

खंड, ९, ६४७९–८२, ६४८३–८८

खंडों पर चर्चा

खंड ९, ६६०८, ६६११, ६६१३, ६६२०–२१, ६६३७, ६६४५–४९, ६६७३, ६६७९, ६६८०, ६६८१–८५, ६६९२, ६७०३–०४

बीमा (संशोधन) विधेयक :

विचार प्रस्ताव :

खंड ९, ६७७१–७२, ६७७३–७४, ६७७५–८१, ६७८९

खंडों पर चर्चा

खंड ९, ६८१३–१४, ६८१५

मुद्रणालय तथा पुस्तक पंजीयन (संशोधन) विधेयक :

खंडों पर चर्चा

खंड ९, ५७२९

रेलवे सामान (अवैध कब्जा) विधेयक :

प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में, विचार प्रस्ताव

खंड ९, ६३१५, ६३१६–२६, ६३३३

खंडों पर चर्चा

खंड ९, ६३५८–६१, ६३६५–६७, ६३६८–७०, ६३७१

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक :

प्रवर समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन की अवधि में वृद्धि सम्बन्धी प्रस्ताव

खंड ९, ६२१०, ६२११

प्रवर समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन

खंड ९, ६७४४

भार्गव, पंडित ठाकुर दास : (क्रमशः)

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विधेयक :
संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में, विचार प्रस्ताव
खंड ९, ५९४९–५४

खंडों पर चर्चा
खंड ९, ६०३०–३१, ६०३६–३७

संविधान (सप्तम संशोधन) विधेयक :
प्रवर समिति को निर्देशित करने का प्रस्ताव
खंड ९, ६२४४–४६, ६२३९

संविधान (आठवां संशोधन) विधेयक :
पुरःस्थापन अनुमति प्रस्ताव :
खंड ९, ६८८२–८४

भू-सीमा-शुल्क (संशोधन), विधेयक, १९५५ :
**देखिये** "विधेयक (कों)" के नीचे

भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन), विधेयक :
जनता की राय बताने वाले पत्र संख्या ४ की प्रति––पटल पर रखी गयी
खंड ९, ६२९७
**देखिये** "विधेयक (कों)" के नीचे भी

म

मजीठिया, सरदार :
तारांकित प्रश्न संख्या ११३७ के उत्तर में शुद्धि
खंड ९, ६३८२

मद्यसारिक उत्पाद (अन्तर्राज्यिक व्यापार तथा वाणिज्य) नियंत्रण विधेयक, १९५५ :
**देखिये** "विधेयक (कों)" के नीचे

मद्रास :
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना :
— में तूफान
खंड ९, ६९७०–७५

मनीपुर (न्यायालय) विधेयक :
**देखिये** "विधेयक (कों)" के नीचे

मात्तन, श्री :
बीमा (संशोधन) विधेयक :
विचार प्रस्ताव
खंड ९, ६७९०–९१, ६८०४
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विधेयक :
संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में, विचार प्रस्ताव
खंड ९, ५८९०
खंडों पर चर्चा
खंड ९, ५९९५, ५९९६, ६००२–०३, ६००४

मिश्र, श्री आर० डी० :
नागरिकता विधेयक :
खंडों पर चर्चा
खंड ९, ६६०७, ६६१७–१९, ६६३६, ६६९३

मिश्र, श्री एल० एन० :
बीमा (संशोधन) विधेयक :
विचार प्रस्ताव
खंड ९, ६७६१, ६७६५

मिश्र, श्री एस० एन० :
तारांकित प्रश्न संख्या २९० के उत्तर में शुद्धि
खंड ९, ६२०९

मिश्र, श्री बी० एन० :
नागरिकता विधेयक :
संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार प्रस्ताव
खंड ९, ६५२२

मुकर्जी, श्री एच० एन०

नागरिकता विधेयक :

संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में,

विचार प्रस्ताव

खंड ९, ६४१५–१८, ६४६९–७४, ६५६३–६४, ६५६९, ६५७०

खंडों पर चर्चा

खंड ९, ६६०७, ६६३७, ६६५१–५२, ६६६०–६२, ६६९२

मुद्रणालय तथा पुस्तक पंजीयन (संशोधन) विधेयक :

विचार प्रस्ताव

खंड ९, ५६६७–६८

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम ३२१ के निलम्बन के बारे में प्रस्ताव

खंड ९, ६९७६, ६९७९–८०

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विधेयक :

संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में, विचार प्रस्ताव

खंड ९, ५८४३–५०

खंडों पर चर्चा

खंड ९, ६०३९

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव

खंड ९, ६१३२–३४

संविधान (सप्तम संशोधन) विधेयक :

प्रवर समिति को निर्देशित करने का प्रस्ताव

खंड ९, ६२६८–६९

संविधान (आठवां संशोधन) विधेयक :

पुरःस्थापन अनुमति प्रस्ताव

खंड ९, ६८५४–५५, ६८६२, ६८८६,

मुद्रणालय तथा पुस्तक पंजीयन (संशोधन) विधेयक :

**देखिये** "विधेयक (कों)" के नीचे

मुनिस्वामी, श्री :

अनर्हता निवारण (संसद् तथा भाग ग राज्य विधान मण्डल) संशोधन विधेशक:

विचार प्रस्ताव

खंड ९, ७०२५–२६

रेलवे के पुनर्वर्गीकरण के बारे में संकल्प

खंड ९, ६०८६–८८

मुनिस्वामी, श्री एन० आर० :

नागरिकता विधेयक :

खंडों पर चर्चा

खंड ९, ६६३७, ६६३८–३९

मुरारका, श्री :

प्रतिभूति संविदा (विनियमन) विधेयक, १९५४ :

संयुक्त समिति को निर्देशित करने का प्रस्ताव

खंड ९, ६१६१

समवाय विधेयक :

राज्य सभा द्वारा किये गये संशोधनों पर विचार प्रस्ताव

खंड ९, ५७६१–६२

मुहीउद्दीन, श्री :

प्रतिभूति संविदा (विनियमन) विधेयक, १९५४ :

संयुक्त समिति को निर्देशित करने का प्रस्ताव

खंड ९, ६१६२–६५

मूर्ति, श्री बी० एस० :

नागरिकता विधेयक :

संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार प्रस्ताव

खंड ९, ६५८५–८६, ६९९१

खंडों पर चर्चा

खंड ९, ६६०३, ६६९२

मेहता, श्री बी० जी० :

प्राक्कलन समिति :

— समिति के लिये निर्वाचन सम्बन्धी प्रस्ताव

खंड ९, ६१०९–१०

मैस्करीन, कुमारी एनी :

कशाघात उत्सादन विधेयक (राज्य सभा द्वारा पारित) :

विचार प्रस्ताव

खंड ९, ६१८७–८९

मोटर गाड़ी बैटरी उद्योग :

—को संरक्षण जारी रखने के बारे में प्रशुल्क आयोग के प्रतिवेदन (१९५५) तथा सरकारी संकल्प की प्रतियां— पटल पर रखी गयीं

खंड ९, ६२९५

मोटर गाड़ी (संशोधन) विधेयक :

**देखिये** "विधेयक (कों)" के नीचे

मोरे, श्री एस० एस०

नागरिकता विधेयक :

संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार प्रस्ताव

खंड ९, ६४०३, ६४९८, ६५२५–२८

मनीपुर (न्यायालय) विधेयक :

विचार प्रस्ताव

खंड ९, ६३०३, ६३०४

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विधेयक :

संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार प्रस्ताव

खंड ९, ५८७२–७५, ५८७६–७७

संविधान (सप्तम संशोधन) विधेयक :

प्रवर समिति को निर्देशित करने का प्रस्ताव

खंड ९, ६२४८–५१, ६२७६, ६२७९

र

रघुनाथ सिंह, श्री :

कशाघात उत्सादन विधेयक (राज्य सभा द्वारा पारित) :

विचार प्रस्ताव

खंड ७, ६१८४–८५

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति :

चालीसवें प्रतिवेदन से सहमति प्रस्ताव

खंड ९, ६४१८

रघुरामैया, श्री :

संविधान (सप्तम संशोधन) विधेयक सम्बन्धी चर्चा

खंड ७, ६११४

रघुवीर सहाय, श्री :

नागरिकता विधेयक :

संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में, विचार प्रस्ताव

खंड ९, ६४११–१३

खंडों पर चर्चा

खंड ९, ६६९३

भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) विधेयक :

विचार प्रस्ताव

खंड ९, ५७९९–५८०२, ५८०७

सामुदायिक परियोजनाओं और राष्ट्रीय विस्तार सेवा योजनाओं की पड़ताल के लिए एक समिति को नियुक्ति करने के बारे में संकल्प

खंड ९, ७०७०–७६

राघवाचरी, श्री :

अनर्हता निवारण (संसद् तथा भाग ग राज्य विधान मण्डल) संशोधन विधेयक :

विचार प्रस्ताव

खंड ९, ७०२०, ७०२९–३०

राघवाचारी, श्री : (क्रमशः)

दिल्ली (भवन निर्माण कार्यों पर नियंत्रण) विधेयक :

विचार प्रस्ताव

खंड ६, ६६२३–२६

नागरिकता विधेयक :

संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में, विचार प्रस्ताव

खंड ६, ६४७६–७६

खंडों पर चर्चा

खंड ६, ६६२१–२२

मनीपुर (न्यायालय) विधेयक :

विचार प्रस्ताव

खंड ६, ६३०१–०३

खंडों पर चर्चा

खंड ६, ६३११–१२

मुद्रणालय तथा पुस्तक रंजन (संशोधन) विधेयक :

खंडों पर चर्चा

खंड ६, ५७२८, ५७३४

रेलवे सामान (अवैध) कब्जा विधेयक :

प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार प्रस्ताव

खंड ६, ६३३१–३२, ६३३३–३५

संविधान (सप्तम संशोधन) विधेयक :

प्रवर समिति को निर्देशित करने का प्रस्ताव

खंड ६, ६२७२–७३

संविधान (सप्तम संशोधन) विधेयक सम्बन्धी चर्चा

खंड ७, ६११२

संविधान (आंठवा संशोधन) विधेयक :

पुरःस्थापन अनुमति प्रस्ताव

खंड ६, ६८५८, ६८८६–८७

राघवाचारी, श्री : (क्रमशः)

समवाय विधेयक :

राज्य सभा द्वारा किये गये संशोधनों पर विचार प्रस्ताव

खंड ६, ५७६३–६४

सामुदायिक परियोजनाओं और राष्ट्रीय विस्तार सेवा योजनाओं की पड़ताल के लिए एक समिति का नियुक्ति करने के बारे में संकल्प

खंड ६, ७०८८

राघवैया, श्री :

मुद्रणालय तथा पुस्तक रंजन (संशोधन) विधेयक :

विचार प्रस्ताव

खंड ६, ५७०८

खंडों पर चर्चा

खंड ६, ५७२०, ५७२१–२२

राचय्या, श्री एन० :

भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) विधेयक :

विचार प्रस्ताव

खंड ६, ५८०२–०४

राज्य पुनर्गठन आयोग :

—के प्रतिवेदन पर चर्चा के बारे में घोषणा

खंड ६, ६६६५–७०

राज्य सभा से सन्देश :

प्रतिभूति संविदा (विनियमन) विधेयक पर सदनों की संयुक्त समिति में सम्मिलित होने के लिये लोक सभा की सिफारिश से सहमति का—

खंड ६, ६७४८

राज्य सभा द्वारा पारित रूप में श्रमजीवी पत्रकार (सेवा की शर्तें) तथा विविध उपबन्ध विधेयक, १९५५, को लोक सभा को भेजते हुए—

खंड ६, ६७४८

राज्य सभा से सन्देश : (क्रमशः)

राज्य सभा द्वारा पारित रूप में हिन्दू उत्तराधिकार विधेयक, १९५५ को लोक सभा को भेजते हुए —
खंड ९, ६५५९

लोक सभा द्वारा पारित रूप में प्रेस तथा पुस्तक पंजीयन (संशोधन) विधेयक से बिना संशोधन के सहमति का—
खंड ९, ६७४७

लोक सभा द्वारा पारित रूप में भारतीय मुद्रांक (संशोधन) विधेयक से बिना संशोधन के सहमति का—
खंड ९, ६७४७

राताचेरा ग्राम :

स्थगन प्रस्ताव :

अगरतला के — की स्थिति
खंड ९, ६२०७–०८, ६३७८–८१

राधा रमण, श्री :

दिल्ली (भवन निर्माण कार्यों पर नियंत्रण) विधेयक :

विचार प्रस्ताव
खंड ९, ६८२६–३१

खंडों पर चर्चा
खंड ९, ६९४४, ६९५५–५६, ६९८६, ६९९२–९५

राने, श्री :

रेल सामान (अवैध कब्जा) विधेयक :

खंडों पर चर्चा
खंड ९, ६३७१

राम नारायण सिंह, बाबू :

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विधेयक :

संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में, विचार प्रस्ताव
खंड ९, ५९५४–६१

रामस्वामी, श्री एस० वी० :

राज्य पुनर्गठन आयोग के प्रतिवेदन पर चर्चा के बारे में घोषणा
खंड ९, ६९७०

रेलवे के पुनर्वर्गीकरण के बारे में संकल्प
खंड ९, ६०६७–६९

रेलवे सामान (अवैध कब्जा) विधेयक :

प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार प्रस्ताव
खंड ९, ६३४९–५०

सभा का कार्य
खंड ९, ६७५५

राव, श्री गोपाल :

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विधेयक :

संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार प्रस्ताव
खंड ९, ५९६६–६९

राव, श्री टी० बी० विट्ठल :

अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के अड़तालीसवें अधिवेशन में गये भारत सरकार के प्रतिनिधि मंडल के प्रतिवेदन की प्रति— पटल पर रखी गयी
खंड ९, ६२९७

कर्मकार प्रतिकर (संशोधन) विधेयक **(श्रीमती रेणु चक्रवर्ती द्वारा नवीन खण्ड ३ का रखा जाना)** :

विचार प्रस्ताव
खंड ९, ६४४४, ६४४५–४७

रेलवे के पुनर्वर्गीकरण के बारे में संकल्प
खंड ९, ६०६९–७१

रेलवे सामान (अवैध कब्जा) विधेयक :

प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार प्रस्ताव
खंड ९, ६३३७–४०

राव, श्री टी० बी० बिठ्ठल: (क्रमशः)

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक : प्रवर समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन के अवधि में वृद्धि सम्बन्धी प्रस्ताव

खंड ६, ६२१०

राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त विधेयक :

अधिकृत लेखापाल (संशोधन) विधेयक, १९५५

खंड ६, ५६४३

औद्योगिक विवाद (बैंकिंग समवाय) विनिश्चय विधेयक, १९५५

खंड ६, ५६४४

दरगाह ख्वाजा साहिब विधेयक, १९५२

खंड ६, ५६४३

दिल्ली जल तथा नाली व्यवस्था संयुक्त बोर्ड (संशोधन) विधेयक, १९५४

खंड ६, ५६४३

परक्राम्य संलेख (संशोधन) विधेयक, १९५५

खंड ६, ५६४३

पुरस्कार प्रतियोगिता विधेयक, १९५५

खंड ६, ५६४४

भू-सीमा-शुल्क (संशोधन) विधेयक, १९५५

खंड ६, ५६४३

मद्यसारिक उत्पाद (अन्तर्राज्यिक व्यापार तथा वाणिज्य नियंत्रण) विधेयक, १९५५

खंड ६, ५६४३

विनियोग (संख्या ३) विधेयक, १९५५

खंड ६, ५६४३

राष्ट्रीय विस्तार सेवा योजना :

सामुदायिक परियोजनायें और — की पड़ताल के लिये एक समिति की नियुक्ति करने के बारे में संकल्प

खंड ६, ७०७०–८८

रे, श्री बी० के० :

नागरिकता विधेयक :

संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार प्रस्ताव

खंड ६, ६४९६–९७, ६४९८, ६५०१–०२

रेडियो, अखिल भारतीय :

आकाशवाणी के पदाधिकारियों के सम्बन्ध में विवरण—पटल पर रखा गया

खंड ६, ५९२१–२२

रेड्डी, श्री के० सी० :

औद्योगिक सेवा आयोग के बारे में संकल्प

खंड ६, ७०६७–६८

सिन्दरी फोंटलाइजर केमिकल लिमिटेड के १९५४–५५ के तृतीय वार्षिक प्रतिवेदन की प्रति–पटल पर रखी

खंड ६, ६२९६

रेड्डी, श्री राम चन्द्र :

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विधेयक : खंडों पर चर्चा

खंड ६, ६०३४

रेलवे पुनर्वर्गीकरण :

रेलवे के पुनर्वर्गीकरण के बारे में संकल्प

खंड ६, ६०५६–६१०४

रेलवे सामान (अवैध कब्जा) विधेयक : देखिय "विधेयक (कों)" के नीचे

ल

लंकासुन्दरम्, डा० :

औद्योगिक सेवा आयोग के बारे में संकल्प
खंड ९, ७०६५

मुद्रणालय तथा पुस्तक पंजीयन (संशोधन) विधेयक :

विचार प्रस्ताव
खंड ९, ५६६२–६५, ५७०३, ५७०६, ५७०९, ५७१३

खंडों पर चर्चा
खंड ९, ५७२५, ५७२६–२७, ५७२८, ५७३२

संविधान (आठवां संशोधन) विधेयक :

पुरःस्थापन अनुमति प्रस्ताव
खंड ९, ६८८८

सभा कार्य
खंड ९, ६७५५

स्थगन प्रस्ताव
बम्बई की स्थिति
खंड ९, ५८३५–३६

लिंगम, श्री एन० एम० :

सामुदायिक परियोजनाओं और राष्ट्रीय विस्तार सेवा योजनाओं की पड़ताल के लिये एक समिति को नियुक्त करने के बारे में संकल्प
खंड ९, ७०७७, ७०८२–८५

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक :

देखिये "विधेयकों" के नीचे

लोक प्रतिनिधित्व (द्वितीय संशोधन) विधेयक :

देखिये "विधेयक (कों)" के नीचे

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम :

नियम ३२१ के निलम्बन के बारे में प्रस्ताव
खंड ९, ६९७५–८४

व

वक्तव्य :

संयुक्त अमरीका के विदेश मंत्री तथा पुर्तगाल के विदेश मंत्री के संयुक्त —के बारे में—
खंड ९, ६५६०–६१

विधेयक (कों) :

अधिकृत लेखापाल (संशोधन) विधेयक, १९५५ :

राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त
खंड ९, ५६४३

अनर्हता निवारण (संसद् तथा भाग ग राज्य विधान मंडल) संशोधन विधेयक :

पुरःस्थापित
खंड ९, ६३८३–८४

विचार प्रस्ताव
खंड ९, ७०१७–३५

खण्डो पर चर्चा खंड ९, ७०३५

पारित करने का प्रस्ताव खंड ९, ७०३५

(पारित) खंड ९, ७०३५

अन्तर्राज्यिक जल विवाद विधेयक :

संयुक्त समिति के प्रतिवेदन की प्रति–पटल पर रखी गयी
खंड ९, ५६४७

औद्योगिक (विकास तथा विनियमन) संशोधन विधेयक, १९५३ :

विधेयक पर हुई चर्चा के समय ५ मई, १९५३ को दिये गये एक आश्वासन के अनुसरण में खाद्य और कृषि मंत्रालय के आदेश की प्रति—पटल पर रखी गयी
खंड ९, ६६५६

औद्योगिक विवाद (बैंकिंग समवाय) विनिश्चय विधेयक, १९५५ :

राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त
खंड ९, ५६४४

कर्मकार प्रतिकर (संशोधन) विधेयक (श्रीमती रेणु चक्रवर्ती द्वारा नवीन खंड ३ का रखा जाना) :

विधेयक (कों) : (क्रमशः)

विचार प्रस्ताव
खंड ९, ६४३९–६२

कशाघात उत्सादन विधेयक (राज्य सभा द्वारा पारित) :

विचार प्रस्ताव
खंड ९, ६१७८–६२०३, ६२१५–३७

पारित करने का प्रस्ताव
खंड ९, ६२३७

(पारित)
खंड ९, ६२३७

दरगाह ख्वाजा साहिब विधेयक, १९५२:
राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त
खंड ९, ५६४३

दिल्ली जल तथा नाली व्यवस्था संयुक्त बोर्ड (संशोधन) विधेयक, १९५४:

राष्ट्रपति द्वारा अनुमति प्राप्त
खंड ९, ५६४३

दिल्ली (भवन निर्माण कार्यों पर नियंत्रण) विधेयक :

पुरःस्थापित
खंड ९, ६३८३

विचार प्रस्ताव

खंड ९, ६८२०–५०, ६८८८–६९४४ खंडों पर चर्चा

खंड ९, ६९४४–६२, ६९८६–७०१७

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव
खंड ९, ७०१७

(संशोधित रूप में पारित)
खंड ९, ७०१७

नदी बोर्ड विधेयक :

संयुक्त समिति के प्रतिवेदन की प्रति—पटल पर रखी गयी
खंड ९, ५६४७

विधेयक (कों) : (क्रमशः)

नागरिकता विधेयक, १९५५:

संयुक्त समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन की अवधि में वृद्धि
खंड ९, ५६४८

संयुक्त समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन
खंड ९, ५७१७

संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में, विचार प्रस्ताव
खंड ९, ६३८५–६४१८, ६४६९–६५५६, ६५६१–६६०२

खंडों पर चर्चा
खंड ९, ६६०२–५२

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव
खंड ९, ६६०९–१०

(संशोधित रूप में पारित)
खंड ९, ६६१०

परक्राम्य संलेख (संशोधन) विधेयक, १९५५ :

राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त
खंड ९, ५६४३

पुरस्कार प्रतियोगिता विधेयक, १९५५ :
राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त
खंड ९, ५६४४

प्रतिभूति संविदा (विनियमन) विधेयक १९५४ :

संयुक्त समिति को निर्देशित करने का प्रस्ताव
खंड ९, ६१४०–७५

(संयुक्त समिति को निर्देशित)
खंड ९, ६१७४

विधेयक पर सदनों की संयुक्त समिति में सम्मिलित होने के लिये लोक सभा की सिफारिश से सहमति का राज्य-सभा से सन्देश
खंड ९, ६७४८

विधेयक (कों) : (क्रमशः)

बीमा (संशोधन) विधेयक :
पुरःस्थापित
खंड ९, ६२९७
विचार प्रस्ताव
खंड ९, ६७११–४३, ६७५५–६८०७
खंडों पर चर्चा
खंड ९, ६८०८–१७
पारित करने का प्रस्ताव
खंड ९, ६८१७–२०

भाग ग राज्य (विधिया) संशोधन विधेयक :
पुरःस्थापित
खंड ९, ६३८२–८३

भारतीय अन्य धर्मग्राही (विधियन तथा पंजीयन) विधेयक
(श्री जेठालाल जोशी द्वारा) :
विचार प्रस्ताव (अस्वीकृत) :
खंड ९, ६४१९–३९

भारतीय टंक (संशोधन) विधेयक :
विचार प्रस्ताव
खंड ९, ६१७५-७७
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव
खंड ९, ६१७८
(संशोधित रूप में पारित)
खंड ९, ६१७८

भारतीय दंड संहिता (संशोधन) (श्री नागेश्वर प्रसाद सिन्हा द्वारा नई धारा २९४ ख का निदेश)
सभा की अनुमति से वापस लिया गया
खंड ९, ६४१९

भारतीय प्रशुल्क (द्वितीय संशोधन) विधेयक :
विचार प्रस्ताव
खंड ९, ७०३६–४९

भारतीय प्रशुल्क (तृतीय संशोधन) विधेयक :
पुरःस्थापित
खंड ९, ६४६२
विचार प्रस्ताव
खंड ९, ७०३६–४९

भारतीय मुद्रांक (संशोधन) विधेयक :
लोक सभा द्वारा पारित रूप में विधेयक से बिना संशोधन के सहमति का राज्य सभा से सन्देश
खंड ९, ६७४७

भू-सीमा-शुल्क (संशोधन) विधेयक, १९५५ :
राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त
खंड ९, ५६४३

भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) विधेयक :
विचार प्रस्ताव
खंड ९, ५७७३–५८१०
खंडों पर चर्चा
खंड ९, ५८१०–१९
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव
खंड ९, ५८१९–२७
(संशोधित रूप में पारित)
खंड ९, ५८२७

मद्यसारिक उत्पाद (अन्तर्राज्यिक व्यापार तथा वाणिज्य) नियंत्रण विधेयक, १९५५ :
राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त
खंड ९, ५६४३

मनीपुर (न्यायालय) विधेयक :
पुरःस्थापित
खंड ९, ६११०
विचार प्रस्ताव
खंड ९, ६२८०–८८, ६३००–०९
खंडों पर चर्चा
खंड ९, ६३०९–१२
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव
खंड ९, ६३१२

विधेयक (को) : (क्रमशः)

(संशोधित रूप में पारित)

खंड ६, ६३१२

मुद्रणालय तथा पुस्तक पंजीयन (संशोधन) विधेयक :

विचार प्रस्ताव

खंड ६, ५६५४–५७१७

खंडों पर चर्चा

खंड ६, ५७१८–४६ ५७५२–५५

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव

खंड ६, ५७५५

(संशोधित रूप में पारित)

खंड ६, ५७५५

लोक सभा द्वारा पारित रूप में विधेयक से बिना सशोधन के सहमति का राज्य सभा मे सन्देश

खंड ६, ६७४७

मोटर गाड़ी (संशोधन) विधेयक :

पुरःस्थापित

खंड ६, ५७५२

रेलवे सामान (अवैध कब्जा) विधेयक :

प्रवर समिति द्वारा (प्रतिवेदित रूप में, विचार प्रस्ताव)

खंड ६, ६३१२–५८

खंडों पर चर्चा

खंड ६, ६३५८–७२

पारित करने का प्रस्ताव

खंड ६, ६३७२

राज्य सभा को सन्देश भेजने संबंधी सूचना

खंड ६, ६३८१–८२

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक :

प्रवर समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन की अवधि में वृद्धि संबंधी प्रस्ताव (स्वीकृत)

खंड ६, ६२१०–११

विधेयक (को): (क्रमशः)

प्रवर समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन

खंड ६, ६७४४

लोक प्रतिनिधित्व (द्वितीय संशोधन) विधेयक :

प्रवर समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन की अवधि में वृद्धि संबंधी प्रस्ताव (स्वीकृत)

खंड ६, ६२११

विनियोग (संख्या ३) विधेयक, १६५५ :

राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त

खंड ६, ५६४३

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विधेयक :

संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार प्रस्ताव

खंड ६, ५८२७–३२, ५८४०–५६१६, ५६२३–८६

खंडों पर चर्चा

खंड ६, ५६८७–६०१०, ६०२२–५५ ६१२७–२६

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव

खंड ६, ६१२६–४१

(संशोधित रूप में पारित)

खंड ६, ६१४१

व्यवहार प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, १६५५ :

संयुक्त समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन की अवधि में वृद्धि

खंड ६, ५६४८

श्रमजीवी पत्रकार (सेवा की शर्तें) तथा विविध उपबंध विधेयक, १६५५ :

राज्य सभा द्वारा पारित) :

विधेयक को लोक-सभा को भेजते हुये राज्य सभा से सन्देश

खंड ६, ६७४८

विधेयक (कों) (क्रमशः)

पटल पर रखा गया
खंड ९, ६७४८

संविधान (पांचवा संशोधन) विधेयक :
पुरःस्थापित
खंड ९, ५६४८–४९

संविधान (छठा संशोधन) विधेयक :
पुरःस्थापित
खंड ९, ५६४९

संविधान (सप्तम संशोधन) विधेयक :
पुरःस्थापित
खंड ९, ६११०–११

प्रवर समिति को निर्देशित करने का प्रस्ताव (अस्वीकृत)
खंड ९, ६२३८–८०

संविधान (आठवां संशोधन) विधेयक :
पुरःस्थापित
खंड ९, ६८५४–८८, ६९८४–८५

समवाय विधेयक :

राज्य सभा द्वारा किये गये संशोधनों पर विचार प्रस्ताव
खंड ९, ५६४९–५३, ५७५५–७३

राज्य सभा द्वारा किये गये संशोधनों से सहमति प्रस्ताव (स्वीकृत)
खंड ९, ५७७३

स्वेच्छापूर्वक वेतन परित्याग (करारोपण विमुक्ति) संशोधन विधेयक :
पुरःस्थापित
खंड ९, ६९८५

हिन्दू उत्तराधिकार विधेयक (राज्य सभा द्वारा पारित) :

विधेयक को लोक-सभा को भेजते हुए राज्य सभा से सन्देश
खंड ९, ६५५९

पटल पर रखा गया
खंड ९, ६५५९

वित्तीय करार :

भारत सरकार और बर्मा संघ की सरकारों के बीच हुये—की प्रति-पटल पर रखी गयी
खंड ९, ५९१९

विनियोग (संख्या ३) विधेयक, १९५५ :
देखिये "विधेयक" (को) के नीचे

विवरण :

आकाशवाणी के पदाधिकारियों के संबंध में विवरण—पटल पर रखा गया
खंड ९, ५९२१–२२

दिल्ली (भवन निर्माण कार्यों पर नियंत्रण) अध्यादेश, १९५५ जारी कर तुरन्त विधान बनाने के कारण बताने वाले व्याख्यात्मक—की प्रति—पटल पर रखी गयी
खंड ९, ६३८४

बीमा संशोधन अध्यादेश, १९५५ के प्रख्यापन के कारणों को बताने वाले व्याख्यात्मक की प्रति—पटल पर रखी गयी
खंड ९, ६२९८

लोक-सभा के पहले सत्र, १९५२, दूसरे सत्र, १९५२, तीसरे सत्र, १९५३, चौथे सत्र, १९५३, पांचवें सत्र, १९५३, छटे सत्र, १९५४, सातवें सत्र, १९५४, आठवें सत्र, १९५४, नवें सत्र, १९५५, तथा दसवें सत्र, १९५५ में दिये गये विभिन्न आश्वासनों इत्यादि पर सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही दर्शाने वाले अनुपूरक—संख्या क्रमशः ३३, ३५, ३७, ३२, २७, २२, १६, १२, ८ तथा २—पटल पर रखे गये
खंड ९, ६०१५–१६

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विधेयक
देखिये "विधेयक" (कों) के नीचे

विश्वास, श्री :

अनर्हता निवारण (संसद् तथा भाग ग राज्य विधान मंडल) संशोधन विधेयक :

पुरःस्थापन अनुमति प्रस्ताव
खंड ९, ६३८३, ६३८४

विचार प्रस्ताव
खंड ९, ७०१७–१८, ७०२१–२३

संविधान (पांचवा संशोधन) विधेयक :

पुरःस्थापन अनुमति प्रस्ताव
खंड ९, ५६४८, ५६४९

संविधान (छठा संशोधन) विधेयक :

पुरःस्थापन अनुमति प्रस्ताव
खंड ९, ५६४९

संविधान (सप्तम संशोधन) विधेयक :

पुरःस्थापन अनुमति प्रस्ताव
खंड ९, ६०१०, ६०११

प्रवर समिति को निर्देशित करने का प्रस्ताव
खंड ९, ६२३८–४१, ६२६३–६८, ६२६९–६२७०

संविधान (सप्तम संशोधन) विधेयक संबंधी चर्चा
खंड ९, ६१११–१२ ६११३, ६११५

संविधान (आठवां संशोधन) विधेयक :
पुरःस्थापन अनुमति प्रस्ताव
खंड ९, ६८५४, ६८६३–६४

विश्व स्वास्थ्य संघ :

दक्षिण पूर्वी एशिया के लिये आयोजित ––के प्रादेशिक सम्मेलन के आठवें सत्र में भाग लेने वाले भारतीय प्रतिनिधि मंडल के प्रतिवेदन की प्रति––पटल पर रखी गयी
खंड ९, ५६४७

वीरस्वामी, श्री :

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विधेयक : संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार प्रस्ताव
खंड ९, ५९६१–६३, ५९६४–६६

वैष्णव, श्री एच० जी० :

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विधेयक: संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार प्रस्ताव
खंड ९, ५९६९–७२

व्यवहार प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, १९५५ :

देखिए "विधेयक (कों)" के नीचे

व्यास, श्री राधेलाल :

संविधान (आठवां संशोधन) विधेयक :
पुरःस्थापन अनुमति प्रस्ताव
खंड ९, ६२८५

श

शर्मा, पंडित के० सी० :

नागरिकता विधेयक :
खंडों पर चर्चा
खंड ९, ६६७२

भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) विधेयक : संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव
खंड ९, ५८२०

रेलवे सामान (अवैध कब्जा) विधेयक: प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार प्रस्ताव
खंड ९, ६३३७

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विधेयक : संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार प्रस्ताव
खंड ९, ५९६२

संविधान (सप्तम संशोधन) विधेयक : प्रवर समिति को निर्देशित करनेका प्रस्ताव
खंड ९, ६२५९–६०, ६२८९

शर्मा, पंडित के० सी० : (क्रमशः)

सामुदायिक परियोजनाओं और राष्ट्रीय विस्तार सेवा योजनाओं की पड़ताल के लिए, एक समिति की नियुक्ति करने के बारे में संकल्प

खंड ९, ७०८६

शर्मा, पंडित बालकृष्ण :

बीमा (संशोधन) विधेयक:

विचार प्रस्ताव

खंड ९, ६७३८

शर्मा, श्री डी० सी० :

कशाघात उत्सादन विधेयक (राज्य सभा द्वारा पारित):

विचार प्रस्ताव

खंड ७, ६१८५–८७

दिल्ली (भवन निर्माण कार्यों पर नियंत्रण) विधेयक:

खंडों पर चर्चा

खंड ९, ६९४५, ६९४६–४७, ६९४८–४९ ६९८६,६९८९, ६९९८,६९९९,७०१३

बीमा (संशोधन) विधेयक:

विचार प्रस्ताव

खंड ९, ६७४३–४४, ६७५६–५७

मुद्रणालय तथा पुस्तक पंजीयन (संशोधन) विधेयक:

विचार प्रस्ताव

खंड ९, ५६७७–८०

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विधेयक:

संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार प्रस्ताव

खंड ९, ५८९९–५९०३, ५९८५

खंडों पर चर्चा

खंड ९, ५९९२–९४, ६००४–०६, ६०२७, ६१२७

शर्मा श्री डी० सी० : (क्रमशः)

सामुदायिक परियोजनाओं और राष्ट्रीय विस्तार सेवा योजनाओं की पड़ताल के लिए एक समिति की नियुक्ति करने के बारे में संकल्प

खंड ९, ७०७७

शर्मा, श्री नन्द लाल :

कशाघात उत्सादन विधेयक: (राज्य सभा द्वारा पारित)

विचार प्रस्ताव

खंड ९, ६२१३

दिल्ली (भवन निर्माण कार्यों पर नियंत्रण) विधेयक:

विचार प्रस्ताव:

खंड ९, ६८३८–४३

मुद्रणालय तथा पुस्तक पंजीयन (संशोधन) विधेयक:

विचार प्रस्ताव

खंड ९, ५६८९–९८

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विधेयक:

संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में, विचार प्रस्ताव

खंड ९, ५९०८–१०,५९११–१३

शास्त्री, श्री अलगू राय :

संविधान (आठवां संशोधन) विधेयक :

पुरःस्थापन अनुमति प्रस्ताव

खंड ९, ६८५८–५९

शास्त्री, श्री आर० आर० :

कर्मकार प्रतिकर (संशोधन) विधेयक (श्रीमती रेणु चक्रवर्ती द्वारा नवीन खण्ड ३ का रखा जाना) :

विचार प्रस्ताव

खंड ९, ६४४८–५४

रेलवे के पुनर्वर्गीकरण के बारे में संकल्प

खंड ९, ६०५६–६६, ६१०३–०४

शास्त्री, श्री एल० बी० :

मोटर गाड़ी (संशोधन) विधेयक :
पुरःस्थापन अनुमति प्रस्ताव
खंड ६, ५७५२

रेलवे के पुनर्वर्गीकरण के बारे में संकल्प
खंड ६, ६०६२–६१०३

शास्त्री, श्री बी० डी० :

रेलवे के पुनर्वर्गीकरण के बारे में संकल्प
खंड ६, ६०८८–६२

शाह, श्री एम० सी० :

बीमा संशोधन अध्यादेश, १६५५ के प्रख्यापन के कारणों को बताने वाले व्याख्यात्मक विवरण की प्रति — पटल पर रखी
खंड ६,६२६८

बीमा (संशोधन) विधेयक :
पुरःस्थापन अनुमति प्रस्ताव
खंड ६, ६२६७

विचार प्रस्ताव
खंड ६, ६७११–१५, ६७४१, ६७५६, ६७६७, ६७७०, ६७६१–६३, ६७६४– ६८०३, ६८०४, ६८०५, ६८०६–०७

खंडों पर चर्चा
खंड ६, ६८०८–०६, ६८११–१३, ६८१५–१६, ६८१७

पारित करने का प्रस्ताव
खंड ६, ६८१७, ६८१६–२०

समवाय विधेयक :
राज्य सभा द्वारा किये गये संशोधनों पर विचार प्रस्ताव
खंड ६, ५६४६–५२, ५७५६,५७५७ ५७५८, ५७६७–७१

राज्य सभा द्वारा किये गये संशोधनों से सहमति प्रस्ताव
खंड ६, ५७७१

शाह श्री एम० सी० (क्रमशः)

स्वेच्छापूर्वक वेतन परित्याग (करारोपण विमुक्ति) संशोधन विधेयक :
पुरःस्थापन अनुमति प्रस्ताव
खंड ६, ६६८५

शाह, श्री सी० सी० :

समवाय विधेयक :
राज्य सभा द्वारा किये गये संशोधनों पर विचार प्रस्ताव
खंड ६, ५७६१–६२, ५७६३

श्रम जीवी पत्रकार (सेवा की शर्तें) तथा विविध उपबन्ध विधेयक, १६५५ (राज्य सभा द्वारा पारित) :

देखिये "विधेयक (कों)" के नीचे

श्रीमाली, डा० के० एल० :

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विधेयक :
संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार प्रस्ताव
खंड ६, ५८४८, ५६२७–२८, ५६२६–३०
खंडों पर चर्चा
खंड ६, ६०३४–३५, ६०४३–४७, ६१२६, ६१२७

स

संकल्प :

औद्योगिक सेवा आयोग के बारे में–(स्थगित)
खंड ६, ६१०४–०६, ७०५०–७०

रेलवे के पुनर्वर्गीकरण के बारे में— (अस्वीकृत)
खंड ६, ६०५६–६१०४

सामुदायिक परियोजनाओं और राष्ट्रीय विस्तार सेवा योजनाओं की पड़ताल के लिए एक समिति की नियुक्ति करने के बारे में — (असमाप्त)
खंड ६, ७०७०–८८

संविधान (पांचवां संशोधन) विधेयक:

देखिये "विधेयक (कों)" के नीचे

संविधान (छठा संशोधन) विधेयक :

**देखिये** "विधेयक (कों)" के नीचे

संविधान (सप्तम संशोधन) विधेयक :

मतदान के सम्बन्ध में प्रश्न

खंड ९, ६२९८–६३००

**देखिये** "विधेयक (कों)" के नीचे भी

संविधान (आठवां संशोधन) विधेयक:

**देखिये** "विधेयक (कों)" के नीचे

संसदीय समिति (यां) :

**देखिये** "समिति (यां), संसदीय"

सक्सेना, श्री एस० एल० :

कर्मकार प्रतिकार (संशोधन) विधेयक

**(श्रीमती रेणु चक्रवर्ती द्वारा नवीन खंड ३ का रखा जाना)**

विचार प्रस्ताव

खंड ९, ६४५४

भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) विधेयक :

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव

खंड ९, ५८२४–२६

सामुदायिक परियोजनाओं और राष्ट्रीय विस्तार सेवा योजनाओं की पड़ताल के लिये एक समिति की नियुक्ति करने के बारे में संकल्प

खंड ३, ७०८५–८८

सक्सेना, श्री मोहन लाल :

दिल्ली (भवन निर्माण कार्यों पर नियंत्रण) विधेयक :

विचार प्रस्ताव

खंड ९, ६८२४–२५, ६८३१–३७

खंडों पर चर्चा

खंड ९, ६९४५, ६९४८, ६९४९, ६९५०, ६९८६, ६९८९–९२, ६९९९

बीमा (संशोधन) विधेयक :

विचार प्रस्ताव :

खंड ९, ६७५९, ६८०३

सन्देश (शों) :

प्रतिभूति संविधान (विनियमन) विधेयक पर सदनों की संयुक्त समिति में सम्मिलित होने के लिये लोक सभा की सिफारिश से सहमति का राज्य-सभा से —.

खंड ९, ६७४८

लोक-सभा द्वारा पारित रूप में प्रेस तथा पुस्तक पंजीयन (संशोधन) विधेयक से बिना संशोधन के सहमति का राज्य सभा से —.

खंड ९, ६७४७

लोक-सभा द्वारा पारित रूप में भारतीय मुद्रांक (संशोधन) विधेयक से बिना संशोधन के सहमति का राज्य सभा से —

खंड ९, ६७४७

राज्य सभा द्वारा पारित रूप में श्रमजीवी पत्रकार (सेवा की शर्तें) तथा विविध उपबन्ध विधेयक, १९५५ को लोक-सभा को भेजते हुए राज्य सभा से —

खंड ९, ६७४८

राज्य सभा द्वारा पारित रूप में हिन्दू उत्तराधिकार विधेयक, १९५५ को लोक-सभा को भेजते हुए राज्य सभा से —

खंड ९, ६५५९

सभा का कार्य :

सभा का कार्य

खंड ९, ६४६९, ६६५७–६०, ६७५४–५५, ६९८५–८६

समवाय विधेयक :

**देखिये** "विधेयक (कों) के नीचे

समिति (यां) संसदीय :

कार्य मंत्रणा समिति :

सत्ताईसवें प्रतिवेदन का उपस्थापन

खंड ९, ५९२१

समिति (यां) संसदीय : (क्रमशः)

कार्य मंत्रणा समिति : (क्रमशः)

सत्ताईसवें प्रतिवेदन से सहमति प्रस्ताव (**स्वीकृत**)

खंड ६, ६०१६–२१

अठाईसवें प्रतिवेदन का उपस्थापन

खंड ६, ६१०६

अठाईसवें प्रतिवेदन से सहमति प्रस्ताव (**स्वीकृत**)

खंड ६, ६२१२

उनतीसवें प्रतिवेदन का उपस्थापन

खंड ६, ६६५७

उनतीसवें प्रतिवेदन से सहमति प्रस्ताव (**स्वीकृत**)

खंड ६, ६७५०–५४

तीसवें प्रतिवेदन का उपस्थापन

खंड ६, ६७४७

तीसवें प्रतिवेदन से सहमति प्रस्ताव (**स्वीकृत**)

खंड ६, ६८५३

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति :

उन्तालीसवें प्रतिवेदन का उपस्थापन

खंड ६, ५८४०

उन्तालीसवें प्रतिवेदन से सहमति प्रस्ताव (**स्वीकृत**)

खंड ६, ६०५५–५६

चालीसवें प्रतिवेदन का उपस्थापन

खंड ६, ६२१२

चालीसवें प्रतिवेदन से सहमति प्रस्ताव (**स्वीकृत**)

खंड ६ ६४१८

इकतालीसवें प्रतिवेदन का उपस्थापन

खड ६, ६६५७

इकतालीसवें प्रतिवेदन से सहमति प्रस्ताव (**स्वीकृत**)

खंड ६, ७०४६

समिति (यां) संसदीय (क्रमशः)

नियम समिति :

प्रथम प्रतिवेदन की प्रति–पटल पर रखी गयी

खंड ६, ६६५७

प्राक्कलन समितिः

समिति के लिये निर्वाचन सम्बन्धी प्रस्ताव (**स्वीकृत**)

खंड ६, ६१०६–१०

समुद्र सीमा-शुल्क अधिनियम :

—के अन्तर्गत अधिसूचनाओं की प्रतियां— पटल पर रखी गयीं ।

खंड ६, ५६४६-४७

सरकारी आश्वासन :

**देखिये** "आश्वासन (नों), सरकारी"

सर्मा, श्री देवेश्वर :

रेलवे के पुनर्वर्गीकरण के बारे में संकल्प

खंड ६, ६०७७-८१

सहगल, सरदार ए० एस० :

नागरिकता विधेयक :

संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार प्रस्ताव

खंड ६, ६५५४-५६

सहाय, श्री श्यामनन्दन :

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विधेयक :

संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार प्रस्ताव

खंड ६, ५८५०-५७

खंडों पर चर्चा

खंड ६, ६०३७-३८

सामन्त, श्री एस० सी० :

औद्योगिक सेवा आयोग के बारे में संकल्प

खंड ९, ७०६९

दिल्ली (भवन निर्माण कार्यों पर नियंत्रण) विधेयक :
खंडों पर चर्चा

खंड ९, ६६५७

नागरिकता विधेयक :
खंडों पर चर्चा

खंड ९, ६६८९

सामुदायिक परियोजनायें :

—और राष्ट्रीय विस्तार सेवा योजनाओं की पड़ताल के लिए एक समिति की नियुक्ति करने के बारे में संकल्प

खंड ९, ७०७०-८८

साहा, श्री मेघनाद :

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विधेयक :
संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार प्रस्ताव

खंड ९, ५८८६-९०, ५९६३-६४

खंडों पर चर्चा

खंड ९, ६०२९-३०, ६०३१, ६११८-२१

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव

खंड ९, ६१३४-३७, ६१३९, ६१४०

सिंघल, श्री एस० सी० :

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विधेयक :
संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार प्रस्ताव

खंड ९, ५८६०-६७

सिंह, श्री एल० जोगेश्वर :

अनर्हता निवारण (संसद तथा भाग ग राज्य विधान मण्डल) संशोधन विधेयक :
विचार प्रस्ताव

खंड ९, ७०२७-२९

मनीपुर (न्यायालय) विधेयक :
विचार प्रस्ताव

खंड ९, ६२८६-८८, ६३००-०१

सिंह, श्री टी० एन० :

बीमा (संशोधन) विधेयक :
विचार प्रस्ताव

खंड ९, ६७७२

मुद्रणालय तथा पुस्तक पंजीयन (संशोधन) विधेयक :
विचार प्रस्ताव

खंड ९, ५६६८-७२

खंडों पर चर्चा

खंड ९, ५७४१

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विधेयक :
खंडों पर चर्चा

खंड ९, ६०५१, ६१२७

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव

खंड ९, ६१३७-३८

संविधान (सप्तम संशोधन) विधेयक :
मतदान के सम्बन्ध में प्रश्न

खंड ९, ६३००

सिंह, श्री सत्य नारायण :

कार्य मंत्रणा समिति :
सत्ताइसवें प्रतिवेदन से सहमति प्रस्ताव

खंड ९, ६०१६, ६०२०

अठाईसवें प्रतिवेदन से सहमति प्रस्ताव

खंड ९, ६२१२

उनतीसवें प्रतिवेदन से सहमति प्रस्ताव

खंड ९, ६७५०

सिंह, श्री सत्य नारायण : (क्रमशः)
कार्य-मंत्रणा समिति : (क्रमशः)
तीसवें प्रतिवेदन से सहमति प्रस्ताव
खंड ६, ६८५३
दिल्ली (भवन निर्माण कार्यों का नियंत्रण) अध्यादेश, १९५५—
राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित—पटल पर रखा।
खंड ६, ५६४५-४६
बीमा (संशोधन) अध्यादेश, १९५५—
राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित—पटल पर रखा।
खंड ६, ५६४५-४६
लोक सभा के पहले सत्र, १९५२, दूसरे सत्र, १९५२, तीसरे सत्र, १९५३, चौथे सत्र, १९५३, पांचवें सत्र, १९५३, छठे सत्र, १९५४, सातवें सत्र, १९५४, आठवें सत्र, १९५४, नवें सत्र, १९५५ तथा दसवें सत्र, १९५५ में दिये गये विभिन्न आश्वासनों इत्यादि पर सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही दर्शाने वाले अनुपूरक वितरण संख्या क्रमशः ३३, ३५, ३७, ३२, २७, २२, १६, १२, ८ तथा २—पटल पर रखे
खंड ६, ६०१६-१६
संविधान (सप्तम संशोधन) विधेयक
प्रवर समिति को निर्दिष्ट करने का प्रस्ताव
खंड ६, ६२६६-७०
संविधान (सप्तम संशोधन) विधेयक के बारे में चर्चा
खंड ६, ६११४-१५, ५११६
सभा का कार्य
खंड ६, ६७५४
सिंहासन सिंह, श्री :
नागरिकता विधेयक :
संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार प्रस्ताव
खंड ६, ६५३६-५०
सिंहासन सिंह, श्री : (क्रमशः)
नागरिकता विधेयक : (क्रमशः)
खंडों पर चर्चा
खंड ६, ६६२२-२४, ६६३३, ६६३४
भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) विधेयक :
विचार प्रस्ताव
खंड ६, ५७८७-६७
रेलवे सामान (अवैध कब्जा) विधेयक :
प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में, विचार प्रस्ताव
खंड ६, ६३५१-५३
खंडों पर चर्चा
खंड ६, ६३६१-६४
सिन्दरी फर्टिलाइजर तथा कैमिकल लिमिटेड :
—१९५४-५५ के तृतीय वार्षिक प्रतिवेदन की प्रति —पटल पर रखी गयी
खंड ६, ६२६६
सिन्हा, श्री नागेश्वर प्रसाद :
भारतीय दंड संहिता (संशोधन) विधेयक (—द्वारा नई धारा २९४ ख का निदेश) :
वापस लेने की अनुमति प्रस्ताव
खंड ६, ६४१६
सुरेश चन्द्र, डा० :
औद्योगिक सेवा आयोग के बारे में संकल्प
खंड ६, ७०६४-६५
दिल्ली (भवन निर्माण कार्यों पर नियंत्रण) विधेयक :
विचार प्रस्ताव
खंड ६, ६८३७-३८
खंडों पर चर्चा
खंड ६, ६९५६-५७, ६९९६, ७०१२
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विधेयक :
संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में, विचार प्रस्ताव
खंड ६, ५८७५-७६, ५९६४

सुरेश चन्द्र, डा०: (क्रमशः)

सामुदायिक परियोजनाओं और राष्ट्रीय विस्तार सेवा योजनाओं की पड़ताल के लिए एक समिति की नियुक्ति करने के बारे में संकल्प

खंड ९, ७०७५, ७०७७-८०, ७०८६

सेन, श्रीमती सुषमा :

कशाघात उत्सादन विधेयक (राज्य सभा द्वारा पारित) :

विचार प्रस्ताव

खंड ९, ६१८४

सोधिया, श्री के० सी० :

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विधेयक :

संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार प्रस्ताव

खंड ९, ५८६७–७२

खंडों पर चर्चा

खंड ९, ५९९६, ६००९, ६०४३

सोमानी, श्री जी० डी० :

समवाय विधेयक :

राज्य सभा द्वारा किये गये संशोधनों पर विचार प्रस्ताव

खंड ९, ५७६६–६७

स्थगन प्रस्ताव :

अगरतला के राताचेरा ग्राम की स्थिति

खंड ९, ६२०७–०८, ६३७८–८१

बम्बई की स्थिति (**अनुमति नहीं दी गई**)

खंड ९, ५७५१, ५८३५–४०

स्वर्ण सिंह, सरदार :

दिल्ली (भवन निर्माण कार्यों पर नियंत्रण विनियमन की प्रति — पटल पर रखी गयी

खंड ९, ६४६७

स्वेच्छापूर्वक वेतन परित्याग (करारोपण (विमुक्ति) संशोधन विधेयक

**देखिये** "विधेयक (कों)" के नीचे

ह

हुक्म सिंह, सरदार :

औद्योगिक सेवा आयोग के बारे में संकल्प

खंड ९, ७०६१

दिल्ली (भवन निर्माण कार्यों पर नियंत्रण) विधेयक :

विचार प्रस्ताव

खंड ९, ६८९३–९६

खंडों पर चर्चा

खंड ९, ६९६०

मुद्रणालय तथा पुस्तक पंजीयन (संशोधन विधेयक :

खंडों पर चर्चा

खंड ९, ५७२९

राज्य पुनर्गठन आयोग के प्रतिवेदन पर चर्चा के बारे में घोषणा

खंड ९, ६९६९-७०

रेलवे सामान (अवैध कब्जा) विधेयक :

प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में, विचार प्रस्ताव

खंड ९, ६३२९–३१

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम ३२१ के निलम्बन के बारे में प्रस्ताव

खंड ९, ६९८०–८१

संविधान (आठवां संशोधन) विधेयक :

पुरःस्थापन अनुमति प्रस्ताव

खंड ९, ६८६१, ६८६२